खण्ड–495, अंक–9
बुधवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(24 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान न किये जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग	7–9
प्रश्नोत्तर	9–135
उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा सदन की सदस्यता की शपथ	135
मस्तिष्क ज्वर से सम्बन्धित नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–1 को कल लिये जाने का अनुरोध...	135–136
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान न किये जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग (क्रमागत)... ...	136–137
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	138–139
लखनऊ विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आश्रयहीन बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड में रहने वाले आवंटियों को विनियमित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के कतिपय ग्रामों में लघु सेतु तथा एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा जयपालपुर के तालाब को खुदवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	140
जनपद मैनपुरी के नगर पालिका परिषद् के ड्राफ्टमैन के अधिसंख्य पद पर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	140–141
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव विकास खण्ड मेजा के कतिपय ग्रामों सड़क, पुल व नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आई0टी0आई0 का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
जनपद बागपत में नीलगाय द्वारा तिलहन एवं दलहन की फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	142
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के तम्बौर कस्बा से थाने	142

विषय **पृष्ठ–संख्या**

तक की सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश के कई जनपदों में गुर्जर जाति को विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	142–143
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत लोक निर्माण एवं मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़क को मानक के अनुरूप बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना की ग्राम सभा धरवारा के कोटेदार का कोटा निरस्त कर उसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी चकिया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	143–144
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम राशिदपुर व राजस्व ग्राम इटौवा थाना गड़िया रंगीन व राजस्व कुड़रिया तहसील जलालाबाद के काश्तकारों की भू–माफियाओं द्वारा कब्जा की गई भूमि की पैमाइश कराकर किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	144
अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय मगरवारा उन्नाव के कार्यालय के 22 में से शेष 5 कर्मचारियों को तत्काल टाइम स्केल लगाने व श्री हरिश्चन्द्र पुत्र महावीर लोनियन खेड़ा उन्नाव का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	144–145
जनपद कासगंज स्थित जिला सहकारी गल्ला विकास समिति, न्यौली में कार्यरत कर्मचारियों को विकास कमीशन न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	145
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	145
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में विधान सभा द्वारा सभी दलों के नामित सदस्यों की कोई भी बैठक न बुलाये जाने एवं परामर्श न दिये जाने से समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	146–147
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय–व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2011–2012	147
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 134वां (एक सौ चौंतीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	147–148

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 135वां (एक सौ पैंतीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 148
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 136वां (एक सौ छत्तीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 148

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 137वां (एक सौ सैंतीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 148

सरकारी आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा की मांग ... 148

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में जल स्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री योगेश रावत आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 149

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर के जगनेर कस्बा में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने विषयक श्री नीरज सोन आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (प्रस्तुत की गई) 149

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया में जल स्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री खुशीराम कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 149

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में जल स्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री सतीश शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) ... 149

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव से कन्जौली घाट पुल मार्ग से नगला बेर से नगला राधे जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मल्ल सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 150

जनपद मथुरा में परखम से ओल मार्ग तथा परखम ओल मार्ग से अछनेरा मार्ग का पुनः निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री मुल्ला जी आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 150

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग 150

के निर्माण शाखा–1 मथुरा के अन्तर्गत बल्देव से कन्जौली घाट पुल मार्ग तक (वाया बरौली) सड़क की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजाराम आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) ... ...

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद लखनऊ स्थित पेपर मिल कालोनी वार्ड में बाबा पुरवा भीखमपुर आवास सं0–1 से 40 में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष स्वरूप आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 150

जनपद लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर आवासीय योजना के सेक्टर–14 में आवास संख्या–14/1 से 152 तक हो रहे भीषण जलभराव का निदान हेतु नाले के तल से मिट्टी की निकासी कराये जाने विषयक श्रीमती सविता शुक्ला आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (प्रस्तुत की गई) 150–151

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत खानपुर मण्डी से मीरापुर खादर को जोड़ने वाले मार्ग का नाले सहित सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री चन्द्रपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 151

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्याऊ छाछरी मोड़ से ग्राम पंचायत मुढाल को जोड़ने वाले टूटे एवं जर्जर मार्ग को सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री मुकेश सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई) 151

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2016–2017 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना ... 151–152

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2016–2017 की ''लोक लेखा समिति'', 152–153

''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ...

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 153

विषय	पृष्ठ–संख्या
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के द्वितीय बुधवार दिनांक 11 मार्च, 2015 को श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के सम्बन्ध में निर्देश संख्या–168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर	153–155
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	155–167
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा... ...	167–215
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	215–216
जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर दिल्ली राजमार्ग के निकट की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	216–217
जनपद गाजियाबाद के जी0टी0 रोड पर भाटिया मोड़ से गुलमोहर तक जाने वाले मार्ग पर पड़े कूड़े के ढेर को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	217–218
जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 इरफान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	218–219
जनपद मथुरा में विद्युत सम्बन्धी कार्य करने हेतु कार्यदायी संस्था मे0 के0ई0आई0 द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	219–220
जनपद मथुरा के वृन्दावन नगर पालिका परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	220–221
प्रदेश के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी व अधिकारीगणों को अवकाश में कार्य किये जाने का मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 अयूब द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	221–222

जनपद सहारनपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 222–223

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के विकास खण्ड उस्का एवं जोगिया के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार पासवान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	223
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत गम्भीर पेयजल संकट से निपटने हेतु एक हजार हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...	224
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में ग्राम टेल्हनापार में आराजी संख्या–527 पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	224–225
नत्थियां	226–235

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–297

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
7. अताउररहमान, श्री बरेली
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
9. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
10. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
11. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
12. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
13. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
14. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
15. अमित गौरव यादव, श्री एटा
16. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
17. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
18. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
19. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
20. अरुण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
21. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
22. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
23. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
24. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
25. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
26. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
27. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
28. 'आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
29. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
31. आलमबदी, श्री आजमगढ़
32. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
33. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
34. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
35. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
36. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
37. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
38. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
39. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
40. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
41. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
42. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
43. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
44. उदयराज, श्री उन्नाव
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
46. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
47. उमाशंकर, श्री बलिया
48. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
49. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं

' उप चुनाव में निर्वाचित।

51. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
52. ‘कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
53. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
54. करतार सिंह भड़ाना श्री मुजफ्फरनगर
55. काली चरन सुमन, श्री आगरा
56. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
57. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
58. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
61. गजराज सिंह, श्री हापुड़
62. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
63. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
64. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
65. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
66. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
67. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
68. गोमती यादव, श्री लखनऊ
69. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
70. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
71. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
72. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
73. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
74. जफर आलम, श्री अलीगढ़
75. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
76. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
77. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
78. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
79. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
80. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
81. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
82. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
83. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
84. ज्योत्सना श्रीरवास्तव, श्रीमती वाराणसी
85. तसलीम, श्री बिजनौर
86. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
87. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
88. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
89. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
90. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
91. दलजीत सिंह, श्री बांदा
92. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
93. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
94. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
95. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्रीझांसी
96. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
97. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
98. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
99. धर्मराज, श्री बाराबंकी
100. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
101. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
102. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
103. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
104. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
105. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
106. नागेन्द्र सिंह ‘‘मुन्ना यादव’’, श्रीप्रतापगढ़
107. नारद राय, श्री बलिया
108. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
109. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
110. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
111. पीतमराम, श्री पीलीभीत
112. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
113. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
114. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
115. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर

’ उप चुनाव में निर्वाचित।

116.प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
117.प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
118.प्रभूदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
119.प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
120.फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
121.फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
122.फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
123.फेरन लाल, श्री ललितपुर
124.बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
125.बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
126.बदलू खां, श्री उन्नाव
127.बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
128.बाबूलाल, श्री गोण्डा
129.बावन सिंह, श्री गोण्डा
130.बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
131.बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
132.बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
133.बृजेश कुमार, श्री हरदोई
134.बैजनाथ, श्री मऊ
135.भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
136.भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
137.भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
138.भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
139.मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
140.मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
141.मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
142.मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
143.मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
144.मनीष रावत, श्री सीतापुर
145.मनोज कुमार, श्री चन्दौली
146.मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
147.ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
148.महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
149.महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
150.महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
151.महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
152.माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
153.माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
154.मानपाल सिंह, श्री कासगंज
155.'माविया अली, श्री सहारनपुर
156.मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
157.मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
158.मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
159.मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
160.मुहम्मद रमजान श्री श्रावस्ती
161.मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
162.मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
163.मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
164.मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
165.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
166.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
167.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
168.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
169.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
170.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
171.यासर शाह, श्री बहराइच
172.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
173.योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
174. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्रीगोण्डा
175.रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
176.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
177.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
178.रणजीत सुमन, श्री एटा
179.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर

' उप चुनाव में निर्वाचित।

180.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
181.रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
182.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
183.रवि शर्मा, श्री झांसी
184.राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
185.आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
186.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
187.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
188.राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
189.राजकुमार रावत, श्री मथुरा
190.राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
191.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
192.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
193.राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
194.राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
195.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
196.राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
197.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
198.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
199.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
200.राधे श्याम, श्री अमेठी
201.राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
202.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
203.राम करन आर्य, श्री बस्ती
204.राम खिलाड़ी सिंह यादव, सम्भल
205.राम गोविन्द, श्री बलिया
206.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
207.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
208.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
209.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
210.राम मगन, श्री बाराबंकी
211.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
212.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
213.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
214.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
215.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
216.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
217.रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
218.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
219.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
220.रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
221.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
222.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
223.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
224.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
225.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
226.ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
227.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
228.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
229.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
230.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
231.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
232.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
233.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
234.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
235.विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
236. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
237. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
238.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
239.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
240.विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
241.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
242.वीरपाल राठी, श्री बागपत
243.वीर सिंह, श्री चित्रकूट
244.वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
245.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
246.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
247.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
248.शमशेर बहादुर उर्फ

शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
249.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
250.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
251.शाकिर अली, श्री देवरिया
252.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
253.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
254.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
255.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
256.शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
257.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
258.शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
259.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
260.श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
261.श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
262.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
263.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
264.सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
265.सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
266.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
267.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
268.सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
269.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
270.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
271.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
272.सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
273.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
274.सियाराम सागर, डा0 बरेली
275.सीमा, श्रीमती जौनपुर
276.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
277.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
278.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
279.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
280.सुधाकर, श्री मऊ
281.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
282.सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
283.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
284.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
285.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
286.सुरेश राणा, श्री शामली
287.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
288.सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
289.सुल्तान बेग, श्री बरेली
290.सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
291.सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
292.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
293.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
294.हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
295.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
296.हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
297.'रिक्त गाजीपुर

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान न किये जाने पर कठोर कदम उठाने की मांग

ख्श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर,

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री प्रदीप चौधरी व श्री गयादीन अनुरागी आदि कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

देखिये प्रदीप जी, यह क्या तरीका है, हम कुछ नहीं सुनेंगे। रोज आप लोग ऐसा करते हो।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

मेरे क्षेत्र में महामहिम का प्रोग्राम था, सरकारी हेलीकाप्टर से गर्वनर वहां गये। वहां भाजपा के एम0पी0 को बैठने के लिये कुर्सी दी गयी, मुझे कुर्सी नहीं दी गयी जबकि जनप्रतिनिधियों में एम0पी0 हमसे बड़ा नहीं होता।

(बीच में श्री प्रदीप माथुर सहित अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इनको किसी ने दीक्षान्त समारोह में बुला लिया, दीक्षान्त समारोह वाले ने आपको कुर्सी नहीं दिया तो उसमें कलेक्टर क्या करें। क्या प्रदीप माथुर जी नहीं चलने देना है तो हम बन्द कर दें। हम बजट पास करा दें बस खत्म। इसमें हम क्या कर सकते हैं। जाकर उस पर मानहानि का दावा करो। इसमें विधान सभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं ?

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

अध्यक्ष जी, मैं अकेले धरने पर बैठूंगा। वहां भाजपा के एम0पी0 को क्यों बैठाया। हमारा अपमान क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा इसमें क्या कर सकती है। आपको बुलाया, कुर्सी नहीं दिया तो मैं क्या करूं। आप अपने स्थान पर जायें। माथुर साहब अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम बजट पास करा देंगे। यह क्या तरीका है, यह दीक्षान्त समारोह में बुलाये गये, यह उनकी जिम्मेदारी है कि इनका सम्मान करे, उसमें विधान सभा क्या कर सकती है। हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब आप चलो वहां। आप क्या चाहते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

अध्यक्ष जी, मेरा अपमान किया गया।

श्री अध्यक्ष–

आपका अपमान हुआ है तो आप उसके ऊपर दफा 500 में मुकदमा दायर करो। माथुर साहब नहीं चलने देना है तो हम कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक करके बजट पास

करा देंगे, बस खत्म हो जायेगा। क्यों आप लोग रोज–रोज एक बवाल लाते हो। प्रश्न नहीं चलने देंगे, यह नहीं करने देंगे, वह नहीं करने देंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

यह विधायक है और एन0आर0सी0 डिग्री कालेज में।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

वह केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। गर्वनर का सरकारी कार्यक्रम था। वहां कमल का फूल, भाजपा के लोग, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जिसने आपको कार्ड दिया उसकी जिम्मेदारी थी आपको कुर्सी देता, आपको बैठाता, अब इसमें सरकार क्या करे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। आप गये ही क्यों, जब आप जानते थे कि आपका अपमान होगा। आपको नहीं जाना चाहिये। इतने बड़े विद्वान को दीक्षान्त समारोह में बुलाया और आपका अपमान हो गया। जो आप कह रहे हैं यह बाते असेम्बली की नहीं हैं। भाई माथुर साहब आपका क्या इरादा है, बताओ। हम कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक बुलावें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें विधायक का अपमान हुआ है। यह विधायिका के अपमान का प्रश्न है। जिलाधिकारी वहां थे, कलेक्टर ने अकेली कुर्सी लगवाई, सांसद को अपने बगल में बैठाया और माननीय राज्यपाल जी भारतीय जनता पार्टी की क्लास लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विधान सभा से क्या मामला है। वह क्या करते हैं उससे हमसे क्या मतलब। आपको जिसने बुलाया उसकी जिम्मेदारी थी कि आपको कुर्सी देता। आपको सम्मान से बैठाता। इसमें विधान सभा का क्या मामला आ गया। आप जब जानते थे कि अपमान होगा तो वहां आप क्यों गये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

अध्यक्ष महोदय, महामहिम के प्रोग्राम का भगवाकरण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष

क्या है भाई आप लोग कुछ नियम–वियम समझते हैं कि जो चाहेंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बुलाया गया था तो जिसने बुलाया था उसकी जिम्मेदारी थी इसमें विधान सभा का क्या मामला आता है। एम0एल0ए0 ऐसा नहीं है कि आप कत्ल करो तो आपको पुलिस न पकड़े, अपराध करो तो आपसे पूछताछ न हो। हर बात में मेरी विधान सभा, विधान सभा, विधान सभा। आप बैठिये।

(सदस्य श्री बंशी सिंह पहाड़िया सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, हम प्रश्न पहर चलाते हैं आप बैठे रहिये। इसमें मैं क्या कर सकता हूं आप मुझे बताओ ना।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के एम0पी0 का क्या औचित्य था और मेरा क्या औचित्य नहीं था।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन की अवमानना हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप जैसे विद्वान को अगर नहीं बैठाया तो आपका सम्मान तो इसमें था कि आप कहीं बैठ जाते, आप किसी ऐसी जगह बैठते जहां लोग आपको देखते, आपका सम्मान बढ़ जाता। देखने वाले आपको देखते और वैसे भी कहीं बैठा देते।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (सदन के वेल से)–

बुन्देलखण्ड के एम0पी0 डा0 भोला सिंह के लिए भी कुर्सी थी।

श्री अध्यक्ष–

आप हमें लिख करके दीजिए, चिल्लाने से क्या होता है, आप मुझे लिख करके दीजिए तो मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से पूछूं, चलिये आप लिख करके दे दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मामला है, मा0 सदस्यों की इज्जत का मामला है, अवमानना का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रोटोकॉल का मामला है, आप हमें लिख करके दीजिए हम संसदीय कार्य मंत्री जी को देंगे, यहां चिल्लाने से क्या होता है। इस बार बड़ा टोपी लगा लिये दिमाग उसी में बन्द हो गया है।

(सदस्य श्री बंशी सिंह पहाड़िया सदन के वेल से अपने आसन पर चले गये।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसमें पगड़ी और टोपी की क्या गलती है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना सिर खुजलाया, कहीं मेरे सिर पर तो टोपी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप नेता विरोधी दल हैं, आप बताएं कि इससे विधान सभा से क्या मतलब है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नेता विरोधी दल भी क्योंकि टोपी अच्छे खासे समय लगाते हैं और जब टोपी लगाते हैं तभी भले आदमी लगते भी हैं।

ख11.07 बजे, प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन के योजना के सम्बन्ध में जानकारी

''1–श्री नदीम जावेद, श्री सुरेश राणा, श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री सुदेश शर्मा, श्री लोकेन्द्र सिंह तथा श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कितने मेगावाट है, कितनी विद्युत यूनिटें चल रही हैं एवं कितनी बन्द हैं तथा उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बन्द यूनिटों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मांग के सापेक्ष विद्युत उत्पादन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')–

उत्पादन निगम लिमिटेड के विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा वर्ष 2016 में औसतन 3556 मे0वा0 का उत्पादन किया जा रहा है।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के नियंत्रणाधीन जल विद्युत गृहों से वर्तमान में वर्ष 2016 में औसतन 233 मे0वा0 विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

<u>उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0</u>–

उत्पादन निगम लिमिटेड की 20 विद्युत यूनिटें उत्पादनरत है एवं 06 विद्युत यूनिटें बन्द हैं। कुल 06 बन्द यूनिटों में ओबरा की 03 यूनिटें नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु ओबरा की 01 यूनिट डिलीशन हेतु पनकी की 01 यूनिट जनरेटर स्टेटर कोर डैमेज होने के कारण तथा हरदुआगंज की 01 यूनिट उत्पादन हेतु आरक्षित रखे जाने के कारण बन्द हैं।

<u>उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0–</u>

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में 21 इकाइयां चल रही हैं तथा 18 इकाइयां बन्द हैं।

रिहन्द जल विद्युत गृह की 03 मशीनें जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु बन्द हैं।

खारा जल विद्युत गृह की 01 मशीन वार्षिक अनुरक्षण कार्य के सम्पादन हेतु बन्द है।

बेल्का एवं बबैल जल विद्युत गृहों की 01–01 मशीन गियर बाक्स क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हैं।

शीतला जल विद्युत गृह की 01 मशीन शाफ्ट ग्लैण्ड फाल्ट के कारण बन्द हैं।

ऊपरी गंगा नहर पर स्थित भोला जल विद्युत गृह की 04 मशीनों के सिविल स्ट्रक्चर्स पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थायी रूप से बन्द कर दी गई है एवं सलावा जल विद्युत गृह की मशीन संख्या–02 स्टेटर फाल्ट के कारण बन्द हैं।

पलरा एवं सुमेरा जल विद्युत गृहों में स्थापित सभी 03 एवं 02 मशीनें वर्ष 1992 से स्थाई रूप से बन्द हैं तथा इनको विकसित करने हेतु नेडा को निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जा चुका है।

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0–

ओबरा इकाई 07 (94 मे0वा0), ओबरा इकाई सं0–10 (200 मे0वा0), ओबरा इकाई सं0–11 (200 मे0वा0) के भार पर आने की सम्भावित तिथियां क्रमशः मार्च, 2016, मार्च, 2016 एवं जून, 2016 हैं। पनकी इकाई सं0–04 (105 मे0वा0) के भार पर आने की सम्भावित तिथि मार्च, 2016 है। ओबरा इकाई सं0–08 (94 मे0वा0) अधिष्ठापित क्षमता से डिलीशन हेतु प्रक्रियाधीन है। हरदुआगंज इकाई सं0–05 (60 मे0वा0) उत्पादन हेतु आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0–

रिहन्द जल विद्युत गृह की 03 मशीनें दिनांक 04–07–2016, 31–08–2016 तथा 31–03–2016 तक चालू कराना लक्षित है।

खारा जल विद्युत गृह की 01 मशीन दिनांक 15–02–2016 तक चालू कराना लक्षित है।

बेल्का एवं बबैल जल विद्युत गृहों की 01–01 मशीन दिनांक 31–10–2016 तक चालू कराना लक्षित है।

शीतला जल विद्युत गृह की 01 मशीन दिनांक 15–02–2016 तक चालू कराना लक्षित है।

ऊपरी गंगा नहर पर स्थित भोला जल विद्युत गृह की 04 मशीनों के सिविल स्ट्रक्चर्स पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थायी रूप से बन्द कर दी गई है एवं सलावा जल विद्युत गृह की मशीन संख्या–02 दिनांक 07–02–2016 तक चालू कराना लक्षित है।

ऊपरी गंगा नहर पर स्थित भोला जल विद्युत गृह की 04 मशीनों के सिविल स्ट्रक्चर्स पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थायी रूप से बन्द कर दी गई हैं।

पलरा एवं सुमेरा जल विद्युत गृहों में स्थापित सभी 03 एवं 02 मशीनें वर्ष 1992 से स्थाई रूप से बन्द हैं।

जी हां।

प्रदेश में मांग के सापेक्ष विद्युत उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में कई विद्युत परियोजाएं निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

(अ) राज्य क्षेत्र :–

निर्माणाधीन विद्युत परियोजना–

1–2ग500 मेगावाट अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना–परियोजना की दोनों इकाइयों से विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रथम इकाई–दिनांक 31–03–2015 को सिन्क्रोनाइज की गई।

फुल लोड पर संचालित होने की सम्भावित तिथि–मार्च, 2016।

द्वितीय इकाई–फुल लोड पर संचालित होने की सम्भावित तिथि मार्च, 2016।

प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं–

1–1ग660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार परियोजना।

2–2ग660 मेगावाट ओबरा 'सी' परियोजना।

3–1ग660 मेगावाट पनकी विस्तार परियोजना।

इसके अतिरिक्त 2ग660 मे0वा0 करछना एवं 2ग660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजनायें राजकीय क्षेत्र में लगाये जाने हेतु उ0 प्र0 सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है तथा इनके निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ब) संयुक्त क्षेत्र :–

निर्माणाधीन विद्युत परियोजना–

1–2ग660 मेगावाट मेजा (स्टेज–प) तापीय विद्युत परियोजना

(उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य संयुक्त उपक्रम)

प्रथम इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि अगस्त, 2016

द्वितीय इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि फरवरी, 2017

प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं

1–3ग660 मेगावाट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना।

(उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का संयुक्त उपक्रम)

2–2ग660 मेगावाट मेजा (स्टेज–प्प) तापीय विद्युत परियोजना

(उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य संयुक्त उपक्रम)

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत खारा लघु जल विद्युत (क्षमता 2ग0. 75 मेगावाट) परियोजना पर कार्य चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नदीम जावेद–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की तरफ से बहुत विस्तार से जवाब आया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में भारी अंतर है। जो रिसर्च वर्क कहता है वह यह इशारा करता है कि लगभग 7000 मेगावाट बिजली की कमी पीक आवर्स में उत्तर प्रदेश में है। जो भी सरकार की योजनायें हैं, वह काफी पॉजीटिव भी हैं उनके तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसा लगता है कि दशकों तक जो डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में जो बैलेन्स होना चाहिए उसमें काफी समय लगेगा तो सरकार ने जिन यूनिट्स को शुरू करने की बात की है उन यूनिट्स को शुरू करने के बाद भी जो चैलेन्ज है वो लगभग उसी तरह का बना रहेगा जिस प्रकार का अभी है। दूसरा, अध्यक्ष जी मेरा इसमें प्रश्न यह था कि 2003 का उत्तर प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी का ऐक्ट है वह यह कहता है कि रिनेअबल एनर्जी पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और उसमें यह था कि टोटल एनर्जी जितनी पैदा होगी उसका 05 प्रतिशत रिनेअबल एनर्जी होगी। यह पूरी दुनिया में भी चैलेंज है और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन जो देश के चंद राज्य सबसे पिछड़े हैं रिनेअबल एनर्जी में जिसमें सौर ऊर्जा है, विण्ड ऊर्जा वगैरह है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है तो मैं इन दोनों प्रश्नों पर मा0 मंत्री जी का उत्तर चाहता हूं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो यह कहा कि दोनों में काफी अंतर है, यह सही है। पिछले काफी समय से इस क्षेत्र में कई सरकारें आयीं लेकिन बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम नहीं किया गया। यह सही है कि आज अन्तर है लेकिन हम लोग जिस कार्यक्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार बहुत जल्दी इस अंतर को हम समाप्त कर देंगे और उसको पूरा करेंगे।

(श्री सतीश महाना जी का नाम पुकारे जाने पर सदस्य श्री सुरेश राणा जी के भी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता खड़े हैं उनको बुला लिया है, अभी आपका नम्बर नहीं आया है। उनको बोलने दीजिये। चलिये ठीक है राणा साहब आप ही पूछ लीजिये।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, पहले दिन से सदन में चर्चा है कि लगातार विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने के प्रयास जारी हैं और वायदा भी किया था कि 2 साल के अंदर गांवों को 16 घंटे और शहरों को 22 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति होगी। आज हालत यह है कि गांवों में 6 से 8 घंटे बमुश्किल और शहरों में 10 से 14 घंटे की विद्युत आपूर्ति है। कारण केवल यह है कि जो उत्पादन में और आवश्यकता में अंतर है उसे बराबर करने के कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हो रहे हैं। अभी जो जवाब में आया कि तीन यूनिट नवीनीकरण के लिये, एक यूनिट डिलीशन हेतु, एक यूनिट जनरेटर

शटल कॉक डैमेज होने के कारण यदि इतनी महत्वपूर्ण 6 यूनिट्स बन्द हैं और हम लोग लगातार बिजली बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मेरा सरकार से माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि जो आवश्यकता है और जो उत्पादन है। आवश्यकता और उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने क्या लिया है कि कब तक आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन सरकार कर लेगी नम्बर एक। नम्बर दो कि अभी केन्द्र के साथ समझौता हुआ है उदय के नाम से। वह समझौता क्या है ? वह समझौता कब तक लागू हो जायेगा और प्रदेश के उत्पादन में उस समझौते की क्या भूमिका है ? इन दो सवालों के जवाब माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी बिजली की स्थिति के बारे में अत्यन्त गम्भीर है और इसी के कारण मैं पुनः अपने उत्तर को दोहरा रहा हूं। पिछले 20 वर्षों में तमाम सरकारें उधर के कई सदस्यों की माननीय सरकारें रही हैं उत्पादन के क्षेत्र में जितना कार्य नहीं किया है उतना माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार कार्य कर रही है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले महीने की 15 तारीख को जाकर हरदुआगंज में नई परियोजना का शिलान्यास किया जो 1ग660 मेगावाट की जिसका कार्य शिवा कम्पनी प्रारम्भ कर चुकी है। इसी तरह से 1ग660 मेगावाट पनकी परियोजना पर विस्तार की निविदा भी आमंत्रित की है और इसी तरह 2 ग660 मेगावाट की जवाहरपुर की परियोजना की निविदाएं भी आमंत्रित हो चुकी है। 2ग600 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार की निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। इस तरह से कुल 660 मेगावाट की 6 यूनिटें लगभग 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय सदस्य का यह कहना कि इसमें सरकार गम्भीर नहीं है, यह अपने आप में दर्शाता है कि पिछली कई सरकारों ने मिलकर जितनी गम्भीरता नहीं दिखाई थी उससे ज्यादा अकेले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार गम्भीर है और गम्भीरता दिखा रही है। (मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अध्यक्ष–

अब महाना जी को पूछने दें।

श्री सुरेश राणा–

महाना जी तो पूछ लेंगे। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया। मैंने उदय का पूछा कोई जवाब नहीं दिया, मैंने केन्द्र सरकार की योजना के बारे में पूछा कोई जवाब नहीं दिया माननीय मंत्री जी ने। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि उत्पादन, अब बताया कि इतनी सारी यूनिट्स हम लगा रहे हैं पहले दिन से हम सदन में सुन रहे हैं। वह यह भी कह रहे है कि हम यदि यह कह रहे हैं कि सरकार गम्भीर नहीं है तो आरोप गलत है। यदि सरकार गम्भीर है तो सरकार ने पिछले 4 साल में उत्पादन, जो खपत के सापेक्ष उत्पादन है उसको कितना बढ़ाया है परिणाम उसका आया है या कौन सा लक्ष्य लिया है ? बीस साल का लक्ष्य लेकर आप चल रहे

हो, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हो, बीस साल में भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। केन्द्र का भी बतवा दें।

श्री अध्यक्ष–

हो गया बैठिए, जो मंत्री जी जवाब देंगे वही तो मिलेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया प्रश्न की दूसरी लाइन पढ़ लें, इसमें सरकार ने उत्तर दिया है कि–उत्पादन निगम लिमिटेड विद्युत इकाइयों द्वारा वर्ष 2016 में औसतन 3556 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था जिसके साथ इसको सम्बद्ध कर दिया गया, और मेरा आज प्रश्न संख्या–5 लगा था जिसमें यह मान लिया गया कि रिपीटीशन के आधार पर निरस्त हुआ है। मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया है कि मार्च 2012 में, 31 मार्च, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 इन चार वर्षों में कितना–कितना किस तारीख को उत्पादन था ? मान्यवर, इसके जवाब में लिखा हुआ है कि 3556 मेगावाट का उत्पादन ये आज से चार साल पहले भी कर रहे थे और आज भी उतना ही उत्पादन कर रहे हैं और गाल बजा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। आपके माध्यम से मेरा स्पष्ट निवेदन और उत्तर है कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, अब यह क्या करेंगे पिछले कई वर्षों से यह लोग बताते रहे हैं यह करेंगे, वह करेंगे, क्या हुआ है यह बतायें चार सालों में ? 31 मार्च, 2012 को कितना विद्युत उत्पादन था, क्योंकि आज 3556 मेगावाट उत्पादन बताया तो उस समय कितना था ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

यह सवाल नहीं था इसका उत्तर मैं दे दूंगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह उत्तर किसी भी मंत्री जी को मुंह जवानी रटा होना चाहिए कि चार सालों में हमने इतनी उपलब्धि कर ली। इसके लिए देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसका उत्तर है शून्य, 31 मार्च, 2012 को जिस समय यह सरकार में आए थे तब और आज में चार साल हो गए और जो उत्पादन तब था वही उत्पादन आज भी होगा या उससे कम ही होगा उससे ज्यादा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो उन्होंने पढ़ा कि इतना लक्षित है उत्तर पूरा पढ़ दिया।

श्री सतीश महाना–

उन्होंने यह कहा है कि यह करेंगे, यह करेंगे, चार सालों में इन्होंने किया क्या है इसका उत्तर भी नहीं मालूम है। चार साल में इन्होंने एक मेगावाट भी उत्पादन बढ़ाया है उत्पादन उन्होंने बढ़ाया ही नहीं तो क्या बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

विद्युत पर इतना बहस हो चुका है सब जानते हैं यहां।

श्री सुरेश राणा–

इनके पास कोई उत्तर नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने बहुत किया 2012 में जब यह सरकार आई थी तो 4209 मेगावाट का उत्पादन था और अभी 3556 हो गया तो सरकार ने प्रयास तो बहुत किया है मैं इसके लिए तो इनको बधाई दे सकता हूं। मेरे प्रश्न दो हैं और आग्रह है कि पूछ लेने दीजिएगा, एक तो इन्होंने उत्पादन की मात्रा बता दी 3556, आवश्यकता है तेरह हजार की, चौदह हजार की, यह बीच की बिजली जब राज्य पैदा नहीं कर रहा है तो निजी क्षेत्रों से आ रहा है और जो राज्य की बिजली होती है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आज सुबह खुद अतारांकित प्रश्न में जवाब दिया, यह औसतन दो से तीन रुपये प्रतियूनिट है, यह जो निजी क्षेत्र से खरीदते हैं यह प्रति यूनिट छः से सात, आठ, अलग–अलग है इतने रुपये प्रति यूनिट पर है मेरा प्रश्न सरकार से यह है कि जब पावर एक्सेंज में बिजली उत्तर ग्रिड में, नार्थ ग्रिड में, दो रुपये प्रति इकाई उपलब्ध है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों से दो रुपये प्रति यूनिट सस्ती बिजली लेकर नागरिकों को सस्ती बिजली दी जा सकती है और यह सरकार उस बिजली को न लेकर के निजी कम्पनियों से मंहगी बिजली लेकर नागरिकों को मंहगे दर पर बिजली दे रही है। इसका जवाब आ जाए तो मैं दूसरा सवाल पूछूं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

यह मूल सवाल में नहीं है इनकी जो सूचना है उसका जवाब दे दिया जाएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी यह भी अगर मूल सवाल में नहीं है तो मूल सवाल में है क्या ।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब मूल सवाल का सारा उत्तर पढ़ लीजिएगा अब दूसरा सवाल लेने दीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अगर मंत्री जी क्वैश्चन लिखकर दे दें तो हम लोग वही वही सवाल पूछ लेंगे। अन्यथा बिजली का इस सत्र का पहला सवाल है अगर माननीय मंत्री जी हर सवाल को मूल सवाल में टिका देंगे तब तो मुश्किल है। बिजली की सप्लाई का विषय है उपलब्धता का विषय है पावर एक्सचेंज में दो रुपए प्रति यूनिट उपलब्ध है जो एक इंडेपेंडेंट इकाई है मेरा प्रश्न यह है कि सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदी जा रही है इन निजी कम्पनियों से मंहगी बिजली क्यों ली जा रही है। यह तो सैद्धान्तिक विषय है इसका जवाब तो सरकार को दे देना चाहिए।

मेरा दूसरा सवाल है जब सरकार सत्ता में आई थी तो सरकार ने कहा कि दो साल के अन्दर हम गांव को 14 घण्टे और शहरों को 22 घंटे बिजली दे देंगे दो साल गुजर गए अब चुनाव आ गया।

श्री जाहिद बेग–

यह बजट पर बोलना।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

इनकी जानकारी ज्यादा है तो इनको यहीं बैठा दें। यह अपने मंत्री जी से ज्यादा जानते हैं। अध्यक्ष जी मेरा यह कहना है अगर सरकार यह सब्जबाग दिखा रही है कि हम अक्टूबर, 2016 में गांव को 16 घण्टे, मण्डल मुख्यालय को 20 घण्टे, जिला मुख्यालय को 22 घण्टे और महानगरों को 24 घण्टे बिजली दे देंगे तो सरकार ने इसके लिए कोई तैयारी की होगी हम सरकार से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2016 में कितनी बिजली आवश्यक होगी और सरकार चूंकि लगातार वायदा कर रही है तो इसमें सरकार ने प्लानिंग किया होगा सरकार ने इतनी अधिक बिजली पाने के लिए इनकी क्षमता तो 3556 मेगावाट की है। सरकार ने क्या–क्या योजना बनाई है यही जवाब दे दें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी अभी हम लोग गांव में औसत 11 से 12 घण्टे तहसील में....

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा ना–ना कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सुनिए तो ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि मंत्री जी बिजली कहां से देंगे)

श्री अध्यक्ष–

वह खरीद के देंगे कैसे देंगे इसके लिए आप क्यों परेशान हैं। उत्तर सुनें तो थोड़ा धैर्य रखें। नए मंत्री हैं आपको उनको सम्मान देकर सुनना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

आपको यहां आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा तो आप मुझसे सुन ही लीजिए। तहसील में 13–14 घण्टे जिला मुख्यालयों में 20 घण्टे और इण्डस्ट्रियल फीडर पर 24 घण्टे बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि अक्टूबर, 2016 से हम माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 16 घण्टे, जिला मुख्यालयों पर 20 घण्टे, मण्डल मुख्यालयों पर 22 घण्टे, महानगर औद्योगिक और बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे बिजली देने का काम सरकार करेगी। जहां तक इन लोगों ने बिजली के श्रोत की बात की है मैं बताना चाहता हूं वर्तमान में विभिन्न श्रोतों से जो हमें बिजली प्राप्त हो रही है उसमें अभी अनपरा से 1400 मेगावाट,

ओबरा से 440 मेगावाट, हरदुआगंज से 440, पनकी से 120, पारीक्षा से 900 कुल 3300 हम यहां से ले रहे हैं जल विद्युत में विष्णुप्रयाग अलकनन्दा से 130 और जल विद्युत निगम से 120 कुल 250 केन्द्रीय सेक्टर से जो हम आयात कर रहे हैं। उसमें 4500, रोजा तापीय से 800, अनपरा–सी से 1050, बी0ई0पी0एल0 से 400, को–जनरेशन से 800, एल0टी0ए0 एण्ड एम0टी0ओ0ए0 से 600 कुल शुद्ध उपलब्धता 11700 मेगावाट है। हमारी अक्टूबर, 2016 तक जो प्रस्तावित उपलब्धता है उसमें ललितपुर पावर परियोजना से 1320, मै0 सुपिरयर्स फुड ग्रेन्स प्रा0 लि0 से 24, सोलर द्वारा 105, 2175 मे0वा0 हेतु हस्ताक्षरी पी0पी0ए0 से 1514, अनपरा–डी से 1000, बारा तापीय परियोजना से 1320, केन्द्रीय सेक्टर की सिंगरौली मिनी हाइड्रो परियोजना से 3 मेगावाट सहित अक्टूबर, 2016 तक निर्धारित उपलब्धता 5286 मेगावाट है। इस तरह से 11550 और 5286 अर्थात् कुल 16836 मेगावाट बिजली हमें अक्टूबर, 2016 तक प्राप्त होगी।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने बता तो दिया कि ऐसे–ऐसे बिजली उपलब्ध होगी। इस प्रश्न पर 20 मिनट से अधिक चर्चा हो गयी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और बिजली का मामला पूरे राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है। जिस देश के पास बिजली न हो, सड़कें न हों, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। राजनैतिक दलों का मैनीफेस्टो ही उनका असल चेहरा होता है और उन्हें अपने मैनीफेस्टो पर ईमानदारी के साथ काम करना चाहिये। मा0 सुरेश जी ने एक प्रश्न किया था कि केन्द्र सरकार के साथ क्या समझौता या क्या लेन–देन या केन्द्र सरकार की क्या कृपा हुई है, उसका जवाब इधर से नहीं आया।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब नहीं आया था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जवाब नहीं आया था। इस तरह की चीजों में जब तक केन्द्र का सहयोग न हो, क्योंकि बिजली राष्ट्रीय मुद्दा है और राज्य सरकारें अपने श्रोतों से जितना कर सकती हैं, उन्हें करना चाहिये, लेकिन पूरा सदन जानता है कि अखिलेश जी की मौजूदा सरकार ने बिजली के लिये बहुत काम किया है और खजाने का बहुत पैसा खर्च भी हुआ है। बहुत तकनीकी ऐतबार से बिजली को बढ़ाने की कोशिश हुई है और बिजली बढ़ी भी है। इसमें केन्द्र सरकार का सहयोग होना चाहिये, यह बहुत अच्छी बात है और केन्द्र को इसका श्रेय मिलना भी चाहिये। केन्द्र सरकार अपने मैनीफेस्टो के लिये सत्ता में आई

और जो बुनियादी वायदे किये, उसमें एक वायदा यह भी था कि 100 दिन के अन्दर पूरे देश को 24 घंटे बिजली मिलेगी। अगर 100 दिन पूरे नहीं हुये हैं तो हम उसका इंतजार करेंगे और हमें इंतजार करना भी चाहिये, लेकिन केन्द्र का सहयोग जब तक नहीं होगा, किसी भी राज्य को उतनी बिजली नहीं मिल सकेगी जितनी मिलनी चाहिये। मा0 सुरेश जी से हमारा यही आग्रह रहेगा कि इसमें थोड़ी सी मदद करें कि केन्द्र इसमें अपने किये हुये वायदे पर कि चलिये 20 लाख रूपये नहीं देते हैं तो न दें, दो करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं देते हैं तो न दें, लेकिन देश को बिजली जरूर दें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आज से दो साल पहले उत्तर प्रदेश ने ज्यादा बिजली ले ली थी, इस वजह से पूरा नार्दर्न ग्रिड फेल हो गया था और पूरा उत्तर भारत अंधेरे में था। केन्द्र सरकार अगर बिजली न दे रही हो तो यह जो आज दे पा रहे हैं यह भी देने की स्थिति में नहीं होते। केन्द्र सरकार ही बिजली दे रही है जिस कारण यह वहां से बिजली लेकर दे रहे हैं। मान्यवर, 3300 इनका है और 4500 वह दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में प्रदेश की सरकार किसी भी स्थिति में विद्युत उत्पादन करने के प्रति गम्भीर नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे)

(व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अध्यक्ष जी, यह चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि उत्तर प्रदेश के लिए, विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय पर जिस तरीके से सदस्य लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है, इसको चर्चा के लिए आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम–52 में लाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी मांग है कि माननीय सदन की जिज्ञासा और चाहत को देखते हुए चूंकि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से क्योंकि बिजली प्रदेश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दा निभाती है, इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की इस पर बात आ जाये, इसलिए मान्यवर, इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का लगातार प्रयास करते रहे।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, चूंकि यह सरकार प्रदेश में बिजली की समस्या को सुलझाने के मामले में गंभीर नहीं है, इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप जानते हैं कि नियमावली में विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न प्रकार नियम बने हुए हैं। यह प्रश्न प्रहर है, प्रश्न प्रहर में नियम–49 की चर्चा केवल आधे घण्टे होती है। अगर इसको चर्चा के लिए भी ले लिया जाए तो क्या आधे घण्टे में चर्चा खत्म हो जायेगी ? तो जो नियम हैं, आपके पास नियम–52 है, अभी बजट पर चर्चा होगी, बजट की चर्चा में भाग लेते हुए हर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की, बिजली पर चर्चा कर सकते हैं, यह तो नियम है न ? अगर इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम–52 के अन्तर्गत सूचना दीजिए, उसमें घण्टे, दो घण्टे भी चर्चा हो जायेगी। इसलिए जो नियम है, वह मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आप लोग इस पर चाहते हैं तो नियम–52 में सूचना दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ तो सर्वोच्च है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की जो कार्य–संचालन नियमावली है, उसमें सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब इस पीठ से चलती हैं। यदि पीठ का निर्देश हो जाए कि हम इसे नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा में स्वीकार करते हैं तो अलग से इसको लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भिजवा दीजिए। प्रश्नों पर नियम–49 में चर्चा हो सकती है, लेकिन वह आधे घण्टे की चर्चा होती है, उसमें कुछ बात आ नहीं पायेगी। इसमें मंत्री जी बोल देंगे और जिसने प्रश्न रखा है, वह बोल देंगे। इसलिए आप लिखकर भिजवा दीजिए।

(सदस्य, श्री सुदेश शर्मा बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष–

अब यह खत्म हो गया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। आखिर कितने देर तक यह सवाल चलेगा ?

श्री सुदेश शर्मा–

अध्यक्ष जी, आप मुझे बुला चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, पूछिए।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता हूं। मेरे दो स्पेशिफिक सवाल हैं, आप उनका उत्तर माननीय मंत्री जी से दिला दें। जो उत्पादन बढ़ाने की बात कही गयी है, यह जो काशिमपुर, अलीगढ़ में यूनिट–7 को 110 मेगावॉट से 120 मेगावॉट करने पर अर्थात् मात्र 10 मेगावॉट बढ़ाने पर 242 करोड़ रुपये का खर्च आया और 04 साल वह यूनिट बन्द रही, उसका तमाम जनरेशन भी बन्द रहा तो मैं

माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आज भी वह सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा करके सदन को उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, इसकी जांच आप करा लेंगे जो यह कह रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''–

मान्यवर, लिखकर दे दें, देख लेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इसको खत्म करिए। जब मैंने कह दिया है कि इसको आप नियम–52 के अन्तर्गत लिखकर दे दीजिए तो इस प्रश्न को खत्म करिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

धन्यवाद, मान्यवर। चूंकि एक तात्कालिक सूचना है, माननीय मंत्री जी का भी जवाब आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह सामयिक है। मान्यवर, जो भी बिजली आपके पास उपलब्ध है और जो भी समय–सारणी आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निश्चित किया है, उसमें से ही चूंकि उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, 73 लाख छात्र और छात्राएं इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक और सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिजली छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''–

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया मूल्य दिलाया जाना

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री सतीश महाना, श्री नदीम जावेद, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री वीरपाल राठी, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश राणा तथा श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में 28–12–15 तक का सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना

मूल्य बकाया है ? क्या गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान दिलाने की कोई ठोस कार्य योजना सरकार ने तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)–

पेराई सत्र, 2014–15 के अन्तर्गत दिनांक 28–12–2015 तक की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल रु0 1622.33 करोड़ बकाया था, जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से सम्बन्धित था। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का शत–प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 02–02–2016 तक की स्थिति के अनुसार अब निजी चीनी मिलों पर रु0 741 करोड़ गन्ना मूल्य का बकाया रह गया है।

पेराई सत्र, 2015–16 के अन्तर्गत दिनांक 28–12–2015 तक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 3888.95 करोड़ तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 417.62 करोड़ बकाया था। दिनांक 02–02–2016 तक, पेराई सत्र, 2015–16 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में देय गन्ना मूल्य रु0 6657.83 करोड़ के सापेक्ष रु0 3676.61 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 2981.22 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है।

पेराई सत्र, 2014–15 के अन्तर्गत बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु दैनिक रूप से गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर समय–समय पर चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में ऐसी 15 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें जिनकी भुगतान स्थिति अत्यन्त कम थी उनके विरुद्ध वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जा रही है तथा समय से गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली 33 निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के विरुद्ध 52 प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। पेराई सत्र, 2015–16 इस समय चल रहा है तथा नियमानुसार गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक करने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां हमारी पूरी आजीविका गन्ने पर निर्भर करती है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बहुत आयु नहीं है लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। लेकिन जब हम कालेज में जाते थे, बरेली युनिवर्सिटी में, और एक रैगिंग का विषय आता है, विद्यार्थी परिषद से निकले हम

छात्रनेता, तो रैगिंग तो नहीं बल्कि एक परिचय हम लोग छात्र–छात्राओं से करते थे, भाई बहनों से। जब हम पूछते थे कि आप कहां के रहने वाले हैं आपके पिताजी क्या करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछो न, किस्सा सुनाने की क्या जरूरत है।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, कोई यह बताता था कि मेरे पिताजी डाक्टर हैं, मेरे पिता जी इंजीनियर हैं, मेरे पिताजी साइंटिस्ट हैं। ऐसे बड़े गौरव के साथ बताते थे। लेकिन जब एक भाई या बहन का नम्बर आता था कि आपके पिताजी क्या करते हैं तो वह अपने को किसान का पुत्र या पुत्री कहते हुए भी अपने को लज्जित बीस वर्ष पहले महसूस करते थे और आज भी नौजवान लज्जित महसूस कर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछो ।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी चार लाइनों से शुरू करता हूं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, ''तूने चाहा ही नहीं प्रदेश की हालत बदल सकती थी, जनता के आंसू यानी किसान के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे''।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछिये न।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सवाल पर आ रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आज किसान परेशान है, फसलों को नुकसान है।

(मा0 अध्यक्ष जी एवं सदस्य श्री लोकेन्द्र सिंह जी के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह क्या कविता सुना रहे हैं। प्रश्न पूछिये न।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे दो प्रश्न हैं। क्या सरकार किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने से उत्पादित चीनी के के0सी0सी0 कार्ड की भांति किसानों को ए0टी0एम0 के माध्यम से गन्ना भुगतान करायेगी नम्बर एक, नम्बर दो जो किसान है, किसान का खेत से और मील तक जो गन्ना जाता है और किसान की जो कटौती होती है, किसान से जो वसूला जाता है, क्या उसको सरकार माफ करेगी, किसान को दिलवाने का काम करेगी, यह मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन गन्ने का मामला है। पहली बात तो यह है जो हमारी गन्ना समितियां हैं, यह गन्ने की जो कटौती है, उसी से समितियां चलती हैं और इस समिति के लोग कोई टाटा, बिरला के घर के नहीं हैं, यह सामान्य लोगों के घर के हैं, इसलिए उसको वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मान्यवर जब उसी से समितियां चलती हैं, परसेण्टेज काटकर के तो खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक करने का मौका दिया और बहुत अच्छा है कि सदन में हमारे वरिष्ठ नेता मा0 शिवपाल सिंह यादव जी भी मौजूद हैं, जब वह यहां बैठे थे तो किसानों की चिन्ता करते हुए उन्होंने कहा था कि गन्ना किसान को कम से कम 350 रुपये का भुगतान होना चाहिए। आज वह सौभाग्य से सरकार में हैं, 350 रूपये की मांग यहां बैठ कर के उन्होंने की थी, आज गन्ने का भाव 280 रुपये है और 280 रुपये में भी 230 का पेमेण्ट हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि भुगतान हो नहीं सकता, बराबर के राज्यों में रिकवरी 08 है, यहां रिकवरी 09 का औसत है, 08 की रिकवरी पर 25 रुपये ज्यादा भुगतान हरियाणा सरकार ने एक–एक रुपये कर दिया है, यहां 09 रिकवरी होने के बाद भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो बकाया भुगतान बताया है, वह बकाया दिसम्बर, 2015 तक का है और तब से अब तक दो महीने हो गये हैं मिल चलते हुए, अब तक आज की तारीख तक निजी चीनी मिलों पर और सहकारी चीनी मिलों पर, चूंकि आज हम सदन में खड़े हैं और दो माह का जो सीजन है, वह गुजर चुका, पूरी जनवरी चली गई, पूरी फरवरी चली गई, कितना बकाया निजी क्षेत्र में है और कितना बकाया सहकारी क्षेत्र में है, नम्बर–एक। नम्बर–दो 2011–12 से लेकर के अब तक मा0 हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी गन्ना किसानों का जो ब्याज सरकार की ओर है, गन्ना किसानों का जो ब्याज का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, उसका भुगतान और क्या सरकार गन्ना किसानों की हालत को देखते हुए, कोई विशेष पैकेज की घोषणा, चूंकि किसान वर्ष भी है और सरकार किसानों की बात करने वाली भी है, तो क्या गन्ना किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा सरकार करेगी, यह नम्बर–तीन है। इन तीन प्रश्नों का उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

देखिये पहला प्रश्न जो आपने किया आज तक, यह मूल प्रश्न है 28–12–15 तक का, इसलिए आज तक अद्यतन कितना है, इसकी इनके पास सूचना नहीं होगी, इसको छोड़िये, दूसरा प्रश्न जो आपका है भुगतान वाला और तीसरे प्रश्न का उत्तर मा0 मंत्री जी आप दे दीजिए।

श्री राम करन आर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह सवाल पूछा गया है 28–12–15 तक, आपने कहा आज तक का क्या है, तो मान्यवर आज तक 22–02–2016 तक जो 2015–16 का आंकड़ा है, 63.80 प्रतिशत सहकारी और चीनी मिलों का भुगतान हो गया है। जिसमें से मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों का जो भुगतान हुआ है 74.6 परसेण्ट, निगम की चीनी मिल है जिसका भुगतान हुआ है 93.72 परसेण्ट और मान्यवर, निजी चीनी मिलों का 62.55ः ए सब मिला कर के 63.80 परसेण्ट इस आपके 2015–16 जो सत्र चल रहा है, इसका भुगतान हो रहा है। मान्यवर, और अभी बड़ी तेजी से वसूली की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो आपने बताया 2014–15 का भुगतान, जो 28–12–15 को तो दूसरा आंकड़ा था आज का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, वह 97.59 प्रतिशत किसानों के गन्ने का भुगतान हो गया है। शेष बड़ी तेजी से सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा जल्दी से जल्दी वसूल करके गन्ना किसानों को पेमेण्ट किया जायेगा।

(श्री सुरेश राणा और श्री गजेन्द्र सिंह एवं डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

निजी चीनी मिलों का उन्होंने बता दिया कि वसूली कर रहे हैं, दिलवा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं। डॉ साहब, यह लल्लू का बड़ा इम्पोर्टेंट पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है। जरा देखिए, नत्थी ग का, उस पर आइए। वह बता रहे हैं सुन लीजिए।

श्री रामकरन आर्य–

मान्यवर, सुनिए तो पहले। अरे आप नहीं सुन रहे तो हम भी बैठ जाएं जो पीठ का आदेश हो। मान्यवर, आर0सी0 जो जारी की गयी है, लेटेस्ट जो हमारी 15 चीनी मिलें थीं। जिनका भुगतान बहुत ही कम था, उसमें जो मोदी नगर का अध्यासी, यह तो जेल में है यद्यपि 65 प्रतिशत इसने भुगतान कर दिया है। मलकपुर का, यह 67 प्रतिशत कर दिया है। करीमगंज का, इसने सम्पूर्ण भुगतान कर दिया है। यद्यपि इनके खिलाफ आर0सी0 जारी है और इसी तरीके से 67, 63, सम्पूर्ण 71, 53, 46, 54, 97, पूरा भुगतान, 93 ,84 और 94ः मान्यवर, यह प्रेशर का ही परिणाम है कि इतना लोगों ने भुगतान कर दिया है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

चलिए, हो गया। क्या करें, इस पर कितने सवाल हो गये। शुरू से इस पर बहस चल रही है।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आप तो किसानों के संरक्षक हैं। किसान तड़प रहे हैं, किसान बर्बादी के कगार पर है। इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। मैंने आपसे

निवेदन किया था कि सरकार ने जवाब नहीं दिया। जब सरकार साढ़े तीन सौ की बात कर रही थी चार साल पहले तो अध्यक्ष जी, इसका मतलब क्यों नहीं है इस सदन से। आज दो सौ तीस रूपये का भुगतान करा रहे हैं। अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

सीट पर चलिए यहां बीच में क्यों आ कर पूछ रहे हैं। सीट पर चलो। आप बैठ जाइए राणा साहब बैठ जाओ, बहुत उत्तर आ गया। देखिए गन्ने पर बहुत बात हो गयी, बहस हो गयी है उस पर अभिभाषण पर भी चर्चा हो गयी है।

(सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री वीर पाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने 37.22 करोड़ रुपया गन्ना पेमेण्ट का शेष बताया और जब हम सदन में आए उस वक्त साढ़े चार हजार करोड़ था, उस दिन भी उतना ही पेमेण्ट था और आज भी इतना ही पेमेण्ट है। अभी मलकपुर चीनी मिल की इन्होंने चर्चा की कि 67 प्रतिशत वहां का गन्ना भुगतान हो गया है। जांच करा लीजिए तीन सौ करोड़ रुपये 2014–15, 2015–16, आज तक का उसका गन्ना पेमेण्ट शेष है। माननीय मंत्री जी ने इसमें जवाब दिया है कि गन्ना आयुक्त के यहां पर बहुत मीटिंग होती रहती हैं, बहुत हमने कार्यवाही की है, उनके खिलाफ मुकदमें किए हैं उनकी आर0सी0 जारी की है। माननीय अध्यक्ष जी, उसका रिजल्ट क्या रहा। माननीय सुदेश शर्मा जी हमारे सदस्य थे, इन्होंने मीटिंग में डी0एम0 की मौजूदगी में मोदी को गिरफ्तार कराया और उसकी जितनी धारायें लगायी थी वह धारा वापस करके वह भी वापस कर दिया। उसे भी छोड़ दिया गया यह कार्यवाही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, यह नियम है कि ब्याज सहित गन्ना पेमेण्ट दिया जायेगा और सरकार ने माफ कर दिया। जो पैसा किसानों की जेब में जाना चाहिए था वह सरकार की जेब में डाल दिया। क्या सरकार ब्याज सहित जो पेमेण्ट है, उसे तुरन्त करायेगी ?

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाओ शेरू, बहुत हो गया, उनका उत्तर तो आने दो।

(शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठिए शेरू जी, बहुत हो गया। अरे, उनका उत्तर तो आने दीजिए।

श्री रामकरन आर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जिस पर आर0सी0 जारी है वो, गन्ना समितियों का जो कमीशन है और प्लस जो किसानों का है उस पर यह कि ब्याज माफ करेगी कि नहीं

माफ करेगी, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का एक–एक रुपया हम भुगतान कराएंगे।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। आगे सवाल लेने दीजिए, क्या आगे सवाल नहीं लेने देंगे। आपका सवाल नहीं है, बैठिए।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(तत्पश्चात् सदस्य सुरेश राणा एवं लोकेन्द्र सिंह द्वारा सदन के वेल में आने पर)

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, इस गन्ने के दाम पर बहुत चर्चा हो गई है। पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा हुई है। आपने भी अभी इस पर इतने सवाल पूछे और मंत्री जी ने जवाब दिया है तो फिर अब क्यों इसमें चले आए भई। आप जो पूछ रहे थे, मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सवाल सदन में हमेशा उठता है। हम सरकार से केवल एक ही बात पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इसकी कोई परमानेण्ट, स्थाई व्यवस्था करेगी ताकि गन्ने के मूल्य लिए रोज–रोज यूं रोना न पड़े। मान्यवर, इस सवाल का जवाब दिलवा दें। इसके लिए आखिरकार कब तक यहॉ हाउस में रोना पड़ेगा। क्या सरकार गन्ने के मूल्य को दिलाने के लिए कोई स्थाई व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी। आखिरकार यहां कब तक चिल्लाया जाए ? मान्यवर, जरा इस सवाल का जवाब दिलवा दें। मान्यवर, क्या इसका जवाब दिलवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, अब आप लोग चलिए, आपकी बात हो गई। मा0 मंत्री जी, क्या कोई स्थाई व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामकरन आर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, हम सब लोग यहां पर किसानों के ही प्रतिनिधि आए हैं। इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है। जहां तक गन्ने के भुगतान का सवाल है तो उन्होंने कहा कि क्या सरकार कोई व्यवस्था कराएगी तो मान्यवर, सरकार तो व्यवस्था करा ही रही है इसीलिए केवल तीन परसेण्ट 2014–15 का बाकी रह गया है और अभी यह सत्र चल रहा है। हमने 63.80 परसेण्ट का भुगतान कर दिया है तो यह भुगतान क्रमशः यह गन्ना किसानों का है। मान्यवर, जहां तक क्या सरकार कोई व्यवस्था कराएगी तो सरकार तो व्यवस्था करा ही रही है। क्या यह पेमेण्ट बिना सरकार की व्यवस्था के ही हो रहा है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं और मेरा दल सरकार की इस उदासीनता पर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री रामकरन आर्य–

मान्यवर, इन लोगों को किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये सब लोग दंगाई लोग हैं, ये किसानों को जलाने वाले लोग हैं, इनको किसानों से क्या मतलब है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, अधिकांश चीनी मिलें 15 दिसम्बर के बाद चली हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न सं0–2, मा0 बाजपेई जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर जब आप आगे भागेंगे तो कैसे चलेगा। मा0 सदस्यगण।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, आप ही बताइए कि एक सवाल कितनी देर चलेगा। पूरा प्रश्न काल उसी पर चला जाएगा और बहुत प्रश्न हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि 3676.61 करोड़ का भुगतान हुआ है और 2981.22 का अभी बकाया है। खुद इस बात को स्वीकारा है तो इस तरीके से गलत रूप से उत्तर देना कि सारे भुगतान हो गए हैं, यह किसानों के साथ धोखा है और सरकार की किसान के प्रति इस प्रकार की उदासीनता और लापरवाही जाहिर करती है कि किसान हितैषी होने का दम भरने वाली यह सरकार आज किसानों का गला घोंट रही है इसलिए किसान हत्यारी इस सपा सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिगर्मन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री रामकरन आर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने 6000 करोड़ रुपया बहुजन समाज पार्टी की सरकार का गन्ना के बकाये का पेमेण्ट किया है। ये तो खुद ही किसानों के शोषक हैं। हमने 6000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, हमारी सरकार ने बी0एस0पी0 सरकार के समय का भुगतान किया है।

प्रदेश में सूखाग्रस्त किसानों को रबी की फसल की सिंचाई की कार्य योजना की जानकारी

'02–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में पड़े सूखे को देखते हुये किसानों की रबी की फसल की सिंचाई के लिए कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

1–केन्द्रीय सूखा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना मुख्यालय स्तर पर सूखा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना जनपद स्तर पर की गयी है।

2–पर्याप्त आवश्यक सिल्ट सफाई कराकर नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई करायी जा रही है।

3–नहरों की सघन पेट्रोलिंग करायी जा रही है।

4–सूखाग्रस्त जनपदों में जहां पर जल स्तर सामान्य से नीचे चला गया है, वहां राजकीय नलकूपों में कालम पाइप बढ़ाकर सिंचाई उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है।

5–नलकूपों पर स्थापित पम्प सेटों की मोटर बाइन्डिंग से सम्बन्धित मोटर बर्निंग से बन्द नलकूपों को अविलम्ब चालू कराये जाने हेतु उन्हें तत्काल रिवाइन्डिंग कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

6–लो–वोल्टेज से प्रभावित राजकीय नलकूपों एवं डाल नहरों को ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण एवं बैठक करके उन्हें दोषमुक्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। नवनिर्मित राजकीय नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है जिससे कृषकों को यथाशीघ्र नवनिर्मित नलकूपों से सिंचाई का लाभ मिल सके।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

(चिकित्सा मंत्री जी के द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री वीर पाल राठी–

अगला प्रश्न क्या ले लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

हां, हां, अगला प्रश्न ले लिया है। अब हो गया उत्तर आने दीजिए।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों के वेल में आने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब फिर क्या बीच में आ गए। अब आप भी बर्हिगमन कर जाओ आप का भी लिख जायेगा, अब जाओ।

श्री सुदेश शर्मा–

यहां सदन में जो सूचना दी जा रही है, वह गलत सूचना दी जा रही है। जिसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। (वेल से)

श्री अध्यक्ष–

अब इतने प्रश्न हो गए गन्ने पर, इस पर सब लोग बर्हिगमन भी कर गए। इस पर इतने लोग बर्हिगमन कर गये, विरोध प्रकट कर दिए अब आपका बाकी रह गया। अब अजय कुमार लल्लू जी का प्रश्न ले लिया है उत्तर आने दीजिए, अब आप लोग अपनी जगहों पर चलिए। अब इतना बहुत विरोध हो गया है, अब आप चालिए। आपने अपनी पूरी बात कह दी और आपका किसान भी समझ गया है कि आप यहॉ पर लड़ रहे हैं, अब आप लोग चलें।

(राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन की वेल में बैठ गए)

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है इस पर चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए। गन्ने पर कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री जी अब आप उत्तर दीजिए ये लोग नहीं मानने वाले हैं। अब आप लोग बैठ जाइये आराम से बैठ जाइये। अब यह गन्ने का मामला है आप भी वाकआउट कर जाते तो आप का भी नाम उसमें लिख जाता कि आपने किसानों के लिए किया। आप लोग वाकआउट भी नहीं करते हैं। मंत्री जी आप उत्तर दीजिए अब ये नहीं मानेंगे। ठाकुर साहब गन्ने पर कितनी बार चर्चा हुई बैठक में हुई, यहां असेम्बली में चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन भी दिया। अब सब लोग विरोध प्रकट करके सदन से बाहर चले गए दूसरा प्रश्न आ गया और उसके बाद आप फिर आप आ गए, क्यों आते हैं, कुछ नियम देखिए।

श्री वीरपाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में गलत जवाब आया है, गिरफ्तारी के मामले में। अध्यक्ष जी, हमारा कहना है कि आप पीठ से गिरफ्तारी के आदेश कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठिए। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, जैसे आपका गन्ना है वैसे ही पूर्व में यह जे0ई0 की बीमारी है, सैकड़ों लोग हर साल मरते हैं, उस पर भी आ जाने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ने के प्रश्न पर अभी लोकदल के माननीय सदस्यों ने अपनी एक व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आप के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि जिसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को शायद यह नहीं मालूम कि वह बाहर है।

श्री राम करन आर्य–

हां, बाहर है, मुझे मालूम है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

और मान्यवर, यदि गिरफ्तारी नहीं हुई है, वह बाहर है, तो सीधे–सीधे यह सदन को गुमराह करने की बात है।

श्री राम करन आर्य–

वह जमानत पर जेल से छूटा है। आप सदन का गुमराह करने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिए मुझे भी जानकारी है, मैं बता दूं मुझे शर्मा जी ने बताया था कि इनकी मीटिंग में बैठा था और जब गन्ने के भुगतान की बात आयी तो इन्होंने अधिकारी से पूछा कि जब इसके ऊपर वारंट जारी है तो आपकी मीटिंग में क्यों बैठा है, वहीं उसको इन्होंने गिरफ्तार कराया था। यह आपने मुझे भी बताया था।

श्री सुदेश शर्मा–

जी, बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया था लेकिन उसके बाद कलेक्टर ने उस पर से वे धाराएं हटाकर उसे जेल से बाहर निकलवा दिया। वह भी जेल में नहीं है और उमेश मोदी भी खुला घूम रहा है जिसके ऊपर कर्मचारियों का 300 करोड़ का बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो 1336 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है, कम से कम उसी में किसानों देकर मिल मालिकों से उसकी रिकवरी लेने का काम करें। मान्यवर, इसमें कुछ न कुछ संतुष्टिपूर्ण उत्तर आना चाहिए। मान्यवर, किसान आत्महत्या करने पर उतारू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कहां जायेंगे वह लोग।(वेल से)

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है कि हम एक–एक पैसे का भुगतान कराएंगे। अब वह भुगतान करायेंगे। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रश्न आ जाने दीजिये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समस्या का एक हल है इस प्रश्न को स्थगित कर दें और इसकी पूरी जानकारी आप मंगा लें।

(वेल में सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रामकरन आर्य–

मान्यवर प्रश्न को स्थगित होने का कोई सवाल नहीं उठता, सारे जवाब आ गये। जब जवाब नहीं आते हैं, तब उस पर नियम–49 में कार्यवाही होती है। सब जवाब आ गये हैं, यह केवल सदन को दबाव में लेना चाहते हैं। अरे बैठिये आपको बहुत करीब से जानता हूं। हम विपक्ष में भी रहे हैं। सारे जवाब आ गये हैं इसलिए नियम–49 में कुछ नहीं किया जा सकता। यह लोग नियम–56 या 52 में लायें तब उस पर बहस होगी।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

अध्यक्ष जी सरकार का जवाब पूरा नहीं आया है। इसमें कोई गम्भीरता नहीं है। दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठें, आप लोग प्रश्न काल नहीं चलने देना चाहते।

श्री पूरन प्रकाश (वेल से)–

मान्यवर, छाता सुगर मिल बन्द पड़ी है, उसको चालू किया जाये। किसानों के प्रति कोई गम्भीर नहीं है। गन्ना किसान मर रहा है।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, 900 में से 300 करोड़ बाकी है। आप गिरफ्तारी का आश्वासन दे दें, कितने समय में उमेश मोदी को गिरफ्तार करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

देखिये मंत्री जी कह रहे हैं कि हम एक–एक पैसे का भुगतान करायेंगे तो आप कम से कम विश्वास रखिये।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, इतने वर्ष हो गये पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ, 70 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ। हम कहां चले जाये। निवाड़ी के अन्दर गन्ने की पत्तियां भी जलाते हैं तो किसानों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बताईए हम कहां जाये। यदि सरकार मिल मालिकों को गिरफ्तार नहीं करा सकती तो आप हमे गिरफ्तार करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये, आप लोग प्रश्न प्रहर चलने नहीं देना चाहते। इस पर बहुत बहस हो चुकी है। इस पर सदन में भी हुई, राज्यपाल के भाषण पर भी चर्चा कर ली। बार–बार क्या करे। आप लोगों की बात किसानों तक पहुंच गयी कि आप किसानों के लिए लड़ रहे हैं।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, कोई जवाब नहीं आया बल्कि सरकार द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है।

श्री दलवीर सिंह (वेल से)–

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीलामी के लिए आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब आराम से बैठे हैं।

(वेल में आये हुए सदस्य एक साथ अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पूरन प्रकाश (वेल से)–

मान्यवर, प्रश्नों के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है 4 साल से छाता शुगरमिल बन्द पड़ी है उसको चलाया जाय।

श्री तेजपाल सिंह (वेल से)–

मान्यवर, हमारे यहां की छाता शुगर मिल पूरे आगरा मण्डल में अकेली शुगर मिल है वह बन्द पड़ी हैं। वह मिल प्राफिट में चल रही थी, नेशनल हाई–वे पर बनी थी। सरकार आश्वासन दे रही थी कि इसको चलायेंगे फिर कह रही है कि प्राइवेट में देने वाले हैं उसको कहीं दे लेकिन चलायें।

श्री अध्यक्ष–

सारी बाते आ गयी हैं सब खुलकर आ गयी हैं और आप भी समझते हो, विधान सभा बाधित करने से क्या फायदा है जब आप सारी समस्या समझते हो।

आज फिर अभी आपको इस पर कहने का मौका मिलेगा आज जनरल डिबेट है बजट पर तो उस पर सामान्य चर्चा पर आप अपनी बात कहेंगे।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, कितना आसान तरीका है यह कह दे कि इतने समय में भुगतान करा देंगे हाईकोर्ट का भी आदेश है। मिल मालिकों की गिरफ्तारी करने में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष–

जो जमानत से छूट गया उसको कैसे गिरफ्तार करेंगे।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, जो हाईकोर्ट के आदेश से धाराएं लगी थी उनको न हटाया जाय।

श्री तेज पाल सिंह (वेल से)–

मान्यवर, गन्ना किसान के क्या हालात है यह आप जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब चलिये सीट पर, लल्लू यह नहीं पूछने देंगे क्या करें।

आप सब जानते हों, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, आप भी मंत्री रहे हो, सब आप समझते हैं गन्ना किसानों की समस्या बहुत दिनों से ऐसे है, प्रश्न आने देते। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं उसमें सरकार का जवाब आ जाता।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इनका कहना है कि हमारा भुगतान कराना सुनिश्चित कराइये, आप क्या इस पर कहना चाहते हैं।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा पिछला बकाया है 2014–15 का यह मात्र भुगतान जो हमारा हो गया 97.59 परसेन्ट। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो माननीय लोग वेल में हैं, शोर कर रहे हैं यह बात सही है कि पूरब की और मध्य की अपेक्षा वहां की चीनी मिलों का कम भुगतान हुआ है जिसका मैंने डाटा भी पढ़ा। यह जितने भी बकायेदार है 63–65 परसेन्ट यह जो हमने पढ़ा यह सब पश्चिम की चीनी मिलों के इसलिये हम लोग इस पर प्रेशर बना रहे हैं कि पूर्व और मध्य की तरह पश्चिम की भी चीनी मिलें गन्ने के बकाये का भुगतान करें। मान्यवर, 97.59 परसेण्ट वर्ष 2014–2015 का हो गया और जो अभी वर्ष 2015–2016 का लेटेस्ट चल रहा है उसमें 63.80 परसेण्ट हमने भुगतान करा दिया है। मान्यवर, हमने बहुत अधिक भुगतान करा दिया है, अब किसी मिल का कम हो सकता है और किसी मिल का ज्यादा हो सकता है। जहां कम होता है, उसी पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, जहां समय से भुगतान कर देते हैं वहां पर कोई इन्हें मतलब नहीं रह जाता है। जो आपने गन्ना किसानों के भुगतान के मामले के बारे में कहा तो सरकार इसके लिए कृत संकल्प है और आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने पिछली बार भी किसानों को अपने खजाने से पैसा दिया है।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

तो इस बार भी आप खजाने से किसानों का पैसा दे दो। इस बार आप क्यों नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह आंकड़ों की बाजीगरी है। यह खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी मिल का भुगतान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है, अब हो गया है छोड़िये इसको। अरे क्यों इतना मोदी के चक्कर में पड़े हैं, पूरे प्रदेश की मिलों के ऊपर बोलिये। दिन भर मोदी, दिन भर मोदी।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या मलकपुर उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं है, क्या मोदी शुगर मिल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। हम जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, हम वहां की बात कर रहे हैं वहां पर किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिये कि वहां पर कितना भुगतान इन्होंने इस वर्ष किया है। वहां पर जीरो परसेण्ट भुगतान हुआ है, एक भी परसेण्ट भुगतान वहां पर अभी तक नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरी मांग है कि सरकार किसानों के बकाये का भुगतान अपने खजाने से कर दे और उस पैसे की रिकवरी मिल मालिक से कर ले।

श्री अध्यक्ष–

हम सब जानते हैं। इनका सारा झगड़ा मोदी मिल का ही है। आप चार लोग अब कब तक यहां पर घेरे रहेंगे, कार्यवाही बाधित करते रहेंगे। अब बात हो गई है, आप लोग चलिये न। आपकी बात पहुँच गई है कि आप गन्ना किसान के लिए बहुत लड़ रहे हैं। पता चल गया है।

श्री तेजपाल सिंह (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, छाता शुगर मिल का भी भुगतान नहीं हुआ है। आप सरकार से इसका भुगतान करवाने का आश्वासन दे दें। हम वापस अपने स्थान पर चले जायेंगे।

श्री पूरन प्रकाश (वेल से)–

मान्यवर, सरकार हमारे यहां की चीनी मिल बकाये का भुगतान नहीं कर रही है। सरकार फैक्ट्री को चलवा भी नहीं रही है। मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई एक निश्चित समय सीमा का आश्वासन आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलिये। यह बातें आप लोग वहां से भी तो कह सकते हैं। आगे बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान आप सारी बातें कह लीजियेगा।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार गन्ना किसानों का भुगतान कर दे और उसकी रिकवरी मिल से कर लें। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो कम से कम मिल मालिकों को जेल भिजवाये।

श्री रामकरन आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार बकाया खजाने से देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम खुद ही मिल मालिकों से भुगतान करवा देंगे। माननीय नेता, लोकदल, हम तो मिल मालिकों पर प्रेशर बना करके भुगतान करा ही रहे हैं, फिर सरकार की तरफ से भुगतान कराने का क्या मतलब, सरकार भुगतान करेगी या नहीं करेगी, यह बात तो बाद में आयेगी। जब हम किसानों का पूरा भुगतान करा दे रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

श्री रामकरन आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं इस बात को। में पांच–छह लोग ही पूरा सदन चलाना चाह रहे हैं। मान्यवर, मोदी मिल का जो पेमेण्ट है वह 65.70 परसेण्ट है। माना कि यह पेमेण्ट कम है, इसलिये इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, आर0सी0 भेजी जा रही है, अन्य कार्यवाही भी हो रही हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो साथियों से यह निवेदन करूंगा कि वह अपनी–अपनी सीट पर चले जाये, तो बात अच्छे से होगी।

(वेल में आये हुये सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप, पूरा सदन और पूरा प्रदेश यह अच्छी तरह से जानता है कि किसानों का भुगतान सरकार अपने स्तर से जितना कर सकती है, वह किया है। अभी दलवीर सिंह जी यह फरमा रहे थे कि हाईकोर्ट ने किसी मिल मालिक के लिए ऐसा

आदेश दिया है कि उसकी मिल को नीलाम कर दिया जाये, लेकिन उसी के बाद हाईकोर्ट का एक दूसरा आदेश आया। हाईकोर्ट का जो लेटेस्ट आदेश होता है वह मानना पड़ेगा, उससे पहले वाले सब निरस्त हो जायेंगे। उसमें हाईकोर्ट ने आदेश यह किया है कि आप किसी भी मिल मालिक को दबाव नहीं दे सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते और जेल नहीं भेज सकते, यह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। इन सारे आदेशों को मद्देनजर रखते हुए और अदालत का सम्मान भी करते हुए तथा किसानों की परेशानी को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है कि सरकार बराबर दबाव बना रही है पैसा दिलवाने के लिए। मान्यवर, यह किसानों की सरकार है। अब मानें या न माने इसमें कोई शक नहीं है कि आपका भी किसानों से उतना ही रिश्ता है लेकिन हम तो बेस ही किसानों पर करते हैं, पूरी राजनीति हमारी किसानों की है। तो क्यों नहीं चाहेंगे कि किसान का एक–एक पैसा अदा हो जाय। तो जो भी सरकार कोशिश कर सकती है, पहले भी की है और आगे भी अदायगी की कोशिश करेंगे।

(इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सदन और सरकार आश्वासन ही तो देगी। अच्छा और क्या चाहते हैं, अब यहां तो नोट गिनकर दे दिये नहीं जायेंगे। हाउस में तो कोई पेमेंट हो नहीं जायेगा। सरकार आश्वासन ही तो देगी आपको या यहां पेमेंट काउन्टर खोल दें। हाउस में तो पेमेंट काउन्टर खुल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त।

(इस बीच श्री वीरपाल राठी, सदस्य सदन की वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

एक माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर से आये हैं, उनको शपथ दिलानी है। उनको बुला लें।

श्री वीरपाल राठी (सदन की वेल से)–

उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। फैक्टरी को अधिग्रहीत तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जितना यहां लड़ते हों उतना वहॉ मिल मालिक के घर को घेरते तो उसका कुछ परिणाम भी आया होता।

(श्री दलवीर सिंह, श्री वीरपाल राठी को वापस अपने स्थान पर ले गये)

नत्थी–'ग'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जापानी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से प्रभावित लोगों के इलाज हेतु योजना को पुनः चालू कराया जाना

'01–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन–कौन से जिले जापानी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से प्रभावित हैं ? क्या ए0ई0एस0 व जे0ई0 बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ए0ई0एस0 व जे0ई0 बीमारी का टीकाकरण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां, वर्ष 2015 में प्रदेश के 33 जनपद यथा–गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, बइराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं रामपुर जापानी मस्तिष्क ज्वर (जे0ई0) रोग से प्रभावित हुये।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी हां। प्रदेश में एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0)/जापानी इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0) रोग नियंत्रण कार्य योजना बनाई गई है।

एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0)/जापानी इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0) रोग नियंत्रणकार्य योजना के मुख्य बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है :–

- ए0ई0एस0/जे0ई0
- एक्यूट इंसेफ्लाईटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) रोगी का वर्गीकरण
- निरोधात्मक उपाय :–
- जापानी इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0)
- जे0ई0 टीकाकरण :–भारत सरकार द्वारा चिन्हित जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं जे0ई0 वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जनपदों में विशेष जे0ई0 टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन।
- वेक्टर सर्वेक्षण–रोगवाहक मच्छर की संख्या में वृद्धि के अनुश्रवण हेतु
- वाहक मच्छर नियंत्रण द्वारा रोग प्रसार पर नियंत्रण–(अ) मच्छर के लार्वा पर नियंत्रण तथा मच्छर जनक परिस्थितियों पर नियंत्रण–लार्वानाशक रसायन/लार्वामक्षी मछली का उपयोग तथा मच्छर जनक परिस्थितियों को समाप्त करने हेतु अन्य स्थानीय उपाय

  (ब) वयस्क मच्छरों के नियत्रण–कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग,

  (स) सूकर मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय

  (द) सूकर का सीरो सर्विलेन्स

  (ध) मनुष्य मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय

- एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0) रोग के नियंत्रण हेतु शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वातावरण एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के उपाय
- बच्चों के कुपोषण की रोकथाम
- ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों की जांच एवं उपचार व्यवस्था :–
- फीवर ट्रैकिंग–रोग की आरम्भिक अवस्था में रोगियों की पहचान एवं खोज
- रोगियों हेतु निःशुल्क परिवहन–रोगियों को नजदीकी उपचार केन्द्र पर ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगी को निःशुल्क एम्बुलेन्स में प्रशिक्षित कर्मियों द्वार शीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था
- उपचार केन्द्र पर रोगी की जांच एवं त्वरित उपचार।
- प्रयेगशाला जांच :–ए0ई0एस0 रोगी के रक्त, सीरम/सी0एस0एफ0 नमूनों की प्रयोगशाला जांच की व्यवस्था, जे0ई0 तथा ए0ई0एस0 रोग के अन्य कारकों की पहचान की व्यवस्था।
- जिला स्तरीय चिकित्सालय, पीडियाट्रिक आई0सी0यू0/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में स्थापित इन्सेफ्लाईटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर (ई0टी0सी0) पर उपचार की समुचित व्यवस्था।
- जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग का इपिडेमियोलॉजिकल अध्ययन।
- स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार–प्रसार–रोग से बचाव हेत निरोधात्मक उपायों, निकटतम चिकित्सालय में रोगी की जांच एवं उपचार, रोगी के परिवहन के लिये निःशुल्क एम्बुलेन्स का उपयोग, वातावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के उपाय, स्वच्छ शौचालय के उपयोग व शुद्ध पेयजल के उपयोग हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से जन जागरण।
- प्रशिक्षण–मेडिकल, पैरामेडिकल, अन्य कर्मियों (विभागीय एवं अन्तर्विभागीय) एवं ग्राम स्तरीय फ्रंट लाइन कार्मिकों का प्रशिक्षण।
- पुनर्वासन गतिविधियां–जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग उपरान्त उत्पन्न हुई शारीरिक/मानसिक विकलांगता का काउन्सिलिंग एवं उपचार, आर्थिक सहायता।
- अन्तर्विभागीय समन्वय–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल निगम, पंचायती राज विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग (आई0सी0डी0एस0) शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, समाज कल्याण/विकलांग कल्याण विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करना।

रिपोर्टिंग तथा अभिलेखन–सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण एवं अभिलेखों का रख–रखाव।

जी नहीं। ए0ई0एस0 रोग विभिन्न रोगों का एक समूह है जो मुख्य रूप से जे0ई0, डेंगू, मलेरिया, एण्ट्रोवायरस, चिकनगुनिया, ट्यूबरक्लोसिस एवं मीजिल्स के कारण होता है। इनमें से जे0ई0, ट्यूबरक्लोसिस एवं मीजिल्स रोग के नियंत्रण हेतु टीके उपलब्ध हैं। ट्यूबरक्लोसिस एवं मीजिल्स रोग के नियंत्रण हेतु टीकाकरण समस्त प्रदेश व जे0ई0 रोग नियंत्रण हेतु जे0ई0 टीकाकरण प्रदेश के 38 जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में रोगियों के उपचार हेतु सेन्ट्रल आक्सीजन सिस्टम की स्थापना

कराया जाना

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपद अस्पतालों में रोगियों के सुचारू उपचार हेतु क्या सेन्ट्रल आक्सीजन सिस्टम की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उपबन्ध संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश के 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सेन्ट्रल आक्सीजन सिस्टम की व्यवस्था करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अनमीटर्ड घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं से बढ़ी दर पर बिलों की वसूली के लिये उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजित किया जाना

'03–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्टे के विरुद्ध बिजली कंपनियों द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अनमीटर्ड घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं से बढ़ी दर पर बिजली बिलों की वसूली किया जाना उनके संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करते हुये की गयी वसूली को विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मा0 राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किये गये समस्त आदेशों का अनुपालन समस्त डिस्कामों (वितरण निगम) द्वारा किया जाता है। विगत में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने अपने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 हेतु जारी टैरिफ आदेशों में बिना मीटर के विद्युत कनेक्शन धारकों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वर्ष 2013–14 हेतु आदेश जो कि प्रति संयोजन/प्रति माह थे, के स्थान पर प्रति कि0वा0/प्रति माह को स्थापित किया है, जिसमें किसी प्रकरण विशेष पर टैरिफ को लगाये जाने में कुछ अवधि की रोक के कारण यदि किसी उपभोक्ता का बिल ज्यादा होता है, उस स्थिति में विद्युत संहिता–2005 के प्राविधानों के अनुसार उपभोक्ताओं से यदि कोई अतिरिक्त चार्ज की वसूली बिजली बिलों में की जाती है, तो उसे अग्रिम बिलों में समायोजित किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के ग्रामीण बिना मीटर के विद्युत संयोजनों के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों के संगत पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न[४] है। वर्तमान में कोई अवशेष समायोजन संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ रही ओवर लोडिंग को देखते हुये अधिक क्षमता के नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

'04–श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री वीरपाल राठी तथा श्री ममतेश शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओवर लोडिंग के कारण प्रत्येक वर्ष 8000 से अधिक ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती हुई आबादी एवं विद्युत कनेक्शनों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में लाइन लास कितना है तथा इसको कम करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

बढ़ती हुई आबादी एवं विद्युत कनेक्शनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत आर0जी0जी0वी0वाई0, डी0डी0यू0जी0जे0वाई0, आर0ए0पी0डी0आर0पी0, आई0पी0डी0एस0, बिजनेस प्लान, व्यापार विकास निधि योजनाओं के अन्तर्गत परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2015–16 (माह अक्टूबर, 2015 तक) का लाइन लॉस 23.64 प्रतिशत है।

---

४ (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर 226–235।)

लाइन लॉस कम करने के उद्देश्य से तारा (टर्न एराउन्ड बाई रिड्यूसिंग ए0टी0 एण्ड सी0 लॉसेस) के अन्तर्गत निम्न सुधार किये जा रहे हैं :–

1–मीटर घर के बाहर लगाने का कार्य जिसके अन्तर्गत विद्युत चोरी पकड़ने का कार्य।

2–लोड बढ़ाना।

3–एरियल बन्ध कण्डक्टर डालकर, जर्जर तारों को बदलकर उच्च तकनीकी के थ्री स्टार रेटिंग के परिवर्तक की स्थापना कर तथा ग्रामीण क्षेत्रों व घनी बस्तियों में काम्बिंग व सघन चेकिंग के माध्यम से कैम्प लगाकर लाइन हानियों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

4–लाइन हानि कम करने हेतु 100 के0वी0ए0 एवं उससे अधिक भार के उपभोक्ताओं पर डबल मीटरिंग की गई है।

5–लाइन हानि कम करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में 33 विभिन्न टीमें तैनात की गई हैं, जो चोरी के सम्भावित स्थानों पर छापा मारकर चोरी पकड़ने की कार्यवाही करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर विद्युत चोरी के विरुद्ध पकड़ने की कार्यवाही की जाती है।

6–विद्युत संयोजनों पर स्थापित खराब मीटरों को बदलकर नये मीटर स्थापित किये जा रहे हैं जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खपत की गयी विद्युत ऊर्जा का ही बिल निर्गत किया जा सके।

7–आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में चिन्हित 168 टाउनों में विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण, ट्रांसफार्मर की आई0टी0 की मदद से सही इनर्जी एकाउन्टिंग कर लाइन हानियों को न्यूनतम स्तर तक लाने का लक्ष्य है।

8–लाइन हानि रोकने हेतु फीडरवार उपभोक्ताओं की जांच हेतु 502 फीडर चुने गये जिसके अन्तर्गत 5,14,615 उपभोक्ताओं की जांच की गई जिसमें 16507 उपभोक्ता अधिक लोड चलाते पाये गये, 5322 उपभोक्ता मीटर को बाईपास कर चलते पाये गये तथा 43872 उपभोक्ताओं के मीटर धीमें पाये गये।

9–दिनांक 12–01–2015 से 28–2–2015 तक लाइन हानियों को कम करने एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु द्वितीय सघन अभियान चलाया गया था, जिसके अन्तर्गत 413044 नये संयोजन, 108314 उपभोक्ताओं के लोड बढ़ाये गये, 148038 खराब मीटर बदले गये 33086 एफ0आई0आर0 दर्ज की गई एवं 18403 उपभोक्ताओं से रु0 2571.68 लाख शमन शुल्क वसूला गया।

प्रश्न नहीं उठता।

'05–श्री सुरेश राणा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

'06–श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

'07–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में भयंकर गर्मी से जन–धन की होने वाली क्षति को दैवी आपदा राहत कोष से दिलाया जाना

'08–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भयंकर गर्मी से धन जन की होने वाली क्षति को दैवी आपदा राहत के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं के लिये ही राज्य आपदा मोचक निधि से निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राहत दिये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं में भयंकर गर्मी सम्मिलित नहीं है।

प्रदेश में भारी बारिश–ओलों से फसलों के काफी नुकसान हो जाने के कारण किसानों के निजी नलकूपों का रबी फसल अवधि का बिजली का बिल माफ किये जाने की मांग

'09–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2015 में भारी बारिश–ओलों से फसलों को काफी नुकसान होने के कारण क्या सरकार प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों का रबी फसल अवधि का बिजली बिल माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

किसानों के निजी नलकूपों पर वर्तमान में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के सापेक्ष अत्यधिक कम दर पर विद्युत मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों के निजी नलकूपों पर विद्युत कर भी पूर्णतया माफ है। यह स्पष्ट है कि किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत मूल्य के सम्बन्ध में समुचित सहायता की व्यवस्था है। अत–रबी के फसल के मद में निजी नलकूप उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने हेतु वर्तमान में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में गन्ना समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके समस्त देयों का भुगतान किया जाना

'10–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 गन्ना समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके समस्त देयों का वर्ष 2012–13, 2013–14 से भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सहारनपुर की सहकारी गन्ना समिति में 2012 से सेवानिवृत्त हुये

कर्मचारियों को उनके समस्त देयों का पूरा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समितियों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी व सी0पी0एफ0 का भुगतान सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा अपनी आय के स्रोतों से किया जाता है। वर्ष 2012 से जनपद सहारनपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति, सहारनपुर से सेवानिवृत्त हुये 28 कर्मचारियों का लगभग रु0 219.90 लाख, सरसावा से सेवानिवृत्त हुये 18 कर्मचारियों का लगभग रु0 73.59 लाख, देवबन्द से सेवानिवृत्त 13 कर्मचारियों का रु0 56.67 लाख व बेहट से सेवानिवृत्त हुये 10 कर्मचारियों का लगभग रु0 73.00 लाख की सेवानैवृत्ति देयता शेष है। इस प्रकार जनपद सहारनपुर की इन चारों सहकारी गन्ना विकास समितियों में वर्ष 2012 से सेवानिवृत्त 69 कर्मचारियों की लगभग रु0 423.16 लाख की सेवानैवृत्तिक देयता भुगतान हेतु शेष है।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी गन्ना विकास समितियां स्ववित्त–पोषित व स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। इन गन्ना विकास समितियों को अपने प्रबन्धकीय व्ययों का वहन अपनी आय के स्रोतों से करना होता है। सहकारी गन्ना विकास समितियों की आय का मुख्य स्रोत चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति पर प्राप्त होने वाला गन्ना विकास कमीशन है।

गन्ना विकास कमीशन मद में सहकारी गन्ना विकास समिति, सहारनपुर का रु0 85.25 लाख, सहकारी गन्ना विकास समिति बेहट का रु0 7.36 लाख, सहकारी गन्ना विकास समिति, सरसावा का रु0 101.59 लाख व देवबन्द का रु0 192.00 लाख (कुल धनराशि रु0 386.20 लाख) चीनी मिलों पर बकाया है। चीनी मिलों पर अवशेष गन्ना विकास कमीशन का भुगतान प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयों का भुगतान सहकारी गन्ना समितियां प्राथमिकता के आधार पर करेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने प्लाट/फ्लैट के दाम बढ़ाने का औचित्य

'11–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने प्लाट/फ्लैट के दाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी बढ़ोत्तरी की जानी प्रस्तावित है और इसका औचित्य क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास न तो स्वयं की जमीन है और न ही फ्लैट्स हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रस्तावित बढ़ोत्तरी से प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ पहुंचेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में भूमि की दरों का पुनरीक्षण (बढ़ोत्तरी) अभी निर्णय की प्रक्रिया में है। प्राधिकरण में भूमि की दरों की बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण कार्यों की लागत में वृद्धि भूमिगत केविल, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क निर्माण के मानकों में हुये परिवर्तन तथा पर्यावरण पर सम्भावित व्ययों के दृष्टिगत एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट व आवास विकास परिषद् द्वारा निकट की योजनाओं में दरों को संज्ञान लेते हुये प्राधिकरण की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2007 से 2014 तक विद्युत उत्पादन हेतु कम्पनियों से किये गये करार की सिक्योरिटी मनी तथा इकाइयों के उत्पादन एवं प्रारम्भ इकाइयों के निर्माण की जानकारी

'12–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 से जुलाई, 2014 तक विद्युत उत्पादन हेतु कितनी इकाइयों को लगाने हेतु किन–किन कम्पनियों से करार किया गया था और उनसे कितनी धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनमें से कितनी इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है एवं शेष कितनी इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है ?

श्री अखिलेश यादव–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम एवं क्षमता	कम्पनी का नाम	सिक्योरिटी (बैंक गारण्टी)
1	ललितपुर परियोजना 1980 मे0वा0	मै0 ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लि0	99 करोड़
2	भोगनीपुर फेस–1 1320 मे0वा0	मै0 हिमावत पावर प्रा0लि0	66 करोड़
3	भोगनीपुर फेस–2 1320 मे0वा0	मै0 लैन्को अनपरा पावर लि0	66 करोड़
4	मुर्का परियोजना 600 मे0वा0	मै0 क्रियेटिव थर्मल प्रा0लि0	30 करोड़
5	ललितपुर–2 1980 मे0वा0	मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0	99 करोड़
6	बराबंकी परियोजना 250 मे0वा0	मै0 त्रिशक्ति पावर प्रा0लि0	12.5 करोड़
7	औरैया परियोजना 250 मे0वा0	मै0 यू0एम0 पावर लि0	12.5 करोड़

8	मिर्जापुर परियोजना 1320 मे0वा0	मै0 वेलस्पन पावर प्रा0लि0	66 करोड़
9	खम्बरखेड़ा (लखीमपुर में) परियोजना 2ग45 मे0वा0	मै0 बजाज इनर्जी प्रा0लि0	22.50 करोड़
10	बरखेड़ा (पीलीभीत) 2ग45 मे0वा0	मै0 बजाज इनर्जी प्रा0लि0	
11	मकसूदपुर (शाहजहांपुर) 2ग45 मे0वा0	मै0 बजाज इनर्जी प्रा0लि0	
12	उतरौला (बलरामपुर) 2ग45 मे0वा0	मै0 बजाज इनर्जी प्रा0लि0	
13	कुन्दरखी (गोण्डा) 2ग45 मे0वा0	मै0 बजाज इनर्जी प्रा0लि0	

(अ)–चालू इकाइयाँ–(बगास आधारित)

क्र0सं0	चीनी मिल का नाम	पी0पी0ए0 की तिथि	अनुबन्धित क्षमता (मे0वा0)	सिक्योरिटी (बैंक गारण्टी)
1	2	3	4	5
14	मै0 रोजागांव चीनी मिल बाराबंकी	06.02.2007	16 (सीजन) 23 (आफ सीजन)	शून्य
15	मै0 हैदरगढ़ चीनी मिल, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी	05.07.2007	20.95	शून्य
16	मै0 बलरामपुर चीनी मिल, बमनान, जिला गोण्डा	20.09.2009	05	शून्य
17	मै0 बजाज शुगर, जिला पीलीभीत	26.03.2007	07	शून्य
18	मै0 चड्ढा शुगर प्रा0लि0, जिला जे0पी0 नगर	04.1.2007	23	शून्य
19	मै0 द्वारिकेश शुगर जिला बरेली	17.05.2006	24	शून्य
20	मै0 दौराला शुगर मिल लि0 मेरठ	15.03.2007	10 (प्रथम चरण) 10 (द्वितीय चरण)	शून्य
21	मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्ड0 कुदरखी जिला गोण्डा	14.02.2007	16.5	शून्य
22	मै0 न्यू इण्डिया शुगर लि0 जिला कुशीनगर	11.05.2007	20	शून्य

23	मै0 उत्तम शुगर खईखेरी जिला मुजफ्फरनगर	22.08.2007	6.5	शून्य
24	मै0 उत्तम शुगर शेरमऊ जिला सहारनपुर	22.08.2007	10	शून्य
25	मै0 बजाज हिन्दुस्तान मकसूदपुर, जिला शाहजहांपुर	22.08.2007	12	शून्य
26	मै0 यादू शुगर, बदायूं	09.05.2011	05 मे0वा0	शून्य
27	मै0 बजाज हिन्दुस्तान, उतरौला	06.07.2011	12 मे0वा0	शून्य
28	मै0 उत्तम शुगर, बरकतपुर, बिजनौर	22.08.2007	26 मे0वा0	शून्य
1	2	3	4	5
29	मै0 केसर इन्डस्ट्री, बरेली	14.02.2012	32 मे0वा0	शून्य
30	मै0 बजाज हिन्दुस्तान, कुदरखी, जिला गोण्डा	27.09.2012	13.5 मे0वा0 द्वितीय चरण	शून्य
31	मै0 यादू शुगर, जिला बदायूं	21.06.2012	20 मे0वा0	शून्य
32	मै0 त्रिवेणी इन्जी0 एण्ड इण्ड0 लि0 चन्दनपुर जिला जे0पी0 नगर	25.06.2012	03 मे0वा0	शून्य
33	मै0 त्रिवेणी इन्जी0 एण्ड इण्ड0 लि0 मिल्कनारायणपुर जि0 रामपुर	25.06.2012	05 मे0वा0	शून्य
34	मै0 डी0सी0एम0 शुगर रजपुरा जिला बदायूं	23.01.2013	40 मे0वा0	शून्य
35	मै0 सिम्भौली पावर, चिलवरिया, जिला बहराइच	27.08.2013	16	शून्य
36	मै0 कुम्भी चीनी मिल्स, जिला लखीमपुर खीरी	06.01.2014	12	शून्य
37	मै0 राना शुगर लि0 जिला रामपुर	15.10.2014	9 मे0वा0	शून्य
38	मै0 राना शुगर लि0 जिला मुरादाबाद	15.10.2014	11 मे0वा0	शून्य

39	मै0 त्रिवेणी इन्जी0 एण्ड इन्ड0 लि0 सावितगढ़ जिला बुलन्दशहर	04.08.2014	06 मे0वा0	शून्य
40	मै0 गोविन्द शुगर मिल्स, लखीमपुर खीरी	14.03.2014	22 मे0वा0	शून्य

(ब) बायोमास आधारित–चालू इकाइयां

41	मै0 अशर इको मथुरा	08.08.2012	12 मे0वा0	शून्य
42	मै0 इण्डिया ग्लाइकोल, गोरखपुर	23.07.2012	8 मे0वा0	शून्य

(स) गैर परम्परागत स्रोत ;थ्सनम ळेंद्ध आधारित चालू इकाइयां

43	मै0 हाईटेक कार्बन, रेनूकूट	02.11.2007	10	शून्य

(द) कैप्टिव संयत्र (कोयले पर आधारित) चालू इकाइयां

44	मै0 अभिनय स्टील्स, जौनपुर	06.05.2009	19	शून्य
45	मै0 अभिनव स्टील्स, जौनपुर	30.06.2014	7.5	शून्य

स्माल हाइड्रो

1	2	3	4	5
46	मै0 एन0टी0पी0सी0, सिंगरौली	18.07.2011	(8)	शून्य
47	मै0 ओमिनीज इन्फ्रा पावर जिला मुम्बई (1) डुन्डा, जिला–पीलीभीत ;2ग्1ण्75 मे0वा0) (2) माधो–1 जिला पीलीभीत ;3ग्1ण्25 मे0वा0) (2) माधो–1 जिला पीलीभीत ;3ग्1ण्25 मे0वा0) (3) माधो–2 जिला पीलीभीत ;3ग्1ण्25 मे0वा0) (4) रामगंगा, जिला पीलीभीत ;3ग्1ण्25 मे0वा0)	24.01.2013	3.5 3.75 2.5 3.20	शून्य

सोलर (चालू इकाइयां)

48	मै0 ई0एम0सी0, नैनी, (एन0वी0वी0एन0एल0 के माध्यम से)	07.02.2011	05	शून्य

49	राजस्थान से (एन0बी0बी0एन0एल0 के माध्यम से) आवंटित सौर ऊर्जा	07.02.2011	55	शून्य
50	मै0 टेक्निकल एसोशिएट, बाराबंकी	14.08.2010	02	शून्य
51	मै0 दान्ते इनर्जी झांसी	14.08.2010	02	शून्य
52	मै0 ध्रुव मिल्कोज, झांसी	14.08.2010	01	शून्य
53	मै0 प्रिपस, बरेली	14.08.2010	02	शून्य
54	मै0 ईस्टर्न बियरिंग सोनभद्र	14.08.2010	01	शून्य

गैर परम्परागत ऊर्जा प्लान्ट लगाने हेतु रेगुलेशन के अन्तर्गत सिक्योरिटी लेने का प्रावधान नहीं है।

44 इकाइयां द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 10 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में बरसात के दिनों में सर्प के काटने की वजह से प्रतिवर्ष होने वाली हजारों लोगों की मृत्यु के इलाज हेतु योजना की जानकारी

'13–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बरसात के दिनों मे सर्प के काटने की वजह से हजारों लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है ? यदि हां, तो क्या इसके इलाज हेतु सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में बरसात के दिनों में सर्प के काटने की वजह से लोगों की प्रति वर्ष मृत्यु होती है लेकिन चिकित्सालयों में सर्प दंश के मरीज पहुंचने पर उनकी मृत्यु दर बहुत कम है।

निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्तर पर सर्प दंश की औषधि इन्जेक्शन (एन्टी स्नेक वेनम) क्रय करके मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग के अनुसार प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में वितरित की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त इन्जेक्शन (एन्टी स्केन वेनम) की अनुपलब्धता में चिकित्सालयों के नियंत्रक अधिकारी स्थानीय क्रय के माध्यम से उक्त इन्जेक्शन का क्रय भी कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन नीति घोषित करने के बाद से उसके कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी

'14–डा0 अरूण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन नीति घोषित करने के बाद से उसके कार्यान्वयन हेतु अब तक जिला स्तर पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रदेश में आपदा प्रबन्ध नीति बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

'15–श्री वीरपाल राठी–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में एड्स पीड़ित लोगों की रोकथाम के लिये सरकार की योजना एवं रूपरेखा की जानकारी

'16–श्री त्रिभुवन राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने लोग एड्स से पीड़ित हैं ? क्या एड्स की रोकथाम तथा इसके रोगियों को समाज में उचित स्थान दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में संचालित 38 एन्टी रिट्रोवाइरल थिरेपी (ए0आर0टी0) केन्द्रों पर पंजीकरण सूची के अनुसार एच0आई0वी0/एड्स से संक्रमित 97046 व्यक्ति पंजीकृत हैं।

जी हां। एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम हेतु लगभग 1,00,000 (एक लाख) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनपद, ब्लाक तथा स्थानीय स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशालाओं के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

एच0आई0वी0/एड्स संक्रमित व्यक्तियों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा अर्ह व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ दिये जा रहे हैं :–

1–एच0आई0वी0 संक्रमित 0 से 5 वर्ष के बच्चों हेतु बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा डबल राशन का प्राविधान।

2–एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को मनरेगा के अन्तर्गत शारीरिक क्षमतानुसार हल्का कार्य दिया जाना।

3–समाजवादी पेंशन योजना के तहत एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों/परिवारों एवं अनाथ संक्रमित बच्चों के संरक्षकों को वरीयता क्रम में योजना का लाभ दिया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 व देश में बढ़ रहे सेरोगेसी बेबी (किराये की कोख से बच्चे का जन्म) की रोकथाम व महिला सुरक्षा तथा यौवन शोषण के लिये बनाये गये कानून की जानकारी

'17–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में सेरोगेसी बेबी (किराये की कोख से बच्चे का जन्म) का प्रचलन उत्तर प्रदेश सहित देश में बढ़ा है तथा कई देशों में इसके लिये कानून भी बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार सेरोगेसी बेबी

पैदा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा तथा उनको शोषण से बचाने हेतु कोई कानून बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

देश अथवा प्रदेश में कितने बच्चों का जन्म सेरोगेसी (किरोय की कोख से बच्चे का जन्म) के माध्यम से हो रहा है, के सम्बन्ध में कोई पृथक से आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार के स्तर पर कानून बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध एवं जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध उठाये गये कदम तथा आबकारी अधिनियम में किये गये संशोधन की जानकारी

'18–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध एवं जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों को रोकने के लिए एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या सरकार आबकारी अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्षों के शासन काल में बिजली की दरों में चार बार की गयी वृद्धि व वृद्धि करने के नियम की जानकारी

'19–श्री धर्मपाल सिंह तथा श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा तीन वर्षों के शासन काल में बिजली की दरों में चार बार वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो बिजली दरों में वृद्धि करने के नियम क्या हैं ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में बिजली की दरों में वृद्धि हुई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानानुसार प्रत्येक वितरण निगमों को विलम्बतम 30 नवम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है, जिस पर आयोग द्वारा लाइसेन्सी के सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ प्रस्ताव पर विद्युत उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं स्टेक होल्डर्स से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुये व्यापक जनसुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु लागू विद्युत दरों का निर्धारण किया जाता है, जिस पर न ही विभाग का तथा न ही शासन का कोई हस्तक्षेप होता है।

आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वर्तमान विद्युत दरों पर होने वाले राजस्व घाटे, औसत विद्युत आपूर्ति लागत तथा औसत विद्युत क्रय मूल्य के दृष्टिगत विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी आदेशित की जाती है।

प्रदेश के सम्पर्क मार्गों में हो रहे गुणवत्ता रहित निर्माण कार्यों को सरकार द्वारा गुणवत्तापरक बनाये जाने की ठोस कार्य योजना एवं विवरण

'20–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सम्पर्क मार्गों में हो रहे गुणवत्ता रहित निर्माण कार्यों की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्तापरक निर्माण कार्य कराने की कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण गुणवत्तापरक एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय गांवों से होते हुये गंगा नदी में मिले राजवाहा की सफाई के लिये अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी

01–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हिन्दवारी कुण्डलिया, सेगर होते हुए जिवनाथपुर औद्योगिक नगर से गंगा नदी में मिले राजवाहा की सफाई एवं फैक्ट्री मालिकों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5 नं0–321894, दिनांक 18–8–14 जिलाधिकारी, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने औद्योगिक नगर क्षेत्र राम नगर जिवनाथपुर से होकर गंगा नदी में मिलने वाले नाले का रेलवे लाइन के नीचे औद्योगिक क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया। समिति द्वारा नाले पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। वर्तमान में बिना किसी अवरोध के नाले में पानी बह रहा है तथा कोई जल भराव की स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद रोड से ठाकुर ढाबा होते हुए दुर्गा एन्क्लेव कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराये जाने हेतु

02–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद रोड से ठाकुर ढाबा होते हुए दुर्गा एन्क्लेव कालोनी फेस– प (तोरा) को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

इस मार्ग का निर्माण प्राइवेट कालोनाइजर (तोरा) द्वारा अपनी निजी कालोनी के लिये कराया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अन्तर्गत बोदला अवधपुरी रोड से मिल्टन पब्लिक स्कूल तक व क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत के सम्बन्ध में

03–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बोदला अवधपुरी रोड से मिल्टन पब्लिक स्कूल जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे लोगों को आने जाने मे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सड़क क्षतिग्रस्त स्थिति में है।

प्राधिकरण सीमा अन्तर्गत बोदला अवधपुरी सड़क पर अवधपुरी चौराहे से मिल्टन पब्लिक स्कूल तक गड्ढे भरने एवं समतलीकरण का कार्य करा दिया गया है। क्षतिग्रस्त सड़क, निजी विकसित कालोनियां अवैध विकसित कालोनियां एवं विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम कलवारी के क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त सड़क निर्माण की कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के ग्राम–बौदरा, ब्लाक–अगौता के औरंगाबाद से जमालपुर मार्ग के जर्जर मार्ग को ठीक करवाने के सम्बन्ध में

04–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव–बौदरा ब्लाक–अगौता जो कि औरंगाबाद से जमालपुर मार्ग से बौदरा मार्ग को जोड़ता है, जो अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

05–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्दिनांक 12–02–2016 को अता0प्र0सं0–136 द्वारा उत्तरित,

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम–लक्ष्मणपुर नहर पट्टी तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

06–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–मानिकपुर में ग्राम–लक्ष्मणपुर से रामपुर नहर पट्टी तक लगभग 2.50 कि0मी0 पक्का अधूरे पड़े गड्ढा युक्त सम्पर्क मार्ग पर बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम लक्ष्मणपुर से रामपुर नहर पट्टी पर सर्विस रोड (कच्चा) है। इसकी लम्बाई 2.50 किमी0 न होकर लगभग 1.200 किमी0 है। लगभग 5 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा नहर की सर्विस रोड पर कार्य कराया गया था।

क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु सर्विस रोड के गड्ढों को भरवाकर मरम्मत करा दी गयी है। आवागमन सुचारु रूप से चालू है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर क्षेत्र के ग्राम नवीनगर से डबकौरा तथा क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

07–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नवीनगर से डबकौरा सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर है, जिससे किसानों

को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

08–श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्दिनांक 11–02–2016 को अता0प्र0सं0–54 द्वारा उत्तरित,

09–श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्दिनांक 11–02–2016 को अता0प्र0सं0–55 द्वारा उत्तरित,

10–श्री काली चरन सुमन–

ख्दिनांक 11–02–2016 को अता0प्र0सं0–143 द्वारा उत्तरित,

जनपद कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज के कतिपय गांवों के हुये जर्जर विद्युत पोलों के नवीनीकरण व अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने विषयक–पत्र की जानकारी

11–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज के ग्राम हरपुर बेलही, विशुनपुरा, धुरिया कोर्ट तथा भटवलिया के जर्जर विद्युत पोलों व तारों का नवीनीकरण व ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10628796/2014 प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–कुशीनगर के ब्लाक–तमकुहीराज के ग्राम हरपुर बेलही के ढीले तारों को टाइट कर पूर्व में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित कर दिया गया है।

ग्राम–भटवलिया में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक के स्थान पर 250 के0वी0ए0 के परिवर्तक को स्थापित कर दिया गया है।

शेष ग्राम विशुनपुरा (1 अदद 25 के0वी0ए0) ट्रांसफार्मर अतिरिक्त तथा पोल व तार) एवं ग्राम–धूरिया कोट (1 अद्द 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर अतिरिक्त) का कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा एवं प्रति यूनिट लागत का विवरण की जानकारी

12–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा और प्रति यूनिट लागत का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अक्टूबर, 2015 तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निम्न कम्पनियों से उनके सम्मुख आगणित दरों पर बिजली क्रय की गई है।

उपक्रम का नाम	क्रय की गई ऊर्जा (मि0 यूनिट)	क्रय की गयी ऊर्जा का समेकित दर (रु0 प्रति यूनिट)
एन0टी0पी0सी0	16365.80	3.16
1	2	3
एन0एच0पी0सी0	2909.54	3.19
एन0पी0सी0आई0एल0	1516.96	2.94
टी0एच0डी0सी0	1177.29	4.95
एम0जे0वी0एन0एल0	1451.18	2.60
जल वि0नि0लि0	620.96	0.66
को–जनरेटर्स	693.73	4.68
माइक्रोहाइडिल	2.44	2.25
आई0पी0पी0	15272.83	3.74
सी0पी0पी0	83.44	4.79
सोलर	29.85	10.28
एन0वी0वी0एन0 बन्डन्ड थर्मल पावर	326.84	3.09
एन0वी0वी0एन0 बन्डन्ड सोलर पावर	87.13	11.26
ताला (पी0टी0सी0)	132.64	2.09

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रदेश में विभिन्न पदों पर सेवारत लोगों की जानकारी तथा इनकी सेवाएं स्थायी करने हेतु बनाई नियमावली की जानकारी

13–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न पदों पर कितने लोग सेवारत हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त की सेवा नियमावली नहीं होने के कारण इनकी सेवायें स्थायी नहीं हो पर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की कोई सेवा नियमावली बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रतिनियुक्ति पर उन्नीस तथा संविदा पर उन्तीस हजार पैंतीस कर्मी कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्थायीकरण का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड सिकन्दराबाद तथा गुलावठी में नवीन सम्पर्क मार्ग एवं पुनर्निर्माण विषय में की गई कार्रवाई की जानकारी

14–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर विकास खण्ड सिकन्दराबाद तथा गुलावठी में नवीन सम्पर्क मार्ग एवं वर्तमान सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5 नं0–987614 दि0 17–03–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मा0 विधायक जो के पत्र दि0 17–03–15 में विकास खण्ड सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी के अन्तर्गत 06 नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा 06 वर्तमान सम्पर्क मार्गों के मरम्मत एवं पुनः निर्माण का उल्लेख किया गया है। नवीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण के अन्तर्गत पत्र में उल्लिखित 06 मार्गों में से क्रमांक 1 (क), (ग), (घ), (छ) पर अंकित मार्ग लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रमांक 1(ख) पर अंकित मार्ग वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला योजना में स्वीकृत है। क्रमांक 1 (च) पर वर्णित मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वर्तमान सम्पर्क मार्गों के मरम्मत एवं पुनः निर्माण के अन्तर्गत पत्र में उल्लिखित 06 मार्गों में से क्रमांक 2 (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) पर अंकित मार्गों के मरम्मत/सुधार पर कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रमांक 2 (च) पर अंकित मार्ग वर्ष 2015–16 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर के विकास प्राधिकरण द्वारा रामबाड़ा में विकसित किये जा रहे पार्क में शेष बचे कार्यों के निर्माण विषयक की गई कार्रवाई

15–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा रामबाड़ा में विकसित किये जा रहे पार्क में शेष बचे कार्यों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5 नं0–615027 दिनांक 23–02–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। उक्त पत्र में प्रस्तावित कार्यों को अवस्थापना निधि वित्तीय वर्ष 2015–16 से कराने की कार्रवाई विचाराधीन है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के 5 सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

16–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10590829, दि0 09–03–15 जो विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के 5 सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 5 मार्गों की मरम्मत/सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पर्यावरण को सुरक्षित करने की दृष्टि से प्रदेश में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने विषयक सरकार की कार्य–योजना की जानकारी

17–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्यावरण को सुरक्षित करने की दृष्टि से तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश की नहरों तथा रजवाहों की पटरियों के किनारे–किनारे वृक्षारोपण करने की सरकार कोई कार्य योजना तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभागवार/जनपदवार वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही नहरों तथा रजवाहों के किनारे–किनारे विभागीय भूमि पर वृक्षारोपण प्रतिवर्ष वर्षाकाल में कराया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नई वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में वृक्षारोपण कार्य मद का प्राविधान नियमानुसार सम्मिलित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के कतिपय गांवों के ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में

18–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के गांव सिरौधन के गाटा संख्या–1123, गांव इस्माइलपुर के गाटा सं0 599 तथा गांव पिलखन वाली के गाटा संख्या–151 जो ग्राम समाज की जमीन है पर अवैध कब्जा करके ईंट–भट्ठा लगाया गया है ? क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन द्वारा बेदखली के आदेशों के उपरान्त भी वहां से ईंट–भट्ठा नहीं हटाया गया है ? यदि हां,

तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के ग्राम सिरोधन के गाटा संख्या–1123, ग्राम इस्माइलपुर के गाटा संख्या–1123, गांव इस्माइलपुर के गाटा सं0 599 तथा ग्राम पिलखनवाली के गाटा संख्या 151 जो ग्राम सभा भूमि है पर श्री रामवीर सिंह पुत्र मंशाराम निवासी ग्राम इस्माइलपुर द्वारा 20–25 वर्षों से ईंट भट्टा चलाया जा रहा है। पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर ग्राम समाज की भूमि से बेदखली हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार सिकन्दराबाद के यहां वाद योजित किया गया था। उक्त में से ग्राम सिरोधन की भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किये जा चुके है। जिसमें अतिक्रमण के विरुद्ध आरोपित रुपये 50,000/– की वसूली की जा चुकी है। शेष 02 ग्रामों की भूमि के सम्बन्ध में बेदखली का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त भट्टे को बंद किये जाने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सिकन्दराबाद द्वारा पंचायत कार्यालय को निदेशित किया गया है। जिसके क्रम में अपर मुख्य अधिकारी–जिला पंचायत बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया है कि मौके पर भट्टे को बन्द करा दिया गया है। श्री रामवीर सिंह द्वारा उप जिलाधिकारी सिकन्दराबाद को दिनांक 15–11–15 को दो प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि ग्राम पिलखनवाली के गाटा संख्या–151 पर उसका कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार सिकन्दराबाद के द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 16–11–15 में अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा मौके पर खाली है। ग्राम इस्मालपुर के गाटा सं0–599 एवं ग्राम सिरोधन के गाटा सं0–1123 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0–27033/2015 में, मा0 उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश पारित कर रखा है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है जिसमें सुनवाई की अग्रिम तिथि 21–04–2016 नियत है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के कारण अवैध कब्जे को नहीं हटाया जा सका है। मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के क्रम में, उक्त प्रकरण में कार्रवाई की जायेगी।

प्रदेष के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को देखते हुये विशेषकर सहारनपुर के जिला अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करेगी

19–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेष के सरकारी जिला अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार को जानकारी है कि सहारनपुर के जिला अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सहारनपुर के जिला अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टर

तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है।

जी हां।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या–2786/पांच–8–2015–म(22)/2015, दिनांक 02–08–2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को अधियाचन भेजा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण कर, चयनित चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर नियुक्ति की जाएगी।

सहारनपुर के जिला अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है।

चीफ फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट के सभी पद भरे हैं। अन्य पैरामेडिकल स्टाफ यथा–लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन व डार्करूम सहायक के रिक्त पदों पर उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई पूर्ण कर, चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर नियुक्ति की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहारनपुर नगर में लग रहे लम्बे जाम से निजात दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा बाईपास का निर्माण कराये जाने की जानकारी

20–श्री राजीव गुम्बर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में लगातार लग रहे जाम से निजात दिलाने हेतु सरकार बाईपास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद सहारनपुर में दिल्ली यमनोत्री मार्ग (राज्य मार्ग सं0–57) के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत सहारनपुर आबादी भाग का बाईपास, चैनेज 155.400 से प्रारम्भ होकर एन0एच0–73 के चैनेज 53.128 से होता हुआ दिल्ली यमनोत्री मार्ग के चैनेज 170.200 तक 19 कि0मी0 लम्बाई में उपशा द्वारा प्रस्तावित किया गया है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून (एन0एच0ए0आई0) द्वारा एन0एच0–73 पर सहारनपुर का बाईपास गागलहेडी से प्रारम्भ होकर दिल्ली यमनोत्री मार्ग पर चुनहेटी फाटक होते हुये सरसावा से आगे अम्बाला रोड तक 44 कि0मी0 लम्बाई में प्रस्तावित है।

भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति आवश्यकतानुसार न होने के कारण तथा ग्रामीण अंचलों में परेशान कृषकों की समस्या के निदान किये जाने हेतु विद्युत व्यवस्था कराया जाना

21–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति आवश्यकतानुसार न होने के कारण तथा ग्रामीण अंचलों में कृषकों के पास सिंचाई की अन्य स्थायी व्यवस्था न होने के कारण कृषक परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत व्यवस्था ठीक करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रणाली नियंत्रण लखनऊ द्वारा विद्युत उपलब्धता के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति 10 घण्टे सुनिश्चित की जाती है। कतिपय क्षेत्रों में सूखे के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार डबल ग्रुप में भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। राजकीय नलकूपों को क्रियाशील रखने हेतु शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मथुरा–अलीगढ़ के मौमत–बाजना रोड पर मांट ब्रान्च पर ग्राम रामबाग शिवाला पर बने पुल व उसकी क्षतिग्रस्त बाउन्ड्री की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

22–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा–अलीगढ़ के मौमत–बाजना रोड पर मांट ब्रान्च पर ग्राम रामबाग शिवाला पर बने पुल व उसकी बाउन्ड्री क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल व उसकी बाउन्ड्री की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत पुल संकरा है अतः मार्ग पर भारी यातायात के कारण सेतु का पैरापिट कभी–कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है, किन्तु दुर्घटना से बचने के लिये तत्काल पैरापिट की मरम्मत करा दी जाती है। वर्तमान में सेतु पर सुलभ एवं सुगम यातायात चालू है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद अलीगढ़ स्थित शेखा झील में प्रति वर्ष हजारों विदेशी पक्षियों के आने के कारण सरकार द्वारा उक्त झील को बर्ड लाइफ सेन्चुरी बनाये जाने की मांग

23–श्री दलवीर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद स्थित शेखा झील में प्रत्येक वर्ष हजारों विदेशी पक्षी आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त झील को बर्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

जी हां।

शासकीय अधिसूचना संख्या 407/14–4–2016–57/2015, दिनांक 08–02–2016 द्वारा जनपद अलीगढ़ में स्थित शेखा झील को पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्युत उपकेन्द्र 33 के0वी0 वीरपुरा जनपद अलीगढ़ स्थित स्टाफ हेतु क्षतिग्रस्त एवं अधूरे निर्मित आवासीय भवन की मरम्मत की मांग

24–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र वीरपुरा जनपद अलीगढ़ स्थित स्टाफ हेतु निर्मित आवासीय भवन क्षतिग्रस्त एवं अधूरे निर्मित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्र पर कर्मचारियों के लिए आवासों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्युत उपसंस्थान, वीरपुरा गांव में ही स्थित है। इसलिये उपसंस्थान पर कार्यरत कर्मचारी गांव में स्थित आवासों पर ही निवास करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गन्ना किसानों के समस्त बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान की समय सीमा निर्धारण की कार्य योजना की जानकारी

25–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के समस्त बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु समय सीमा निर्धारण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषकों का गन्ना क्रय करने एवं गन्ना मूल्य का भुगतान समय से चीनी मिलों द्वारा कराये जाने की विधिक व्यवस्था विद्यमान है जिसके अनुसार चीनी मिलों द्वारा कृषकों के गन्ना मूल्य के भुगतान आदि की कार्रवाई/विनियमन किया जाता हैं

राज्य सरकार द्वारा विधि के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करायी गयी है। दिनांक 22–01–2016 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2014–15 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 20646.02 करोड़ के सापेक्ष रु0 19723.01 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जो कुल देय का 95.53 प्रतिशत है। वर्तमान में मात्र रु0 923. 01 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। सहकारी व निगम क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का शत–प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

पेराई सत्र 2014–15 के अन्तर्गत वे चीनी मिलें, जिनका गन्ना मूल्य भुगतान अत्यन्त खराब था, ऐसी निजी क्षेत्र की 15 चीनी मिलों के विरुद्ध प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जा रही है तथा समय से गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली 33 चीनी मिलों के विरुद्ध 52 एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गई हैं। सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रभावी कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में टोल टैक्स वसूली हेतु स्वीकृत टोल टैक्स की जानकारी तथा अवैध वसूली को रोकने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की जानकारी

26–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर कुल कितने स्थानों पर टोल टैक्स वसूली हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है तथा उनमें से कितने टोल टैक्स से राजस्व की शत–प्रतिशत वसूली के उपरान्त भी उस पर से वसूली नहीं रोकी जा रही है ? क्या शत–प्रतिशत वसूली होने के उपरान्त भी हो रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन किसी भी मार्ग/सेतु पर टोल टैक्स की वसूली नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के टिकैतराय, एल0डी0ए0 कालोनी में तैनात अवर अभियन्ता के खिलाफ कतिपय विधायकों के शिकायती–पत्रों पर कार्रवाई की जानकारी

27–श्री सत्यदेव पचौरी व अन्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय, एल0डी0ए0 कालोनी जनपद–लखनऊ में तैनात अवर अभियन्ता के कार्य में उदासीनता/अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में शिकायती–पत्र श्री मनोज कु0 पारस, विधायक, बिजनौर तथा श्री राम चन्द्र

चौधरी, विधायक, सुल्तानपुर माह मार्च, 2015 तथा श्री शिवचरन प्रजापति विधायक हमीरपुर का पत्र दि0 12–06–2015 राज्य मंत्री लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती–पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त अवर अभियन्ता को उक्त स्थान से हटाकर कहीं अन्यत्र तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

श्री मनोज कुमार पारस, मा0 विधायक, बिजनौर, श्री राम चन्द्र चौधरी, मा0 विधायक, सुल्तानपुर का पत्र मार्च, 2015 प्राप्त नहीं हुआ है। मा0 विधायक, श्री शिवचरन प्रजापति का पत्र दिनांक 12–06–2015 प्राप्त हुआ है। जांच समिति द्वारा श्री आर0पी0 वर्मा प्रभारी अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में की गयी शिकायत निराधार एवं असत्य पायी गयी। श्री वर्मा के शासकीय कार्यों में उदासीनता परिलक्षित नहीं हुई, परन्तु अध्यासियों के एक वर्ग के आक्रोश को देखते हुये श्री आर0पी0 वर्मा अवर अभियन्ता को टिकैत राय कालोनी से अन्यत्र खण्डीय किसी अन्य कालोनी में तैनात करने की जांच समिति की संस्तुति के दृष्टिगत उनको टिकैतराय कालोनी से हटाकर जेल रोड कालोनी टाइप–4 में तैनात कर दिया गया है।

श्री आर0पी0 वर्मा, अवर अभियन्ता (सिविल) को टिकैतराय कालोनी से हटाकर जेल रोड कालोनी टाइप–4 में तैनात कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–28 के उत्तर के सन्दर्भ में अधिग्रहीत भूमि के शेष भाग पर निर्माण पूर्ण कराये जाने की

समय सीमा निर्धारित करने की जानकारी

28–श्री मुहम्मद गाजी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क हेतु ग्राम बरौली खलीलाबाद के खाता संख्या 105 व 114 खसरा संख्या 1544 की अधिग्रहीत भूमि के समायोजन की कार्यवाही पूर्ण कर उक्त सड़क के शेष भाग का निर्माण कराये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

वृन्दावन योजना संख्या–2 एवं 3 के अन्तर्गत ग्राम बरौली खलीलाबाद के खाता संख्या–105 व 114, खसरा संख्या–1544 पर स्थित है, जो कि परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि है। उक्त भूमि पर पुराना निर्माण है। उक्त अधिग्रहीत भूमि पर निर्मित निर्माण के

समायोजन हेतु आवेदन परिषद् के सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु आवेदन में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न होने एवं अस्पष्ट होने के कारण अग्रिम कार्रवाई बाधित है। आवेदक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही परिषद् द्वारा गुण–अवगुण के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर के ग्राम शिवाली से बुढाना व सरावां ग्राम के जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

29–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर वि0स0क्षे0 के ग्राम शिवाली से बुढाना व सरावां ग्राम का सम्पर्क मार्ग काफी जर्जर है ? यदि हां, तो इस सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

30–श्री गजेन्द्र सिंह–

खदिनांक 12–02–2016 को अता0प्र0सं0–135 द्वारा उत्तरित,

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के ग्राम गुचावली से जहांगीराबाद मण्डी सम्पर्क मार्ग के मरम्मतीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक

31–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर वि0स0क्षे0 के ग्राम गुचावली से ज0 बाद मण्डी सम्पर्क मार्ग की हालत काफी जर्जर है ? इस सड़क को जनहित में बनवाये जाने की सरकार की क्या योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर में ग्राम गुचावली से जहांगीराबाद मण्डी सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.700 कि0मी0 का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्य गन्ना विकास परिषद, अनूपशहर द्वारा वर्ष 2005–06 में कराया गया था।

गन्ना विकास विभाग में सम्पर्क मार्गों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर, 80:20 के अनुपात में क्रमशः शासकीय अंश एवं संबंधित गन्ना विकास समिति/परिषद के द्वारा व्यय का वहन किया जाता है। मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु संबंधित गन्ना विकास परिषद, अनूपशहर के पास धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2015–16 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के ग्राम जटपुरा ब्लाक अनूपशहर का सम्पर्क मार्ग जो जटपुरा से चरौरा जहांगीराबाद आहार मार्ग जुड़ने वाले जर्जर मार्ग की मरम्मत की मांग

32–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर में अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जटपुरा ब्लाक अनूपशहर का सम्पर्क मार्ग जो जटपुरा से चरौरा जहांगीराबाद आहार मार्ग पर जुड़ता है की हालत अत्यन्त जर्जर हो चुकी है ? यदि हां, तो इस मार्ग को बनवाने की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खेड़ी ब्लाक अगौता में नाला बनाये जाने की योजना की जानकारी

33–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खेड़ी ब्लाक अगौता में कोई नाला न होने से खेड़ी गांव की लगभग तीन हजार बीघे जमीन की फसल बरसात से पानी भर जाने के कारण नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या ग्राम खेड़ी में सरकार की नाला बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त नाला कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 2004–05 में नाला निर्माण हो चुका है, जो वर्तमान में अवरूद्ध है क्षेत्र में अधिक वर्षा होने पर ही लगभग 362 बीघा पुख्ता भूमि प्रभावित होती है। नाले के अवरोध को दूर करने की कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 2004–05 में नाला निर्माण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004–05 में नाला निर्माण हो चुका है।

आगरा मण्डल में रबर चेक डैम के निर्माण की सरकार की परियोजना की जानकारी विषयक

34–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी में बारिश एवं बाढ़ के पानी को आने से रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा रबर चेक डैम प्रस्तावित है ? यदि हां, तो ये रबर चैक डैम आगरा मण्डल में किन–किन स्थानों पर चिन्हित किये गये हैं

तथा सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी में जल संवर्धन हेतु जनपद आगरा में सिकन्दरा वाटर वर्क्स एवं ताजमहल के डाउनस्ट्रीम में तथा जनपद मथुरा में वृन्दावन के निकट रबर डैम के निर्माण की परियोजनायें तैयार किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

आयुक्त गोरखपुर मण्डल को प्राप्त पत्र

सं0–सी0एम0/वि0को0/पी0जी0आई0–10360511/2013 पर कार्रवाई की जानकारी

35– अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में नदी कटान से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को मुख्य मंत्री कार्यालय में पत्रांक सी0एम0/वि0को0/पी0जी0आई0–10360511/2013 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

नदी कटान से प्रभावित किसानों को रु0 31,31,561/– की धनराशि राहत के रूप में वितरित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में नदी कटान से प्रभावित ग्राम सभाओं के निवासियों को स्थायी रूप से बसाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र पर कार्रवाई की जानकारी

36–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में नदी कटान से प्रभावित ग्राम सभाओं के निवासियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/पी0जी0आई0–0354438/2013 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वर्ष 2013 में आयी बाढ़ से प्रभावित ग्राम सभा पिपराघाट, ए0, पिपराघाट मु0, परसा उर्फ सिरसियां, जंगलीपट्टी, अहिरौलीदान, बिरवट, कोन्हवलिया, चैनपट्टी, जवहीं दयाल, घघवा जगदीश, बाघाचौर, नोनियापट्टी, रामपुर बरहन, परोरहीं अमवा दीगर, अमवांखास आदि में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अनुमन्य सहायता उपलब्ध करा दी गयी ळै। वर्ष 2013–14 में ग्राम पिपराघाट

एहतमाली के नान्हूटोला तथा फलटोला आदि के 256 परिवारों को अनुमन्य सहायता प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

37–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–184 द्वारा उत्तरित,

38–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–185 द्वारा उत्तरित,

39–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–186 द्वारा उत्तरित,

सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 तक निर्मित कालोनियों की जानकारी

40–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों के विकास कार्यों हेतु प्रत्येक जिले में विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 तक कितनी कालोनियों का निर्माण कार्य कराया गया ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश के केवल 27 जनपदों में विकास प्राधिकरण तथा 05 जनपदों में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

लैण्ड बैंक शून्य होने के कारण वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 तक सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी कालोनी का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

जनपद सहारनपुर में काशीराम योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी

41–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु काशीराम योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने की योजना है ? यदि हां, तो जनपद सहारनपुर में इस योजना के अन्तर्गत कितने पात्र लाभार्थियों को अब तक लाभ प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद सहारनपुर में प्रथम चरण के अन्तर्गत ग्राम मवींकला में 764 व ग्राम शेखपुरा कदीम में 736 कुल 1500 आवासों का निर्माण कराया गया है, जिसमें से 1267 पात्र लाभार्थियों को आवंटन किया जा चुका है। अवशेष 233 आवास अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटन हेतु आरक्षित हैं, जिनके आवंटन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न सं0–179 के उत्तर के सम्बन्ध में उक्त ग्राम की सड़कों का निर्माण सुनिश्चित कराने विषयक

42–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न सं0–179 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम की सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्य हेतु कब तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उक्त कार्य करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अतारांकित प्रश्न संख्या–179 के अन्तर्गत एक मार्ग पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। दूसरे मार्ग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि भूमि को सिंचित करने की सरकार की योजना की जानकारी

43–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है ? क्या सरकार सम्पूर्ण कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत नहरी एवं राजकीय नलकूप सम्बन्धी वास्तविक कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्रफल 128.00 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उसमें से वर्ष 2014–15 में 75.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित किया गया है जो 59.22 प्रतिशत है।

जी हां। (जल उपलब्धता की स्थिति में)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को प्राप्त सं0–ख–5–550789 दिनांक 18–11–14 पर कार्रवाई की जानकारी

44–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के गांव सरायघासी व आढ़ा के बीच करों नदी पर तथा गांव सैदपुर के करीब गन्दे नाले पर पुल बनाने विषयक प्रमुख अभियन्ता सिंचाई, लखनऊ को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–550789, दिनांक 18–11–14 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

(1) बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर से सम्बन्धित करबन नदी एवं काली नदी के बीच पड़ने वाले नालों की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना लागत रु0 665.98 लाख उ0 प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की दिनांक

06–02–2013 को सम्पन्न 45वीं बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु अनुमोदित की गयी थी तथा वित्त पोषण का प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रेषित किया जा चुका है। अभी तक वित्त पोषण लम्बित होने के कारण इस परियोजना का वित्त पोषण राज्य सेक्टर से किये जाने हेतु पुनः उ0 प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 47वीं बैठक में प्रस्तुत की गयी जिसे समिति द्वारा विचारोपरान्त परियोजना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतः सक्षम स्तर से वित्त पोषण की स्वीकृति हो जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्रवाई की जायेगी।

(2) गांव सैदमपुर के करीब गन्दे नाले पर पुल निर्माण कार्य हेतु कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है। सक्षम स्तर से साक्ष्य पाये जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के वि0ख0 सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण विषयक

45–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के वि0ख0 सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–592090, दिनांक 22–10–15 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र सं0–ख–5–661379 दिनांक 25–11–14 पर कार्रवाई की जानकारी

46–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

46–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करें कि सिकन्द्राबाद एवं गुलावठी जनपद बुलन्दशहर में राजीव गंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (द्वितीय) के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों में हो रहे विलम्ब विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–661379 दिनांक 25–11–14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सिकन्द्राबाद एवं गुलावठी जनपद बुलन्दशहर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 151 ग्राम व 50 मजरें हैं, जिनमें से 105 ग्राम व 31 मजरों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष ग्राम एवं मजरों के विद्युतीकरण का कार्य गतिशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में गांव नगला, इलाहाबाद, वि0स0 सिकन्दराबाद में खराब पड़े नलकूप को ठीक कराये जाने विषयक

47–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के नलकूप विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में गांव नगला इलाहाबाद वि0ख0 सिकन्द्राबाद में निर्मित एस0के0बी0–97 सिकन्द्राबाद नामक नलकूप लगभग एक वर्ष से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब नलकूप को ठीक कराकर पूरी क्षमता से चलाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत राजकीय नलकूप सं0–एस0के0बी0–97 खराब था, जिसे ठीक करा दिया गया है जो वर्तमान में सिंचाईरत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर के अनूपशहर के ग्राम सैदपुरा के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

48–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सैदपुरा का सम्पर्क मार्ग जो बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर जुड़ता है अत्यन्त जर्जर हो चुका है ? यदि हां तो क्या सरकार की इस सम्पर्क मार्ग को बनवाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों को गन्ना पेराई हेतु चलवाने की सरकार की योजना की जानकारी

49–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर व अनामिका शुगर मिल भड़ौरिया अगौता को वर्ष 2015–16 के लिए गन्ना किसानों को गन्ना डालने के लिए माह अक्टूबर 2015 के प्रथम सप्ताह में सरकार की चीनी मिलों को चलवाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पेराई सत्र 2015–16 में जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर द्वारा दिनांक 15–12–2015 को तथा अनामिका शुगर मिल्स लि0 भण्डौरिया, अगौता द्वारा दिनांक 19–11–2015 को गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में संशोधन करने सम्बन्धी एवं रिक्त पदों पर उपचारिकाओं की नियुक्ति करने की जानकारी

50–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

विधान सभा क्षेत्र के द्वितीय सत्र 2015 के 1–बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–109 के उत्तर के संबंध में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1979 में निर्धारित शर्तों के स्रोत एवं शैक्षिक अर्हता में संशोधन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। भर्ती के स्रोत एवं शैक्षिक अर्हता में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

संशोधन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरान्त विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर के असनहरा कस्बा को बरसात में जलमग्न हो जाने की समस्या से निजात दिलाने विषयक

51–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर का असनहरा कस्बा बरसात में जलमग्न हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बा असनहरा की जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

असनहरा कस्बे में मार्ग के बगल में बरसात के दिनों में आंशिक रूप से जलभराव हो जाता है।

पानी के निकासी हेतु मार्ग के दोनों ओर नाली का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर मुख्यालय से शाहगंज तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले जर्जर राजमार्ग की मरम्मत कराने की मांग

52–श्री नदीम जावेद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को जोड़ने एवं सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर मुख्यालय से शाहगंज तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले राजमार्ग जो विगत 2 दशकों से अत्यधिक जर्जर है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं, अपितु प्रश्नगत मार्ग की क्रस्ट, यातायात घनत्व के सापेक्ष कम होने के कारण मार्ग का क्षतिग्रस्त होना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसकी समय–समय पर मरम्मत करायी जाती है। वर्तमान में मार्ग गड्ढा मुक्त है।

उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कालाजार (बुखार) नियंत्रण हेतु सरकार की योजना की जानकारी

53–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कालाजार (बुखार) बहुत तेजी से फैलने की जानकारी सरकार को है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जनपदों में इसके मरीज पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कालाजार बिहार प्रदेश की सीमा से सटे कुल छः जनपदों कुशीनगर, गाजीपुर, भदोही, बलिया, देवरिया व बनारस में पाया गया है।

उ0प्र0 के बिहार प्रदेश की सीमा से लगे उपरोक्त छः जनपदों में इस रोग के मरीज पाये गये हैं।

सरकार ने कालाजार (बुखार) नियंत्रण हेतु प्रभावी योजना 2015–16 में बनायी गयी है। प्रश्न नहीं उठता है।

प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10585942/2015 पर कार्रवाई की जानकारी

54–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चैनेज 150.03 से 174.1 गोडरिया से तमकुही तक पी0एम0सी0टी0 मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10585942/2015 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराने विषयक

55–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अथवा विभाग के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ क–5नं0–151698/242/13, दिनांक 29–04–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। पत्र की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया गया परन्तु प्रश्नगत पत्र की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0 151577/3045 पर कार्रवाई की जानकारी

56–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले छह संपर्क मार्गों के पिच निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0 151577/3045, दिनांक 07–02–2013 प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। पत्र दिनांक 07–02–2013 प्राप्त है, किन्तु उक्त पत्र में पिच निर्माण सम्बन्धी 06 सम्पर्क मार्गों के नामों का उल्लेख नहीं है। उक्त पत्र में इंगित मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 101795 255/2012 प्राप्त नहीं है।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 07–02–2013 में पिच निर्माण सम्बन्धी 06 सम्पर्क मार्गों की सूची प्राप्त नहीं हुई है। उक्त सम्पर्क मार्गों की सूची प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया, किन्तु प्रश्नगत सूची प्राप्त नहीं हो सकी। अतः सम्पर्क मार्गों के नाम प्राप्त न होने के कारण कोई कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम पंचायत हुजूरपुर के मजरा कविराजपुरवा तथा ग्राम पंचायत कंदरा के मजरा खुशिहालपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

57–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम पंचायत हुजूरपुर के मजरा कविराजपुरवा तथा ग्राम पंचायत कन्दरा के मजरा खुशिहालपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/13–14/ क–5नं0–240820/5485, दिनांक 15–12–2013 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम पंचायत हुजूरपुर के मजरा कविराजपुरवा तथा ग्राम पंचायत कन्दरा के मजरा खुशिहालपुरवा की आबादी मानक के अनुरूप न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है। उक्त ग्राम/मजरे का विद्युतीकरण भविष्य में किसी योजना में चयनित तथा धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत शिवदहा के मजरा बरगदही में अधिक क्षमता का बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाने विषयक

58–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिवदहा के मजरा बरगदही में अधिक क्षमता का बिजली ट्रांसफार्मर लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0–148345/5326, दिनांक 24–11–2013 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत–शिवदहा के मजरा बरगदही में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 परिवर्तक क्षमतावृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान 2013–14 में स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत शेखापुर के मजरा पंचमपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

59–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत शेखापुर के मजरा पंचमपुरवा में

विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नतकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0–240820/5485, दिनांक 15–12–2013 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में विकास खण्ड हुजूरपुर में स्थित ग्राम पंचायत हुजूरपुर के मजरा कविराजपुरवा तथा ग्राम पंचायत कन्दरा व मजरा खुशहालपुरवा में विद्युतीकरण का उल्लेख किया गया है जबकि प्रश्न में विकास खण्ड, विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत शेखापुर के मजरा पंचमपुरवा में विद्युतीकरण कराया जाना इंगित किया गया है, जिसका पत्र संख्या पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5 नं0–240776/ 5568 दिनांक 29–12–2013 है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत शेखापुर के मजरा पंचमपुरवा की आबादी मानक के अनुरूप न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है तथा 12वीं योजना जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

अतः उक्त ग्राम/मजरें का विद्युतीकरण भविष्य में किसी योजना में चयनित तथा धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जवजनित बीमारियों के रोकथाम के लिए सरकार की कार्ययोजना की जानकारी

60–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सघन आबादी वाली बस्तियों तथा कस्बों में बरसात के मौसम में जल भराव से जल जनित बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सघन आबादी वाली बस्तियों तथा कस्बों, गांवों में जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फागिंग अथवा कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां, प्रत्येक वर्ष राज्य मुख्यालय से प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रामक रोग के रोकथाम की कार्य योजना प्रेषित की जाती है जिसमें जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फागिंग एवं कीटनाशक दवाईयों के छिड़काव के लिए स्पष्ट निर्देश होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी, गैर सरकारी एवं व्यवसायिक भवनों में वर्षा जल संरक्षण के प्राविधानों को लागू कराये जाने विषयक

61–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने भविष्य में जल संकट को देखते हुए 300 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्र में बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी गैर सरकारी एवं व्यवसायिक भवनों में वर्षा जल संरक्षण के प्राविधानों को सरकार कड़ाई से पालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्षा जल संरक्षण के प्राविधानों को कड़ाई से पालन करने हेतु समस्त प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद्/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों/निगमों के विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विकास खण्डों में रिक्त पड़े नलकूप चालकों के पदों को भरने की जानकारी

62–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के 14 विकास खण्डों के 1247 ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा नलकूपों की स्थापना की गई है, जिसके सापेक्ष मात्र 167 नलकूप चालकों की तैनाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चालकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद बस्ती के अन्तर्गत 14 विकास खण्डों में 1247 ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा कुल 582 अदद राजकीय नलकूपों की स्थापना की गयी है, जिसके सापेक्ष कुल 193 नलकूप चालक कार्यरत हैं।

जी हां।

नलकूप चालकों के चयन की कार्रवाई उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा की जानी है, जो प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के भानपुर तथा रूधौली तहसील क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति निर्धारित मानक के अनुसार कराने विषयक

63–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के भानपुर तथा रूधौली तहसील क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती के कारण घरेलू उपभोक्ता एवं उपभोक्ता किसानों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं को संज्ञान में लेकर विद्युत आपूर्ति रात–दिन दोनों पालियों में शेड्यूल बनाकर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बस्ती के भानपुर तथा रूधौली तहसील क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

जनपद बस्ती के भानपुर तथा रूधौली तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्धारित मानक 10 घण्टे के सापेक्ष विभिन्न 11 के0वी0 फीडरों पर माह अक्टूबर, 2015 में औसतन 10–11 घण्टे, माह नवम्बर, 2015 में 12–13 घण्टे एवं दिसम्बर, 2015 में औसतन 11–12 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रदान की गयी है।

वर्तमान में ऊर्जा प्रणाली, लखनऊ द्वारा रूधौली तथा भानपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में दो पालियों में रात्रि 22.00 से 04.00 बजे तक तथा दिन में 12.00 से 16.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत पकरी जई में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल बदलने एवं तारों को टाइप करने विषयक

64–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत पकरी जई में राम प्रसाद पाण्डेय के घर के सामने लगा विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होकर झुकने के कारण तार ढीले होकर नीचे आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पोल को सही ढंग से लगवाकर ढीले तारों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सांउघाट की ग्राम पंचायत पकरी जई में राम प्रसाद पाण्डेय के घर के सामने क्षतिग्रस्त पोल को बदलवाकर ढीले तारों को दिनांक 06–01–2016 को टाइट करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित शुक्रताल तथा जनपद शामली स्थित प्राचीन हनुमान टीला के सौन्दर्यीकरण करने हेतु सरकार की कार्य–योजना की जानकारी

65–श्री सुरेश राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के स्थल शुक्रताल तथा जनपद शामली स्थित प्राचीन हनुमान टीला के सौन्दर्यीकरण हेतु क्या सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित शुक्रताल के पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास की योजना स्वीकृत है तथा कार्य

प्रगति पर है। जनपद शामली स्थित प्राचीन हनुमान टीला के पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 की जिला योजना में स्वीकृत धनराशि रु0 9.97 लाख से पर्यटन विकास के कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

66–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–197 द्वारा उत्तरित,

जनपद गाजियाबाद में दिल्ली यूपी अप्सरा बार्डर से मोहन नगर चौराहा के बीच राजमार्ग पर जगह–जगह टूटे डिवाडर की मरम्मत कराने विषयक

67–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में दिल्ली यूपी अप्सरा बार्डर से मोहन नगर चौराहा के बीच राजमार्ग पर बने डिवाइडर को असामाजिक तत्वों द्वारा जगह–जगह तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त डिवाइडर को बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं, दिल्ली यू0पी0 बार्डर से मोहन नगर चौराहे के बीच का डिवाइडर असमाजिक तत्वों द्वारा नहीं तोड़ा गया है। दिल्ली मेट्रो के निर्माण के कारण आवश्यकतानुसार डिवाइडर जगह–जगह से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा हटाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेट्रो का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् डिवाइडर का आवश्यकतानुसार पुनः निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में महिला कर्मचारियों को मिलने वाले यूनीफार्म में घोटाले की जांच कराने की मांग

68–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में काम करने वाली महिलाओं को मिलने वाले यूनीफार्म (पेटीकोट एवं ब्लाऊज) में घोटाला होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्राधिकरणों सहित सहारनपुर विकास प्राधिकरण की भी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन–किन विकास प्राधिकरणों में इस प्रकार के घोटाले पाये गये और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार महिला कर्मचारियों को नियमानुसार यूनीफार्म दिये गये हैं। सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहित किसी भी विकास प्राधिकरण से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की सहारनपुर में स्थित बिडवी शुगर मिल को प्राइवेट फर्म द्वारा खरीदे जाने के बाद कार्यरत कर्मचारियों को उक्त मिल में समायोजित करने विषयक

69–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की सहारनपुर में स्थित बिडवी शुगर मिल जो वर्ष 2010 में सरकार द्वारा प्राइवेट फर्म बेव इंडस्ट्रीज को बेंच दी गयी थी, में कार्यरत कर्मचारियों को इस शर्त के साथ रखा गया था कि जो बी0आर0एस0 नहीं लेना चाहे तो वह पहले की भांति कार्य करता रहेगा परन्तु इस शर्त के विपरीत उक्त मिल द्वारा 28 दिसम्बर 2010 में ऐ0के0 शुगर मिल पंजाब में उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शर्त के अनुसार कर्मचारियों को निगम की बिडवी मिल में समायोजित करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सहारनपुर स्थित बिडवी शुगर मिल के क्रेता मै0 वेब इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि चीनी मिल के सुचारु रूप से कार्य न करने के कारण कतिपय (10–12) कार्मिकों का स्थानान्तरण ए0बी0 शुगर मिल, दसुया, पंजाब में तत्समय कर दिया गया था।

स्थानान्तरित कर्मचारियों द्वारा न दसुया, पंजाब चीनी मिल में और न ही सहारनपुर चीनी मिल में कार्यभार ग्रहण किया गया है। यदि उक्त कार्मिक कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं तो मै0 वेब इण्डस्ट्रीज लि0 के यहां कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर बाईपास (देहरादून रोड से अम्बाला रोड को मिलाने वाले बाईपास) रोड के निर्माण की जानकारी

70–श्री राजीव गुम्बर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में लगातार लग रहे जाम से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार देहरादून रोड से अम्बाला रोड को मिलाने के लिए बाई पास रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–73 रुड़की–छुटमलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर–यू0पी0/हरियाणा बार्डर भाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–72ए, कुछमलपुर–गणेशपुर भाग के 4–लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चतुर्थ चरण (एन0एच0डी0पी0–04) के

अन्तर्गत कराया जाना स्वीकृत किया गया है, जिसमें सहारनपुर बाईपास का निर्माण भी सम्मिलित है।

सहारनपुर बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग–73 कि0मी0 33.890 (ग्राम–हरोड़ा) से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग–73, कि0मी0 64.573 (सरसावां से आगे) पर समाप्त होता है, जिसकी कुल लम्बाई 43.394 है एवं मुजफ्फरनगर–सहारनपुर राज्य मार्ग, दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग एवं सहारनपुर–नुकुड़ मार्ग को पार करते हुए सहारनपुर शहर के दक्षिण से गुजरता है। सहारनपुर बाईपास निर्माण से जनपद सहारनपुर के 51 ग्राम प्रस्तावित होते हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है एवं मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर (उ0 प्र0) के माध्यम से प्रगति में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली स्तर पर सम्बन्धित परियोजना के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई भी प्रगति में है।

प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का है तथा वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन हैं। प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सिद्धपुरा एवं सुल्तानपुरा क्षेत्र में सिद्ध नदी पर पुल का निर्माण कराने की मांग

71–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिद्धपुरा एवं सुल्तानपुरा के पास मध्य प्रदेश सीमा में प्रवेश करने के लिए सिद्ध नदी पर पुल न होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लघु विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की निर्धारित नीति की जानकारी विषयक

72–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु शासन ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? प्रदेश में जलविद्युत की सम्भावित उत्पादन क्षमता कितनी है, और उसके सापेक्ष विभिन्न परियोजनाओं से किस लागत पर कितनी बिजली उत्पादित हो रही है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0 प्र0 शासन की पालिसी सं0–1206/45 अति0 ऊ0स्रो0वि0–2008, दिनांक 24–09–2008 सपठित आदेश 914/45–अति0ऊ0स्रो0वि0–2008, दिनांक 10–08–2009 द्वारा नीति निर्धारित की है।

मुख्य बिन्दु :–

- नीति के अनुसार निजी विकासकर्ता को कम्पटीटिव टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर परियोजना आवंटित की जायेगी।
- परियोजना के लिये शासकीय भूमि जहां उपलब्ध होगी, 30 वर्ष के पट्टे पर रु0 100 प्रति एकड़ के लीज रेन्ट पर बाजार मूल्य अथवा प्रीमियम की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।
- परियोजना के लिये निजी भूमि लिये जाने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में व्यय की गयी धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
- परियोजना से उत्पादित विद्युत का 12 प्रतिशत फ्री पावर के रूप में राज्य को प्राप्त होगा।
- विकासकर्ता द्वारा जल संसाधन प्रणाली के स्वामित्व वाली संस्था को 05 पैसे प्रति यूनिट की दर से अनुरक्षण हेतु भुगतान किया जायेगा।
- विकासकर्ता द्वारा परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत धनराशि नेडा/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को प्रशासनिक अनुषांगिक व्यय देय होगा।

प्रदेश में जल विद्युत की सम्भावित उत्पादन क्षमता लगभग 80 मे0वा0 है।

पी0पी0पी0 नीति के अन्तर्गत किसी परियोजना से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है परन्तु भविष्य में विद्युत उत्पादन की स्थिति में निम्नानुसार लेबिलाइज्ड टैरिफ के अनुसार विद्युत उत्पादन किया जायेगा :–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लेबिलाइज्ड टैरिफ रु0/यूनिट
1	राम गंगा (क्षमता 3.20 मे0वा0)	3.574
2	माधौ–प्रथम (क्षमता 3.75 मे0वा0)	3.565
3	माधौ–द्वितीय (क्षमता 2.50 मे0वा0)	4.50
4	हुण्डा (क्षमता 3.50 मे0वा0)	2.97
5	निरगाजनी (क्षमता 7.50 मे0वा0)	1.652

6	चित्तौड़ा (क्षमता 6.0 मे0वा0)	1.677
7	सलावा (क्षमता 4.95 मे0वा0)	2.00

जनपद लखनऊ के अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय में कार्यरत लिपिकों द्वारा विभाग में की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक के सम्बन्ध में

73–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 जय प्रकाश निषाद सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 26–05–2015 जो अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत लिपिकों द्वारा विभाग में की गयी अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम चन्दापुर पो0–गूड़ा स्थित सरकारी नलकूप संख्या–48 एम0जी0 के रि–बोर कराने विषयक

74–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम चन्दापुर पो0–गूड़ा में स्थित सरकारी नलकूप संख्या–48 एम0जी0 की बोरिंग की पाइपों में बालू फंस जाने तथा नलकूप की मोटर खराब हो जाने के कारण वह नलकूप काफी समय से बंद पड़े होने से क्षेत्रीय किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में सूख जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सरकारी नलकूप सं0–48 एम0जी0 की बोरिंग को रि–बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

नलकूप पर सुधारात्मक कार्रवाई करके नलकूप को चालू कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

नलकूप संख्या–48 एम0जी0 से अत्यधिक मात्रा में बालू आने के कारण बार–बार मोटर जल जाती है, जिसके कारण नलकूप अधिक समय से बन्द हैं, जिससे क्षेत्रीय किसानों को दी जाने वाली सिंचाई सुविधा बाधित है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कर्मचारियों को अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति किये जाने विषयक

75–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूरस्थ माध्यम से प्राप्त तकनीकी शिक्षा को यू0जी0सी0 एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सम्पूर्ण देश सहित उ0प्र0 के भी कई

राजकीय विभागों में अमान्य किया गया है, इसके बाजवूद दूरस्थ माध्यम से प्राप्त तकनीकी शिक्षा के आधार पर सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो अवर अभियन्ता पद हेतु निर्धारित अर्हता न रखने वाले कर्मचारियों को पदावनत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार अर्ह कर्मचारियों की ही प्रोन्नतियां की गयी हैं।

जी नहीं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किये गये तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमा/डिग्री प्रमाण–पत्र सेवायोजन हेतु मान्य है, बशर्ते सम्बन्धित दूरस्थ शिक्षा संस्थान संगत अवधि हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदित हो। सिंचाई विभाग में भी अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु ऐसे डिप्लोमा धारकों के सेवायोजन के मामले ही लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित किये गये जो उक्तानुसार अर्ह थे। फलस्वरूप विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर केवल संगत नियमों के अन्तर्गत अर्ह व्यक्तियों की ही पदोन्नति की गयी है।

बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर मोतियारी का पुरवा एवं पिपहरी आदि कच्चे एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने की मांग

76–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर बालगोविन्द का पुरवा, बद्री का पुरवा, गरीबदास का पुरवा, एवं ग्राम मोतियारी का पुरवा–पिपहरी मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर, मोतियारी का पुरवा एवं पिपहरी लोक निर्माण विभाग के लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं। इन मार्गों की दशा सन्तोषजनक है।

शेष मजरे–बाल गोविन्द का पुरवा, बद्री का पुरवा एवं गरीबदास का पुरवा लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर के बालगोविन्द का पुरवा, बद्री का पुरवा, गरीबदास का पुरवा, पल्टू का पुरवा का विद्युतीकरण कराने विषयक

77–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर के बालगोविन्द का पुरवा, बद्री का पुरवा, गरीबदास का पुरवा एवं पल्टू का पुरवा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुरवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बांदा के तहसील नरैनी के ग्राम अन्तर्गत ग्राम–पचोखर के मजरा बद्री कुशवाहा का पुरवा तथा पल्टू कुशवाहा का पुरवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के अन्तर्गत चयनित हैं तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त मजरों का सर्वे किया जा चुका है।

बालगोविन्द का पुरवा एवं गरीबदास का पुरवा किसी योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं है।

विद्युतीकरण का कार्य अगस्त, 2016 तक किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं दशरथ पुरवा की कटी नहर एवं टूटे चेकडैम को ठीक कराने विषयक

78–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं दशरथ पुरवा की नहर जो कई जगह से कटी एवं चेकडैम टूटे होने के कारण लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटी नहर एवं टूटे चेक डैम को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

जनपद बांदा के तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं दशरथ पुरवा से होकर महुटा नहर निकलती है। नहर की कटिंग एवं क्षतिग्रस्त फाल की मरम्मत करा दी गयी है। नहर से कृषकों को सिंचाई सुविधा तत्समय (पूर्व में) 1423 फसली खरीफ में उपलब्ध करा दी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं बेला पुरवा का विद्युतीकरण कराने विषयक

79–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं बेला पुरवा जिनकी आबादी लगभग

1200 है का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुरवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी के मजरा–कछियन का पुरवा, कोरिन पुरवा एवं बेला पुरवा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का प्राविधान है एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रगति पर है तथा विद्युतीकरण का कार्य माह अगस्त, 2016 तक किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की मांग सम्बन्धी

80–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रत्येक पेराई सत्र के लिये गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निर्धारित किया जाता है। राज्य परामर्शित मूल्य के निर्धारण से पूर्व गन्ना कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों/चीनी मिल प्रतिनिधियों एवं गन्ना शोध से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एवं उनके पक्ष तथा गन्ने की उत्पादन लागत आदि अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र, 2015–16 के लिये गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

(1) अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए	रु0 275–00 प्रति कुन्तल
(2) सामान्य प्रजातियों के लिए	रु0 280–00 प्रति कुन्तल
(3) अगैती प्रजातियों के लिए	रु0 290–00 प्रति कुन्तल

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित परिवर्तकों में अतिभारित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि करने सम्बन्धी

81–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवर्तकों पर अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक अधिभार है ? क्या सरकार इन परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 26550 परिवर्तक स्थापित हैं, जिनमें से 510 परिवर्तक अतिभारित हैं।

जी हां।

बिजनेश प्लान के आवंटन से परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेष में किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिलों को माफ करने की सरकार से मांग के सम्बन्ध में

82–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेष में सूखे की समस्या को देखते हुए किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिलों को सरकार माफ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

किसानों के निजी नलकूपों पर वर्तमान में उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के सापेक्ष अत्यधिक कम दर पर विद्युत मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों के निजी नलकूपों पर विद्युत कर भी पूर्णतया माफ है। यह स्पष्ट है कि किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत मूल्य के सम्बन्ध में समुचित सहायता की व्यवस्था है। अतः वर्तमान में विद्युत बिलों को माफ करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में घोषित विद्युत आपूर्ति के घण्टों की जानकारी विषयक

83–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेष के गांवों एवं शहरों में वर्तमान में कुल कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे एवं मण्डल मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 12 घण्टे, जनपद स्तरीय क्षेत्रों को 15 घण्टे, मण्डल स्तरीय क्षेत्रों को 18 घण्टे एवं महानगरों को 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

जी हां।

विजन 2016 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे, जनपद मुख्यालयों को 20 घण्टे, मण्डल मुख्यालय को 22 घण्टे एवं महानगरों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की योजना है। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 / आर0जी0वी0वाई0 / आई0पी0डी0एस0, डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 इत्यादि के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जा रहे हैं :–

- नये 33 / 11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण।
- 33 / 11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि।
- 11 के0वी0 लाइनों का निर्माण।
- 11 के0वी0 जर्जर तार बदलने का कार्य।
- 11 / 0.4 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण।
- 11 / 0.4 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि।
- जर्जर पोल बदलने का कार्य।
- एल0टी0 ए0बी0सी0 केबिल लगाने का कार्य।
- 11 के0वी0 पोषकों के विभक्तिकरण का कार्य।

उत्पादन क्षेत्र में 2ग500 मे0वा0 अनपरा तापीय परियोजना की दोनों इकाइयां (कुल 1000 मे0वा0) एवं मेजा तापीय स्टेज–प्रथम 660 मे0वा0 की एक इकाई एवं ललितपुर परियोजना की तीनों इकाइयां दिसम्बर, 2016 तक कमीशन किया जाना सम्भावित है।

पारेषण क्षेत्र में सुचारू एवं सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान में 765 के0वी0 के 04 नग, 400 के0वी0 के 15 नग, 220 के0वी0 के 25 नग, 132 के0वी0 के 52 नग उपकेन्द्र एवं तत्सम्बन्धी लाइनें निर्माणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये विद्युत कनेक्शनों को देने के साथ विद्युत मीटर की स्थापना सुनिश्चित करने की जानकारी विषयक

84–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये विद्युत कनेक्शनों को देने के साथ विद्युत मीटर नहीं लग रहे हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार विद्युत कनेक्शनों के साथ मीटर लगाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्तमान में सभी नये विद्युत संयोजनों पर मीटर की स्थापना कर संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उपकेन्द्र एवं ट्रांसफार्मर फीडरों पर मीटर लगाने की सरकार की योजना की जानकारी

85–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उपकेन्द्र एवं ट्रांसफार्मर फीडरों पर मीटर लगाने की योजना पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी आडिटिंग करके फीडर के सापेक्ष विद्युत कटौती की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली उत्पादन की केस–1 और केस–2 बिडिंग के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की वास्तुविक स्थिति की जानकारी

86–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली उत्पादन की केस–1 और केस–2 बिडिंग की कौन–कौन सी योजनायें निर्माणाधीन हैं और इनकी बिजली उत्पादन और खरीद की शर्तें क्या–क्या हैं तथा उसके सापेक्ष उनकी वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

केस–1

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केस–1 बिड प्रक्रिया के माध्यम से 2174.90 मेगावाट (2175 क्षमता) मेगावाट ऊर्जा क्रय हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	मै0 पी0टी0सी0 इण्डिया लि0 (टी0आर0एन0 इनर्जी)	390.00
(2)	मै0 लैको वबन्ध पावर लि0	423.90
(3)	मै0 के0एस0के0 महानदी पावर कम्पनी लि0	1000.00
(4)	मै0 पी0टी0सी0 इण्डिया लि0 (मै0 मोजर बेअर)	361.00

उपरोक्त 2175 मेगावाट में से 661 मेगावाट ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ हो चुकी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(1)	मै0 के0एस0के0 महानदी पावर कम्पनी लि0	300.00
(2)	मै0 पी0टी0सी0 इण्डिया लि0 (मै0 मोजर बेअर)	361.00
	कुल मेगावाट	**661.00**

उपरोक्त 2175 मेगावाट में से शेष ऊर्जा 30 अक्टूबर, 2016 में आपूर्ति किया जाना निर्धारित है।

<u>केस–2</u>

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ळनपकमसपदमे वित क्मजमतउपदंजपवद वि ज्तपि इल ठपककपदह च्तवबमे वित च्तवबनतमउमदज वि च्वूमत इल क्पेजतपइनजपवद स्पबमदेमे के प्राविधानों के अनुसार केस–2 प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के अधीन तहसील बारा जिला इलाहाबाद में 3ग660 मे0वा0 प्रयागराज तापीय परियोजना (बारा) स्थापित की जा रही है।

यह परियोजना विकासकर्ता मै0 प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लि0 (स्वामित्व मै0 जय प्रकाश एसोसियएट्स एवं मै0 जे0पी0 पावर वेन्चर्स प्रा0लि0) द्वारा विकसित की जा रही है तथा वर्ष 2015–16 में प्रथम इकाई का सिन्क्रोनाइजेशन दिनांक 31–10–2015 को हो गया है एवं प्रथम इकाई की कमीशनिंग वर्ष 2015–16 में सम्मिलित है तथा इकाइयों का वर्ष 2016–17 में कमीशनिंग निर्धारित है।

उक्त परियोजना से ऊर्जा प्राप्ति हेतु दीर्घकालीन (25 वर्ष) पी0पी0ए0 सेलर एवं प्रोक्योरर्स के मध्य हस्ताक्षरित है। उक्त परियोजना से 90 प्रतिशत ऊर्जा उत्तर प्रदेश राज्य को उपलब्ध होगी।

केस–1 और केस–2 बिडिंग की विद्युत उत्पादन और खरीद की शर्तें ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स एवं मानक बिडिंग प्रपत्रों के अनुसार है। बिडिंग प्रपत्रों का गाइडलाइन्स के अनुसार उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग से भी प्राप्त किया जाता है। बारा तापीय परियोजना के बिडिंग प्रपत्रों को उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा तद्नुसार ही बिड प्रक्रिया सम्पन्न की गयी है।

प्रदेश में वर्ष 2015–16 में दुर्घटनाग्रस्त मृतक किसानों के परिवारों को दुर्घटना बीमा राशि वितरित किये जाने की जानकारी

87–श्री सुरेश राणा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सहित प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त मृतक किसानों के परिवार को किसान दुर्घटना बीमा राशि न मिलने की सरकार को जानकारी है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2015–16 में सम्पूर्ण प्रदेश में कितने दुर्घटना प्रभावित मृतक किसान परिवारों के आवेदन–पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने परिवारों को बीमा राशि वितरित कर दी गयी है ? क्या सरकार शेष प्रभावित किसानों को भी दुर्घटना बीमा की धनराशि वितरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वर्ष 2015–16 में सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 8753 दुर्घटना प्रभावित मृतक किसान परिवारों के आवेदन–पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं जिसमें से 4962 परिवारों को धनराशि वितरित कर दी गयी है।

जी हां।

शेष प्रभावित किसानों को भी दुर्घटना बीमा की धनराशि वितरित किये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में जनपद शामली सहित सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में किसानों की सहायता हेतु सरकार द्वारा बनायी जाने वाली कार्य योजना की जानकारी

88–श्री सुरेश राणा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में सूखे से प्रभावित किसानों की सहायता हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा अब तक कितने जिलों को सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सामान्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत से कम वर्षा अथवा 33 प्रतिशत या उससे अधिक कृषि फसलों की क्षति के आधार पर शासनादेश संख्या–453/1–11–2014–7 (जी)/2015, दिनांक 19–11–2015 द्वारा प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जिसमें जनपद शामली सम्मिलित नहीं है।

सूखे से प्रभावित किसानों की सहायता के लिये सरकार द्वारा एक कार्य योजना बनाई गयी है।

सरकार द्वारा बनायी गयी कार्य योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1–कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू–राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली दिनांक 31 मार्च, 2016 तक स्थगित की गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयों की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

2–उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी जहां आवश्यक एवं अपरिहार्य समझते हैं, शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग से निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :–

(1) राहत कैम्प का संचालन किया जाएगा जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जायेगी।

(2) पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जायेंगे, जिसमें चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जायेगी।

3–उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में आपदा राहत निधि से प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को निम्नांकित राहत सहायता प्रदान की जायेगी :–

(1) आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाय।

(2) अवर्षण के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों की 33 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाय।

(3) सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुए इससे निपटने के लिये बनाई गई कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराया जाय तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

4–सूखे की स्थिति से निपटने के लिये की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही :–

(1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन जनपदों में रैपिड रेस्पान्स टीम का गठन किया जाए जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण सतत् रूप से किया जायेगा एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

(3) पेयजल की आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा रि–बोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों को तत्काल रि–बोर कराया जाए।

(4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्प को तत्काल समय से ठीक करा लिया जाए।

(5) लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप को स्थापित/लगाने के लक्ष्यों के पूर्ति की कार्यवाही समय से पूर्ण की जाए ताकि कृषकों को इससे तत्काल सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(6) कृषि विभाग के माध्यम से लघु सीमान्त कृषकों को बोवाई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था हेतु नियमानुसार मिनी किट वितरित किया जाए।

(7) राजकीय नलकूप में सामान्य खराबी शीघ्रातिशीघ्र ठीक कर सिंचाई व्यवस्था सामान्य बनायी रखी जाए। इन राजकीय नलकूप से सम्बन्धित यदि कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है तो इसे विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित अवधि/दिवस के अन्दर बदल दिया जाय। इस हेतु सभी विद्युत भण्डार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था की जाय।

(8) सूखाग्रस्त जिलों में सामान्य योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0आई0) के अन्तर्गत कृषकों से बी0एड0 एण्ड एल फार्म प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्राथमिकता पर नलकूप ऊजीकृत किया जाए।

(9) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 अत्न्योदय परिवारों को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ–साथ ए0पी0एल0 परिवारों के नियमानुसार अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराया जाये।

5–अन्य कार्यवाही

(1) सूखे से कृषि फसलों को हुयी क्षति तथा उसके निराकरण के लिये रु0 2057.79 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

(2) बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को 02–02 करोड़ की धनराशि खाद्यान्न हेतु तथा 01–01 करोड़ की धनराशि पशुओं के चारे के लिये स्वीकृत की गयी है।

(3) कृषि क्षति से प्रभावित 21 जनपदों को रु0 84.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

6–अब तक सूखाग्रस्त घोषित 50 जनपदों के नाम निम्नवत् है :–

संतरविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, मीरजापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चन्दौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोण्डा, कन्नौज, बाराबंकी, सन्तकबीरनगर, झांसी, जालौन, गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर एवं बलरामपुर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर उनसे वसूली के नाम पर अवैध वसूली को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

89–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सहित प्रदेश में किसानों के खिलाफ विद्युत चोरी बिल न देने की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कनेक्शन जोड़ने के नाम पर शमन शुल्क के रूप में की जा रही वसूली की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार शमन शुल्क के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को रोकने हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

चेकिंग के दौरान विद्युत चोरी पाये जाने पर धारा–135 के अन्तर्गत व बकाया जमा न होने के कारण पूर्व में विच्छेदित संयोजन चलता पाये जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा–138 बी में प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में शमन शुल्क व निर्धारित राशि जमा होने के बाद संयोजन जोड़ दिया जाता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में जो शमन शुल्क जमा कराया जाता है वह प्राविधान के अनुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत तथा अतिरिक्त बेडों की सुविधा प्रश्नकर्ता के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया जाना

90–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत तथा अतिरिक्त बेडों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0एम0/ पी0जी0–10701779/2015 प्रमुख सचिव/ सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र पर शासन के पत्र सं0–सी0एम0–260/पांच–6–15 दिनांक 21–11–15 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ से आख्या मांगी गयी।

प्राप्त आख्यानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेवरही कुशीनगर में 30 शैय्या का चिकित्सालय पूर्व में निर्मित एवं क्रियाशील है तथा 30 शैय्या युक्त एम0सी0एच0 विंग का निर्माण कार्य परिसर में प्रगति पर है, इस प्रकार यहां 60 शैय्या का चिकित्सालय क्रियाशील हो जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समउर बाजार, सलेमगढ़ एवं रामपुर बरहन को उच्चीकृत किये जाने हेतु शासनादेश सं0–305/पांच–6–14–एस0एन0डी0–50/08, दिनांक 11–02–14 द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करता है। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सालयों को उच्चीकृत किया जाना तथा अतिरिक्त बेड़ों की सुविधा उपलब्ध कराया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों, तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में हाई–वे पर ट्रामा सेंटर स्थापित मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कार्रवाई की परीक्षण

91–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में हाई–वे पर ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10701551/2015 प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 20–01–2016 द्वारा मुख्य मंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार परीक्षण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के लोहिया गांव पिपराघाट के सामने नदी द्वारा मुख्य सड़क के कटान व सड़कों को बचाने के लिये धनावंटन दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10684850/2015 प्रमुख सचिव, जल संसाधन को प्राप्त हुये पत्र पर कार्रवाई

92–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के लोहिया गांव पिपराघाट के तवकल टोला के सामने नदी द्वारा मुख्य सड़क के कटान के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10684850/2015 प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के दिनांक रहित पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि जनपद कुशीनगर विधान सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत लोहिया गांव पिपराघाट के तवकल टोला के सामने सिंचाई विभाग को निर्देशित कर सड़कों व गांवों को बचाने के लिये धनावंटन की कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग की आख्यानुसार स्थिति निम्नवत् है :–

उल्लिखित उक्त गांव फ्लड प्लेन जोन में पड़ता है। तकनीकी मानक के अनुसार नदी के फ्लड प्लेन जोन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। वर्तमान बाढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लेपित मार्ग लगभग 20 मी0 में कट गया है किन्तु गांव तक पहुंचने के लिये एक खड़न्जा मार्ग आज भी उपलब्ध है जिस पर आवागमन चालू है। गांव डूब क्षेत्र में बंधे के अन्दर बसे होने के कारण कोई स्थाई समाधान लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सम्भव नहीं है।

उक्त स्थिति से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय (सांसद/विधायक कोष्ठक) उ0 प्र0 शासन को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम–सरई गुन्दौली प0/तहसील मोहनलालगंज लखनऊ चकबन्दी खाता सं0–107 का दिनांक 03–09–2005 को धारा 52(आई) प्रकाशन से वर्ष 2014 तक पूरे प्रकरण की कार्रवाई की जानकारी

93–श्री रामशरन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–सरई गुन्दौली प0/तहसील मोहनलालगंज लखनऊ, आधार वर्ष खतौनी 1385 फसली की पुनरीक्षित खतौनी चकबन्दी

खाता सं0 107 का रक्बा अन्य खातों के साथ मूल्यांकन निर्धारित करके विभिन्न अंशों में विभक्त करके चक सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो किन–किन खातेदारों को कितना–कितना अंश देकर चक सृजित कर कब्जा कब दिया गया ? यदि नहीं, तो दिनांक 03–09–2005 को धारा 52(आई) के प्रकाशन से वर्ष 2014 तक किसानों को कब्जा न देने का क्या औचित्य था ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की छानबीन कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम–सरई गुन्दौली, प0 तहसील मोहनलागंज, लखनऊ की पुनरीक्षित खतौनी (जोत चकबन्दी आकार पत्र–11) के खाता संख्या–107 में दर्ज गाटों के साथ अन्य किसी भी खातों के गाटों के मूल्यांकन को नहीं शामिल किया गया है। खाता संख्या–107 के सभी गाटे चकबन्दी से पृथक है। अतः चक सृजित करने व कब्जा दिलाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्नगत खाता संख्या–107 के सभी गाटे चकबन्दी से पृथक है। अतः चक सृजित करने व कब्जा दिलाने तथा किसी के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जनपद के ब्लाक असोहा में बनी पुल के समीप से ब्लाक असोहा को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण कार्य की जानकारी

94–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में बनी पुल के समीप से ग्राम हिनौरा ग्राम पाठकपुर होते हुए ब्लाक असोहा को जोड़ने वाला मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत सई नदी के समीप से ग्राम हिनौरा व ग्राम पाठकपुर होते हुए ब्लाक असोहा तक मार्ग तीन भागों में निर्मित है, जिसका आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले राजकीय नलकूप पत्र सं0–क–5 नं0–232614/6866, दिनांक 31–05–2014 को प्रभारी मंत्री को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

95–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में राजकीय नलकूप अधिष्ठापित कराने के संबंध मं प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5 नं0–232614/6866, दिनांक 31–05–2014 जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0 161850/4431 को प्राप्त पत्र की कार्यवाही के सम्बन्ध में

96–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

96–क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ ज0हि0/12–13/क–5 नं0 161850/4431 दिनांक 07 जुलाई 2013 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) (श्री फरीद महफूज किदवई)–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के प्रकरण में विचार किया गया। विचारोपरान्त जनपद बहराइच के पयागपुर में एक नवीन पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पत्र सं0–ख–5नं0 400879/6925, दिनांक 03–06–2014 को जिलाधिकारी बहराइच को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

97–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज–2 तथा फेज–3 में स्वीकृत ग्रामों/मजरों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0 400879/6925, दिनांक 03–06–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग जनपद बहराइच तथा जिलाधिकारी, जनपद बहराइच व मुख्य विकास अधिकारी जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत पांच विकास खण्डों में 232 गांवों के 527 मजरे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना (फेस–2) में चयनित कर विद्युतीकरण किया जा रहा है। जिसमें से 153 मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 47 मजरों का विद्युतीकरण प्रगति पर है। यह कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युत परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक पत्र सं0 ख–5नं0–148617/6873, पा0 कारपोरेशन लखनऊ को प्राप्त पत्र विषयक जानकारी

98–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युत परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0– 148617/6873, दिनांक 01–06–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग जनपद बहराइच तथा प्रबंध निदेशक उ0प्र0 पा0 कारपोरेशन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 में स्वीकृत/निर्मित सड़कों के पत्र सं0–ख–5नं0 4400877/6921, जिलाधिकारी, बहराइच व मुख्य विकास अधिकारी बहराइच को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

99–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वर्ष 2013–14, 2014–15 में स्वीकृत/निर्मित सड़कों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5नं0 400877/6921, दिनांक 03–06–2014 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खण्ड–2, जनपद बहराइच तथा प्रतिलिपि जिलाधिकारी, जनपद बहराइच व मुख्य विकास अधिकारी जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 (प्र0प0) लोक निर्माण विभाग, बहराइच के पत्र सं0–406/पी0एम0जी0एस0वाई0/14, दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा मा0 सदस्य को स्थिति से अवगत कराया गया था। स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष 2013–14 में स्वीकृत 24 कार्यों के सापेक्ष वर्तमान में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2014–15 में पी0एम0जी0एस0वाई0–2 योजनान्तर्गत स्वीकृत 03 कार्य प्रगति में है जिन्हें पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के जनपद जौनपुर के 11 ब्लाक जलस्तर घटने के कारण डार्क जोन में घोषित कर दिये गये हैं। इन ब्लाकों के किसानों की सुविधा के लिये शासनादेश सं0–5/1373/62–1–2014–04आर/2009, दिनांक 13–10–2014 द्वारा उक्त सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण कराये जाने विषयक

100–श्री नदीम जावेद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद जौनपुर के 11 ब्लाक जल स्तर घटने के कारण डार्क जोन में घोषित कर दिये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त ब्लाकों में बोरिंग व विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो इन ब्लाकों के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। जनपद जौनपुर में 5 अतिदोहित एवं 6 क्रिटिकल विकास खण्ड घोषित कर दिये गये हैं।

शासनदेश सं0–5/1373/62–1–2014–04आर/2009, दिनांक 13–10–2014 द्वारा उक्त 11 सिंचाई विकास खण्डों में लघु सिंचाई एवं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा निःशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग, राजकीय नलकूप, सामूहिक नलकूप योजना इत्यादि के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण पर शासनादेश की निर्गम तिथि से प्रतिबन्ध है।

प्रश्नगत विकास खण्डों में 615 कि0मी0 लम्बाई में नहरें विद्यमान हैं, जिनके माध्यम से पानी उपलब्ध कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुछ ऐसे किसानों को विद्युत उपभोक्ता बना दिया गया है जो विद्युत कनेक्शन नहीं लिये हैं, ऐसी समस्या के निदान हेतु उठाये गये कदम के सम्बन्ध में

101–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि क्या प्रदेश में कुछ ऐसे किसानों को विद्युत उपभोक्ता बना दिया गया है, जिसने किसी भी प्रकार से न तो विद्युत कनेक्शन लिया है न ही कनेक्शन के लिये आवेदन किया है ? क्या सरकार द्वारा ऐसी समस्या के निदान हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

संयोजन लेने वाले आवेदनकर्ताओं को समस्त औपचारिकताएं (विभागीय), नियमानुसार पूर्ण करने के उपरान्त संयोजन निर्गत किये जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना आवेदन प्राप्त किये संयोजन नहीं दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला के ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक

102–श्री राकेश बाबू–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला के ग्रामों ढार ढका, गाण, अजीतनगर हटटा, रामपुर नगला कससिंह ढकुई ढाक का नगला दयागणी एवं मोहम्मदी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेस–2 के अन्तर्गत अनुबन्ध के अनुसार कार्यदायी संस्था मै0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा सन्दर्भित कार्य को माह मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में हाथरस रजवाहा से फिरोजाबाद माइनर का निर्माण कार्य माइनर का कार्य पूर्ण कराया जाना

103–श्री राकेश बाबू–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में हाथरस रजवाहा से फिरोजाबाद रजवाहा में टैल तक पानी पहुंचाने के लिए पैरल हाथरस माइनर का निर्माण कार्य जो कई वर्षों से अधूरा पड़ा होने के कारण फिरोजाबाद रजवाहा में टैल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पैरल हाथरस माइनर का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। फिरोजाबाद रजवाहा की टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है। खरीफ फसल में जल की मांग अधिक होती है। अतः खरीफ फसल में भी समुचित जल उपलब्ध कराने हेतु समानान्तर हाथरस शाखा का निर्माण कराया गया है।

समानान्तर हाथरस शाखा का निर्माण हो चुका है जिसमें मात्र एक गैप शेष है, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अलीगढ़–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना

104–श्री राकेश बाबू–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत ग्राम गोदी गणी, नगला बधें, डेरा वंजारा फतेहपुरा, कुबेरगणी, सिधपुर, सिधपुर डेरा वंजारा, खेरीया, लाकी गणी, रतौली एवं नगला कूम

(ब्लाक नारखी) का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेस–2 के कार्यों को अनुबन्ध के अनुसार कार्यदायी संस्था मै0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराया जा रहा है। सन्दर्भित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य माह मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी में पचोखरा से नारखी मार्ग का निर्माण करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी जा रही सड़क का निर्माण

105–श्री राकेश बाबू–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी में पचोखरा से नारखी मार्ग का निर्माण करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष पूर्व गिट्टी डालकर अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जून, 2013 से कराया जा रहा है। मार्ग 6.00 कि0मी0 लम्बाई में जी–3 स्तर तक पूर्ण है। धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति बाधित हो रही है, किन्तु आवागमन में जनता को कोई असुविधा नहीं हो रही है।

जी हां।

मार्ग का निर्माण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने/वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम कार्तिकी ग्राम ब्लाक नारखी में उक्त ग्रामों में विद्युत पोल बदलकर विद्युत लाइन ठीक कराये जाने विषयक

106–श्री राकेश बाबू–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम कार्तिकी ग्राम ब्लाक नारखी में कल्यान सिंह कुशवाहा के पास बछगाव ग्राम में मुकेश प्रधान के घर के पास एवं नगला बलू से पानी की टंकी के पास विद्युत पोल की लाइन पोल से टूटकर जमीन पर पड़ी है जिससे ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्युत पोल बदलकर विद्युत लाइन ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

नगला बलू में पानी की टंकी की विद्युत सप्लाई चालू है। ग्राम–बछगांव में मुकेश प्रधान के घर के पास विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति हो रही है।

उक्त स्थानों पर दो तरफ से विद्युत सप्लाई 250 के0वी0ए0 परिवर्तक एवं 63 के0वी0ए0 परिवर्तक से की जा रही है। 63 के0वी0ए0 परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति हो रही है एवं 250 के0वी00ए0 परिवर्तक की एल0टी0 लाइन का अन्तिम छोर का पोल एवं उसके तार टूटे पड़े हुए हैं, जिनको दिनांक 02–02–2016 तक ठीक करा दिया जायेगा। ग्राम कार्तिकी में कल्याण सिंह कुशवाहा के घर के पास पोल टूटा है, टूटे पोल के ऊपर स्वामी ने चारा की हौदी बना ली है। टूटे हुए पोल की जगह गृह स्वामी से द्विपक्षीय वार्ता करके समस्या के समाधान होने पर दिनांक 10–02–2016 तक पोल लगाया जाना लक्षित है।

उक्त परिवर्तक की एल0टी0 लाइन के अन्तिम छोर के पोल एवं तारों को उक्त दिनांक तक ठीक करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी के खम्भों के स्थान पर लोहे के खम्भे लगाये जाने विषयक

107–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली में आज भी बहुत से गांवों में लकड़ी के खम्भों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे कभी भी गम्भीर दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी के खम्भों के स्थान पर लोहे के खम्भे लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत विभागीय नियमानुसार ही पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदा–कदा ग्रामीणों द्वारा स्वयं लकड़ी के पोल लगा लिया जाता है, जिसके संज्ञान में आने पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रूधौली ब्लाक रामनगर के ग्राम पंचायत परसा कुतुब में स्थापित प्रा0 स्वा0 केन्द्र हेतु सृजित पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी

108–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रूधौली ब्लाक रामनगर के ग्राम पंचायत परसा कुतुब में स्थापित प्रा0 स्वा0 केन्द्र हेतु सृजित 5 पदों के सापेक्ष 2 कर्मचारी की नियुक्ति हुई जिसमें से एक फार्मासिस्ट तथा एक वार्ड ब्वाय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर सृजित पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रूधौली विकास खण्ड रामनगर ग्राम पंचायत परसा कुतुब में स्थापित प्रा0 स्वा0 केन्द्र हेतु सृजित 5 पदों के सापेक्ष 3 कार्मिकों की नियुक्ति/तैनाती की गयी है, जिसमें से 01 चिकित्सक, 01 फार्मासिस्ट तथा 01 वार्ड ब्वाय है।

कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के वि0ख0 रूधौली का सुरवार चौराहे से धरैला वाया गिरिनाग धाम शक्ति पीठ मार्ग की मरम्मत कराने जाने के सम्बन्ध में

109–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के वि0ख0 रूधौली का सुरवार चौराहे से धरैला वाया गिरिनाग धाम शक्ति पीठ को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के प्रसिद्ध स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में

110–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के प्रसिद्ध स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु पर्यटन विभाग की आगामी योजनाओं में वि0ख0 साऊघाट, रामनगर एवं रूधौली स्थित क्रमशः शिवगुलाम सिंह शहीद स्थल, बैडवा समय माता का स्थल एवं सरघाट देवी के धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करके विकसित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जहां तक उक्त स्थलों को विकसित किये जाने का पक्ष है, उक्त समस्त स्थल जिला योजना वर्ष 2015–16 में जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित है। उक्त स्थलों की विकास योजना की धनराशि पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध होने की दशा में ही स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के पदों को भरने की कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी

111–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की कमी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों को भरने की कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 13–01–2014 द्वारा की गयी है। वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक रिक्त होने वाले 5640 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अन्तर्गत निर्मित आठ नए नलकूपों का संचालन विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नलकूपों को ऊजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

112–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अन्तर्गत निर्मित आठ नए नलकूपों का संचालन विद्युतीकरण के अभाव में नहीं हो पा रहा है जबकि विद्युतीकरण हेतु विभाग में पैसा भी जमा किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत लगाए गये नलकूपों को ऊर्जीकृत किए जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

सभी आठ नये नलकूपों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

जनपद बस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया योजना के अन्तर्गत निर्मित सभी आठ नये नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	नलकूप का नाम व संस्था	ऊर्जीकरण की तिथि
1	2	3
1	बसेवा पाण्डेय–203 एच0जी0	20–06–2015
2	रतास उर्फ कप्तानगंज–204 एच0जी0	17–06–2015
3	मुडिलवा–205 एच0जी0	17–06–2015
4	कटरूआ दल थम्मन–304 बी0जी0	14–06–2015
5	बबुऔना–206 एच0जी0	20–06–2015

1	2	3
6	रूधौली कलां–306 बी0जी0	30–11–2015
7	श्रीपालपुर–303 बी0जी0	15–07–2015
8	डेल्हापार–305 बी0जी0	15–07–2015

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र के बखिरा मार्ग एवं डुमरियागंज, को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

113–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के बखिरा मार्ग एवं डुमरियागंज, जो वर्तमान में आवागमन के दृष्टिकोण से अत्यन्त सकरा है, को चौड़ीकरण कराये जाने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती मण्डल मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो बस्ती जनपद के बरदहिया बाजार चौराहे से बाघनगर बाजार तक जाता है उक्त मार्ग के जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

114–श्री संजय प्रताप जयसवाल

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मण्डल मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग जो बस्ती जनपद के बरदहिया बाजार चौराहे से बाघनगर बाजार तक जाता है पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव से सड़क पर बड़े–बड़े गढ्ढे होने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं, मार्ग की दशा संतोषजनक है, परन्तु आबादी भाग में वर्षा ऋतु में नाली के अभाव में जलभराव होता है।

नाली निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु 1350 रु0 जमा करवा कर अधिकांश लोगों को कनेक्शन दिये जाने से बाधित ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने विषयक

115–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु 1350 रु0 जमा करवा कर अधिकांश लोगों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिया, परन्तु ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि न होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

कनेक्शनों की संख्या अधिक होने के कारण परिवर्तकों के अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान/व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करन हेतु विभिन्न योजनाओं यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–प्रथम/द्वितीय के अन्तर्गत परिवर्तक लगाये जा रहे हैं तथा परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की जा रही है। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा उसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की निविदायें निर्गत कर दी गई हैं। निविदाओं के विरुद्ध आदेश निर्गत होने पर इस योजना के अन्तर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वृद्धि का भी कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर में ग्राम झाला तरहर के सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0–240601/5616 दिनांक 31–12–2013 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड–1, जनपद बहराइच को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में

116–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर में ग्राम झाला तरहर के सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0–240601/5616 दिनांक 31–12–2013 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड–1, लोक निर्माण विभाग, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर में बहराइच फैजाबाद आजमगढ़ मार्ग से झाला तरहर तक 200 मी0 लम्बा मार्ग है, जो डा0 राम मनोहर लोहिया समय समग्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित है एवं मार्ग की दशा संतोषजनक है। मार्ग के कि0मी0 26 से श्री ज्योति प्रकाश पाण्डेय के घर तक ग्राम झाला तरहर मार्ग का निर्माण वर्तमान में लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। ग्राम पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी से जुड़ा है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कच्चे सम्पर्क मार्गों को पिच सड़क निर्माण का पत्र सं0 क–5नं0 232626/6923, दिनांक 03–06–2014 प्रतिलिपि मा0 मुख्य मंत्री व मा0 लोक निर्माण मंत्री को प्राप्त पत्र की मांग के सम्बन्ध में कार्रवाई

117–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कच्चे सम्पर्क मार्गों को पिच सड़क निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5नं0 232626/6923, दिनांक 03–06–2014 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद बहराइच तथा प्रतिलिपि मा0 मुख्य मंत्री व मा0 लोक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में वर्णित कुल 28 मार्गों जिनका पिच निर्माण कराये जाने की मांग की गयी है, के क्रम संख्या–1 से 4, 6 से 10 एवं 13 से 28 पर उल्लिखित मार्गों (कुल 25 मार्गों) से संबंधित ग्रामों/बसावटों को लेपित मार्गों से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रम संख्या–11 पर वर्णित मार्ग को जिला पंचायत द्वारा लेपित मार्ग से जोड़ा जा चुका है, क्रम संख्या–12 पर वर्णित मार्ग लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा क्रम संख्या–5 पर वर्णित मार्ग को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर में डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पदों पर तैनाती की कार्रवाई की मांग

118–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर में डाक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पदों पर तैनाती विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5नं0 286016, दिनांक 24–05–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के उक्त पत्र में जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर तैनाती एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। उक्त चिकित्सालय को एम्बुलेन्स उपलब्ध करा दी गई है, एम्बुलेन्स का संचालन सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त वाहन चालक के माध्यम से किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय

पर स्थित जिला पुरुष चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय में जन सामान्य को चिकित्सीय सुविधायें सुचारु रूप से उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में 245 पुराने पोलों, तारों व लाइनों के शुद्धीकरण कराये जाने की मांग

119–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में 245 पुराने पोलों तथा 8.6 किमी0 जर्जर तारों को बदले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क–5नं0 286002, दिनांक 24–05–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

ही हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत लाइनों के शुद्धीकरण हेतु 245 पुराने पोलों तथा 8.6 किमी0 जर्जर तारों को बदले जाने की कार्ययोजना बिजनेस प्लान 2012–13 में थी जो माह 08–2015 में पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रमुख बाजारों में जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 बंच केबल बदलने विषयक

120–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रमुख बाजारों में जर्जर तारों के स्थान पर 4.00 किमी0 ए0बी0सी0 बंच केबल बदलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क–5नं0 286007/466/14, दिनांक 24–05–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में जर्जर तारों के स्थान पर 4.00 किमी0 एरियल बंच कण्डक्टर बदलने की कार्य योजना बिजनेस प्लान 2012–13 में सम्मिलित थी, जिसे माह 09/2014 में पूरा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम वल्लिया में कुल कितने विद्युत कनेक्शन है, ट्रांसफार्मरों के अनुपात में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में

121–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम वल्लिया में कुल कितने विद्युत कनेक्शन है तथा कितने ट्रांसफार्मर कितनी–कितनी

क्षमता के स्थापित है ? क्या कनेक्शनों के अनुपात में ट्रान्सफार्मर पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या सरकार अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–शाहजहांपुर के ब्लाक–भावलखेड़ा के ग्राम–वल्लिया में कुल 254 विद्युत कनेक्शन हैं। 100–100 के0वी0ए0 के दो ट्रांसफार्मर स्थापित हैं।

जी नहीं।

जी हां।

बिजनेस प्लान 2015–16 में 63 के0वी0ए0 का नया ट्रांसफार्मर लगाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

63 के0वी0ए0 का परिवर्तक जून, 2016 तक लगाया जाना लक्षित है।

जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल मार्ग सहित प्रदेश में नव–निर्मित पुलों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण एक निश्चित अवधि में कराने हेतु विषयक

122–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल मार्ग सहित प्रदेश में नव–निर्मित पुलों का सम्पर्क मार्ग न बनने के कारण यातायात में हो रही परेशानी की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार नव निर्मित पुलों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण एक निश्चित अवधि में कराने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वर्तमान में दिनांक 01–04–2015 तक पूर्ण 160 सेतुओं के अपूर्ण पहुंच मार्गों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से माह नवम्बर, 2015 तक 105 दीर्घ सेतुओं के पहुंच मार्ग पूर्ण किये जा चुके है एवं यातायात चालू है। नवनिर्मित पुलों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्ण करने की योजना पूर्व से संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में 24 स्थानों पर बिजनेस प्लान के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर एवं क्षमता वृद्धि का कार्य कराये जाने पत्र संख्या सी0एम/वि0को0/एम–1 10679574/2015 प्रमुख सचिव एवं सचिव ऊर्जा को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

123–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में 24 स्थानों पर बिजनेस प्लान के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर एवं क्षमता वृद्धि का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या सी0एम/वि0को0/एम–1 10679574/2015 प्रमुख सचिव एवं सचिव ऊर्जा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में सम्बन्धित ग्रामों में आवश्यकता के दृष्टिगत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्राथमिकता निर्धारित करके जर्जर तार, पोल एवं अतिरिक्त परिवर्तक, परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि से सम्बन्धित कार्रवाई प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राजेश ओझा एवं चिकित्सा अधीक्षक डा0 आशुतोष के विरुद्ध मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम/वि0को0/एम/पी0जी0 10679529/2015, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

124–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राजेश ओझा एवं चिकित्सा अधीक्षक डा0 आशुतोष के विरुद्ध विन्दुवार की जांच कराकर कठोर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या सी0एम/वि0को0/एम/पी0जी0 10679529/2015, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ से करायी गयी। जांच आख्या में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में लोहिया गांव पिपराघाट के तवकल टोला, दहारी टोला व अन्य टोला में बाढ़ से होने वाले कटान के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

125–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में लोहिया गांव पिपराघाट के तवकल टोला, दहारी टोला व अन्य टोला सहित ग्राम सभा अहिरौली दान के बैरिया टोला व कचहरी टोला में बाढ़ से होने वाले कटान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम/वि0को0/एम0पी0जी0–1 10702679/ 2015, प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद कुशीनगर विधान सभा तमकुहीराज में लोहिया गांव पिपराघाट के लवकल टोला, दहारी टोला एवं अन्य टोला फल्ड् प्लेन जोन में पड़ते हैं। तकनीकी मानक के अनुसार नदी के फल्ड प्लेन जोन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य कराने का कोई प्राविधान नहीं है। ग्राम सभा अहिरौलीदान के बैरिया टोला व कचहरी टोला में बाढ़ से होने वाले कटान से सुरक्षा हेतु एक परियोजना (जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी पर स्थित अहिरौलीदान पिपराघाट तटबन्ध के कि0मी0 14. 200 से 14.700 के मध्य तीन रो में एक सेट परकुपाईन लगाने की परियोजना लागत रु0 525.57 लाख) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत की गई है। सक्षम स्तर से साध्य पाये जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी की सफाई के लिए ड्रेजर का प्रबंध नदी की सफाई एवं गहराई का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में

126–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी की सफाई के लिए ड्रेजर का प्रबंध किया गया है और इनमें दो ड्रेजर्स आगरा व मथुरा में यमुना नदी की सफाई एवं गहराई के लिए प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इन ड्रेजर्स का प्रयोग किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश की नदियों की सफाई के लिये ड्रेजर का प्रबन्ध उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। कारपोरेशन द्वारा ड्रेजर क्रय करने के उपरान्त प्रदेश की नदियों की आवश्यकतानुसार सफाई कराने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से ड्रेजर की उपलब्धता के आधार पर आगरा व मथुरा में भी यमुना नदी की सफाई की जानी प्रस्तावित है।

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुधौली के दक्षिणी छोर पर कुआनों नदी के अइला घाट पर पुल का निर्माण एवं अइला घाट के अप्रोच मार्ग को आवागमन योग्य बनाये जाने की मांग

127–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुधौली के दक्षिणी छोर पर कुआनों नदी के अइला घाट पर पुल का निर्माण करवाया, पर अप्रोच रोड के पूरा न होने के कारण बरसात में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अइला घाट के अप्रोच मार्ग को आवागमन योग्य बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अप्रोच रोड का कार्य माह नवम्बर, 2015 में पूर्ण कर लिया गया है, पुल पर आवागमन चालू है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद् की अवस्थापना निधि से नगरीय क्षेत्रों में मन्दिर, मस्जिद पर श्रद्धालुओं के पीने के पानी वाटर कूलर एवं सोलर लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई

128–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद् की अवस्थापना निधि से नगरीय क्षेत्रों में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर श्रद्धालुओं के पीने के पानी की सुविधा के लिए वाटर कूलर तथा रोशनी के लिए 2, 2 सोलर लाइट लगाये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्णय लेकर किये जाते हैं। वर्तमान में परिषद् के पास इन कार्यों को कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र–309 रुधौली के ब्लाक रामनगर की कांटे खैरा गांव से कांटेखैरा–अहिरौला मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

129–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र–309 रुधौली के ब्लाक रामनगर की कांटे खैरा गांव से अमारेडीहा, सकतपुर, अहिरौला, रमवापुर, कोहडा होकर अहिरौली तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में कांटेखैरा–अहिरौली मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के सुदृढ़ीकरण/पुनः निर्माण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत फेज–10 के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया है, जो नवम्बर, 2015 में पूर्ण कर लिया गया है तथा यह मार्ग पूर्णतया आवागमन हेतु सुचारु है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के बस्ती डुमरिया मार्ग पर सल्टौआ गोपालपुर भैसहवा घाट जाने वाला उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई

130–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के बस्ती डुमरिया मार्ग पर सल्टौआ गोपालपुर स्थित देईपार तिराहे से भैसहवा घाट जाने वाला 11 किमी0 क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। आवागमन चालू है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक सल्टौआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुकाली में ए0एन0एम0 की नियुक्ति करने की मांग

131–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुकाली पर किसी ए0एन0एम0 की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुकाली में ए0एन0एम0 की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक सल्टौला गोपालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली सुकाली पर ए0एन0एम0 श्रीमती सरिता तथा उपकेन्द्र अमरौली सुकाली पर श्रीमता राधा कुमारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाली 17 क्षतिग्रस्त सड़कों को पैचलेस कराने से सम्बन्धित कार्रवाई की मांग

132–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाली 17 क्षतिग्रस्त सड़कों को पैचलेस कराने से सम्बन्धित मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/क–एस0नं0 102017/058/12–13, दिनांक 20–08–2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित 17 मार्गों में से क्रम सं0 2, 4, 7, 8, 9, 15 व 16 पर अंकित मार्गों की मरम्मत करा दी गई है, जिनकी दशा संतोषजनक है। क्र0सं0 6, 13, 14 (जनपद बहराइच में स्थित आंशिक भाग) व 17 (लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग) पर अंकित मार्गों की दशा पूर्व से ही संतोषजनक है। क्र0सं0 1, 3, 5, 10 11, 12 व 14

(जनपद गोण्डा में स्थित आंशिक भाग) की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के 300 से अधिक आबादी वाले मजरों/ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/012–13/क–एस नं0 138162/ 1631, दिनांक 04–11–12 शाखा प्रबन्धक, बीको लारी लि0, 2/132 विकास नगर, लखनऊ को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

133–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के 300 से अधिक आबादी वाले मजरों/ग्राम पंचायतों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में विद्युतीकरण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/012–13/क–एस नं0 138162/1631, दिनांक 04–11–12 शाखा प्रबन्धक, बीको लारी लि0, 2/132 विकास नगर, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में जनपद बहराइच में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना (फेज–2) चल रही है, जिसके अन्तर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम/मजरों की आबादी 300 अथवा इससे अधिक हैं, का विद्युतीकरण कार्य कराया जाना है तथा जो चयनित मजरे आंशिक रूप से विद्युतीकृत हैं, उनका संतृप्तीकरण किया जाना है। उक्त योजना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि0 एवं मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। अतः वर्तमान में योजना के तहत चयनित मजरों के बदलाव का कार्य म0वि0वि0नि0लि0 के स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

जनपद–बहराइच के विकास खण्ड, कैसरगंज एवं पयागपुर, विशेश्वरगंज, हूजरपुर, जरवल की दी गयी सूची में से चयनित मजरों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। अग्रेतर अवगत कराना है कि 100 से अधिक आबादी वाले मजरों के विद्युतीकरण हेतु चलायी जा रही दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना–12वीं योजना (फेज–3) जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

दी गयी सूची के शेष संगत मजरों के विद्युतीकरण भविष्य में कोई योजना आने पर ही मानक के अनुसार शामिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क/5नं0–240691/5625, दिनांक 03–01–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जनपद बहराइच को प्राप्त पत्र की मांग

134–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क/5नं0–240691/5625, दिनांक 03–01–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में जनपद–बहराइच में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना (फेज–2) चल रही है, जिसके अन्तर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम/मजरों की आबादी 300 अथवा इससे अधिक है, का विद्युतीकरण कार्य कराया जाना है तथा जो चयनित मजरें आंशिक रूप से विद्युतीकृत हैं, उनका संतृप्तीकरण किया जाना है। उक्त योजना रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 एवं मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। अतः वर्तमान में योजना के तहत चयनित मजरों के बदलाव का कार्य मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

जनपद–बहराइच के विकास खण्ड, कैसरगंज एवं पयागपुर, विशेश्वरगंज, हूजरपुर, जरवल की दी गयी सूची में से चयनित मजरों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। अग्रेतर अवगत कराना है कि 100 से अधिक आबादी वाले मजरों के विद्युतीकरण हेतु चलायी जा रही दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना–12वीं योजना (फेज–3) जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

दी गयी सूची के शेष संगत मजरों के विद्युतीकरण भविष्य में कोई योजना आने पर ही मानक के अनुसार शामिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत दो सड़कों का मरम्मत कार्य कराये जाने मु0अभि0, फै0 क्षे0 लो0नि0वि0 फैजाबाद/16323 फै0क्षे0/36 यातायात, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

135–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत दो सड़कों का मरम्मत कार्य कराये जाने विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0–1) लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक मु0अभि0, फै0 क्षे0 लो0नि0वि0 फैजाबाद/16323 फै0क्षे0/36 यातायात, दिनांक 05–12–2012 विशेष सचिव, लोक0नि0वि0 अनु0–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। संदर्भित पत्र मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, फैजाबाद द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0–1), यातायात वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

पत्र में वर्णित 2 मार्गों में से क्रम सं0 2 पर वर्णित मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 में करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा ठीक है। क्रम सं0 1 पर अंकित मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक सिंधौली ग्राम पनवाडी में विद्युतीकरण होने के बाद भी तार टूटे रहने के कारण भी ग्रामों में विद्युतीकरण का लाभ की कार्रवाई की मांग

136–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक सिंधौली ग्राम पनवाडी में विद्युतीकरण होने के बाद भी तार टूटे रहने के कारण विद्युतीकरण का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में तारों को ठीक कराकर ग्राम पनवाडी तथा इसी प्रकार के सिंधौली ब्लाक के अन्य ग्रामों में भी विद्युतीकरण का लाभ जनता को पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उपरोक्त गांव का विद्युतीकरण लगभग 20 वर्ष पहले हुआ था। बाढ़ आने पर कई साल पहले लाइन बह गई थी। इस समय केवल डबलपोल एवं 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक गांव में खड़ा है, विद्युत लाइन नहीं है।

जनपद–शाहजहांपुर के ब्लाक सिंधौली के ग्राम पनवाड़ी का मजरा पनवाड़ी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की 11वीं योजना में चयनित है। इस गांव का तथा सिंधौली ब्लाक के अन्य ग्राम जोकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित है, का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 11वीं योजना में कराया जायेगा।

ग्राम–पनवाड़ी के मजरा पनवाड़ी का विद्युतीकरण का कार्य माह 07/2016 तक पूर्ण करवा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में यातायात की सुविधा को सुगम बनाने तथा ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात एवं आउटर रिंग रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

137–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में यातायात की सुविधा को सुगम बनाने तथा ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या सरकार जनहित में इनर एवं आउटर रिंग रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

कानपुर नगर में रिंग रोड का निर्माण एन0एच0डी0पी0 फेज टप्प में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर, पिपराघाट तवकल टोला व दहारी टोला, फल टोला, भंगी टोला व अन्य टोलों सहित व कचहरी टोला को जमीन देकर बसाये जाने विषयक के सम्बन्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

138–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर, पिपराघाट तवकल टोला व दहारी टोला, फल टोला, भंगी टोला व अन्य टोलों सहित ग्राम सभा अहिरौली दान के बैरिया टोला व कचहरी टोला को जमीन देकर बसाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र संख्या सी0एम/वि0को0/एम–01 पी0जी0 10702676/2015 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

नदी के कटान से ग्राम पिपराघाट, तवकलटोला, दहारीटोला, फलटोला, भग्गीटोला व अहिरौलीदान के बैरियाटोला, कचहरीटोला आदि के विस्थापित परिवार अपनी–अपनी निजी भूमि पर जाकर बस गये हैं। पिपराघाट के गोबर्द्धनटोला के 9 परिवार को तुर्कवलिया साहबगंज में, दहारीटोला के 4 परिवार को हरखौली में तथा पिपराघाट के फलटोला व भंगीटोला आदि के 24 परिवारों अर्थात कुल 37 परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। शेष 47 परिवारों को बसाये जाने के लिये भूमि क्रय करने हेतु भू–खण्ड की तलाश जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभाओं के लगभग 150 लोगों को चखनीताल ड्रेन में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

139–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ग्राम सभाओं के लगभग 150 लोगों को चखनीताल ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र संख्या सी0एम/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10587226/2015 प्रमुख सचिव/ सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रकरण से सम्बन्धित मुख्य मंत्री सचिवालय, के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/ वि0को0/एम0/पी0जी0 10587226/2015 के स्थान पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10587236/2015 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

जनपद कुशीनगर स्थित चखनीताल ड्रेन से सम्बन्धित कृषकों का अवशेष भू–प्रतिकर नये सर्किल रेट से रु0 30.72 लाख का आगणित हुआ है। नये सर्किल दर पर कृषकों से आपसी समझौते का प्रयास किया जा रहा है। कृषकों से सहमति प्राप्त होने पर अवशेष भू–प्रतिकर के भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कुशीनगर में जवहीदयाल चैन पट्टी कुददी टोला से सिंहासन टोला चैन पट्टी के बीच में पुल का निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

140–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में जवहीदयाल चैन पट्टी कुददी टोला से सिंहासन टोला चैन पट्टी के बीच में पुल का निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र संख्या सी0एम/वि0को0/एम–1 पी0जी0 10683877/2015 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर पुल का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मण्डलवार गन्ना संरक्षण बैठकें, मंडल पर न होकर लखनऊ मुख्यालय पर की जाती है। उक्त बैठकें मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने की मांग

141–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मंडलवार गन्ना संरक्षण बैठकें, मंडल पर न होकर लखनऊ मुख्यालय पर आयोजित की जाती है जिसमें प्रदेश भर के गन्ना किसान सम्मिलित होने के लिए लखनऊ पहुंचते है जिससे उनका समय एवं धन अधिक व्यय होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बैठकें मंडल स्तर पर ही आयोजित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–15 के अन्तर्गत चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्र के सुरक्षण से पूर्व सहकारी गन्ना विकास समितियों

एवं चीनी मिल प्रतिनिधियों के विचार सुनने का प्राविधान है, जिनमें किसी स्थल विशेष का उल्लेख नहीं है।

प्रत्येक पेराई सत्र में गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सभी सम्बद्ध पक्षों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ गन्ना सुरक्षण बैठकों का आयोजन प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिगत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों में पदोन्नति का पत्रांक दिनांक 06 मई, 2015 प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को प्राप्त हुआ है के विषय में कार्रवाई की मांग

142–श्री दलवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन के सम्बन्ध में था लोक सेवा आयोग का पत्रांक सं0–02(11)/02/पी0/एस0–7/2013–14, दिनांक 06 मई, 2015 प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इनकी पदोन्नति कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

लोक सेवा आयोग के प्रश्नगत पत्र दिनांक 06–05–2015 द्वारा कतिपय पृच्छाएं व्यक्त करते हुये सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, जिसके निराकरण की कार्रवाई प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा की जा रही है। आयोग की आपत्तियों का निराकरण कर पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही पूर्ण करने के लिये प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–उन्नाव के ब्लाक असोहा में बनी पुल के समीप से ग्राम हिनौरा, ग्राम पाठकपुर होते हुए ब्लाक असोहा को जोड़ने वाले उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का मानक के अनुरूप निर्माण कराये जाने की मांग

143–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव के ब्लाक असोहा में बनी पुल के समीप से ग्राम हिनौरा, ग्राम पाठकपुर होते हुए ब्लाक असोहा को जोड़ने वाले मार्ग का मानक अनुसार निर्माण न कराये जाने के कारण क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ? क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का मानक के अनुरूप निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग तीन भाग में निर्मित है। बनी पुल के समीप से ग्राम हिनौरा होते हुये हसनापुर तक मार्ग का नवीनीकरण वर्ष 2009 में एवं पाठकपुर से असोहा तक मार्ग

का नवीनीकरण वर्ष 2010 में कराया गया था। लगभग 5–6 वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। हसनापुर से पाठकपुर तक विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है जिसमें से 6.20 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण है तथा शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। कार्य मानक के अनुरूप हैं।

उपर्युक्तानुसार, मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिंक रोडों को मेन सड़कों से जोड़ने की एवं गांवों का शहरीकरण करने की योजना पर कार्रवाई की मांग

144–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिंक रोडों को मेन सड़कों से जोड़ने की एवं गांवों का शहरीकरण करने की महत्वकांक्षी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लिंक रोड किसी न किसी मुख्य मार्ग से जुड़े होते हैं, तभी इन्हें सम्पर्क मार्ग का नाम दिया गया है। गांवों के शहरीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के अस्पतालों में सार्वजनिक अवकाश के दिन ओ0पी0डी0 में मरीजों को देखने एवं मरीजों के हित में ओ0पी0डी0 को व्यवस्थित करने विषयक मांग

145–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के अस्पतालों में सार्वजनिक अवकाश के दिन कितने समय तक ओ0पी0डी0 में मरीजों को देखने का प्रावधान है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल में रविवार को कोई ओ0पी0डी0 नहीं होती है तथा अवकाश के दिन भी पूरी तरह से छुट्टियों का माहौल रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों के हित में ओ0पी0डी0 को व्यवस्थित करने तथा सार्वजनिक अवकाशों में नियमानुसार अस्पताल को खोलने की व्यवस्था करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सार्वजनिक अवकाश, 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को ओ0पी0डी0 में मरीजों को नहीं देखा जाता है। आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं पूर्ण रूप से खुली रहती हैं। जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में रविवार के दिन इमरजेन्सी सेवाएं, मेडिकोलीगल सेवाएं 24 घण्टे मरीजों के लिये खुली रहती हैं तथा राजपत्रित अवकाश के दिन जिला चिकित्सालय में प्राप्त 8.00 बजे से 12.00 बजे तक मरीजों को देखा जाता है। सामान्य दिनों में रविवार को छोड़कर ओ0पी0डी0 में मरीजों को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक देखा जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

तहसील–सोरांव, जनपद–इलाहाबाद के अन्तर्गत बलकरन मेन सड़क से होते हुये गोविन्दपुर चांदनी चौक चौराहा तक 2 कि0मी0 उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

146–श्री बृजेश कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील–सोरांव, जनपद–इलाहाबाद के अन्तर्गत बलकरन मेन सड़क से होते हुए ग्राम डुमनीमऊ सबीरवां कोटेदार के घर से होते हुए सत्संग भवन तक लगभग 2 किमी0 एवं नेवादा चौराहा से ग्राम बर्दनी होते हुए गोविन्दपुर चांदनी चौक चौराहा तक लगभग 2 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत दोनों मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 23–07–2015 जो फैजाबाद जनपद के ग्राम–मऊ यदुवंशपुर, तहसील–सोहावल, थाना–कैंट की भूमि अन्य द्वारा कब्जा न करने देने के सम्बन्ध में कार्रवाई

147–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 23–07–2015 जो फैजाबाद जनपद के ग्राम–मऊ यदुवंशपुर, तहसील–सोहावल, थाना–कैंट की भूमि गाटा संख्या–695 व 698 पर मे0के0एम0 सांइटिफिक रिसर्च सेंटर तथा अन्य द्वारा कब्जा न करने देने सम्बन्धी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह, नि0 ग्राम–मऊयदुवंशपुर, तहसील–सोहावल, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना–पत्र पर श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 23–07–2015 एवं तद्क्रम में मा0 राजस्व मंत्री के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 29–07–2015 के क्रम में प्रकरण की जांच तहसील सोहावल से करायी गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि ग्राम–मऊयदुवंशपुर, पर0 हवेली–अवध, तहसील–सोहावल, जनपद–फैजाबाद की गाटा संख्या–695 व 698 में आवेदक अखण्ड प्रताप सिंह के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है।

प्रकरण में पक्षों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है, जिसके कारण प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई सम्भव नहीं है

148–श्री रविदास मेहरोत्रा–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–198 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में ट्रांसफार्मर के जलने तथा तार के टूटने लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान की मांग

149–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के प्रयास के बावजूद गर्मी के महीनों में ट्रांसफार्मर के जलने तथा तार के टूटने से लो–वोल्टेज की समस्या से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कभी–कभी गर्मी के महीनों में ट्रांसफार्मर के जलने तथा तार के टूटने से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या से निजात पाने के लिये विद्युत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। प्रदेश के ग्रामों व शहरों की बस्तियों के तार एवं परिवर्तक मानक के अनुरूप लगाये गये हैं, परन्तु समय बीतने पर कहीं–कहीं तार जर्जर भी हो गये हैं, जिन्हें बदलने का कार्य सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत चलता रहता है। इसी प्रकार अतिभारित ट्रान्सफार्मरों की क्षमतावृद्धि करना अथवा अतिभारित क्षेत्रों में नये परिवर्तक स्थापित करके लो–वोल्टेज की समस्या को दूर किया जाता है तथा क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को नगरीय क्षेत्र में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर बदले जाने का प्राविधान है।

नये ट्रान्सफार्मर तथा ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि का कार्य शहरी क्षेत्रों में आर00ए0पी0डी0आर0पी0 योजना, व्यापार विकास निधि योजना तथा बिजनेस प्लान के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत आने वाले फिरोजाबाद नगर में 24 घण्टे निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने की कार्रवाई की मांग

150–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत आने वाले फिरोजाबाद नगर में 24 घण्टे निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सामान्यतः कटौती नहीं की जाती है। विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति एवं मांग में अन्तर होने पर ग्रिड बचाने हेतु कभी–कभी कटौती करनी पड़ती है।

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक कटौती अत्यन्त कम मात्रा तक सीमित रखी जाये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र टूण्डला में निर्माणाधीन है ? क्या प्रश्नकर्ता के पत्रांक संख्या दिनांक 24–12–2014 के माध्यम से उक्त विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक मांग

151–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र टूण्डला में निर्माणाधीन है ? क्या प्रश्नकर्ता को पत्रांक सं0–599/नि0 (कार्य एवं परि0)/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/डी एण्ड पी0 दिनांक 24–12–2014 के माध्यम से उक्त विद्युत उपकेन्द्र की 132 के0वी0 लाइन का निर्माण 6 माह में पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया था ? क्या सरकार अवगत करायेगी कि वर्तमान में टूण्डला 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की लाइन स्थापना का कार्य किस स्तर पर है, एवं कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

निर्माणाधीन 132 के0वी0 उपकेन्द्र टूण्डला का ऊर्जीकरण निर्माणाधीन 132 के0वी0 उपकेन्द्र फिरोजाबाद–शिकोहाबाद लाइन के उपकेन्द्र पर लीलो के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। असंतोषजनक प्रगति के कारण इस लाइन का कार्य प्रारम्भिक कार्यदायी संस्था मैसर्स हाइथ्रो से वापस लेकर एवं उक्त कार्यदायी संस्था को काली–सूची में डालकर नवीन/भिन्न कार्यदायी संस्था को आवंटित कर दिया गया है। वर्तमान में 102 में से 99 फाउन्डेशन का कार्य एवं 61 टावर इरेक्शन का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। इस लाइन का निर्माण कार्य दिनांक 31–03–2016 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

जनपद फिरोजाबाद में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिरसागंज में निर्माणाधीन लीलो लाइन का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

152–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिरसागंज में निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र को आपूर्ति देने वाली 220 के0वी0 पी0जी0सी0 आई0एल0 भोगांव सर्किट–1 का सिरसागंज पर लीलो लाइन का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

220 के0वी0 उपकेन्द्र सिरसागंज को ऊर्जाकृत करने हेतु 220 के0वी0 मैनपुरी–भोगांव (पी0जी0सी0आई0एल0) पारेषण लाइन के प्रथम परिपथ के उपकेन्द्र पर लीलो का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 114 में से 109 फाउण्डेशन का कार्य, 72 टावर

इरेक्शन का कार्य एवं लगभग 34 कि0मी0 में से लगभग 10 कि0मी0 तार खींचने का कार्य पूर्ण करवा लिया गया है। इस लाइन का निर्माण कार्य दिनांक 31–03–2016 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

153–डा0 धर्मपाल सिंह–

खदिनांक 11–02–2016 को अता0प्र0सं0–146 द्वारा उत्तरित,

गन्ना पेराई सत्र 2014–15 में बजाज ग्रुप की वाल्टरगंज जनपद बस्ती की मिल एवं इसी ग्रुप की अठदमा शुगर मिल द्वारा उक्त मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

154–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना पेराई सत्र 2014–15 में बजाज ग्रुप की वाल्टरगंज जनपद बस्ती की मिल द्वारा रुपया 97 करोड़, 57 लाख का गन्ना खरीदा गया जिसके सापेक्ष रुपया 67.52 करोड़ का भुगतान किया गया तथा इसी प्रकार इसी ग्रुप की अठदमा शुगर मिल द्वारा रुपया 1 अरब, 11 करोड़, 77 लाख का गन्ना क्रय किया गया जिसके सापेक्ष रुपया 51 करोड़ 60 लाख का ही भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पेराई सत्र 2014–15 के अन्तर्गत (दिनांक 22–01–2016 की स्थिति के अनुसार) बजाज समूह की चीनी मिल वाल्टरगंज एवं रूधौली, अठदमा–जनपद बस्ती द्वारा क्रय किये गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य भुगतान एवं अवशेष की स्थिति निम्न प्रकार है :–

नाम–चीनी मिल	गन्ना मूल्य			(करोड़ रु0)
	देय	भुगतान	अवशेष	भुगतान :
वाल्टरगंज	97.57	81.24	16.33	83.26
रूधौली–अठदमा	111.78	111.78	0.00	100.00

पेराई सत्र 2014–15 के अन्तर्गत बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु सम्बन्धित चीनी मिल को समय–समय पर नोटिस निर्गत कर शत–प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। क्षेत्रीय व मुख्यालय स्तर पर बैठकों के माध्यम से तथा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुये समय से भुगतान कराये जाने हेतु पत्र/निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य सरकार गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के जनपद बस्ती में सिंचाई सुविधा हेतु सल्टौआ ब्लाक के पिछले कई सालों से बंद पड़े नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

155–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के जनपद बस्ती में सिंचाई सुविधा हेतु सल्टौआ ब्लाक के जिनवा आमा औड जंगल अमरौली, सुमाली, चिरैयाडाड ब्लाक रामनगर के आदमपुर, तुसायल, खाजेपुर, शेखापुर आदि में सरकार द्वारा लगाये गये नलकूप पिछले कई सालों से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द पड़े नलकूपों को कब तक ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती में सिंचाई सुविधा हेतु सल्टौआ ब्लाक के ग्राम जिनवा का नलकूप संख्या 61बी0जी0 वर्ष 2014–15 में असफल नलकूप श्रेणी में वर्गीकृत तथा फेल नलकूपों के पुनः निर्माण परियोजना में उक्त नलकूप का प्रस्ताव सम्मिलित है, ग्राम आमशुक्ल का नलकूप संख्या–66बी0जी0 वर्ष 2008–09 से परित्यक्त नलकूप की श्रेणी में वर्गीकृत है, ग्राम औढ़ जंगल का नलकूप संख्या 247–बी0जी0 लो–वोल्टेज के कारण बन्द है। इसके अतिरिक्त ब्लाक सल्टौआ के ग्राम अमरौली सुमाली का नलकूप संख्या–53बी0जी0, 111 बी0जी0, 159 बी0जी0, 244 बी0जी0, 289 बी0जी0, ग्राम लुसायल का नलकूप संख्या–48 डी0जी0 तथा ब्लाक रामनगर के ग्राम आदमपुर का नलकूप संख्या–108 डी0जी0, ग्राम खाजेपुर का नलकूप संख्या–117 डी0जी0 तथा ग्राम शेखापुर का नलकूप संख्या–62 डी0जी0 चालू है।

यान्त्रिक दोष से बन्द नलकूप निर्धारित समयान्तर्गत ठीक कराये जाते है तथा विद्युत दोष से खराब नलकूपों को ठीक कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह ऊर्जा विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर नलकूपों को ठीक कराने की कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली की मुख्य सड़क भानपुर रुधौली दो तहसीलों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग को जनहित में निर्माण कराये जाने की मांग की कार्रवाई

156–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली की मुख्य सड़क भानपुर रुधौली दो तहसीलों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भानपुर रुधौली मार्ग को जनहित में निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड जैसी सुविधाऐं एवं सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की नियुक्ति सहित मरीजों को जांच की सुविधा की मांग

157–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड जैसी सुविधाएं एवं सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सा0 स्व0 केन्द्र में सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की नियुक्ति तथा आवश्यक संसाधनों सहित मरीजों को जांच की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर हेतु एक्सरे मशीन का क्रय प्रक्रियाधीन है। अल्ट्रासाउण्ड के मरीजों को जिला चिकित्सालय, बस्ती भेजकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन चिकित्सक कार्यरत है। कार्यरत चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध संसाधनों से मरीजों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पंचायत सिंहपुर के मजरा उधमगंज में विद्युतीकरण कराये जाने पत्र सं0 दिनांक 15–12–2013 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग जनपद बहराइच को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

158–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पंचायत सिंहपुर के मजरा उधमगंज में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0–240839/5500, दिनांक 15–12–2013 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच में वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम/मजरों की आबादी 300 अथवा इससे अधिक है, का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11 वीं योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पंचायत सिंहपुर के मजरा उधमगंज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में चयनित नहीं है तथा 12वीं योजना जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

अतः उक्त ग्राम/मजरें का विद्युतीकरण भविष्य में किसी योजना में चयनित तथा धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

159–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

खदिनांक 09–02–2016 को अता0प्र0सं0–199 द्वारा उत्तरित,

जनपद बहराइच के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण फेज–2 में चयनित ऐसे मजरों को पूर्व से विद्युतीकृत हैं कि स्थान पर ऐसे गांवों को चयनित करने जो कि अविद्युतीकृत हैं, विद्युतीकरण कराये जाने पत्र सं0–2014 प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ कार्रवाई की मांग

160–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण फेज–2 में चयनित ऐसे मजरों को पूर्व से विद्युतीकृत है के स्थान पर ऐसे मजरों/ग्रामों को चयनित करने जो कि अविद्युतीकृत है, का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10484672/2014 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में जनपद बहराइच में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना (फेज–2) चल रही है। जिसके अन्तर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम/मजरों की आबादी 300 अथवा इससे अधिक है, का विद्युतीकरण कार्य कराया जाना है।

जनपद बहराइच के 1432 मजरों को विद्युतीकरण की स्वीकृति रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि0 एवं मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त धनावटंन तथा कार्यादेश निर्गत कर विद्युतीकरण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। इनमें से कुछ मजरे आंशिक रूप से विद्युतीकृत है, उनका भी संतृप्तीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के तहत मजरों का बदलाव का कार्य म0वि0वि0नि0लि0 के स्तर पर नहीं किया जा सकता है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना) (फेज–2) में जनपद बहराइच के विकास खण्ड, कैसरगंज एवं पयागपुर, विशेश्वरगंज, हुजूरपुर, जरवल की दी गयी सूची में चयनित मजरों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। यह कार्य माह दिसम्बर, 2016 तक पूरा होना सम्भावित है। अग्रेत्तर अवगत कराना है कि 100 से अधिक आबादी वाले मजरों के विद्युतीकरण हेतु चलायी जा रही दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 12वीं योजना (फेज–3) जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

दी गयी सूची के शेष संगत मजरों के विद्युतीकरण भविष्य में कोई योजना आने पर ही मानक के अनुसार शामिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरों का विद्युतीकरण योजना के फेज–2 में कराये जाने पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0–10460234/2015 प्रमुख सचिव, उर्जा को प्राप्त पत्र की कार्रवाई की मांग

161–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज–2 में कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10460234/2014 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। पत्र की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया गया परन्तु प्रश्नगत–पत्र की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित हुई सड़कों के निर्माण के सन्दर्भ में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10485674/2014 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त पत्र के कार्रवाई की मांग

162–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित छह सड़कों के निर्माण के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10485674/2014 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, परन्तु पत्र में उल्लिखित मार्गों की संख्या–5 है।

उक्त पत्र में उल्लिखित 05 मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में नहरों से निकाली गई सिल्ट एवं उक्त सिल्ट के ढेरों की सफाई की कार्यवाही की मांग

163–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में नहरों से निकाली गयी सिल्ट के बड़े–बड़े ढेरों को नहीं हटाये जाने

की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त सिल्ट के ढेरों की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज में नहरों से निकाली गयी सिल्ट का डिस्पोजल (सर्विस रोड को छोड़कर) सर्विस रोड के किनारे स्प्वाइल बैंक के रूप में रखा गया है। नहर की विषम परिस्थितियों में उक्त मिट्टी/सिल्ट का उपयोग नहर की सुरक्षा के रूप में कभी भी किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में लोहिया गांव पिपराघाट के गोलाघाट पर बासी नदी पर स्थित पुल के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/वी0जी0 10587510/2015 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त पत्र के कार्रवाई की मांग

164–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में लोहिया गांव पिपराघाट के गोलाघाट पर बांसी नदी पर स्थित पुल के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10587510/2015, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के अन्तर्गत लोहिया ग्राम भनेडा उद्दा के माजरे ढाकी डेराकुटी का स्वीकृति के बावजूद विद्युतीकरण न होने के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराते हुए विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

165–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत लोहिया ग्राम भनेडा उद्दा के मजरे ढाकी, डेराकुटी का स्वीकृति के बावजूद भी विद्युतीकरण न होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार समय से विद्युतीकरण न होने के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराते हुये विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2012–13 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया योजना के अन्तर्गत ग्राम भनेड़ा उद्दा के दोनों मजरों (ढाकी, डे, कुटी) में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है

तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के अनुमोदन पश्चात् दिनांक 25–01–2016 को उक्त दोनों ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के अन्तर्गत बाबरी–भण्दौडा मार्ग, गढी पुखता–झिंझना मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण उपरोक्त मार्गो का पुनःनिर्माण कराये जाने की मांग

166–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत बाबरी–भण्दौडा मार्ग, गढी पुख्ता–झिंझाना मार्ग, बुण्टा राजवाहा पटरी, शामली गढ़ी पुख्ता मार्ग तथा जलालाबाद–लोहारी मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त मार्गों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों का पुनःनिर्माण/सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनःनिर्माण कराये गये थाना भवन हसनपुर गढ़ी पुख्ता–जघेड़ी मार्ग का इकार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। अतः उक्त मार्ग का भौतिक सत्यापन कराके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

167–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्निर्माण कराये गये थानाभवन–हसनपुर, गढी पुख्ता–जधेडी मार्ग का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग पर मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सम्पादित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–विसौरी, वि0स0–चन्दौली में 25 के0वी0ए0 की ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कर प्रश्नकर्ता का

पत्र सं0–ख–5 एन 521605, अधिशासी अभियन्ता वितरण खण्ड–प्रथम, जनपद चन्दौली को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

168–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–विसौरी, वि0ख0 चन्दौली में 25 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एन 321605, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–विसौरी में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा था और वर्तमान में उक्त ग्राम सभा में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0–24–इर्स्टन बाजार में न0 पा0 परिषद् मुगलसराय के कार्यालय के पास 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में पत्र सं0–ख 5 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–2 मुगलसराय, चन्दौली को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

169–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0 24 इर्स्टन बाजार में न0पा0 परिषद्, मुगलसराय के कार्यालय के पास 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख 5 एन0–321603, दि0 25–06–2015 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–2, मुगलसराय, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0–24 इस्टर्न बाजार में न0प0 परिषद् मुगलसराय के कार्यालय के पास 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाकर उसे ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा पुरैनी, वि0ख0 नियमाताबाद का विद्युतीकरण कराये जाने एवं उक्त गांव का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

170–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–पुरैनी, वि0ख0 नियामताबाद का विद्युतीकरण कराये जाने के लिए सांसद निधि से 4 वर्ष पूर्व धन उपलब्ध कराया गया था परन्तु आज तक उक्त गांव का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–एन 321602, दि0 16–06–2015 जिलाधिकारी, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा पुरैनी विकास खण्ड–नियमताबाद का विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 16–09–2015 को पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर, वि0खं0 नियामताबाद बस्ती में काली मन्दिर से शंकर के घर तक विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, वितरण खण्ड– ¤ मुगलसराय, जनपद चन्दौली को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई

171–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–अमोघपुर, वि0ख0–नियामताबाद के चौहान बस्ती में काली मन्दिर से शंकर के घर तक विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग 5 एन–140825, दिनांक 19–04–2015, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–¤ मुगलसराय, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर वि0खं0 नियमताबाद के चौहान बस्ती में काली मन्दिर से शंकर के घर तक विद्युतीकरण का कार्य आर0जी0जी0वी0वाई0 12वीं योजना (207391) के अन्तर्गत चयनित कर लिया गया है। उक्त ब्लाक के ग्रामों का कार्य मेसर्स ग्रिड पावर सिस्टम वाराणसी द्वारा कराया जा रहा है तथा यह कार्य माह मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकिया मुगलसराय मार्ग से चन्दाइल पुल से सिकन्दरपुर होते हुए क्षतिग्रस्त एवं उक्त मार्ग पर लेपन स्तर तक का कार्य करवाये जाने की मांग

172–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकिया–मुगलसराय मार्ग चन्दाइत पुल से सिकन्दरपुर होते हुए उसरौडी तक क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर लेपन स्तर तक का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर की तहसील खागा के ग्राम पल्लावा की जनसंख्या के आधार पर उक्त गांव का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग की कार्रवाई

173–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील खागा के ग्राम पल्लावा की जनसंख्या 1500 होने के उपरान्त भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त गांव का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद फतेहपुर की तहसील खागा, ब्लाक धाता का ग्राम पल्लावा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–द्वितीय चरण में चयनित हैं। उक्त ब्लाक के ग्रामों का कार्य मे0 एन0सी0सी0एल0, हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है तथा कार्य माह मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई 11.00 बजे रात को होती है तथा 4.00 बजे प्रातःकाल विद्युत सप्लाई बन्द किये जाने विषयक

174–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई 11.00 बजे रात को होती है तथा 4.00 बजे प्रातः काल विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है ? जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत सप्लाई बढ़ाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को अदल–बदल कर प्रतिदिन 10 घन्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घण्टे, जनपद मुख्यालयों को 20 घण्टे, मण्डल मुख्यालयों में 22 घण्टे तथा महानगरों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिको पर बकाया भुगतान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त मिल मालिकों के विरुद्ध राजस्व वसूली रिकवरी कर किसानों को भुगतान करने की मांग की कार्रवाई

175–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर बकाया भुगतान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी मिल मालिकों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे मिल मालिकों के विरुद्ध राजस्व वसूली की भांति रिकवरी आदेश जारी करके उनकी सम्पत्ति की नीलामी कर किसानों को भुगतान करते हुए उन्हें जेल भिजवाने की कार्रवाई करने की योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पेराई सत्र 2014–15 के अवशेष गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जनहित याचिका संख्या–67617/2014 राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29–07–2015 को पारित आदेश के अनुसार सभी चीनी मिलों को तीन सप्ताह के अन्दरा शत–प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिनांक 22–01–2016 तक की स्थिति के अनुसार, पेराई सत्र 2014–15 में गन्ना मूल्य भुगतान तथा बकाया की स्थिति निम्नवत् है :––

सेक्टर	गन्ना मूल्य (करोड़ रु0)			
	देय	भुगतान	अवशेष	भुगतानः
निगम	96.98	96.98	0.00	100.00
सहकारी	2095.03	2095.03	0.00	100.00
निजी	18454.01	17531.00	923.01	95.00
योग प्रदेश	20646.02	19723.01	923.01	95.53

प्रश्नगत जनहित याचिका सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा मा0 न्यायालय द्वारा दिए गये आदेशों के अनुपालन में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त विधिक एवं अपेक्षित कार्रवाईयां की गई है।

पेराई सत्र 2014–15 में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष 95.53 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है तथा मात्र रु0 923.01 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सभी बकायेदार चीनी मिलों को समय–समय पर नोटिस निर्गत कर मा0 न्यायालय के आदेशों से अवगत कराते हुए शत–प्रतिशत भुगतान किये जाने के निर्देश दिए गये है। समस्त गन्ना उत्पादक जनपदों के जिलाधिकारियों को भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए गन्ना मूल्य का

शत–प्रतिशत भुगतान कराये जाने हेतु पत्र/निर्देश निर्गत किये गये हैं। वे चीनी मिलें जिनका गन्ना मूल्य भुगतान अत्यन्त खराब था, ऐसी निजी क्षेत्र की 15 चीनी मिलों के विरुद्ध प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जा रही है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली 33 चीनी मिलों के विरुद्ध 52 एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गई हैं। सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भी प्रभावी कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर शहर में भारी एवं हल्के वाहनों की जाम की समस्या से निजात हेतु नगर शहर की सीमा के अन्तर्गत ऐलीवेटेड रोड की स्वीकृत करने की मांग की कार्रवाई

176–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर शहर में भारी एवं हल्के वाहनों की व्यस्तता के कारण शहर के अन्दर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाम की समस्या से निजात हेतु मोदी नगर शहर की सीमा के अन्तर्गत एलीवेटेड रोड की कोई योजना स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मोदी नगर शहर का आबादी भाग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 के कि0मी0 38.00 से 46.00 के मध्य स्थित है जिस पर यातायात घनत्व अत्यधिक है, जिसके कारण जाम की समस्या बनती है। उक्त भाग रा0मा0 सं0 58 का आंशिक भाग है जिसका स्वामित्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) भारत सरकार नई दिल्ली के अधीन है। भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों से विकसित/रख–रखाव हेतु मार्ग लोक निर्गाण विभाग को सौपा गया है। वर्तमान में इस भाग को विकसित करने को कोई भी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः आवश्यक कार्रवाई मोर्थ द्वारा अपेक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम फिरोजाबाद के समाहित बस्तियों में शहरी क्षेत्र में होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। उक्त बस्तियों में विद्युत की समस्या का निराकरण के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

177–श्री राकेश बाबू–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम फिरोजाबाद के समाहित बस्तियों, कांसीराम विहार, रानीनगर टापाखुर्द, नगला पानसहाय में शहरी क्षेत्र में होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की सप्लाई दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में विद्युत की समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद के समाहित बस्तियों कांसीराम विहार, रानीनगर टापाखुर्द व नगला पानसहाय के विद्युत सुधार हेतु आई0पी0डी0एस0 योजना में चयनित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत कार्य होने पर उक्त बस्तियों की विद्युत समस्या का निराकरण हो सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत कार्यों को दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में एयरपोर्ट से चारबाग और मुंशी पुलिया इंदिरा नगर तक मेट्रो रेल चलाने हेतु कार्य के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

178–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में एयरपोर्ट से चारबाग होते हुए परिवर्तन चौक और मुंशी पुलिया इंदिरा नगर तक मेट्रो रेल चलाने हेतु लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। लखनऊ नगर में एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक निर्माणाधीन नार्थ–साउथ कॉरीडोर के अन्तर्गत वर्तमान में प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कॉरीडोर में लाइन बिछाने का कार्य पियर्स, वायडक्ट एवं स्टेशन के सिविल निर्माण के पूर्ण होने के उपरान्त ही निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मार्च, 2016 से प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद में स्थित प्रसिद्ध श्री छदामीलाल जैन मन्दिर परिसर बिराजमान 45 फीट विशाल एवं दर्शनीय प्रतिमा के प्रचार प्रसार हेतु ट्रस्ट से अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा प्रत्रांक 3173/जि0यो0/ वि0वि0/2015, दिनांक 15–06–2015 को उ0प्र0 पर्यटन विभाग को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

179–श्री मनीष असीजा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद स्थित सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रसिद्ध श्री छदामीलाल जैन मंदिर परिसर में विराजमान भगवान बाहुबली महाराज की 45 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की विशाल एवं दर्शनीय प्रतिमा के प्रचार–प्रसार हेतु ट्रस्ट से अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा सहमति हेतु भेजे आपके पत्रांक 3173/जि0यो0/वि0वि0/2015, दिनांक 15–06–2015 के सम्बन्ध में श्री छदामीलाल जैन ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23–06–2015 को उ0प्र0 पर्यटन विभाग को प्रचार–प्रसार हेतु सहमति प्रदान करने सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार भगवान बाहुबली महाराज की विशाल प्रतिमा को अपने पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित कर व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

उ0प्र0 पर्यटन विभाग में किसी पर्यटन स्थल को पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित करने का कोई प्राविधान/व्यवस्था नहीं है। विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का

पचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। प्रश्नगत स्थल के प्रचार–प्रसार हेतु राइटअप/सूचना पर अनुमोदन हेतु सम्बन्धित ट्रस्ट से अनुरोध किया गया है, अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद से गुजरने वाली एन0 एच–2 मार्ग पर भीषण जाम की समस्या के निराकरण हेतु चौड़ाई 07 मी0 करवाने सम्बन्धी पत्र सं0 ख–5 नं0 589130 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

180–श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद से गुजरने वाली एन0एच0–2 मार्ग पर भीषण जाम की समस्या के निराकरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर से 10.50 मीटर करवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0–589130, दि0 29–04–15 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

यह मार्ग नगर फिरोजाबाद के आबादी भाग में स्थित है, जिसमें एक ओर सिंचाई विभाग की नहर एवं एक ओर आबादी है। नहर वर्तमान में नाले के रूप में प्रयोग की जा रही है। इस प्रकार मार्ग के दोंनो तरफ भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित नहीं किया जा सका है।

उपर्युक्तानुसार।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल को बनवाये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

181–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल को सरकार कब तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 एवं क्षयरोगग्याश्रम, जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद द्वारा बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रु0 13.14 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसके सापेक्ष रु0 13.01 लाख की तकनीकी स्वीकृति पत्र संख्या–2100/14फ/नि0अ0/15–16, दिनांक 19–01–2016 द्वारा निर्गत की गयी है। धनराशि की उपलब्धता पर अपेक्षित धनराशि अवमुक्त होने पर निर्माण कार्य करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत रु0 169 करोड़ रुपयों से कराये जा रहे विद्युत अवस्थापना के कार्यों की जांच हेतु कार्रवाई की मांग

182–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत रु0 169 करोड़ रुपयों से कराये जा रहे

विद्युत अवस्थापना के कार्यों में खराब गुणवत्ता के उपकरणों की आपूर्ति बाजार मूल्य से ऊंची दरे तथा मानकविहीन निर्माण कार्यों के चलते बड़े पैमाने पर सरकारी धन की लूट एवं कमीशन खोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच हेतु एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

यह कार्य भारत सरकार की नोडल एजेन्सी मै0 पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा तय एवं अनुमोदित मानकों एवं प्रक्रिया के अनुसार ही कराया जा रहा है तथा भारत सरकार की संस्था मै0 वाप्कोंस लि0, गुडगांव (परियोजना सलाहकार), जो भारत सरकार की इस कार्य के लिए एक विशेषज्ञ कम्पनी है, के द्वारा सामग्री की गुणवता एवं कार्य की गुणवता का अनुश्रवण किया जा रहा है। कार्य आवंटन खुली निविदा द्वारा रेस्पो मानक दरों की तुलना करते हुए उचित पैकेज मूल्य पर सक्षम समिति द्वारा दिया गया है।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद परिसर में स्थित चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास के स्थान पर नये आवासों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

183–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद परिसर में स्थित चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास/हास्टल का अधिकांश भाग डैमेज व्यवस्था सहित जर्जर अवस्था होने के कारण कभी भी कोई गम्मीर हादसा हो सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नये आवासों का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में धनराशि अवशेष नहीं है। आगामी वित्तीय वर्षों में आय–व्ययक प्राविधान होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में बिजनेस प्लान में स्वीकृत विद्युतीकरण कराये जाने प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10499646/2014 प्रमुख सचिव, उर्जा को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

184–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में बिजनेस प्लान में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों को पूरा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10499646/2014, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन

लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु पैकेज/कार्यों में से सोहरियावां में 25 के0वी0ए0 के परिवर्तक की स्थापना तथा बरगदही में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 के परिवर्तक की क्षमतावृद्धि का कार्य एक माह में पूर्ण हो जायेगा। उक्त के अतिरिक्त मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 23–07–2014 में उल्लिखित कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रश्नकर्ता के पत्र सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यायालय में पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10485667/2014, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

185–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित चार सड़कों के निर्माण के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10485667/2014, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्न में वर्णित पत्र में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले कुल 04 मार्गों के निर्माण की मांग की गई है। पत्र में वर्णित क्रमांक–2 पर अंकित मार्ग वित्तीय वर्ष 2015–16 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है एवं क्रमांक–4 पर अंकित मार्ग वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माण कार्य पूर्ण है। क्रमांक–1 व 3 पर अंकित मार्ग का निर्माण वर्तमान में लो0नि0वि0 में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जो विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10484610/2014, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

186–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराये

जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10484610/2014, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेश्वरगंज में वित्तीय वर्ष 2013–14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना में चयनित रानीपुर तिलक के मजरा–मनेरा व ईश्वरीपुरवा की आबादी मानक के अनुपरूप न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है तथा 12वीं योजना जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

अतः उक्त ग्राम/मजरें का विद्युतीकरण भविष्य में किसी योजना में चयनित तथा धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्राम सभा हसुआपारा के मजरा दाई बगिया में विद्युत सप्लाई देने विषयक पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10484512/2014, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

187–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्राम सभा हसुआपारा के मजरा दाई बगिया में विद्युत सप्लाई देने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10484512/2014, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम हसुआपारा के मजरा दाई बगिया की आबादी मानक के अनुरूप न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है तथा 12वीं योजना जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–सिरोआ घाट सम्पर्क मार्ग से पूरे प्रहलाद छोटापुरवा मार्ग का निर्माण कराये जाने पत्र सं0 दिनांक 01 फरवरी, 14 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 जनपद बहराइच को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

188–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–सिरौला घाट सम्पर्क मार्ग से पूरे प्रह्लाद छोटापुरवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/13–14/ख–5 नं0–459256/5400, दिनांक 01 फरवरी, 14 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–12–2013 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र दिनांक 01–12–2013 में संदर्भित सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पूरे प्रहलाद एवं छेदापुरवा बसावटों की आबादी क्रमशः 219 व 120 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में 250 अथवा उससे अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटी के आधार पर पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की योजना प्रचलित है। अतः प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली का सुरवार चौराहे से धरैला धाम शक्तिपीठ को जाने वाले अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

189–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली का सुरवार चौराहे से धरैला वाया गिरिनाग धाम शक्तिपीठ को जाने वाला मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में शहीद अशफाकउल्लाह खान जन्तु उद्यान के निर्माण में बाउण्ड्रीवाल के प्रस्तावित अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

190–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में शहीद अशफाकउल्लाह खान जन्तु उद्यान के निर्माण में क्या–क्या कार्य कितनी लागत से कराये जाने है और वह योजना कब तक पूर्ण हो जानी चाहिये थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अभी तक इस योजना में कितने कार्य कराये जा चुके हैं तथा अवशेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणि उद्यान का निर्माण कार्य मास्टर प्लान में प्राणि उद्यान का निर्माण एवं डायरेक्टर आफिस एवं आवास एवं अन्य कर्मचारियों के आवास का निर्माण कार्य, सीमा दीवाल का कार्य, जन्तुओं के बाड़े एवं भूमि को समतल बनाने एवं बाउण्ड्रीवाल के प्रस्तावित कार्य हेतु कुल रु0 8805. 91 लाख से कराया जाना प्रस्तावित है। योजना की नियत अवधि 2009–10 से 2012–13 तक निर्धारित की गयी थी।

इस योजना में वर्तमान तक निम्नवत् कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं :––

1–प्राणि उद्यान का सर्वे, चिन्हीकरण, झाड़ी, सफाई, लेबरहट का निर्माण, हैंड पम्प की स्थापना, सम्पूर्ण क्षेत्र का कान्टूर मैपिंग एवं लेआउट मैपिंग, पहुंच मार्ग पर मिट्टी भरान कर मार्ग निर्माण कार्य तथा कार्यालय फर्नीचर क्रय।

2–निदेशक कार्यालय हेतु आफिस फर्नीचर, अलमारी, फाइल रैक, प्राणि उद्यान में लेबर हट के चबूतरे की फर्श तथा दीवाल का सुदृढ़ीकरण, प्रोजेक्ट टाइपिंग, मैप, सीडी, पेनड्राइव, सामानों का ढुलान एवं कार्य स्थल की जंगली झाड़ियों की कटाई सफाई।

3–कैम्पस में मिट्टी भरान का कार्य, रिटेनिंगवाल/चाहर दीवारी के पाइप का कार्य, एप्रोच मार्ग के आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य पूर्ण हो चुका है। मिट्टी भरान एवं चाहार दीवारी का कार्य प्रगति पर है।

अवशेष कार्य बजट प्राविधान के अनुसार कराये जा रहे हैं।

प्रदेश के महानगरों में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की समस्याओं के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा की गई कार्य योजना के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

191–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं महानगरों के बाहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों का संतुलित, सुनियोजित एवं सुस्थिर विकास सुनिश्चित करने तथा समाज के विभिन्न आय वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास मुहैया कराने हेतु शासनादेश सं0–455/8–1–14–129विविध/2012, दिनांक 4–3–2014 द्वारा राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत शहरी नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं महानगरों व उनके बाहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु विस्तृत प्राविधान किये हैं। उक्त की प्रति सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर नरपतरखेड़ा–पारा स्थित गायत्री बिहार कालोनी में विद्युत आपर्ति खुले तारों से की जा रहे है ? सरकार सुरक्षा की दृष्टि से बंच केबिल लगवाकर उक्त

के स्थान पर सीमेन्ट के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

192–श्री मुहम्मद गाजी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर, नरपतखेड़ा–पारा स्थित गायत्री विहार कालोनी में विद्युत आपूर्ति खुले तारों से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से बंच केबिल लगवाकर उक्त कालोनी में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त कालोनी में श्री प्रेम शंकर श्रीवास्तव के मकान से बलिया कोठी मकान नं0 545 क/एन0के0/713 तक विद्युत आपूर्ति बांस बल्ली के सहारे है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सीमेन्ट के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

उक्त कार्य आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

193–डा0 अरुण कुमार–

खदिनांक 12–02–2016 को अता0प्र0सं0–24 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में फार्मासिस्टों एवं चीफ फार्मासिस्टों के कुल कितने पद सृजित है ? उसके सापेक्ष वर्तमान में उक्त रिक्त पदों को भरने की योजना के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

194–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फार्मासिस्टों एवं चीफ फार्मासिस्टों के कुल कितने पद सृजित हैं एवं उसके सापेक्ष वर्तमान में कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार ने उक्त रिक्त पदों को भरने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेष में फार्मासिस्टों के कुल 5713 पद एवं चीफ फार्मासिस्टों के कुल 1406 पद सृजित है तथा उसके सापेक्ष वर्तमान में 4934 फार्मासिस्ट कार्यरत है तथा 107 पद रिक्त है। उक्त के अतिरिक्त फार्मासिस्ट के 672 पद चिन्हित नहीं है, जिनके चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चीफ फार्मासिस्ट के 1121 पद भरे है तथा 285 पद रिक्त है।

जी हां।

फार्मासिस्ट के 107 रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जा रही है। चीफ फार्मासिस्ट के 285 रिक्त पदो पर प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है ? सरकार उक्त पर पूर्णकालिक नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती की मांग

195–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर पूर्णकालिक नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

सम्प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की कमी है। अतः चिकित्सक उपलब्ध होने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फिरोजाबाद के पद पर नियमित तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में निर्माण व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने पत्र सं0 दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

196–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में निर्माण व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5नं0–368610/8980, दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत तीनों मार्ग व्यापार विकास निधि योजना से आच्छादित नहीं होते है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विशेष योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5नं0368603/8967, दिनांक 16–11–2015, मुख्य सचिव, उ0प्र0 को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

197–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों की

मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5नं0–368603/8967, दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 6 मार्गो की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में रामशरणदास योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने पत्र सं0 दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 को प्राप्त पत्र के कार्रवाई के सम्बन्ध में

198–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में रामशरणदास योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5नं0–368618/8969, तथा पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5नं0–3686117/8971, दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित पांचों मार्ग श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजना से आच्छादित न होने के कारण उनकी स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच की विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने पत्र संख्या दिनांक 16–11–2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

199–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में व्यापार विकास निधि योजना के अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5नं0–368611/8973, दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच एवं अन्य जनपदों में नदियों में डाल्फिन मछलियों की सुरक्षा एवं संरक्षण की योजना की मांग

200–श्री नदीम जावेद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच एवं अन्य जनपदों में नदियों में डाल्फिन मछलियां पायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार की इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

जी हां।

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एवं सहायक नदियों में डाल्फिन के संरक्षण कार्यक्रम हेतु नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जनपदों की नदियों में पायी जाने वाली डाल्फिन मछलियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। कार्य योजना निम्नवत् है :––

(1) डाल्फिन का वार्षिक सर्वे एवं उनके परिवास में डाल्फिन के खतरनाक कारकों का चिन्हींकरण।

(2) डाल्फिन के कन्जर्वेशन कार्यक्रम का संचालन।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12.22 बजे, उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा सदन की सदस्यता की शपथ

(श्री कपिलदेव, माननीय सदस्य को सदन की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी)

मेजों की थपथपाहट

ख12.25 बजे, मस्तिष्क ज्वर से सम्बन्धित नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0–1 को कल लिये जाने का अनुरोध

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, पूर्वांचल से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, आज वह किन्ही कारणोंवश नहीं आ पाया।

श्री अध्यक्ष–

किन्हीं कारणोवश नहीं आया कि आप लोगों की वजह से नहीं आता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती और आग्रह करना चाहता हूं कि इसे कल ले लिया जाय या फिर अगले बुधवार को फिर से इसे नियत कर लें।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, इस पर जितना आप सवाल कर रहे हैं, मैं 1980 से लगातार इस पर सवाल किया हूं। मैंने बड़ी चर्चा कराई है और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो वहां एक सेल

बनाया था कि इसकी खोज की जाय और इसका परीक्षण कराया जाय, रिसर्च की जाय। जापान से आया था, यह बहुत पहले से वहां की समस्या है और गंभीर समस्या है। हर साल इसको कहीं न कहीं से और किसी न किसी कारणों से कुछ हो जाता है, हमारा जिला और पूर्व के जितने जिले हैं, उसमें यह बहुत होता है। इस प्रश्न पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। अब इस पर सरकार की तरफ से इस प्रश्न का उत्तर आपको पढ़ दिया गया और आपने सुन लिया, बस आप सप्लीमेंटरी नहीं पूछ पाये । यह समस्या ऐसी है कि जो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7–8 जिले हैं वह बहुत प्रभावित हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

सबसे ज्यादा कुशीनगर प्रभावित है। 132 मौतें एक साल में हो चुकी हैं। इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

हमारा जिला भी प्रभावित है। हमारा क्षेत्र भी है। अब इस पर चर्चा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को बुला लेंगे, सेक्रेट्री आ जायेंगे, आप भी आ जाइयेगा जो पूरब के हमारे विधायक हैं, वह और हम सब लोग कक्ष में बैठकर बात करेंगे। क्योंकि इसका कोई स्थायी निदान निकाला जाय, कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमारे यहां और अगल–बगल क्षेत्रों में इस रोग से किसी की मृत्यु न होती हो। अब आप बैठिये।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी एवं श्री बंशी सिंह पहाड़िया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कल तो आपका सवाल लिया गया था तो आप थे ही नहीं।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, आज भी लगा हुआ था अनुरोध है कि आज वाले सवाल को अगले सप्ताह ले लें।

श्री अध्यक्ष–

अगले सप्ताह नहीं लिया जाता है, वह खत्म हो गया, यह तरीका नहीं है, जब मा0 सदस्य सदन को नहीं चलने देते हैं तो हम क्या करें।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जन–प्रतिनिधियों का सम्मान न किये जाने पर कठोर कदम उठाये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मेरे मामले में जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है उसमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है मान्यवर, यदि आपका निर्देश हो तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिले। मैं यह चाहूंगा कि विधायक कार्यक्रम में जाए या न जाए लेकिन विधायक के लिए एक कुर्सी लगेगी, विधायक जाए न जाए उसकी कुर्सी खाली रहेगी। इसका मान्यवर, उल्लंघन हुआ है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

आप कुर्सी पर यहां नहीं बैठते हैं तो वहां कैसे बैठते होंगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न यह नहीं है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई आप तो दीक्षान्त समारोह में गये थे इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है। आपसे मैंने कहा था कि लिख करके दे दो, पूछ लिया जायेगा कि आपको कुर्सी पर क्यों नहीं बैठाया गया। आप अगर गवर्नर साहब के सामने इस तरह से कूदे होते तो आपको बढ़िया कुर्सी मिल गई होती, वहां तो किये नहीं यहां आ करके लड़ रहे हो।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

एक तरफ गवर्नर की मौजूदगी में दलित विधायक का अपमान रविदास जयन्ती में हो रहा है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि प्रोटोकॉल और प्रिविलेज के बारे में बहुत बार लिखा जा चुका है, उसका पालन नहीं हो रहा है। यह मेरा निजी मामला है मैं इस पर आश्वासन चाहता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपसे मैंने कहा था कि लिख करके दे दो हम संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज देंगे और वह दिखवा लेंगे। क्या आप भी, मा0 अखिलेश जी आप जानते हो, अभी पहले भी इतना टाइम लिया अब फिर ले रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बार–बार सरकार को निर्देशित किया है और सरकार ने सैकड़ों जी0ओ0 भी भेजे हैं कि इस प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए लेकिन इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। एक विधायक अपनी व्यथा बता रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा था तो मैंने इनसे कहा था कि आप लिख करके दे दो तो प्रोटोकॉल के अन्दर उनसे पूछा जायेगा लेकिन ये लिख करके दे ही नहीं रहे हैं बार–बार बोल रहे हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आप उन्हें तलब कर लें, जब तक आप तलब नहीं करेंगे, सख्ती नहीं बरतेंगे तब तक लोग अनुशासनहीनता करते रहेंगे। ये लिख करके दे देंगे अनुरोध है कि आप उनको तलब कर लें।

श्री अध्यक्ष–

वह लिख करके दें तो।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

ये लिख करके देंगे आप उन्हें तलब कर लें क्योंकि जब तक आप सख्ती नहीं बरतेंगे तब तक यह अनुशासनहीनता समाप्त नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब फिर क्या। बैठो–बैठो, लिख करके दो, सीट पर बैठो, बार–बार वही आपका अपमान। आपसे मैंने कहा कि लिख करके दो तो हम करते हैं लेकिन आप लिख करके दोगे नहीं। जितना यहां हड़कम्प मचाये हैं यदि वहीं हल्ला किये होते तो बढ़िया कुर्सी मिल गई होती।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आप संरक्षक हैं इसलिए यहां बात कही जा रही है।

ख12.28 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24–02–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्रीमती पूनम सोनकर की लखनऊ विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आश्रयहीन बसन्तकुन्ज योजना, हरदोई रोड में रहने वाले आवंटियों को विनियमित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री उदय राज की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

तीसरी सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के कतिपय ग्रामों में लघु सेतु तथा एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

पांचवी सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र के मुंगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा जैपालपुर के तालाब को खुदवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की जनपद मैनपुरी के नगर पालिका परिषद के ड्राफ्टमैन को अधिसंख्य पद पर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कोरांव विकास खण्ड, मेजा के कतिपय ग्रामों में सड़क, पुल व नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आई0टी0आई0 का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था, यू0पी0सी0एल0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की है। (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

दसवीं सूचना श्रीमती हेमलता चौधरी की जनपद बागपत में नील गायों द्वारा तिलहन एवं दलहन की फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना मो0 जासमीर अन्सारी की जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के तम्बौर कस्बा से थाने तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की प्रदेश के कई जनपदों में गुर्जर जाति को विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत लोक निर्माण एवं मण्डी परिषद द्वारा बनाई गयी सड़क को मानक के अनुरूप बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना की ग्राम सभा धरवारा के कोटेदार का कोटा निरस्त कर उसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरांय के अंतर्गत क्षतिग्रस्त बबुरी चकिया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(कई सदस्यों के खड़े होकर अपनी–अपनी सूचना स्वीकार किये जाने का आग्रह करने पर)

आप लोग शांत हो जाईये। देखिये, श्री उदय राज, श्री रामचन्द्र यादव व श्रीमती लालमुन्नी सिंह कुल तीन माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं तो इनके स्थान पर तीन मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की जायेंगी। अस्वीकृत सूचनाओं की सूची में से क्रम से पहली श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की, दूसरी श्री कुलदीप सिंह सेंगर की और चूँकि श्री अन्सार अहमद उपस्थित नहीं है तो क्रमांक 04 पर अंकित तीसरी सूचना श्री ममतेश शाक्य की स्वीकृत की जाती हैं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम हैंः–श्री अन्सार अहमद, श्री सुरेश बंसल, श्री सतीश महाना, श्रीमती बिमला बाथम, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री काली चरण सुमन, श्री दलवीर सिंह, श्री संत प्रसाद, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री राजीव गुम्बर, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री उमाशंकर, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री शमशेर बहादुर ऊर्फ शेरू भैय्या, श्री उमेश पाण्डेय, श्री गजराज सिंह, डॉ0 मो0 मुस्लिम, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मनीष असीजा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया और श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी। पढ़ी हुई मानी गयी सूचनायें संलग्न हैं)

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आश्रयहीन बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड में रहने वाले आवंटियों को विनियमित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूनम सोनकर–

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अन्तर्गत आश्रयहीन बसन्त कुंज योजना सेक्टर एच0 में हरदोई रोड पर 1006 आश्रयहीन भवन में रहने वाले आवंटियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनमें से अधिकांशतः कब्जेदारों द्वारा निर्धारित किराये की राशि जमा की जा रही थी। किन्तु प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से चलते वसूली के कारण प्रस्तावित रिपोर्ट पर वर्ष 2011 में सर्वे कराया गया जिसके आधार पर 308 भवनों को विनियमित कराये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में निर्णय लिये जाने की कार्रवाई की गयी। परन्तु प्राधिकरण की लापरवाही के कारण जनहित एवं प्राधिकरण की आमदनी/आय को ताक पर रखते हुये इस लम्बे अन्तराल में भी अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस सम्बन्ध में विधान सभा में द्वितीय सत्र–2 सी0 में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना पर वर्तमान में रह रहे आवंटियों/किरायेदारों के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तावित प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी के निर्णयानुसार विनियमित किये जाने का उल्लेख किया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न को नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।,

जनपद–बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के कतिपय ग्रामों में लघु सेतु तथा एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह–

ख्मान्यवर, निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, जनपद–बिजनौर के निम्नलिखित स्थानों पर लघु सेतु का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। सेतु के अभाव में आवागमन पूर्णतः बाधित है जिससे ग्रामीणों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों, छात्र–छात्राओं, व्यापारियों तथा आमजन को आने–जाने हेतु कई–कई किलोमीटर लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है।

1–ग्राम रामखेड़ा सल्लाखेड़ी से ग्राम तेलीपुरा भट्टा मार्ग पर कढूला नदी पर लघु सेतु निर्माण,

2–ग्राम चौलों की मडैयों से कांठ मार्ग पर कढूला नदी पर लघु सेतु निर्माण,

3–ग्राम गल्लाखेड़ी नहर पर संदूक वाले पुल के बराबर में कटूला नदी पर लघु सेतु निर्माण,

4–ग्राम गोहावर बड़ी नहर की पूरब की ओर बिडरा रवाना की बीच गांगन नदी पर लघु सेतु का निर्माण।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, जनपद–बिजनौर के उपरोक्त चारों स्थानों पर लघु सेतु तथा एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र के मुंगरा बादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम–सभा–जैपालपुर के तालाब को खुदवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा–

ख्मान्यवर, जनपद–जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम–सभा– जयपालपुर में ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मत से वरियता के आधार पर गुड़िया तालाब जो जूनियर हाई स्कूल के उत्तर तरफ है को खुदवाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा मनमाने तरीके से जनहित के उक्त तालाब की खुदवाई इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्यों वह उनके विरोधियों के ग्राम में स्थित है। इसलिये जनहित का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त तालाब को अविलम्ब खुदवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।,

जनपद–मैनपुरी के नगर पालिका परिषद के ड्राफ्टमैन को अधिसंख्य पद पर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्मान्यवर, शासन द्वारा प्रदेश की स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में दिनांक 29–06–1991 को दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत कर्मियों को नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका परिषद् मैनपुरी में दिनांक 29–06–1991 को मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन) के रूप में कार्यरत श्री मनोज कुमार भटनागर की विगत सेवाओं का आधार पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी द्वारा अपने पत्र संख्या–297 दिनांक 20–08–2011 एवं अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मैनपुरी द्वारा अपने पत्र संख्या–753, दिनांक 19–12–2014 द्वारा शासकीय नीति के अनुरूप श्री मनोज कुमार भटनागर को ड्राफ्टमैन (सिविल) के अधिसंख्या पद पर नियमितीकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है। परन्तु शासन के आदेश के बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन के निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा कोराँव विकास खण्ड मेजा के कतिपय ग्राम, सड़क, पुल व नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र–265, कोरांव वि0ख0 मेजा के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में (1) महुली लाला के पुरवा में सड़क का निर्माण एवं नाले पर पुल का निर्माण (2) कोहडार मार्ग खीरी मार्ग के ग्राम सिरहिर से बोझी का पुरवा से ल0 2 कि0मी0, (3) ककराही से पिपरहटा तक का

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़क का निर्माण एवं नाले के पुल का निर्माण न होने से लोगों को आने–जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। देश को आजाद हुये इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी गांवों का विकास न होने में सबसे महत्वपूर्ण पक्की सड़क एवं नालों पर पुल होता है। पक्की सड़क एवं नाले पर पुल न होने से लोगों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है तथा आवागमन भी बाधित है, जिससे क्षेत्रीय एवं पूरे गांववासियों को सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त पक्की सड़कों का निर्माण एवं नाले पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आई0टी0आई0 का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था, यू0पी0सी0एल0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) का निर्माण यू0पी0सी0एल0 कार्यदायी संस्था शासन द्वारा नामित किया गया है। विभाग ने माफिया ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु अनाधिकृत तरीके से ठेका दे रखा है। काफी समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शून्य स्तर पर है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं जो कार्य किया गया है वह भी अधोमानक है। इसकी स्थलीय एवं तकनीकी जांच कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः जनहित में इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते इसकी जांच कराये जाने एवं निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बागपत में नील गायों द्वारा तिलहन एवं दलहन की फसलों को बर्बाद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद–बागपत में तिलहन और दलहन की खेती को नील गाय की संख्या बहुत होने से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो रही है। नील गाय के रोकथाम हेतु किसानों द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन क्षेत्र में नील गायों की संख्या अधिक होने से उक्त समस्या का समाधान नहीं हो सका एवं क्षेत्र में नील गायों द्वारा काफी सड़क दुर्घटनायें भी हो रही है उक्त नील गायों की बढ़ती संख्या के कारण इस समय क्षेत्र की तिलहन और दलहन की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो रही है। जिसके कारण किसानों/स्थानीय निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय में सदन के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में नीलगायों के रोकथाम हेतु कार्रवाई कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के तम्बौर कस्बा के थाने तक की सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 जासमीर अन्सारी–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–सीतापुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के विकास खण्ड–बेहटा के अन्तर्गत तम्बौर कस्बा से थाने तक की सड़क (लम्बाई लगभग 3.0 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु टेण्डर प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है तथा निर्माण हेतु धनराशि भी निर्गत की गयी थी, परन्तु उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर कुछ निर्माण कार्य कराकर बाकी सड़क पर बड़े–बड़े पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है, बाकी कार्य बीच में अधूरा ही छोड़ दिया गया है, वह सड़क मुख्य मार्ग होने के कारण हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, परन्तु उक्त सड़क के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों एवं जनता के साथ आये दिन सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु शासन द्वारा क्षतिग्रस्त उक्त सड़क के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से जनहित में लहरपुर के विकास खण्ड–बेहटा के अन्तर्गत तम्बौर कस्बा से थाने तक की क्षतिग्रस्त सड़क के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के कई जनपदों में गुर्जर जाति को विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि गूजर जाति विमुक्त जाति के अन्तर्गत निम्न जनपदों मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा व सम्भल में आती है। परन्तु इन जिलों में गुजर विमुक्त जाति के अन्तर्गत स्वीकृत भी है लेकिन किसी त्रुटिवश गुजर जाति विमुक्त जातियों की सूची में नहीं है जिससे विमुक्त जाति के प्रमाण–पत्र बनने में मुश्किल आ रही है। जबकि समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा गुजरों को विमुक्ति जाति में माना गया है। इसलिये गुजरों को विमुक्त जाति का प्रमाण–पत्र दिया जाना जनहित में न्यायोचित होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुये उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत लोक निर्माण एवं मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़क को मानक के अनुरूप बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सीतापुर अन्तर्गत लोक निर्माण एवं मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे आवागमन बाधित है, तत्काल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी इन सड़कों की मरम्मत करायी जाय। मैंने बार–बार जिला प्रशासन व विभागीय अधिकारियों से भी अनुरोध किया परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तत्काल जनहित में जीर्ण–शीर्ण हो चुकी इन सड़की की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है जिससे जनमानस को आने–जाने में कोई असुविधा न हो।

अतः इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल मण्डी परिषद् व लोक निर्माण विभाग की इन सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना की ग्राम सभा धरवारा के कोटेदार का कोटा निरस्त कर उसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा, कि जनपद–इलाहाबाद के मेरी विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत विकास खण्ड–करछना, ग्राम सभा धरवारा के कोटेदार हुबलाल द्विवेदी के पास ग्राम सभा धरवारा के अलावा ग्राम सभा–इसौटा, अरई सहित अन्य 2 ग्राम सभाओं के कोटे पिछले 20 वर्षों से अधिक संयम से सम्बद्ध किया गया है इनके द्वारा इन पांचों गांवों में कोई खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता तथा स्थानीय अधिकारियों से मिलीभगत करके सरेआम खुले बाजार में बेच दिया जाता है। इस कृत्य से स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति व्यापक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त कोटेदार का कोटा निरस्तीकरण तथा जांच किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी चकिया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर, विषय–मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबुरी चकिया मार्ग, बबुरी बस स्टैण्ड के पास से पुराने थाने होते हुय जरखोर माइनर तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है जनपद–चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबुरी चकिया मार्ग, बबुरी बस स्टैण्ड के पास से पुराने थाने होते हुये जरखोर माइनर तक मार्ग बहुत ही जर्जर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे है जिससे आवागमन पूर्णता बाधित रहता है। बरसात के समय सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती है, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में दिनांक 01–02–2016 को पत्र सं0 ख–5

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

321089 के माध्यम से जिलाधिकारी जनपद–चन्दौली को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रतिभारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम राशिदपुर व राजस्व ग्राम इटौवा, थाना गड़िया रंगीन व राजस्व ग्राम कुड़रिया तहसील जलालाबाद के काश्तकारों की भू–माफियाओं द्वारा कब्जा की गई भूमि की पैमाइश कराकर किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्मान्यवर, शाहजहांपुर के ग्राम राशिदपुर व राजस्व ग्राम इटैवा, थाना गठिया रंगीन व राजस्व ग्राम कुड़रिया तहसील जलालाबाद के अधिकतर पट्टाधारी काश्तकार हरिजन जाति के हैं कई वर्षों से भूमि पर काबिज थे तथा कृषि कार्य करके परिवार का भरण–पोषण करते थे। इन काश्तकारों की भूमि पर ग्राम तलिकापुर थाना परौर के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। भू–माफियाओं द्वारा असलहे के बल पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। इन पट्टेदारों की अधिकांश जमीन दबंगों एवं बाहुबलियों द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर ली गयी है इसलिये न्यायहित में इसकी सरकारी पैमाइश होना अत्यन्त आवश्यक है जिससे इन गरीब किसानों को उनकी जमीन के साथ न्याय मिल सके।

जनहित में जिन काश्तकारों की कृषि भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा ग्राम राशिदपुर व राजस्व ग्राम इटैवा, थाना गठिया रंगीन व राजस्व ग्राम कुड़रिया तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में किया गया है, उन लोगों को कब्जा मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कृषि भूमि की पैमाइश कराकर भूमि का पट्टा जो ग्राम राशिदपुर व राजस्व ग्राम इटैवा, थाना गठिया रंगीन व राजस्व ग्राम कुड़रिया तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में किये गये हैं, उनको कब्जा दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय मगरवारा उन्नाव के कार्यालय के 22 में से शेष 5 कर्मचारियों का तत्काल टाइप स्केल लगाने व श्री हरिश्चन्द्र पुत्र महावीर लोनियन खेड़ा उन्नाव का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय मगरवारा उन्नाव के कार्यालय की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां कार्यरत कर्मचारियों में से 18 कर्मचारियों का टाइम स्केल वर्ष 2010 में लगाया गया था किन्तु शेष 5 कर्मचारियों

नोटः– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का टाइप स्केल आज तक नहीं लगाया गया है जबकि यह समयबद्ध तरीके से हो जाना चाहिये था जो नहीं किया जा रहा है ऐसा क्यों और किस कारणों से हुआ इसकी जांच अत्याधिक आवश्यक है साथ ही इन्हीं 5 कर्मचारियों में श्री हरिश्चन्द्र जी0टी0जी0 द्वितीय लाइन द्वारा अपने लखनऊ स्थानान्तरण की मांग निरन्तर की जा रही है उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः मैं चाहता हूं कि 22 कर्मचारियों में शेष 5 कर्मचारियों का तत्काल टाइप स्केल लगाने व श्री हरिश्चन्द्र पुत्र महावीर लोनियन खेड़ा उन्नाव का स्थानान्तरण लखनऊ के किसी भी डिवीजन से करने हेतु इसी नियम–301 में उठाने हेतु लगायी स्वीकृति चाहता है।,

जनपद कासगंज स्थित जिला सहकारी गल्ला विकास समिति न्यौली में कार्यरत कर्मचारियों को विकास कमीशन न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

जनपद कासगंज स्थित जिला सहकारी गल्ला विकास समिति न्यौली में कार्यरत कर्मचारियों को विकास कमीशन न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उक्त जिला सहकारी गल्ला विकास समिति में कार्यरत कर्मचारियों को विकास कमीशन न मिलने से काफी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

यह भी अवगत कराना है कि :–

1–वर्ष 2004–05 में गल्ला समिति न्यौली कासगंज के सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों, जिनकी संख्या 33 है, को उनके देयों का लगभग 98 लाख रुपये का आज तक भुगतान नहीं हुआ है,

2–वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को माह फरवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक का कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ है,

3–राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदेश की अन्य गल्ला समितियों को छठे वेतन की सुविधा प्राप्त है, लेकिन गल्ला समिति न्यौती जनपद कासगंज के कर्मचारियों को छठे वेतन की सुविधा प्राप्त नहीं है जबकि सातवां वेतन मिलने वाला है।

प्रदेश को चीनी मिलों द्वारा देय विकास कमीशन पर ही समितियां जीवित है, लेकिन संबंधित चीनी मिलों पर समिति न्यौती का विकास कमीशन लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये बकाया है।

अतः उपरिवर्णित समस्याओं के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

ख12.26, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 फरवरी, 2016 को नियम–300 के अन्तर्गत 02 सूचना प्राप्त हुई है।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की, मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों में विधान सभा द्वारा सभी दलों के नामित सदस्यों की कोई भी बैठक न बुलाये जाने एवं कोई परामर्श न दिये जाने से इन समितियों के गठन के औचित्य के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा जी की, जनपद पीलीभीत में नगरपालिका परिषद् बीसलपुर के अंतर्गत निहित राजस्व गांव ग्यासपुर की भूमि संख्या–390 मीट मार्केट पर पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा कब्जा कराकर गैराज बनवाकर मांस विक्रय करवाने से होने वाले प्रदूषण व संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, यह सूचना नियम–300 में कहां से आती है, यह अस्वीकार है। श्री सतीश महाना जी औचित्य के प्रश्नों की सूचना पर अपनी बात रखें।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में विधान सभा द्वारा सभी दलों के नामित सदस्यों की कोई भी बैठक न बुलाये जाने एवं परामर्श न दिये जाने से समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–300 के औचित्य के प्रश्न पर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, विधान सभा नियमावली और परम्पराओं से चलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस बात का महत्व है कि इस विधान सभा में जितने भी सदस्य चुनकर आते हैं उनका एक अधिकार होता है और आपके संरक्षण में विधान सभा की भी बहुत सारी समितियां गठित होती हैं जो आपके दिशा–निर्देश पर काम करती है। आप उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास सही दिशा व संदेश पहुंचे इस निमित्त आप मंत्रियों को परामर्श देने के लिए आप समितियों का गठन करते हैं। विगत पांच वर्षों के अन्तर्गत जो भी माननीय सदस्य उसमें नामित होते हैं, विधान मण्डल दल के नेता के पास उस संबंधित राजनैतिक दल के सभी कार्यकर्ता कहीं के भी हों, पूरी विधान सभा से संबंधित है, वह जरूर कहते हैं कि हम लोगों को किसी समिति में नहीं भेजा क्योंकि समितियों की संख्या होती है और आपके द्वारा रेशियो के हिसाब से उसका निर्धारण भी होता है कि कितने सदस्य किसमें रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत जब मंत्रियों को परामर्श देने वाली समितियों में किसी भी माननीय सदस्य का नाम हमारी तरफ से सिफारिश की जाती है तो आप और आप कृपापूर्वक उनको नामित करते हैं मान्यवर, और जब कोई भी बैठक नहीं होती तो मान्यवर, एक तरफ वह बैठक न हो पाने की वजह से निराश तो होते हैं कि हमारा उस समिति में जाने का औचित्य क्या है और बार–बार यह अपने नेताओं से हम भी कहते हैं कि क्यों नहीं हमारे को बुलाया गया तो हमको उस कमेटी में क्यों रखा गया। मान्यवर, ऐसी समितियॉ जो जनता की हकीकत को और वास्तविक स्थिति को, जमीनी हकीकत को बताने के लिये आप गठित करते हैं जो मंत्रियों को परामर्श देती हैं। विगत 4 वर्षों में मान्यवर, किसी भी प्रकार की, किसी भी विभाग की किसी भी माननीय मंत्री ने बैठक नहीं

बुलाई। मान्यवर, उसमें महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे ऊर्जा हो गया और कृषि से संबंधित हो गई, ला एण्ड आर्डर से संबंधित हो गई। सारे विभाग महत्वपूर्ण हैं, किसी भी एक विभाग के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। उन परिस्थितियों के अन्तर्गत जिसमें सभी राजनीतिक दलों के उसी अनुपात के हिसाब से होती है जिस अनुपात में यहां पर संख्या है। उस अनुपात के हिसाब से जिस समय आप उन समितियों का गठन करते हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है मान्यवर, कि आप सरकार को यह निर्देश देने की कृपा करने पर विचार करें क्योंकि आदेश आपने देना है मान्यवर। यह जो समितियां हैं, इनके औचित्य को बनाये रखने के लिये, इनके महत्व को बनाये रखने के लिये और इनकी उपयोगिता को बनाये रखने के लिये और सरकार ने कई अफसरों को मैं तो कई बार इस बात को कहता हूं कि हम लोग लोकतांत्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं अगर एक सिक्का होता है न तो उसका प्लस और माइनस, सन और मच्छी जिसको कहते हैं, हेड और दूसरी तरफ टेल। उस सिक्के में अगर एक तरफ भी खोट आ जाय तो वह पूरा सिक्का खोटा हो जाता है उसी तरह से पूरी सरकार मान्यवर, खोटे की श्रेणी में आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को परामर्श देने के लिये जो समितियॉ हैं उनकी बैठक बुलाई जाय। अधिकारी जो परामर्श देते हैं वह वास्तविकता नहीं होती मान्यवर। अधिकारी जो, मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था कि वह कक्ष में बैठे होते हैं उनको जमीनी हकीकत नहीं पता होती उनको नीचे वाले अधिकारी भी क्योंकि कहीं उनकी कमी न पकड़ी जाय, सही फीड बैक नहीं देते हैं। फीड बैक कोई भी जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच से चुना हुआ हो, चाहे किसी भी पक्ष का हो असली फीड बैक मान्यवर, वहीं दे सकता है और उससे सरकार को भी लाभ होगा। सरकार को वास्तविक जमीनी हकीकत का भी पता चलेगा और समितियों का भी महत्व होगा। मुझे लगता है कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करूं कि आप सरकार को यह दिशा निर्देश देने की कृपा करें कि उन बैठकों के लिये जो भी निर्धारित समय है आपके द्वारा तय किया गया है, उसमें वह बैठकें जरूर हों।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कुछ कहेंगे इसमें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

जी मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह समितियां हैं कभी इनकी बैठकें नहीं होती हैं, यह महत्वपूर्ण हैं। अपने मंत्रियों को आप निर्देशित करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि इसमें आपके स्तर से बैठक हो जाय। प्रमुख सचिवों को आप बुला लें। मैं भी रहूं और आप भी रहिये। निर्देशित कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

ख12.36 बजे, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय–व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2011–2012[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय–व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2011–2012 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा–63 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–5

ख12.37 बजे, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 134वां (एक सौ चौंतीसवां) प्रतिवेदन[४४]

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 134वां (एक सौ चौंतीसवां) प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, नगर विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, लोक निर्माण, श्रम, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, गृह, गृह (बीजा) एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के वर्ष 1995 से 2013 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

ख12.38 बजे, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 135वां (एक सौ पैंतीसवां) प्रतिवेदन४

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 135वां (एक सौ पैंतीसवां) प्रतिवेदन जो नगर विकास, सिंचाई, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास, खेलकूद एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभागों के वर्ष 1986 से 2014 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 136वां (एक सौ छत्तीसवां) प्रतिवेदन[४]

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 136वां (एक सौ छत्तीसवां) प्रतिवेदन जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, नियुक्ति, लोक निर्माण, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, संसदीय कार्य, समाज कल्याण, माध्यमिक शिक्षा तथा राजस्व विभागों के वर्ष

---

४ छापा नहीं गया।

४४ छापा नहीं गया।

४ छापा नहीं गया।

1986 से 2013 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 137वां (एक सौ सैंतीसवां) प्रतिवेदन[४]

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 137वां (एक सौ सैतीसवां) प्रतिवेदन जो समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, औद्योगिक विकास, माध्यमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ तथा पशुधन विभागों के वर्ष 1983 से 2015 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

ख12.39 बजे, सरकारी आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा की मांग

श्री मनीष आसीजा–

मान्यवर, मैं इन सरकारी आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों से परामर्श करके समय निर्धारित किया जा सकता है। उस पर भी चर्चा की नियमावली में विधान है हम नेता विरोधी दल और नेता सदन से परामर्श करेंगे।

ख12.40 बजे, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड खेरागढ़ में जल स्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री योगेश रावत आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड खेरागढ़ में जलस्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री योगेश रावत व श्री कृष्णा कुशवाहा निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर के जगनेर कस्बा में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने विषयक श्री नीरज सोन आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

---

४ छापी नहीं गयी।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर के जगनेर कस्बा में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने विषयक श्री नीरज सोन व श्री वीरी सिंह कुशवाहा निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया में जल स्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री खुशीराम कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया में जलस्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री खुशीराम कुशवाहा व श्री हरविलास कुशवाहा निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में जल स्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री सतीश शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में जलस्तर काफी गहरा होने के कारण पीने के पानी के निदान हेतु खराब पड़ी पेयजल योजनाओं को चालू कराये जाने विषयक श्री सतीश शर्मा व श्री प्रेमचन्द राघव निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव से कन्जौली घाट पुल मार्ग से नगला बेर से नगला राधे जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मल्ल सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव से कन्जौली घाट पुल मार्ग से नगला बेर से नगला राधे जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मल्ल सिंह व श्री नेत्रपाल सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद मथुरा में परखम से ओल मार्ग तथा परखम ओल मार्ग से अछनेरा मार्ग का पुनः निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री मुल्ला जी आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री पूरन प्रकाश–

---

४ छापी नहीं गयी।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा में परखम से ओल मार्ग तथा परखम ओल मार्ग से अछनेरा मार्ग का पुनः निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री मुल्ला जी व श्री महिपाल सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के निर्माण शाखा–1 मथुरा के अन्तर्गत बल्देव से कन्जौली घाट पुल मार्ग तक (वाया बरौली) सड़क की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजाराम आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के निर्माण शाखा–1 मथुरा के अन्तर्गत बल्देव से कन्जौली घाट पुल मार्ग तक (वाया बरौली) सड़क की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजा राम व श्री दशरथ सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद लखनऊ स्थित पेपर मिल कालोनी वार्ड में बाबा पुरवा भीखमपुर आवास सं0–1 से 40 में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष स्वरूप आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री आशुतोष टण्डन, (गोपाल जी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ स्थित पेपर मिल कालोनी वार्ड में बाबा पुरवा भीखमपुर आवास सं0–1 से 40 में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष स्वरूप व श्री महाराज बख्श सिंह निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर आवासीय योजना के सेक्टर–14 में आवास संख्या–14/1 से 152 तक हो रहे भीषण जलभराव का निदान हेतु नाले के तल से मिट्टी की निकासी कराये जाने विषयक श्रीमती सविता शुक्ला आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री आशुतोष टण्डन, (गोपाल जी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर आवासीय योजना के सेक्टर–14 में आवास संख्या–14/1 से 152 तक हो रहे भीषण जलभराव का निदान हेतु नाले के तल से मिट्टी की निकासी कराये जाने विषयक श्रीमती सविता शुक्ला व श्री एस0एस0 सिंह गौतम निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत खानपुर मण्डी से मीरापुर खादर को जोड़ने वाले मार्ग का नाले सहित सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री चन्द्रपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री इकबाल–

---

४ छापी नहीं गई।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत खानपुर मण्डी से मीरापुर खादर को जोड़ने वाले मार्ग का नाले सहित सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री चन्द्रपाल सिंह व श्री मो0 जाबिर निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्याऊ छाछरी मोड़ से ग्राम पंचायत मुढाल को जोड़ने वाले टूटे एवं जर्जर मार्ग को सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री मुकेश सिंह आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री इकबाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्याऊ छाछरी मोड़ से ग्राम पंचायत मुढाल को जोड़ने वाले टूटे एवं जर्जर मार्ग को सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री मुकेश सिंह व श्री मो0 शाकिर निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

ख12.45 बजे, उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2016–2017 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–15

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2016–2017 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम–निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम–निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 29 फरवरी, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय–कक्ष में)
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 02 मार्च, 2016 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन	

समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	सोमवार, 07 मार्च, 2016
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या–44–ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम–निर्देशन–पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2016–2017 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं :–

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2016–2017 की ''लोक लेखा समिति'', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2016–2017 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम–निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि काई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार

नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2016–2017 की 'लोक लेखा समिति' 'प्राक्कलन समिति' 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बंधी संयुक्त समिति' 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2016–2017 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम–निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.48 बजे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख12.50 बजे, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के द्वितीय बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015 को श्री मुकेश श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के सम्बन्ध में निर्देश संख्या–168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

''श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2015 के द्वितीय बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के....

---

४ दिनांक 28 मार्च, 2016 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्उत्तर के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)' के निदेश संख्या–168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 03 जुलाई, 2015 के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर।''

मूल प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती में बाढ़ की विभीषिका से क्षतिग्रस्त हो गये अस्पतालों के मरम्मत हेतु अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृतियों पर बजट आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5नं0–148838, दिनांक 01–10–2014 मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज	जी हां।	जी हां।	कार्यालय–ज्ञाप/आदेश संख्या–ए0क्यू0–141/पांच–6–15–10 वि0स0/15, दिनांक 30–09–2015 द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गयी है।

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विशेष सचिव, मुख्य मंत्री अमित गुप्ता के निर्देश दिनांक 02–10–2014 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ?			
1	2	3	4
यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही हुयी है ?	चिकित्सालयों के भवन अनुरक्षण हेतु तकनीकी स्वीकृतियों के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए इन तीन जनपदों के चिकित्सालय के लिये रु0 3.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। बजट का आवंटन माह दिसम्बर, 2014 को किया जा चुका है।	चिकित्सालयों के भवन अनुरक्षण हेतु तकनीकी स्वीकृतियों के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए बजट का आवंटन माह दिसम्बर, 2014 को किया जा चुका है।	
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।,	

ख12.51 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24–2–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री आसिफ जाफरी, श्री ममतेश शाक्य, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री संतराम कुशवाहा, श्री सुल्तान बेग, श्री

कालीचरन सुमन, श्री गयाचरण दिनकर, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री मो0 आसिफ, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री उदय लाल मौर्य एवं श्री इन्द्रपाल सिंह की जनपद बलिया के थाना हल्दी अन्तर्गत गांव भरसौता निवासी कु0 रोशनी के साथ दिनांक 24–01–2016 को हुये दुष्कर्म के उपरान्त हत्या किये जाने एवं जनपद लखनऊ में मुख्य मंत्री आवास के निकट दिनांक 23–02–2016 को युवक की लाश मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री संजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कुमार 'लल्ल', श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री ललितेशपति त्रिपाठी एवं श्रीमती अराधना मिश्रा की सम्पूर्ण प्रदेश में यमुना नदी के साथ–साथ गंगा, गोमती, काली नदी, आमी, कुआनों इत्यादि में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री सुदेश शर्मा की आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग के पत्रांक जी0ओ0–144 / कार्य / विनी0 / यू0ओ0–034 / 05, दिनांक 12 जून, 2005 का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय पर तैनात चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के समस्त लाभ दिये जाने के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती में दिनांक 23–02–2016 को संत रविदास जयन्ती मनाने के उपरान्त विसर्जन हेतु ले जायी जा रही प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :–

श्री उमाशंकर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रामचन्द्र यादव, श्रीमती सीमा, श्रीमती हेमलता चौधरी, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, डा0 मो0 अयूब, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री कालीचरन सुमन, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री दलवीर सिंह।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने कल नोटिस दिया था, आपने कहा था कि आज ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

पहले मौर्य जी को बोल लेने दीजिये।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

(इसी मध्य सदस्य, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया कुछ फोटोग्राफ्स लेकर यह कहते हुये कि यह फोटो वहां की हैं जहां गंदगी भरी हुई है, एक भी गली साफ नहीं है, यह मामला वार्ड–54 का है, वेल में आ गये और बोलते रहे।)

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 मंत्री जी को वहां के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। 2013 में मा0 मंत्री जी के द्वारा नियमों में तीन बार हमको गलत जवाब दिया गया है। 2014 में नियमों में एक बार गलत जवाब दिया गया है तथा नियम–301 में 6–2–2014 का जवाब 8 सही गलियां व 36 जीर्ण–शीर्ण बताई हैं। नियम–301 में 18–11–2014 का जवाब 10 सर्विस लेनों का सफाई कार्य के तहत कराया जाना बताया है, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, अधिकारी मा0 मंत्री को गुमराह कर रहे हैं और मा0 मंत्री जी हमको गलत जवाब दे रहे हैं। यह 60–70 साल पुरानी कालोनियां हैं, इनके पीछे तीन–तीन, चार–चार फुट पानी भरा है, कीचड़ है। एक भी गली की सफाई नहीं है, सारी गलियों की फोटोग्राफ मैं यहां लाकर आपको दिखा रहा हूं। मैं कालोनियों के पीछे भरे सीवर, टूटे सीवर, कचरायुक्त सीवरों के बारे में बताना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। आपके अधिकारियों ने आपको सही बात नहीं बताई है। मा0 मंत्री जी, आप स्वयं भौतिक सत्यापन कर लीजिये और जो गलत हो उसको सजा दीजिये। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिये। मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो मा0 मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एक भी गली से कोई निकल पाए तो आप जो दण्ड देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मा0 मंत्री जी मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि लगातार यह विषय उठाने के बाद भी वहां की गंदगी तो साफ नहीं हुई और गंदगी के नाम पर नगर आयुक्त के साथ–साथ सारी टीम ने सफाई के नाम पर पैसा डकारा है। मैं बात सफाई की कर रहा हूं, कालोनी की कर रहा हूं, रहने वाले गरीबों की कर रहा हूं, हिन्दू–मुस्लिम लोगों की कर रहा हूं। मा0 मंत्री जी, सीवर भरे होने के कारण उससे जो पानी की नालियां गयी हैं गंदा पानी जा रहा है, पानी पीकर बीमार होकर दर्जनों बूढ़े और बच्चे मर चुके हैं, इस परेशानी से वहां के लोगों को बचाइये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह ऐसी कालोनियां हैं जो भू–माफियाओं ने डेवलप की हैं। किसी तरह का कोई पैसा सरकार को नहीं देते हैं। गरीबों से सस्ती जमीनें खरीद लेते हैं और बड़ी–बड़ी कोठियां बनती हैं। सीवर की मांग करते हैं, बिजली की मांग करते हैं, सड़कों की मांग करते हैं। कम दामों में गरीब की जमीन लेकर उसका गला काटते हैं। वहां यह सब धंधा चलाते हैं। मान्यवर, यह सब अवैध कालोनियां हैं और सरकार इनके लिये पाबंद नहीं है। अगर ऐसा किया जायेगा तो इनकी और हिम्मत अफजाई होगी और भू–माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे। यह भू–माफियाओं की हिमायत कर रहे हैं, यह गरीबों की हिमायत नहीं कर रहे हैं। यह कोठियां बनाने वाले लोग अपने घर के आगे सड़क बनायें, अपनी नाली बनायें, अपना सीवर सिस्टम बनायें, यह कोई तरीका नहीं हुआ कि भू–माफिया जमीनें खरीदें और सरकार के ऊपर इनकी कोठियों को साफ करने की कोई पाबंदी नहीं है। सरकार के पास कोई ऐसा पैसा नहीं है। सब भू–माफियाओं का खेल है। यह दौलतमंदों के लिये सदन का वक्त खराब कर रहे हैं। यह किसान, मजदूर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और गरीब के लिये सदन के वेल में नहीं आये हैं। जिन्होंने गलत ढंग से कानून तोड़कर कोठियां बनाई हैं।

(व्यवधान के मध्य)

सरकार का मजाक उड़ाकर, कानून–व्यवस्था का मजाक उड़ाकर बनाई हैं। बजाय इसके कि उन्हें सजा मिले उसकी, यह मांग करें कि ऐसी कालोनियां डेवलप करने वालों को सजा मिले।

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मा0 विधायक, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया गले में कई फोटोग्राफ की माला पहने हुए अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, आप अपने स्थान पर चलें, आपकी बात आ गयी है। खन्ना जी, क्या इन्हें कोई गोली–ओली खिला देते हैं, यहां आते ही, यह विचलित होने लगते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं अपने विभाग को सदन के माध्यम से निर्देशित करता हूं कि यह कालोनी जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, अपने स्थान पर चलिए, अब हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है कि सदन के वेल को खेल का मैदान समझ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, बैठिए। मौर्या जी, आप बोलिए।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया वेल से वापस अपने स्थान पर चले गए)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 की सूचना पर आज कुछ ज्वलंत घटनाओं के सम्बन्ध में उनकी ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से शासन–प्रशासन पंगु है, अराजक तत्वों के हौसले बुलन्द हैं और उसी का नतीजा है कि आज जिस तरीके से शासन–प्रशासन अराजक तत्वों पर मेहरबान दिखायी पड़ता है, उससे अराजक तत्वों के हौसले और बुलन्द होते जा रहे हैं। मान्यवर, 24 जनवरी, 2016 को जनपद बलिया के थाना–हल्दी अन्तर्गत भरसौता गांव में शिव शंकर पाल की पुत्री कु0 रोशनी जो छात्रा ही नहीं एथलीट भी है, शौच करने के लिए प्रातःकाल घर से गई थी और गांव के ही कुछ अराजक तत्वों ने दबोच लिया, दुष्कर्म किया, साथ ही साथ गला घोंट करके हत्या भी कर दी और हत्या की नामजद एफ0आई0आर0 भी हुई। लेकिन सामूहिक बलात्कार के अभियुक्तों को घूमने के लिए छोड़ दिया गया है, खानापूर्ति के लिए मात्र एक की गिरफ्तारी हुई, शेष अभियुक्त आज भी गिरफ्तार होने से बचे हुए हैं और मान्यवर, ऐसे गंभीर मामले पर जब किसी के साथ दुराचार, बलात्कार की घटना हो, सामूहिक रूप से

उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया हो और हत्या भी कर दी गयी हो, ऐसे हालात में भी अपराधियों को सरकार की मेहरबानी, हम समझते हैं, कहीं न कहीं अपराधियों की हौसला अफजाई के लिए एक पर्याप्त कारण बन रही है और जिसके नाते आज सारे के सारे अपराधी और अराजक तत्व बेलगाम हैं, जब जहां चाहें, दिनदहाड़े किसी की हत्या कर दें, किसी बहन–बेटी की आबरू के साथ खुलेआम खिलवाड़ करें, उसे बदनाम कर दें या साथ ही साथ स्कूल, कालेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को अपहरण का शिकार बना लें, अपनी हबस का शिकार बना लें और इतना ही नहीं उसको मौत के घाट उतार दें। हम समझते हैं, मान्यवर, यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है और सरकार की उदासीनता के चलते अभी एक हफ्ते पहले मुख्य मंत्री आवास के सामने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया था।

अभी उसके दोषी लोगों की पूरी गिरफ्तारी भी नहीं हो पायी थी कि कल उसी मुख्य मंत्री आवास के ठीक सामने लोहिया पथ के बगल में एक नौजवान की लटकती हुयी लाश मिली। हम समझते हैं कि यह अपराधी, अराजक तत्व न केवल समाज को चुनौती दे रहे हैं बल्कि सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं और यही कारण है, यह उनके बुलन्द हौसले का परिणाम है कि मुख्य मंत्री आवास के सामने भी उनको जघन्य अपराध करने में थोड़ा रंच मात्र भी न डर है, न भय है और इस प्रकार के हादसों से पूरे प्रदेश की जनता में भीषण जन आक्रोश है। इस अराजक तत्वों के चंगुल से बचने के लिए लोगों के मन में चाहत है। इसीलिए मान्यवर, इस लोक महत्व और अविलम्बनीय सूचना पर मैं सदन की सारी कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार ने कभी भी न ऐसे जघन्य अपराध की हिमायत की है और न ही कमजोरी से कदम उठाने का कोई ऐसा सबूत दिया है। जिस लखनऊ के वाकये के बारे में आपने सूचना दी। पहले भी, अब भी। उस पर बहुत सख्त त्वरित कार्रवाई हुयी। उसी दिन गिरफ्तारियां हुयीं, तथ्य पता चला लिये गये और वह बातें जो सदन में नहीं रखी जा सकतीं वह जाहिर है नहीं रखी जायेंगी लेकिन उसमें भी वह बात नहीं थी जो बात सामने आयी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे मामलों में अपने बच्चों की हर बात को सदन में कहना या अखबार में छपना बेहतर नहीं होता है। मान्यवर, आपने जिस संजीदगी से इसे लिया है वाकई यह इतना ही बड़ा अपराध है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको सरकार आश्वस्त करती है कि किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही स्पष्टीकरण चाहता हूं। तीन सामूहिक बलात्कार के दोषियों में से केवल एक की गिरफ्तारी हुयी शेष को छोड़ दिया गया है उनकी गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं तथ्यों की जानकारी ले लूंगा। क्यों छोड़ा गया है अगर वह मुजरिम हैं या वह नामजद हैं तो पुनः गिरफ्तार होंगे। अगर बेगुनाह हैं। दरअसल अगर उसमें

कोई ऐसे लोग आ गये हों जो उसमें शामिल न हों तो क्योंकि यह बड़ा अपराध है और इसकी सजा भी बड़ी है, तो गुनहगार छूटना नहीं चाहिए और बेगुनाह को बेवजह सजा नहीं होनी चाहिए। अगर वह लोग उसमें होंगे और अगर छूटे भी हैं तो पुनः गिरफ्तार होंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी से कि वह दोषी हैं नामजद अभियुक्त हैं, किसी स्थानीय व्यक्ति विशेष के प्रभाव में उन पर पुलिस हाथ नहीं लगा रही है इसीलिए इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाना पड़ा है और क्या सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार ने कभी भी ऐसे मामलों में कितना ही करीबी हो कितना ही बलवान हो कभी सिफारिश नहीं मानी है और यह बहुत खेद की बात कि अगर किसी ने ऐसी सिफारिश की है। तो हम अपने तौर पर उनसे भी यह आग्रह करना चाहेंगे कि शराफत की बात यह है कि वह अपनी सिफारिश वापस लें और पुलिस अपनी कार्रवाई सख्ती से करे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम–56 में नहीं आता है। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। खन्ना जी कल आपने दिया था।

(श्रीमती सीमा सहित कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अब बैठो भई। क्या भट्ठे पर। रोज भट्ठे पर। खन्ना जी कल आपने कहा था तो मैंने आज लेने के लिए कहा था। सूची में छूट गया था। आप अपनी बात संक्षेप में कह लें।

श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

क्या बात हो गयी। खन्ना जी आप बोलें। आप दोनों में से एक ही बोले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनके लिए मेरा कहना है कि नियम–51 में परिवर्तित करके उस पर वक्तव्य मांग लीजिए।

(इस बीच श्रीमती सीमा अपने स्थान से लगातार बोलती रहीं)

श्री अध्यक्ष–

अरे, उस पर, भट्ठे पर कई बार चर्चा हो गयी। अभी कल जवाब आ गया। शासन का उत्तर आ गया। अब यह सब नियम तो मानती नहीं हैं। इनको समझा दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वह विषय परिवर्तित हो गया।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा पहले आप अपना कह लें।

श्रीमती सीमा–

मान्यवर, वह विषय नहीं है। इनके बाद हमको बुला लीजिएगा। दो मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये। जबरदस्ती।

श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट के लिए।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, नियम–56 के आपने पूरे प्रदेश के नगरों की सफाई से सम्बन्धित विषय को इस सदन में उठाने की अनुमति दी। मान्यवर, हम लोग लगातार यह विषय सदन में ला रहे हैं कि महानगरों की सफाई व्यवस्था ठीक इसलिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि मानक के अनुरूप जितने सफाई कर्मी वहां होने चाहिए, वह वस्तुतः जमीनी धरातल पर नहीं हैं, पिछले सत्र में यह विषय हम लोग जब सदन में ले आये थे, तो मा0 मुख्य मंत्री जी उस समय थे और संसदीय कार्य मंत्री तो थे ही और संसदीय कार्य मंत्री ने मा0 मुख्य मंत्री की ओर से एक आश्वासन टाईप का दिया था कि सरकार और शहरी, नगरीय निकायों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर विचार करेगी। मैं सरकार का आभारी हूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने विचार किया और एक सकारात्मक निर्णय लिया। 21 दिसम्बर, 2015 को एक शासनादेश जिसकी संख्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पारित हुआ और उस शासनादेश के माध्यम से जो 21 दिसम्बर, 2015 का था, पूर्व में जो नगर निगम में सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, चाहे वह 2005 का आदेश हो, चाहे वह 2010 और 2012 का आदेश हो, इन तीनों ही आदेशों का अतिक्रमण करते हुए सरकार ने 21 दिसम्बर, 2015 को पूरे प्रदेश के सभी निकायों में 35774 पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये और साथ में यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर यह नियुक्तियां एक महीने के अन्दर सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए 31 दिसम्बर, 2015 का यह आदेश था, जिसकी प्रति मेरे पास है। मान्यवर, नगर निगमों ने इसके ऊपर कार्यवाही शुरू किया, गोरखपुर ने भी कार्यवाही शुरू की जैसा कि नगर आयुक्त ने मुझे बताया, लेकिन एक महीने के अन्दर कहां नियुक्ति होनी थी, एक महीने के अन्दर एक दूसरा आदेश शासन की ओर से 19 जनवरी, 2016 को नगर विकास अनुभाग–1 के द्वारा पहुंच गया, उक्त विषय में मुझे कहने का निर्देश है कि प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों के रिक्त 35774 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती नियुक्ति किये जाने के आदेश संख्या–5417, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 का क्रियान्वयन अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है, सफाई कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति के सन्दर्भ में कोई कार्रवाई न की जाय। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह विषय उठा था, सरकार ने स्वीकार किया था, सरकार ने महसूस किया कि नगरीय निकायों में सफाई कर्मी नियुक्त होने चाहिए, सरकार ने आदेश निकाला था और आदेश निकालने के एक महीने के अन्दर, सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया और महानगर में यह जो खबर मा0 मुख्य मंत्री के हवाले सभी समाचार–पत्रों में छपी थी कि सफाई कर्मी नगर निगमों में नियुक्त किये जायेंगे, इसके वापस होने के बाद एक असमन्जस की स्थिति है, पूरे नगरों की सफाई व्यवस्था को मैं यहां वर्णित करूं।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कह दीजिए, मा0 मंत्री जवाब दे दे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं जिक्र करूंगा भी नहीं, मैं इसके लिए यहां हूं भी नहीं, सबको पता है नगरीय सफाई व्यवस्था को लेकर, मैं कोई विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता। सरकार ने जब खुद महसूस किया कि हां यह कर्मी नियुक्त होने चाहिए और सरकार ने फिर इसको वापस ले लिया, तो मैं जानना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री ही नगर विकास मंत्री हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, आखिर किन कारणों से यह आदेश दिया गया और किन कारणों से यह आदेश वापस ले लिया गया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो मा0 सदस्य की परेशानी है सफाई की, वह सफाई बहुत अच्छी हो रही है और सफाई की कोई शिकायत नहीं है। वह अच्छी तरह वाकिफ हैं कितना पैसा उनके नगर निगम को और प्रदेश के निगमों को, नगर पालिकाओं को मिला है। मेरे ख्याल से 1952 के बाद आजाद हिन्दुस्तान में या आजाद उत्तर प्रदेश में इतना पैसा नगर निकायों को कभी नहीं मिला होगा, जितना मिला और बड़ी फिराक दिली से दिया गया। यहां तक हुआ है कि नागर निकायों के पास पैसा रखा हुआ है और खर्च करने के लिए और उसे लगाने के लिए सड़कें नहीं हैं ऐसी जो इण्टर लॉकिंग से न हुई हों या नाले–नालियां न हुई हों, बल्कि खुद ही मा0 सदस्यों ने कुछ ने मुझसे यह कहा कि अब इस मद में पैसा मत भेजिए, उसका मिसयूज होगा। तो अच्छी सड़कें हैं, अच्छे नाले–नालियां हैं, सफाइयां भी हो रही हैं। मात्र सफाई के कारणों से यह भर्ती नहीं हुई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब पिछली समाजवादी सरकार में थे, तब उस वक्त 1 लाख सफाई कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की गयी थी। यह दरअसल, हमारी घोषणाओं की ईमानदारी है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं हम ठग नहीं हैं, ठगी नहीं करते हैं। ठगी करके वोट नहीं लेते और फिर ठेंगा नहीं दिखाते और फिर गोली नहीं चलवाते, आर्मी से। यहां भी कोई अन्याय नहीं करते। 65 हजार कर्मचारी उस वक्त रखे गए थे। हमारे पास कुछ शिकायत आयी कि सफाई कर्मचारियों में कुछ ऐसे लोग रख लिए गए जो नहीं रखे जाने चाहिए थे। महज उसकी वजह से यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफाई के लिये, सफाई के ही लोग रखे जायें। बहुत थोड़े से वक्त के लिए उस आदेश को रोका है। आपको सूचना देना चाहते हैं कि हमने जो कहा था, वह किया और जो कहेंगे, वह करेंगे। बहुत जल्द 35 हजार

लोग और रखे जा रहे हैं और उनके साथ कोई ठगी नहीं होगी। जो कहा है, वह करेंगे। 20 लाख रुपये तो हमारे पास देने को नहीं हैं, वह तो हम नहीं दे पाएंगे लेकिन हां, सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अब डा0 साहब को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात को सुना मैं इसे अग्राह्य कर रहा हूं। हो गया है, अरे, अब नेताओं को भाषण करना है। उन्होंने तो कह दिया जल्दी रखेंगे।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्रीमती सीमा के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे क्यों परेशान हैं भट्ठे के लिए, कितना हो गया। कोई विशेष भट्ठा है जिसके लिए इतने परेशान हैं। भट्ठे के लिए कल सवाल आया था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मुझसे भी अपनी समस्या बतायी थी। मान्यवर, ऐसा होता है कि जो सार्वजनिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में काम करते हैं, वह यह जरूर चाहते हैं कि अगर कोई निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है तो अधिकारी लोग उसका सम्मान करें। आपका मात्र इतना कहना है कि जिलाधिकारी उसका सम्मान करें, उन्हें करना चाहिए ऐसे निर्देश कर दिए जाएंगे।

(श्रीमती सीमा के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे कहा था कि शाम को जब एसेम्बली खत्म होगी तब मैं खुद कलेक्टर से पूछूंगा। क्यों नहीं मान रही हैं फिर इसके बाद भी वही कागज लिए घूम रही है। हो गया अभी नहीं। बैठिए। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह भी दिया तब अब क्या बोलेंगी। बैठिए। अब कुछ नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम पालन करायेंगे तो अब क्या। बैठिए।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां बह रही हैं जिसमें कि गंगा, गोमती, काली नदी, आमी नदी, कुआनों नदी यह सारी की सारी नदियां बहुत ही जबरदस्त पर्यावरण की व्यवस्था के दौर से गुजर रही हैं। हालात बद् से बद्तर हो गए हैं। आज यदि आप देखें, सरकार एवं सरकारों के द्वारा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा गोमती नदी की सफाई और उसके रिवरफ्रंट की बात तो जरूर की जा रही है परन्तु इसी तरह जौनपुर में भी रिवरफ्रन्ट के बारे में पैसा दिया जा रहा है परन्तु आप देखें तो केन्द्र सरकार गंगा की दुहाई दे कर सफाई करने की बात कर रही है। प्रदेश सरकार गोमती और जौनपुर में स्थित नदी की बात कर रही है परन्तु यमुना नदी, हिंडन नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो भारत सरकार का विषय है इसे यहां कहां ले आए आप।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। यमुना नदी की सफाई के ऊपर और प्रदूषण मुक्ति के ऊपर बहुत बड़े–बड़े आंदोलन चल रहे हैं। बाबा जयकिशन दास जी द्वारा वृंदावन और मथुरा से बड़ा आंदोलन दिल्ली की तरफ किया गया। हमारी यू0पी0ए0 गर्वनमेण्ट ने एग्रीमेण्ट भी किया और उसके लिए उसके अनुपालन के लिये प्रदेश सरकार को डायरेक्शन भी दिए। इसी तरह रमेश बाबा भी इस तरह के आंदोलन को चला रहे हैं। धार्मिक महत्ता यमुना की वृंदावन और मथुरा में है। जहां यमुना नदी को कृष्ण भगवान की पटरानी, यम की बहन और श्रीयंत्री भी कहा जाता है। अध्यक्ष जी, वहां लोग आचमन करते हैं और करोड़ों लोग आचमन करने आते हैं। दीपावली के यम द्वितीया पर्व पर तमाम करोड़ो भाई–बहन हाथ पकड़ कर डुबकी लगाते हैं और बहनें बड़े भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। हालात बद् से बद्तर हो चुके हैं। इलाहाबाद में भी यमुना की स्थिति बहुत गंभीर है। पतित–पावनी यमुना के प्रदूषण मुक्ति के लिए जितने भी नाले वहां गिर रहे हैं हमारी सरकार यू0पी0ए0 गर्वनमेण्ट ने वहां यमुना एक्शन प्लान में उसमें काम कराया था। नगर पालिकायें डीजल बेच रही हैं, पम्पिंग स्टेशन वहां चलते नहीं हैं। वहां पर यह फार्मूला, माननीय शिवपाल जी द्वारा कि जितने नाले वहां गिर रहे हैं उनको टैब कर दिया जायेगा और उनका ट्रीटमेण्ट कराके पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा परन्तु वह सब घोषणायें भी डस्टबिन में चली गई हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलो न। आप तो पूरा पेपर ही पढ़ रहे हो।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनकी तरफ प्रदेश सरकार को भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जितने डायेरक्ट नाले हैं, परोक्ष रूप से नदियों को ड्रेनेज के रूप में इस्तेमाल न किया जाए बल्कि नदियों को पवित्र रखा जाए और उसमें एक कान्सटैण्ट फ्लो ऑफ वाटर हो और जितने भी गन्दे नाले गिर रहे हैं उनको अलग से ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट में ट्रांसफर कराके उन्हें सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए। यही व्यवस्था यमुना नदी के लिए किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि जहां गंगा की महत्ता है वहां प्रदेश में यमुना की भी महत्ता है और धार्मिक महत्ता है। मैं अपनी बात पर पुरजोर सिफारिश करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को डायरेक्शन दें कि वह इस तरह की व्यवस्था करे ताकि यमुना मथुरा, वृन्दावन में प्रदूषित होने से बचे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी। आप कुछ इस पर बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम इस पर पूरी तरह से सहमत हैं, गंगा की सफाई के लिए भी और यमुना की सफाई के लिए भी। हमारे साथी मा0 शिवपाल जी ने जो आश्वासन दिया था, वह यह है और हमारे यहां से तो लगभग दो साल हो गए, पूरा प्लान चला गया है भारत सरकार में कि जितने भी नाले गंगा, यमुना में गिरते हैं, उन पर सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट बनना चाहिए। मान्यवर, हम तो इतना अच्छा पानी देंगे कि अगर उसे पीने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो पानी की कमी नहीं होगी, हम वह पानी इतना अच्छा ट्रीटमेण्ट

करके देंगे। देखिए, इसमें आपने भी कुछ गौर नहीं किया था जब सत्ता में थे और उस वक्त भी यमुना तो थी।

श्री अध्यक्ष–

और ये भी थे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उस वक्त भी गन्दगी थी। गन्दगी न आपने साफ की और न इन्होंने साफ की। मान्यवर, उसमें जितने धन की जरूरत है, वह जाहिर है कि राज्य सरकार के बस की बात नहीं है या किसी भी सरकार के। हमारी तरफ से दो साल हो गए हैं, गंगा के लिए खासतौर से सारा प्रपोजल दिया हुआ है लेकिन अभी तक वहां से कोई एक्नॉलेजमेण्ट भी नहीं आया है, पैसा तो बहुत बाद की बात है। पहले गंगा जी हैं फिर यमुना जी हैं। अब क्या करें जब पैसा नहीं दे रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

मैचिंग ग्राण्ट की घोषणा कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैचिंग ग्राण्ट की हम अभी घोषणा करते हैं। राज्य सरकार पहले से कहती है कि मैचिंग ग्राण्ट देगी। 75 प्रतिशत भारत सरकार को देना है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देना है तो अब 25 प्रतिशत से तो गंगा, यमुना साफ नहीं होगी। आपके पड़ोसी हैं, आपने इन्हें चांदी की थाल में सजाकर सरकार दी है तो अब इनसे पूछिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माथुर साहब को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। इसे अग्राह्य करता हूं। अब सुदेश शर्मा जी।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप सब लोग रोज देंगे तो रोज कहां तक सुना जाएगा। मा0 सुदेश शर्मा जी का एक महत्वपूर्ण विषय है जो विधायकों से सम्बन्धित है।

श्री सुदेश शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, नियम–56 के अन्तर्गत आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं और सौभाग्य से मा0 मुख्य मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। एक जी0ओ0 उत्तर प्रदेश सरकार के यहां से जारी हुआ है। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्रांक–जी0ओ0 144 कार्यवि0नि0यू0ओ0 034/5 दिनांक 12 जून, 2005 के द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों का, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेता हों या चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों, उनके सम्मान में हम गेटों का, द्वारों का निर्माण करा सकते हैं लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं समझता हूं कि शायद पूरा सदन इससे सहमत होगा कि यदि हम विधायक निधि से उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने इस देश

के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया या जो सीमा पर लड़ते–लड़ते शहीद हो गए। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है अगर वह एक मिनट इसको सुन लें। इस जी0ओ0 में शायद दुर्भाग्य से यह कमी कर गई है कि हमारे देश की रक्षा करते हुए सीमा पर हमारे जो सैनिक शहीद हो जाते हैं तो हम विधायक निधि से उनके नाम से उनका द्वार नहीं बनवा सकते। जब हम कोई भी पत्र लिख करके सी0डी0ओ0 या कलेक्टर को भेजते हैं। वह जी0ओ0 लगाकर हमको दे दिया जाता है कि आप शहीदों के नाम से कोई द्वार नहीं बना सकते क्योंकि जी0ओ0 में इसका प्राविधान नहीं है। वह समाधि स्थल भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है कि देश की सीमा पर रक्षा करने वाले जो हमारे फौजी भाई हैं और जिनको परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या महावीर चक्र है, मरणोपरान्त दिये जाते हैं उनके लिए भी द्वार न बना पायें तो शायद यह मेरे लिए दुर्भाग्यवश है। मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर या तो संसदीय कार्य मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ जवाब दें अन्यथा इस पर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह विधायक निधि से सम्बन्धित मामला है। इसमें ग्राम्य विकास के मंत्री जी रहेंगे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रहेंगे। सब विचार–विमर्श कर लिया जाए इनका यह कहना यह है कि यह पैसा हम शहीदों के नाम पर खर्च कर सकें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, असल में होता यह है कि जो एम0पी0 लैड्स के लिए नियम होते हैं, लगभग वैसे ही यहां भी रखे जाते हैं। पार्लियामेण्ट में कुछ ऐसा हुआ है, वहां की गाइडलाइन आयी है कि किन–किन के नामों से क्या–क्या हो सकता है, उसमें इसको भी प्रतिबन्धित किया गया है, फिर भी हम उसके पूरी तरह से पाबंद नहीं हैं, इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, दो मिनट में अपनी बात कहकर खत्म कर दीजिए। बजट पर चर्चा करायेंगे, बीस मिनट हो गया है, एक बजे चर्चा शुरू होनी थी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 में आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के हर ग्राम में जो ग्राम चौकीदार हैं उनकी तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं और उनकी समस्याओं तथा उनकी नौकरी संबंधित विषय पर। यह जो एक नियमावली थी, सन् 1875 की अंग्रेजों के समय में उस नियमावली के तहत इन ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति होती है। मान्यवर, यह ग्राम चौकीदार, ग्राम पुलिस प्रशासन के आंख, नाक और कान होते हैं। इनकी सूचनाओं पर बहुत से नियंत्रण प्रशासनिक या कानूनी नियंत्रण हो सकते हैं जो कानूनी नियंत्रण होते हैं अपराध की रोकथाम में सहायता मिलती है, लेकिन इन्हें जो पारितोषिक दिया जाता है,

वह बहुत कम है। इन्हें राजकीय अधिकारी/कर्मचारी भी नहीं माना जाता है और यह 24 घंटे, बारहवों महीने थाने की ड्यूटी करते हैं। इनसे प्रशासनिक कार्य भी लिया जाता है। चुनाव की ड्यूटी से लगाकर हर कार्य कराया जाता है। इनका चयन भी सरकारी कर्मचारियों की तरह से होता है। इन पर जो बाध्यतायें हैं वह सरकारी कर्मचारियों की जैसी हैं, जैसे वह कोई प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ सकते या किसी और आन्तरिक गतिविधि में भी वह भाग नहीं ले सकते हैं। सब कुछ सरकारी कर्मचारियों की चीजें उन पर इम्पोज की गई हैं, उन पर लागू होती हैं और उनको वैसे ही ट्रीट किया जाता है लेकिन सरकारी कर्मचारियों की उनको सुविधा नहीं दी जाती है माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक मानदेय दिया जाता है। यहां तक की हमारे जनपद देवरिया में कई घटनायें ऐसी हुई कि वह कुछ गोपनीय सूचनाएं अपराधियों की देते हैं, वह अपराधी पकड़े गये या किसने क्राइम किया उसका खुलासा हुआ। वह गांव के चौकीदार हैं तो सब जानकारी उनको होती है, वह जानकारी दी। थाने से वह लीक कर दिया गया और उन चौकीदारों का हमारे जनपद में मर्डर भी हो गया। इस तरह की सेंसटिव सूचनाएं जो सरकार के काम आती हैं। कानून–व्यवस्था को बनाये रखने में काम आती हैं, उसकी यह ग्राम सभा में चौकीदार अंतिम कड़ी है। ये रात में ग्रुप बनाकर चौकीदारी भी करते हैं। हमारा अनुरोध मान्यवर, इतना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं कि इन कर्मचारियों को जैसे बिहार सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दे रखा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधायें इनको मिलती हैं। चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने यह आश्वासन भी दिया था। उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनका भी दुर्घटना बीमा कराया जाए, शहीद होने पर इनको भी उन्हीं पुलिस कर्मचारियों की तरह जो अनुग्रह राशि दी जाती है, वह दी जाए और जो कड़ी है थाने की उससे इन्हें सम्बद्ध करते हुए वह भत्ते आदि सब दिये जाएं। हम चाहते हैं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सब कार्य को रोककर इसमें सुनवाई की जाए और इन्हें उस श्रेणी में लाया जाए।

श्री दलवीर सिह–

मान्यवर, एक नियम–56 मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पांचवी सूचना जीतेन्द्र कुमार जी की है मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। इस पर आपको सारी सूचनायें कार्यवाही करके आपका हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आप वक्तव्य मंगा लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें, मेरा इसमे कई बाते मैंने रखी हैं, अनुपूरक है कम से कम उनका दुर्घटना बीमा और उनके शहीद होने पर अनुग्रह राशि जिस तरह पुलिस को दी जाती है उस पर सरकार विचार कर ले।

श्री मोहम्मद आजम खां–

राज्य सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो अपने संसाधनों को देखते हुए लेती है, चूंकि अभी ऐसे संसाधन नहीं हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बीमा कराने में बहुत ज्यादा संसाधन की आवश्यकता नही होती है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

ठाकुर साहब, आपको अभी बोलना है, सारी बात उसमे कह लीजियेगा। अभी मौका है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, राम गोविन्द चौधरी जी ने अपने कार्यकाल मे अध्यापकों के लिए एक व्यवस्था बनाई उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप तो मुख्य मंत्री जी से हमेशा मिल लेते हैं। बात कर लीजियेगा, आपको क्या दिक्कत है ?

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, यहां पर सीनियारिटी का मामला है, उनकी सीनियारिटी वहीं से काउण्ट होनी चाहिए जब ज्वाइन किया हो। इसमें यह बाधा पड़ रही है कि उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिले ज्वाइन करने से मानी जा रही है, पहले जिले की ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं मानी जा रही है। इसमे कुछ सुधार करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा शुरू हो रही है, माननीय नेता विरोधी दल बजट पर चर्चा शुरू करें।

ख1.28 बजे, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2016–17 के बजट भाषण पर चर्चा के लिए अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण के प्रारम्भ में ही इनकी अपनी व्यथा और दर्द दोनों धड़का है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

ताज्जुब यह हुआ कि फासिस्ट कुछ भी हो सकता है इन्सान नहीं हो सकता।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अपने अधिकांश वायदों को पूरा करने का दावा करने वाली सरकार ने आज खुद कहीं न कहीं अपनी गल्तियों को एहसास किया और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरुआत में ही जाने अनजाने इस बात को स्वीकारा भी कि कई बार हमें अपने वायदों को पूरा करने में कठिनाइयां आई। और परिस्थितियां हमारे अनुमान को झटका दे गयीं। मान्यवर, उस दर्द को इन्होंने एक शेर के रूप में व्यक्त किया जिसमें अपनी व्यथा इन्होंने जाहिर की थी ''जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया'' और इसी चीज को जब हम इंगित किया करते थे कि दाये बायें लोगों से होशियार रहियेगा तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी की समझ में यह बात नहीं आई, आई 4 साल बाद और जब अगल बगल वाले लोग हमेशा जब मुख्य मंत्री जी को बार–बार चढ़ाते थे कि जो टीपू था वह सुल्तान बन गया। अरे टीपू सुल्तान तो तब बनेगा जब उसके हाथ में तलवार होगी। टीपू सुल्तान जरूर बन गया होगा लेकिन तलवार तो रामपुर वालों के हाथ में चली गयी। इसलिए मान्यवर, यह शेर नहीं है यह माननीय मुख्य मंत्री जी का दर्द है और अब भवर में तैरने का हौसला रखने से भी कुछ होने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अब भवर में तैरने का हौसला रखने से भी बात बनने वाली नहीं है क्योंकि समझते समझते बहुत देर हो गयी।

समझते समझते बहुत देर हुई कि पतवारों ने धोखा दिया,
भंवर में तो डूबेगी नैय्या हौसला भी पस्त होगा।

इसलिए अब आपके हौसले काम आने वाले नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने शायद इस किताब में अपने वायदों को पूरा करने की बात कहते हुए इनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं कि आपने जो वायदे किये थे बेरोजगारी भत्ता, वह आज रद्दी की टोकरी में है, आपने वायदा किया था लैपटाप, और अब उसमें शर्त लगा दी कि मेधावी छात्रों को दिया जायेगा जब कि घोषणा के दौरान था कि इण्टर पास सभी छात्रों को, छात्र एवं छात्राओं को दिया जायेगा तो जब शर्त पहले नहीं थी तो शर्त आज कैसे आ गयी आपने तो टेबलेट भी देने बात की थी, आपने तो दो साड़ी भी देने की बात की थी, आपने तो दो कम्बल भी देने की बात की थी लेकिन आज बेरोजगारी भत्ता भी गायब, लैपटाप भी गायब, टैबलेट भी गायब, साड़ियां भी गायब और कम्बल भी गायब। माननीय अध्यक्ष जी, आज तो कन्या विद्या धन में भी शर्त लगा दी गई है। शर्तो पर वायदे नहीं चलते। जिन वायदों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश नौजवानों ने दिया था, छात्र और छात्राओं ने दिया था, प्रदेश के किसानों ने दिया था, प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने दिया था। सरकार में आने के बाद शर्ते लगाना कहीं न कहीं जनादेश देने वालों के खिलाफ एक साजिश है और इसलिये अब जनता के बीच में आप कितना भी अपना दर्द बयान करें यह किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। 'अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत' और बार–बार आपका यह कहना कि हम फिर आयेंगे। यह कहीं न कही आपकी कमियां आपको उकसाती हैं और तैरने का हौसला रखने के तहत ही वह आपका हौसला बढ़ाने के लिए बात आती जरूर है, लेकिन सपने अच्छे होते हैं, सपना देखना भी चाहिये, लेकिन आपको फिर से आने का काम भी तो करना चाहिये था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पिछले दस सालों

से लगातार यानी इसके पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज भी है। बीच में बहुजन समाज पार्टी का दौर था। यानी उसके पहले और उसके बाद आपने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का भी जनता के बीच में, उन गरीबों के बीच में उन 17 जातियों के बीच में जगह–जगह जाकर के आपने एलान किया था, घोषणायें की थीं, वायदा किया था, जिसमें वो सारी की 17 जातियां हैं, आप जानते हैं कि राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द, भर, केवट, बाथम, मछुआ, तुरहा, गौर लेकिन वही ढ़ाक के तीन पात, यह पिछड़ी जातियों की 17 कौमें अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए आपकी पिछली भी सरकार में तरसती रह गई और आपकी इस बार की सरकार में भी तरसती रह गई, जब आप यह जानते हैं कि किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है, तो गलत वायदे क्यों, लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम क्यों ?

जन्तु उद्यान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 शिवप्रताप यादव)–

हमारी सरकार ने केन्द्र को प्रस्ताव भेजने का काम किया था और आपने प्रस्ताव वापस ले लिया अपनी बसपा सरकार में। आप इतने सीनियर हैं, आप जानते हैं कि किसी भी काम के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, उस प्रक्रिया के तहत हमने प्रस्ताव भेजा। हमने इन जातियों को शामिल कराने के लिए पूरी तरह से काम किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सदन को गुमराह करने से बात चलने वाली नहीं है। आप पहले यही कह देते कि हम केवल प्रस्ताव भेजेंगे। आपका कोई भी प्रस्ताव हमारे द्वारा न वापस कराया गया और न वापस करने के लिए लिखा गया।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ बोलने वाले उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं और शायद यह नहीं जानते कि 'झूठ बोले, कौआ काटे।' इसलिये मान्यवर आज अपने ही वायदों पर यह सरकार बुरी तरह फेल हुई है, अपने ही वायदे पर और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब मैं बात कर रहा था मदरसों को अनुदान देने और मदरसों को अनुदानित करने की। माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी भावना अच्छी हो सकती है। कुछ मदरसों को अनुदान दिया भी गया लेकिन व्यवहारिक स्वरूप क्या है। स्थानीय स्तर पर हर जिले में अनुदानित मदरसों को जांच के नाम पर जिस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके धन को जांच के नाम पर रोका जा रहा है और जिस तरीके से मदरसों के अध्यापकों का वेतन रोका जा रहा है, शायद इसका अगर आप संज्ञान लेंगे तो हम समझते हैं कि आप खुद इस बात को एहसास करेंगे कि हमारे किये पर पानी कौन फेर रहा है। जांच होनी चाहिये लेकिन जांच में चार साल लगे, तीन साल लगे, दो साल लगे तो ऐसी जांच के क्या मायने जब हमारा उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा कि हम उन मदरसे वालों के आंसू पोछने के लिये अगर इमदाद दे रहे हैं और समय से उनको इमदाद नहीं मिलती है तो उस इमदाद का क्या फायदा। इसलिये

मान्यवर, कम से कम इस बात को भी पता कर लेना चाहिये कि जिन मदरसों को हमने अनुदानित किया है क्या सही ढंग से अनुदान उन तक पहुंचा कि नहीं। जांच के नाम पर अभी भी उनकी पत्रावलियां लटकी हुयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब उस दिन मैंने मुसलिम समाज के लोगों को 18 परसेंट आरक्षण देने की बात की थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आपने मेरा चुनाव घोषणा–पत्र नहीं पढ़ा। मान्यवर, यह आपका घोषणा–पत्र है और इसमें कवर भी आप का ही है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिये सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुये दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जायेगा। हम 18 परसेंट कह रहे हैं कि मुसलमानों का 18 परसेंट है और आप 5 परसेंट कह दो, यह आपको मुबारक होगा। इसलिये आपको यह कहे तो चार साल हो गये। पहले साल, दूसरे साल बात टल जाती लेकिन अरे जाते–जाते भी कर देते तो इससे आपकी दूसरी बार वापसी का कुछ रास्ता प्रशस्त हो सकता था। आप आना तो चाहते हैं लेकिन आने का जतन नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, उस दिन जब मैं कह रहा था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपने पढ़ा नहीं इसलिये हमने आज आपको साक्षी मानकर पढ़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उसी घोषणा–पत्र में यह भी कहा था कि राजकीय सुरक्षा में मुसलमानों की भर्ती की जायेगी लेकिन आज तक कहीं भी इस घोषणा का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसलिए हवा–हवाई घोषणाओं से एक बार सरकार बनाने में कामयाबी भले ही मिल गई हो लेकिन बार–बार काठ की हॉडी नहीं चढ़ती। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज सारी की सारी आपकी कल्याणकारी योजनाएं तो ठप हो ही गई और साथ ही साथ मान्यवर, आपके इसी घोषणा–पत्र में दो वर्ष में बिजली की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे देने की बात की थी इस घोषणा–पत्र में दो साल के अन्दर लेकिन जब आप का यह अन्तिम बजट भाषण हो रहा है तो उसमें आपने अपने बजट भाषण के पेज 10 पर अन्तिम पैरा में कहा कि 16 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में और 24 घण्टे शहरी क्षेत्र में बिजली देने के लिए सरकार काम कर रही है, अभी किया नहीं है बल्कि वह अभी कर रही है। जब यही करना था, चार साल बाद बजट भाषण में यही देना था तो चुनाव के दौर में ये क्यों कह दिया था।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

जब शाह और चोर दोनों सामने होते हैं तब शाह की परख आती है। अब जब बसपा की सरकार लोगों ने देखा और आपकी सरकार को भी लोगों ने देखा तो अब आने वाले समय में कौन सी सरकार अच्छी है उस पर वह मुहर लगायेंगे, न आपको कहना पड़ेगा और न हमें कहना पड़ेगा। इसलिए सपनों में उड़ने के बजाय जमीन पर चलना सीखें। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, यदि हम आप पर कोई आरोप लगा दें तो लाजमी तौर पर यह माना जायेगा कि विपक्ष की तो यह आदत है इसीलिए हम आपके घोषणा–पत्र को साथ लाये हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

अब जब अमल करने वाले नहीं अमल कर पा रहे हैं तो इसका हिसाब–किताब तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। मान्यवर, आज एक मा0 मंत्री जी एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि आज बिजली का कितना उत्पादन है। वह बता रहे थे कि 3556 मेगावाट विद्युत आज है और जो आपकी घोषणा है घोषणा–पत्र में, इसके मुताबिक 13 हजार से लेकर 15 हजार मेगावाट के बीच में विद्युत उत्पादन हो तब इस घोषणा को अमलीजामा दिया जा सकता है। आपका उत्पादन है 3556, अब जब 3556 उत्पादन है तो इस तरीके से आज पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखने का काम आपकी सरकार कर रही है। जिसको आपने अपने बजट भाषण के माध्यम से कबूला। आपके घोषणा–पत्र और बजट भाषण में जमीन–आसमान का अन्तर है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

शायद माननीय मुख्य मंत्री जी इतने कमजोर नहीं हैं कि उनका जवाब सारे मंत्री और विधायक मिलकर दें, मेरा जवाब वह अकेले दे लेंगे, सारे लोग अपने मुख्य मंत्री जी का सहयोग करके उनको कमजोर साबित कर रहे हो तो हम समझते हैं कि यह आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है अपने मुख्य मंत्री जी पर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज 14 घण्टे, 16 घण्टे जो भी आपकी समय सारिणी ग्रामीण क्षेत्रों में हो विद्युत आपूर्ति की लेकिन व्यवहारिक सच्चाई है आज बमुश्किलन कई बार कटौती के बाद 24 घण्टे में 6 घण्टे, 7 घण्टे बिजली जाती है। (सत्तापक्ष की तरफ से बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत कह कर प्रतिवाद किया गया) मान्यवर, कोई किसान अपना ट्यूबवेल चलाना चाहे तो दो घण्टा नियमित बिजली नहीं मिलती, 24 घण्टे में टुकड़ों में एक घण्टा आयेगी फिर चली जायेगी, फिर आयेगी, फिर जायेगी, यानि अगर किसान सोचे कि ट्यूबवेल से हम अपने खेत की सिंचाई कर लें तो जितना सींचा है दो घण्टे बाद चलायेंगे तो फिर उतना ही पानी लगेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा और बढ़ जायेगा। इसलिए आप न 16 घण्टे, 14 घण्टे लिखत–पढ़त में देना है तो 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घण्टे जो भी दीजिए वह व्यवहारिक रूप में भी रहे। (सत्तापक्ष से प्रतिवाद किया गया कि भरपूर बिजली मिलती है।) अब अगर किसी मंत्री जी की क्षेत्र में हो तो बात दीगर है। मान्यवर, जैसाकि आज जगजाहिर है इस सदन में एक नहीं, अनेक बार चर्चा हुई कि आज जरूरत के सापेक्ष वर्षा नहीं हुई थी और विशेष रूप से बुन्देलखण्ड अवर्षण से आज तबाह है, चूंकि सूखे पर चर्चा भी लगी है इसलिए उस पर हम विस्तार से नहीं जायेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बजट भाषण देते वक्त कम से कम बुन्देलखण्ड के किसानों का दर्द तो साझा किया होता।

(सत्तापक्ष से आवाज आयी कि आपने बजट भाषण ठीक से पढ़ा नहीं है)

हमने भी पढ़ा लेकिन जो आज उनकी मौलिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, जो बजट आपने विकास के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए दिया है वो तो जब पैसा जायेगा तो साल के अंत में उसका फायदा उनको मिलेगा। तत्काल आज इनको आवश्यकता थी उनके बच्चों की पढ़ाई–लिखाई ठप्प हो गयी है, आज पलायन हो रहा है, भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं इसीलिए तत्काल जो सरकार की तरफ से सहायता होनी चाहिए थी विशेष खाद्यान्न पैकेज का, उनके दवाई इलाज का, तात्कालिक राहत का, उसके लिए किसी धन की तत्काल घोषणा नहीं हुई। वो तो

व्यवहारिक रूप में जो सामान्य बजट के तहत प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाता है वहां आपने कुछ ज्यादा करने की कोशिश जरूर की लेकिन तात्कालिक रूप से जो उनके आंसू पोछने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था वह नहीं किया इसलिये चूंकि आज सारे कुएं सूखे, सारे तालाब सूखे, इण्डिया मार्का नल सूखे, सब कुछ सूखे। तो पैसा तो जायेगा, काम होगा एक साल बाद आते आते मार्च तक होगा और उस समय तक क्या करेंगे ? इसलिये तात्कालिक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, तात्कालिक व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, आज ही मैंने इस चिन्ता को प्रश्न प्रहर में व्यक्त किया था। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, इसलिये उनके संज्ञान में लाना भी जरूरी है। 73 लाख बच्चे हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा में इस समय बैठ रहे हैं, यानि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। जो भी आपके पास विद्युत उपलब्ध है या जो भी आपने समय–सारणी तय की है उसी में से समायोजन उन छात्रों के लिये सायं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और प्रातः 4 बजे से लेकर 8 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें जिससे कि इन 73 लाख परीक्षा में बैठने वाले छात्र और छात्राओं को अपने पठन–पाठन में भी कोई असुविधा न हो साथ ही साथ परीक्षा देने के लिये जाने की तैयारी में भी किसी प्रकार का व्यवधान न आये। हमने इसीलिये संज्ञान में डाला कि आपके संज्ञान में लाया जाय तो इसमें कुछ न कुछ प्रभावी कदम उठाया जायेगा। इस विश्वास के साथ मैं इस मामले को आपके संज्ञान में ला रहा हूं क्योंकि उनमें बच्चे सभी के हैं। पूरे प्रदेश की जनता और पूरे प्रदेश के बच्चें इन बोर्ड की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और पढ़ने के समय में दिन में तो काम चल जायेगा क्योंकि उनको परीक्षा देना है और अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है कि उनको पंखे की जरूरत पड़ेगी हां इतना जरूर है कि शाम सुबह उन बच्चों को पढ़ाई करनी रहती है और उस पढ़ाई के लिये उन बच्चों को बिजली की दिक्कत न हो इस बात को आप सुनिश्चित करें। इसीलिये मान्यवर, आपके इस बजट भाषण में ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी जितने बजट भाषण आये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अवस्थापना के विषय में हमेशा अपनी चिन्ता जाहिर की। लेकिन अवस्थापना, निवेश और तमाम औद्योगिक समूहों को आमंत्रण करना मात्र औपचारिकता रह गई। इसे जमीनी हकीकत में बदलने की आवश्यकता है और मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण के माध्यम से अवगत कराया कि रिलांयस, आई0टी0सी0, एस0एल0, गेल, एम0टी0 और फोर्टिज आज तमाम औद्योगिक समूहों के साथ सहमति पर हस्ताक्षर करने की बात कही। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 42500 करोड़ का निवेश होने का दावा तो जरूर किया गया लेकिन उसमें से आया कितना ? 5427 करोड़ हाईटेक टाउनशिप के लिये और 7587 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिये यानि ऐसे निवेश जहां से रोजगार सृजन होते हैं। जहां से हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने की गुंजाइश होती है। इनके रोटी और नौकरी की गारंटी होती है ऐसा कोई उद्योगधंधा नहीं बना है उद्योगघराने और मोटे हो सकते हैं लेकिन प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगारों को जो बड़े पैमाने पर काम मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। रोजी रोटी के लिए कोई बाम्बे कोई कलकत्ता या प्रदेश के अन्य शहरों में जाते हैं उनको अपने घर में काम मिलता तो शायद उनको बाहर न जाना पड़ता, वह मकसद इस निवेश से पूरा होता दिखाई नहीं पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी विकास अवस्थापना निवेश की बात करते हैं, लेकिन वह व्यवहारिक रूप में भी दिखाई पड़ना चाहिए। लोगों को एहसास होना चाहिए

कि उद्योगधंधे लग रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं मिलें लग रही हैं उद्योग स्थापित हो रहे हैं और यही नहीं मान्यवर, एक उपलब्धि माननीय मुख्य मंत्री जी की है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे, अभी तक तो मुख्य मंत्री जी हमारी ही तमाम परियोजनाओं का उदघाटन कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो मेट्रो आपने बनाईं वह सारी योजनायें हमारी ही थीं और अभी भी मैं कह रहा हूं जो भी आप आधा अधूरा छोड़कर जाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। (हंसी)

डा0 शिवप्रताप यादव–

आपकी नेता ने कहा है कि अब पत्थर के पार्क नहीं बनायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हम क्यों बनायेंगे जब मुख्य मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हम अम्बेडकर पार्क बनायेंगे जब हमारा काम आप करने लगे हैं तो हम क्यों करेंगे। (हंसी) एक दिन आपने गजरिया फार्म की तरफ कहीं घोषणा किया था। हमारी सरकार ने जो बहुजन समाज में जन्में सन्त और महापुरुष थे, दलितों में रहे हों, या पिछड़ों में रहे हों उन महापुरुषों के नाम पर आज तक किसी भी सरकार ने एक ईंटा भी नहीं रखा था। अन्य महापुरुषों के नाम पर बड़े–बड़े पार्क भी बने, उद्यान भी बने, योजनायें भी चलाई गईं, लेकिन दलितों और पिछड़ों में पैदा होने वाले महापुरुषों के नाम पर सौतेला व्यवहार पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। इसलिए उन महापुरुषों को कोई सम्मान दे या न दे यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी हमने सम्मान दिया और अगर आप सम्मान देते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आप जहां बैठे हैं इसमें भी पत्थर लगा है। अगर कुछ भी नया करना है तो पत्थर भी लगेगा ईंटा भी लगेगा सीमेंट भी लगेगी बालू भी लगेगी, सरिया भी लगेगी और भी निर्माण में जो जो सामग्रियां आती हैं वह लगेंगी। इन लोगों को पत्थर दिखाई पड़ता है मैं तो कहना चाहूंगा जिसकी आंखें पथरा गई हों उसको सब कुछ पत्थर दिखाई पड़ता है। उसको कागज भी पत्थर दिखाई पड़ेगा। आज सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है अगर हम किसी महापुरुष को सम्मान दे रहे हैं तो उस पर उंगली उठाने का मतलब अपमान। आप किसी महापुरुष को सम्मान दीजिए हमने कभी नहीं उंगली उठाया अगर किसी ने किसी महापुरुष का सम्मान किया तो हमने कभी उंगली नहीं उठाई। महापुरुषों के नाम पर कोई भी काम करता है तो वह स्वागत योग्य है जिन महापुरुषों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था उन महापुरुषों के सम्मान में हमने कुछ किया तो और लोगों के पेट में दर्द क्यों। अगर आज कोई दलितों, पिछड़ों को दोयमदर्जे का नागरिक समझता है तो कहीं न कहीं उसकी कुंठा हो सकती है हीन भावना हो सकता है। आजादी के 67 साल बाद भी अगर जाति के नाम पर महापुरुषों का बंटवारा होगा जाति के नाम पर महापुरुषों के नाम पर किए गए सम्मान पर उंगली उठाई जाएगी तो हम समझते हैं और सदन इस बात का गवाह है कि उसे जनता माफ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह लोग जो समूह में बोलते हैं इनका समय जोड़ लिया जाए वह समय हमारे समय से माइनस किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण की किताब के पेज 12 पर अपने ही द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना का सच बताया है। अब तक कुल चयनित समग्र ग्राम 5802 जिसको मात्र सम्पर्क मार्ग से जोड़ा उनकी संख्या 1659 गांव। नवम्बर

दिसम्बर में चुनाव हो जाएगा 15 सितम्बर को 6 महीने शेष रह जाएंगे यह सभी जानते हैं जब कार्यकाल के 6 महीने शेष रह जाते हैं तो सर्वाधिकार निर्वाचन आयोग के तहत हो जाता है। कब चुनाव होंगे यह उसकी मर्जी पर होता है उसमें सदन भी कुछ नहीं कर सकता है प्रदेश और केन्द्र सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं होता। 15 सितम्बर के बाद कभी भी चुनाव करा सकता है अगर अक्टूबर, नवम्बर में चुनाव नहीं भी होगा तो भी 15 सितम्बर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। जैसे 2012 में मई में चुनाव ड्यू था अक्टूबर में आचार संहिता लग गई जनवरी और फरवरी में पोलिंग हो गई 6 मार्च को रिजल्ट आ गया 15 मार्च को सरकार बन गई।

डा0 शिवप्रताप यादव–

लगता है केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जो स्थापित ला है जो स्थापित विधि व्यवस्था है जिसमें सरकार भी आड़े नहीं आ सकती है उस पर बहस करना हम समझते हैं समय जाया करना है। अध्यक्ष महोदय जी यानी आपकी प्राथमिकता है। यह लोहिया समग्र ग्राम योजना आपकी प्राथमिकताओं की योजना है और प्राथमिकता की योजना में 5802 गांव में से मात्र 1659 गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ा गया है। (मा0 मंत्री डा0 शिव प्रताप यादव द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर) मा0 मुख्य मंत्री जी से आप यदि ज्यादा ज्ञानी हैं तो यह ज्ञान आपको ही मुबारक हो, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो अपनी इस बजट पुस्तिका में लिखा है हम तो उसी का उद्धरण देंगे। इसलिये मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि मा0 एस0पी0 यादव जी के विभाग में और बढ़ोत्तरी कर देंगे। मान्यवर, इससे जाहिर होता है कि यह सरकार कछुआ गति से प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहती है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

असल में धोखे में मत रहिये और आंख पर अगर कोई पट्टी बंधी है तो उसे खोल दीजिये, आगे गढ़ा है। यह पूरा पढ़ लीजिये पृष्ठ–13 पर और थोड़ा जोड़–घटाना भी सीखिये। थोड़ा कन्चे खेलना शुरू कीजिये तो आपको रहेगा कि दो कंचे गिरे, तीन कंचे गिरे। टीपू सुल्तान आज भी याद किया जाता है। जिसने उसे मारा था उसे कोई याद नहीं करता है। शहीद आज भी याद किया जाता है।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बहादुरी बखान करना चाहते हैं। टीपू सुल्तान तब बनेगा जब तलवार उनके हाथ में होगी। तलवार तो रामपुर चली गयी। टीपू सुल्तान कैसे बनेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा डर यह है कि जब सुल्तान के हाथ में तलवार होगी तो कहीं आप सामने न हों।

(सदन में हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, टीपू सुल्तान की पहचान उनकी तलवार थी और उनकी तलवार ने जिस तरह से अंग्रेजों के दांत खट्टे किये थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहली कतार में अपना नाम लिखवाया था, वह केवल तलवार की कूव्वत पर लिखवाया था और तलवार नदारद, टीपू सुल्तान रहकर क्या करेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, अब मैं इनकी किताब पढ़ रहा हूं जो अभी कहा कि आपने पढ़ने में धोखा किया। अब तक 5802 समग्र ग्रामों का चयन कर अवस्थापनापरक आधारभूत सुविधाओं व व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजनाओं से गांव का पूर्ण विकास करते हुये लगभग 1659 गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया है। अब जब चार साल में 5802 में से 1659 किये हैं तो शेष साढ़े तीन हजार गांव कब करेंगे, सितम्बर के बीच में ? मान्यवर, हमने तो मा0 मुख्य मंत्री जी की जो वेदना थी उसको शुरू में बता दिया था। कई बार हमने मा0 मुख्य मंत्री जी को जब मजबूर मुख्य मंत्री कहा था, बेचारा मुख्य मंत्री कहा था, लाचार मुख्य मंत्री कहा था तो सत्ता पक्ष के सारे लोगों ने कहा था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी की लाचारी जब खुद बयां कर रही है तब बताईये हम क्या कहते ? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सेर कह करके फंस गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और उस सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर खरा उतरने की कसौटी होती है और उसकी जवाबदेही भी रहती है। कोई भी सरकार हो, उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। वह अपनी प्राथमिकताओं पर काम करती है, जनता के बीच अपनी जवाबदेही को पूरा करने का प्रयास करती है। लेकिन चलते–चलते माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगरा–लखनऊ के अतिरिक्त एक योजना की घोषणा और की, जिसकी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में है, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे। आपने आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे की शुरुआत की थी 2012–13 में, काम शुरू हुआ 2014 में, यह 2016 तक पूरा हो जायेगा ? जल्दी कीजिए नहीं तो हमको करना पड़ेगा, उद्घाटन। (हंसी)

मान्यवर, तो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे की घोषणा केवल कल्पना तक ही सीमित रह जायेगी क्योंकि व्यावहारिक रूप में कार्यान्वयन करने के लिए धन और समय चाहिए।

महिला कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा)–

आपके बगल में बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, माननीय उमा शंकर जी, उनसे पूछ लीजिए।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री उमाशंकर–

अब मंत्रि–मण्डल विस्तार करने का टाइम तो है नहीं, अब मंत्रि–मण्डल का विस्तार कहां होना है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वह मंत्री बन गयी हैं। माननीय मंत्री, शादाब फातिमा जी ने अभी उमाशंकर जी का बखान किया। वह बखान करने लायक हैं और यही कारण है कि जितनी आवश्यकता हमारी सरकार के समय इनकी थी, उतनी ही आवश्यकता आज भी आपकी सरकार के समय में है। यह इनकी मेरिट है। तो यह तो बखान करने लायक है और हमारा हर अच्छा साथी जहां आप फेल होते होंगे, अगर आगे कर देंगे तो संभाल लेगा।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप क्यों छेड़ रहे हैं, बोलने दीजिए।

(कुछ सदस्यों के कुछ कहने और हंसने पर)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह भद्दी बातें ये लोग कर रहे हैं। यह विद्रूप हास्य, यह जो गरिमामय सदन है, इसकी गरिमा को कम कर रहा है। कम से कम इतना आप लोगों को भी सोचना चाहिए, मेरा आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है। इस सदन की गरिमा को बनाये रखिए, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए।

मौर्या जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

अध्यक्ष महोदय, दरअसल इनको आदत है, डांट खाने की, आपने सही तरीके से नहीं डांटा। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो शब्द मैंने कहा ही नहीं, वह अपनी झेंप मिटाने के लिए उनका रौब भी गालिब कर रही हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

यह सब आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं। आपका जो मूल है, उससे आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोलिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सत्तापक्ष के सदस्य जितना ही हमें छेड़ते हैं, बोलते हैं उतना ही हमें ऊर्जा मिलती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अखिलेश यादव–

आप सड़क पर कुछ बोल रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

इसमें बहुत सदस्यों का हक मारा जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

तो जो हक मारने वाले हैं उनको आप इंगित करें मान्यवर। उनको तो आप इंगित करते नहीं। उनकी भी बला आप हमारी तरफ लाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अरे, लीजिए, आपके सामने उनको मैंने इतना कहा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अब आपकी बला शादाब फातिमा जी आपकी तरफ न डालकर हमारी तरफ डालती हैं।

(सदन में हंसी)

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से बात बनने वाली नहीं है। आज जिस तरीके से हमारी सरकार में जब विकास के काम किये जा रहे थे तो जो लोग उंगलियां उठाते थे आज वही उसका अनुकरण कर रहे हैं। हमारी उन योजनाओं पर जो लोग कभी टिप्पणी करते थे आज उसी का अनुसरण कर रहे हैं। हम बनाने के लिए जो प्रस्ताव देते थे आज कोई उसी का उद्घाटन कर रहा है कोई उसी का नकल करके दूसरा रास्ता तैयार कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे भी मान्यवर, बलिया से नोयडा तक का जो गंगा एक्सप्रेस–वे मार्ग था यह उसी का पर्याय है। केवल नाम बदला गया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने पार्क बनाये तो सारे लोगों ने उंगली उठायी। औरों ने बनाया हमने कभी नहीं उठायी और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमें खुशी हुयी जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी मीटिंग में घोषणा किया था कि हम इतना बड़ा अम्बेडकर पार्क यहां बनायेंगे। गजरिया फार्म साईड में। किसी कार्यक्रम में आपने कहीं कहा था। दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर पार्क बनायेंगे।

श्री अखिलेश यादव–

दुनिया का सबसे बड़ा पार्क नहीं कहा था। यह कहा था कि एक अच्छा और सुन्दर पार्क।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी हुयी कि कम से कम हृदय परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी कल उधर से आकर इधर बैठ जायें और अभी हृदय परिवर्तन हो रहा है और तब दल भी परिवर्तन हो जाएगा।

श्री अखिलेश यादव–

बुआ जी से पहले पूछ तो लेते। (हंसी)। बुआ जी से पूछ तो लेते। नहीं तो हमारे साथ और लोग भी आयेंगे फिर, चाचा वगैरह हमारे। (हंसी)।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जितने मा0 सदस्य बीच में उठ रहे हैं इनको आप चिन्हित कर लें और इनको आप अलग से बोलने का समय नहीं देंगे। मान्यवर, यह मेरा अनुरोध है। चूंकि जब बीच में बोल दे रहे हैं तो एक ही एजेंण्डे पर कोई दो–तीन–चार बार तो बोलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप बजट पर चर्चा करिये।

श्री सोवरन सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, अम्बेडकर पार्क बनाने की घोषणा अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है तो आपके संस्थापक पुरुष माननीय कांशीराम जी को माननीय नेता जी ने ही इटावा से लोक सभा में भेजकर पहचान दी थी। आपके हाथ से वह पहली बार इटावा से संसद में गये थे और उन्हें पहचान मिली थी।

(इस बीच डा0 शिव प्रताप यादव जी के कुछ बोलने का प्रयास करने पर उनका माइक आफ था।)

श्री अध्यक्ष–

बैठ जायें, बैठ जायें। बहुत टोका–टाकी न करिये। उनको बोलने दीजिए। और मा0 सदस्यों को बोलना है इसका समय निर्धारित है। बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद इन नादान चेहरों को यह नहीं मालूम कि मान्यवर काशीराम जी वहां इटावा से लोक सभा में चुने जाने के बाद, उस समय समाजवादी पार्टी को बख्शीश में सरकार बनाने का मौका दिया था।

श्री अखिलेश यादव–

बख्शीश नहीं कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जब आप दया कर रहे हैं, तो यह बख्शीश ही होगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, यह लोग आपको भटका रहे हैं, आप अपने बजट भाषण पर केन्द्रित रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज सरकार कुछ नया करे, चाहत है तो नया करे, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आपने डा0 अम्बेडकर की तरह जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया, तो जनेश्वर मिश्र जी को हम भी सम्मान देते थे, पार्क बनाते, अभी गये घोषणा कर आये रमाबाई अम्बेडकर मैदान को केन्द्रीय विश्वविद्यालय को दे देंगे।

श्री अखिलेश यादव–

क्या नाम है उसका वह भी बता दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उसके लिए अलग से दे दें, आपके लखनऊ में कहीं कोई रैली के लिए मैदान नहीं, मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश पर भीड़ शहर से बाहर रखने के लिए इतना बड़ा मैदान बनाया गया था, इसलिए कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए उसको कार्यक्रम, रैली, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक कुछ भी कार्यक्रम करना हो तो उधर जाकर के शहर से बाहर करें, शहर बीच में अस्त–व्यस्त न हो, इसलिए किया गया है। आप रेवड़ी की तरह बांटते जा रहे हैं, अगर देना ही है तो कोई एक नई स्कीम बनाकर उनको दे दीजिए, जो पहले से बना हुआ है, मान्यवर उसको देकर के केवल वाह–वाही बटोरना हम समझते हैं, यह सरकार के अच्छे कामों में नहीं आते। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, हमें खुशी है कि सबसे अच्छा कार्य जो हमने कहा मा0 मुख्य मंत्री जी ने अम्बेडकर जी के नाम पर अम्बेडकर पार्क को बनाने की घोषणा की, लेकिन उनके विचारों का भी

तो सम्मान करें। अभी एक बार नहीं अनेक बार हमने मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने अपनी चिन्ता जाहिर की, कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का बहाना लेकर के 03 (तीन) लाख अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों को आपने सजा क्यों दे दी, बाकी अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, तो उनके भारतीय संविधान का भी सम्मान करें, विचारधारा का भी सम्मान करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत अगर उनका ऐसा कोई निर्णय होता कि सारे अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारियों को पदावनत कर दिया जाय, जो अपनी क्षमता से आये हैं, जो सामान्य परीक्षा पास कर के आये हैं, जो विभागीय परीक्षा पास कर के आये हैं, जो अपने वरिष्ठता के आधार पर आगे आये हैं, सबको एक भाव बैक, जबकि उनसे कनिष्ठ जूनियर आज भी उनसे ऊंचे पदों पर हैं, तो कहीं न कहीं एक अन्याय की सीमा हो ऊंचे पदों पर हैं, तो कहीं न कहीं एक अन्याय की सीमा होती है और एक नहीं दो नहीं तीन लाख और मा0 अध्यक्ष महोदय जी यही नहीं आज मा0 मुख्य मंत्री जी से लोग अपेक्षा करते हैं कि किसी के हित के खिलाफ कोई काम न हो, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं इसी तरह का एक प्रकरण और है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 6628 कुल पद थे, जिसमें 2515 सामान्य से और 1882 अनुसूचित जाति से 201 अनूसचित जन जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग से 2030 जिसमें सामान्य पदों पर चयनित मान्यवर, सबकी नियुक्ति हो गयी लेकिन उन चयनित अभ्यर्थियों में से पिछड़ा वर्ग के 241, अनुसूचित जनजाति के 176, अनुसूचित जाति के 491 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई। जब लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास कर लिए हैं और उसी परीक्षा के तहत चयनित 2,515 सामान्य अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति–पत्र भी मिल चुका है तो 1,882 में 491 शेष क्यों ? 201 में 176 शेष क्यों और 2,030 अन्य पिछड़ा वर्ग में से 241 पर रोक क्यों ? यह विज्ञापन 22–10–2013 का था, जो संशोधित हो कर पुनः 20–08–2014 को विज्ञापित हुआ था और पद का नाम कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप–3, हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या पिछड़े आपकी सरकार से उम्मीद नहीं करते कि चयनित होने के बाद हमारी नियुक्ति हो ? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग इस बात की उम्मीद नहीं करते कि चयन हो जाने के बाद हमारी नियुक्ति हो ? तो इसलिए चयनित अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कहीं न कहीं आपको हस्तक्षेप करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अभी–अभी 2015–16 का एक दूसरा प्रकरण है। राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 47 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया। इन 47 पदों में से एक भी पद न पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, न अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, न अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानि 47 पदों में एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी अलग से इसमें चिन्हित नहीं किया गया। यानि आरक्षण की घोर अपेक्षा की जा रही है। पिछड़े वर्गों का हक मारा जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का भी हक मारा जा रहा है। आप मुख्य मंत्री हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि आपके रहते कम से कम इस प्रकार की ज्यादतियां न हों। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत लम्बा–चौड़ा बजट प्रस्तुत किया, 3,46,935 करोड़, लेकिन मान्यवर, इनकी जो सही तस्वीर है, यह अभी तक 2015–16 के

बजट में 80 फीसदी बजट खर्च नहीं कर पाएं हैं। फरवरी चल रहा है और यह आंकड़ा मैं जनवरी का दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह कौन बेवकूफ आपको ऐसी सूचनाएं देता है, इन पर भरोसा मत किया करें। यह सूचनाएं कौन आपको देता है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह बेवकूफ उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी है और मान्यवर, प्रदेश सरकार का वेब पोर्टल, प्रदेश सरकार का जो वेब पोर्टल है ये उसकी रिपोर्ट है और यह जनवरी तक की है। अगर प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो यह तो आपकी व्यवस्था है। आपकी बात पर भले न भरोसा करूं लेकिन वेब पोर्टल पर तो भरोसा करना पड़ेगा।

श्री अखिलेश यादव–

ये तो झुनझुना कहते थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, अगर उस वेब पोर्टल को मुख्य मंत्री जी झुनझुना मान ले रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव–

झुनझुना नहीं कम्प्यूटर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हां, अगर उस कम्प्यूटर को झुनझुना मान करके, ये मान लिए हैं कि वह रद्दी का टुकड़ा था, तब तो इन्होंने तमाम लाखों नौजवानों को बहुत ठगा है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, इनका जो 2015–16 का खर्च है वन विभाग में। मान्यवर, यह जनवरी तक का है, वन विभाग में 0.89 प्रतिशत खर्च हुआ। हथकरघा विभाग में 10.92 प्रतिशत, संस्कृति विभाग में 11.69 प्रतिशत, मुस्लिम वक्फ में 12.06 प्रतिशत, उच्च शिक्षा में 13.81 प्रतिशत, व्यापार कर में 16.67 प्रतिशत, श्रम और सेवायोजन में 16.26 प्रतिशत, परिवहन में 17.75 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 17.39 प्रतिशत, खाद्य एवं रसद में 18.10 प्रतिशत, नागरिक उड्डयन में 28.14 प्रतिशत, पशुधन में 21.96, पिछड़ा वर्ग कल्याण में 34.25 प्रतिशत, कृषि में 34.27 प्रतिशत, एलोपैथिक चिकित्सा में 33.15, परिवार कल्याण में 47.21 प्रतिशत, नगर विकास में 45.69 प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा में 41.31 प्रतिशत और मान्यवर, जिन विभागों ने 80 प्रतिशत से ज्यादा खर्च किया है उसमें केवल सहकारिता, दुग्धशाला, गन्ना, संस्थागत वित्त जैसे विभाग शामिल हैं। अन्यथा शेष के यही हालात हैं। आखिर जो यह 80 फीसदी पैसा मान लीजिए कि यह जनवरी का आंकड़ा है और फरवरी जा रहा है तो हो सकता है कि 5 प्रतिशत और बढ़ गया हो। उसके बावजूद 75 फीसदी या 70 फीसदी धन केवल एक महीने मार्च में कैसे खत्म करेंगे। इसका मतलब है क्या बन्दर–बांट होगी, क्या उस पैसे को कागज पर खत्म किया जाएगा, उस पैसे का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया जाएगा। अन्यथा जब इतने लम्बे अरसे में उसका सदुपयोग नहीं हुआ तो एक महीने में कैसे खर्च होगा। इस पर सवालिया निशान अपने आप लगता है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने

बजट बड़ा लम्बा–चौड़ा दिया है और यहां तक कि इस बार का जो बजट है पिछले बजट से 14.6 फीसदी बढ़ा है। यानी उसका जो बजट का आकार है, वह 14.6 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन विकास के परिप्रेक्ष्य में उस अनुपात में धन का बंटवारा नहीं किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, विकास मद में बजट वर्ष 2015–16 में 21.6 प्रतिशत रकम विकास मद में दी गई और 2016–17 के बजट में मात्र 21 प्रतिशत ही दिया गया। यानी 0.6 प्रतिशत उसमें भी कटौती कर ली गई जबकि 14.6 प्रतिशत आकार बढ़ा तो विकास की मद में धन की आमद ही 1–2 परसेण्ट बढ़नी चाहिए थी। लेकिन नहीं बढ़ा मान्यवर, और स्वाभाविक रूप से यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सी0ए0जी0 ने भी यह अपना कमेन्ट दिया है कि तीन सालों में बजट खर्च न करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, ये सी0ए0जी0 के कमेन्ट हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह तो विकास की मद में सरकार की लापरवाही मैंने सामने रखी। अब मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो गरीब, कमजोर तबके के लोगों के लिए योजनायें रहती हैं, उसमें भी कटौती की है। मान्यवर, जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों के पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए वर्ष 2015–16 में 2100 करोड़ रुपया बजट का प्राविधान किया गया था, एक साल के बाद उसे बढ़ना चाहिए था लेकिन पिछले बजट में जहां 2100 करोड़ था, अब वर्तमान बजट में 1950 करोड़ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति में वर्ष 2015–16 में 1092 करोड़ रखा गया था तो वर्ष 2016–2017 में बढ़े हुए बजट आकार के सापेक्ष धन में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार भी वह मात्र 1092 करोड़ ही रह गया। इसी प्रकार से सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2015–16 में 723 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था, लेकिन वर्तमान बजट में वर्ष 2016–17 में मात्र 683 करोड़ का प्राविधान किया गया है यानि पिछली बार 723 करोड़ रुपया और आज जब बजट विशालकाय हुआ तो उसमें 683 करोड़ रुपया रखा गया है। इसी प्रकार से ई0 रिक्शा योजना में सरकार ने वर्ष 2015–16 में 300 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, अब वर्ष 2016–17 में ई0 रिक्शा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए मात्र 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी वर्ष 2015–16 में 2776 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था और इस बार जब बजट का आकार बहुत बड़ा विशालकाय हुआ तो बजट घटा दिया गया। 2776 करोड़ पिछली बार था तो इस बार 2029 करोड़ रुपया रखा गया है यानि इसमें भी कमी हो गयी है। रूपये की कमी। इस प्रकार से जो गरीब, असहाय, समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनमें इस बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई। यह गरीबों के साथ मजाक किया गया है। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े या सामान्य किसी भी वर्ग के गरीब हों, सब के साथ इसमें कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया गया है और इसीलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह सरकार इतने बड़े भारी–भरकम बजट को लाने का मकसद नहीं सिद्ध कर पायी है। विकास की योजनाओं में भी कमी, गरीब के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में भी कमी, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह बजट केवल चुनावी बजट है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस तरीके से हम समझते हैं कि जनता की गाढ़ी, खून–पसीने की कमाई का, मेहनत का जो पैसा है गाढ़ी कमाई का पैसा है। कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप विकास में लगाये, कल्याणकारी योजनाओं मे लगायें, हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन यहां विकास में भी

कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में भी कटौती। मान्यवर इस तरीके से अभी सरकार चूंकि किसान वर्ष पर मैं पहले बोल चुका हूं इसलिए आज नही बोलूंगा किसान वर्ष के साथ–साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक युवा वर्ष भी घोषित किया है। किसान वर्ष पर विस्तार से मैं अपनी बात पहले कह चुका हूं इसलिए आज मैं केवल युवा वर्ष पर केवल इतना कहना चाहूंगा कि युवा वर्ष केवल बजट भाषण में लिख देने, कह देने, पढ़ देने से बात बनने वाली नहीं है। उन युवाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए, जो रोजगार से जोड़ने का सिलसिला जारी करना चाहिए आखिर रोजगारी भत्ता खत्म कर दिया तो कम से कम उनको रोजगार देने की तरफ पहल तो करें। कोई उपक्रम बाहर का आ नहीं रहा, निवेश के माध्यम से कोई मिल कारखाने, उद्योग धन्धे लग नहीं रहे तो कम से कम उन युवाओं को कोई न कोई रास्ता दिखाने का प्रयास तो करना चाहिए था। इस संकल्प का अभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं इसी ओर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक ऐसा भी वर्ग है जिस पर इत्तेफाक से किसी की नजर नहीं जाती वह मजलूम भी है, लाचार भी है, गरीब भी है और सभ्य समाज भी है। एक होता है पत्रकार वितरक, हाकर्स जिसको बोलते हैं। हर व्यक्ति जब सोकर उठता है तो सबसे पहले चाय के साथ–साथ पेपर लेकर बैठ जाता है और जो अखबार वितरण से उसको मिलता है वह धनराशि महीने भर में शायद पांच हजार या छः हजार रुपया होता होगा।

(टोका–टाकी होने पर)

हमारे आदमी तो संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं, हमारे आदमी तो मुख्य मंत्री जी भी हैं, हम किसी को गैर नहीं समझते, सभी हमारे हैं। वसुदैव कुटुम्बकम हमारी सोच है। हमारे देश की संस्कृति भी यही है। शुक्ला जी कभी हम साथ थे। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि सही मायने में हम भी इससे अछूते रहे और कितनी सरकारे आयीं और गयीं, इससे अछूती रहीं। इसीलिए मै आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि समाज का एक ऐसा लाचार तबका जो हम सबकी सेवा में बरसात हो, धूप हो, ओला पड़ता हो या जेठ की दोपहरी हो, भीषण गर्मी हो, कभी भी हो, सुबह पांच बजे वह आपके दरवाजे पर आता है, खटखटाता है, अखबार आपके आंगन में दरवाजे के भीतर डालता है तो उसके लिए भी कुछ कल्याणकारी कदम उठाने चाहिए। जैसे मान्यवर हमने एक दिन एक पत्रकार वितरक को बुलाया चूंकि जो अखबार का इण्डस्ट्री मालिक है, वह उसको अपना मुलाजिम नहीं समझता। कंट्रेक्ट बेसिस पर वह अपनी सेवा देता है हमारी चाय बिना अखबार के चलती नहीं है ऐसी हालात में उसके लिए भी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुछ न कुछ आर्थिक सहायता का निर्णय सरकार को लेना चाहिए। इसी प्रकार से यह आईडेंटीफाइड कैसे होंगे इसके लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में शासन से संबंधित परिचय–पत्र भी उसको मिलना चाहिए जिससे कि उसके साथ कोई हादसा होता है, गम्भीर बीमारी होती है तो उस परिचय–पत्र के माध्यम से सरकार उस तक अपनी सहायता पहुंचा सकती है और उन पत्रवालों को जो लगभग 60 साल से ऊपर के हो गये हैं तो जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था की गयी थी उसी प्रकार से उनके लिए भी पेंशन टाइप की कुछ घोषणा की जानी चाहिए यह मेरी अपेक्षा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको कहीं न कहीं अपने बजट में समायोजित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आज एक वर्ग

और है माननीय मुख्य मंत्री जी, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं घरेलू कामगार। विशेष रूप से गरीब महिलाएं जो घरों में आती हैं, चौका बरतन करती हैं, झाड़ू–बहारू करती हैं और वह बड़ी गरीब है असहाय हैं, सड़कों के किनारे झुग्गी–झोपड़ी में कहीं न कहीं रहती हैं कहीं पर पोलिथीन लगाकर रहती हैं कहीं पर बांस का टट्टर बांध कर रहती हैं। ऐसे लोग उनके बच्चों के साथ रहते हैं उनकी परिवरिश की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती हैं और ऐसे लोग अपने बच्चों के जीवन–यापन के लिए वह दूसरे के घरों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं और इस ओर कुछ सरकारों ने कुछ कदम उठाया भी है जैसे 2015 में राजस्थान सरकार ने घरेलू कामगारों को प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देने का निर्णय लिया, निर्धारण किया, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने 2012 में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया, उड़ीसा ने 2015 में घरेलू कामगारों हेतु काम के घन्टों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, केरल की सरकार ने 2011 से इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है और साथ ही साथ उनके लिए केरल सरकार ने तो केरल आर्टीजन व स्किल्ड वर्कर वेलफेयर स्कीम फण्ड के तहत घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है, उसकी व्यवस्था की है। झारखण्ड सरकार, बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार आदि सभी ने इनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण किये हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इन तमाम प्रदेशों की तरह इनकी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते हुए, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर साथ ही साथ इनके अलग से बोर्ड का गठन कर पंजीयन जैसे श्रम कार्यालय होता है तो या तो श्रम कार्यालय के माध्यम से या अलग से बोर्ड का गठन कर इनके भी पंजीयन की व्यवस्था कराई जाये। क्योंकि कभी–कभी यह घरेलू कामगार जिसमें 80 फीसदी संख्यायें महिलाओं की होती है, 20 फीसदी इसमें पुरुष भी होते हैं, तो कभी–कभी इनका कोई भी लेखा–जोखा न होने के कारण, कोई भी हिसाब–किताब न होने के कारण, सरकार का संरक्षण न होने के नाते, पंजीयन न होने के नाते, कभी–कभी यह जुल्म–ज्यादती, अत्याचार–शोषण के भी शिकार होते हैं। इससे उनको मुक्ति दिलाई जा सके इसीलिये घरेलू कामगारों को भी श्रमिक का दर्जा दिलाये जाने की मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उस पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इसी प्रकार से चूंकि आपने युवा वर्ष घोषित किया है, तो आज के मौके पर मैं एक निवेदन और करूंगा। हमारा एक अंग होता है सुरक्षा का जिसे हम होमगार्ड कहते हैं। होमगार्ड में जो बड़े पदाधिकारी हैं, वह सब नियमित हैं, रेगुलर हैं, यहां तक कि बी0ओ0 और रनर भी नियमित हैं, लेकिन होमगार्ड पुलिस के नियमन के लिए आज तक कोई भी कानून और व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो इसके लिए समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या–18839 एवं 18781/2012 में एक निर्देश दिया था कि होमगार्डों को पुलिस आरक्षी के बराबर वेतन दिया जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय स्पेशल अपील संख्या–3037/2012 में दिनांक 17–04–2015 को आया था, जिसमें इस बात का निर्देश दिया गया था कि पुलिस और पी0ए0सी0 कान्स्टेबिल की भांति होमगार्ड को भी वेतन दिया जाये और भर्ती मापदण्डों तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर इनका नियमितीकरण किया जाये। तो मैं यह अपेक्षा करूंगा कि युवा वर्ष के उपलक्ष्य में इनको भी कुछ तोहफा मिल जायेगा और सरकार भी कुछ कहने लायक हो जायेगी कि हमने एक अच्छा काम किया। साथ ही साथ इनके बीमा की भी योजना नहीं है, इस पर भी सरकार अगर विचार करेगी, तो

अच्छी बात होगी। इसी प्रकार होमगार्ड की तरह ही हमारे पी0आर0डी0 जवान भी हैं, इनको भी मानदेय मात्र 200 रुपये प्रतिदिन का ही मिलता है और वह भी साल भर में बमुश्किल महीना–दो महीना उनको काम मिलता है। बीमा की कोई व्यवस्था नहीं है और विभागीय बजट नहीं है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि इनकी भी बेहतरी के लिए कुछ काम करें और कम से कम 200 रूपये जो इनका मानदेय है, उसको भी बढ़ाकर ढ़ाई सौ रुपये अथवा तीन सौ रूपये कुछ करें। यानी उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। चूंकि पी0आर0डी0 जवान हों, होमगार्ड जवान हो, सब इसमें ज्यादातर युवा ही जाते हैं और अगर आप इनका नियमितीकरण करेंगे तथा शैक्षिक मानदण्डों और फिजिक सत्यापन के आधार पर जब उनका नियमितीकरण करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से तमाम नौजवान इससे लाभान्वित होंगे। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो आपका भारी भरकम बजट है उसका सदुपयोग कहीं न कही होता दिखाई पड़ना चाहिये और एक संदेश जाना चाहिये कि आज इस कल्याणकारी सरकार में इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह कल्याणकारी काम किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज अराजकता चारों ओर है और मैं एक छोटा सा दृष्टान्त देना चाहूंगा कि किस तरीके से योजनाओं को लोग गड़प करते हैं। यह सिद्वार्थनगर ग्राम पंचायत तुरसिया विकास खण्ड मिठवर मतलब 12 से लेकर 8 तक एम0बी0एम0 योजना का अनाज घोटाले का शिकार हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तमाम शिकायतों के बाद भी आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया और पहले अनुसूचति जनजाति के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत उनकी आबादी के अनुपात में हर मद का धन अलग से आवंटित किया जाता था लेकिन जब से आपकी मेहरबानी हुयी, वह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का कहीं अता पता नहीं चलता है और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत लगने वाला पैसा कहीं न कहीं आज दुरुपयोग का शिकार हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उस पर कहीं न कहीं किसी की टेढ़ी निगाहें हैं जिससे कि उनकी बेहतरी के लिये बजट में अलग से प्राविधानित होने वाला पैसा आज इस पूरे बजट में ही नहीं, पूरी सरकार में उसका कहीं अता पता नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब हम आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी, डेढ़ घन्टा हो गया, कितना समय और लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

बस खत्म कर रहे हैं। जब मैं कानून–व्यवस्था की ओर चलता हूं तो समझ लीजिये कि खत्म करने की ओर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी सज्जनता आप पर भारी पड़ रही है। यह सरकार का हनक, सरकार का इकबाल आज खत्म हो गया है। अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि आपके बंगले के इर्दगिर्द भी उनको किसी प्रकार का दुष्कर्म, कुकर्म, हत्या करने से डर नहीं लगता है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि एक छात्रा की वहां पर लाश मिली और कल उस मुख्य मंत्री आवास के पास में एक पेड़ पर लटकी हुयी लाश का मिलना न केवल सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है बल्कि अराजक तत्व इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि हमको न मुख्य मंत्री का डर है, न सरकार का डर है इसीलिये मुख्य मंत्री आवास के पास में एक हफ्ते के अंदर दो बड़े अपराध बरपा किये गये। आखिर इनके हौसले इतने बुलन्द क्यों।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसे मामले नुक्ताचीनी और मजाक के लिये नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार को चुनौती है कि किस तरीके से अपराधी आपके बंगले के इर्द–गिर्द बड़े पैमाने पर अपराध कर रहे हैं, एक हफ्ते के अन्दर दो–दो लाशें मिलती हैं। हम समझते हैं कि ये अपराधी सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं इसलिए कहीं न कहीं आज उत्तर प्रदेश की जनता को आप चाहे जितना कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संतृप्त करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी विकास कर ले जाइये, पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे बना दीजिए, ग्रीन एक्सप्रेस–वे बना दीजिए, कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदान कर दीजिए लेकिन जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी तब तक आपके सारे किये कराये पर ये अराजक तत्व पानी फेरते रहेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आखिर आपकी कौन से कमजोर नस है जिसकी बिना पर इनके हौसले बुलन्द हैं, आपके पास एक लम्बी–चौड़ी पुलिस की फौज है, सिस्टम है, उस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए था वह आपने नहीं किया कहीं न कहीं आप मुरव्वत कर गये और नतीजा हुआ कि इस प्रकार से सर पर चढ़ करके जघन्य अपराध करने की हिम्मत पड़ रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं इसको देखते हुए सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। भले ही अन्तिम बेला में ही सही सरकार की हनक और इकबाल सड़क पर दिखाई पड़ना चाहिए, यह संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए। आप नौजवान मुख्य मंत्री हैं, आप पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ करके आये हैं, लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी हैं और यदि उन अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरे तो यह किसी और के साथ नहीं मा0 मुख्य मंत्री जी यह धोखा आप अपने साथ करने जा रहे हैं। इसलिए आज जो जनता की चाहत है जनआकांक्षाओं के अनुरूप उनकी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो भी आड़े आ रहा है उसको दायें–बायें करके आपको सरकार की हनक और इकबाल दिखाना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, यह लोकतन्त्र है, लोकलाज से लोकतन्त्र चलता है, अभी विधान परिषद् में एक प्रश्न पूछा गया था और मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से उत्तर गया था। पूछा गया था 30 जुलाई, 2015 से 30 नवम्बर 2015 इन चार महीने के बीच प्रदेश में हत्या, आगजनी, डकैती, बलात्कार, लूट और महिलाओं की आबरू लूटने की कितनी घटनाएं हुई तो उत्तर आया था कि इन्हीं चार महीनों में हत्या 1504, बलात्कार 893, लूट 1064, डकैती 90, आगजनी 23, यह मा0 मुख्य मंत्री जी का उत्तर था। मा0 अध्यक्ष जी, वहॉ भी प्रश्न पूछा गया था और विधान सभा में भी प्रश्न पूछा गया था जो कि कल आया था। पूछा गया था कि 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों और उनमें से थाना परिसर में हुई मौतों का वर्षवार विवरण। पुलिस कर्मियों पर आक्रमण का ब्यौरा– 2011–12 में 144, 2012–13 में 202, 2013–14 में 264, 2014–15 में 300 और 2015–16 में 278 यानी इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कहीं न कहीं सरकार को अपने–आप कटघरे में खड़ा करता है। ये आंकड़ा सरकार का है और कल का आंकड़ा है जो विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह भी बताया था कि पुलिस चौकी और थानों पर कितने हमले हुये।

श्री अध्यक्ष–

यह तो कल आ चुका है, आप भी थे, प्रश्नों के उत्तर पर डिस्कसन हुआ था।

(श्री मोहम्मद आजम खां साहब ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि कल हमने आंकड़े बताये थे, हम छुपाते नहीं हैं। आपके समय में तो मामले दर्ज ही नहीं होते थे।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हर सरकार यही कहती है कि पिछली सरकार मामले दर्ज नहीं करती थी। हम आयेंगे तो हम भी आप पर यही चार्ज लगायेंगे। इसलिए केवल आरोप–प्रत्यारोप से सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। साथ ही साथ मान्यवर, जिस तरीके से थानों पर, पुलिस चौकी पर, पुलिस वालों पर हमले होते हैं, मुख्य मंत्री के बंगले के इर्द–गिर्द में हत्यायें होती हैं, ये अपराधियों के बुलन्द हौसले का परिचायक है। इस पर लगाम लगानी होगी। मा0 अध्यक्ष जी, अगर इस पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करने से कहीं न कहीं बचने की कोशिश करेगी तो हम समझते हैं कि यहां मा0 अध्यक्ष जी की तरफ से माफी जरूर मिल सकती है, हम भी बोलने में रियायत कर सकते हैं लेकिन जनता माफ करने वाली नहीं है। इतने बड़े हमले इस बात को भी जाहिर करते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस बल से लोगों का विश्वास भी उठ रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज इसके लिए जिम्मेदार केवल अपराधी और अराजकतत्व ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं सरकार की गतिविधियां भी इनको बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती रही हैं। जब दफा–302 के मुल्जिम या अन्य जघन्य अपराध के मुल्जिम पुलिस महकमे के लोगों को बढ़ावा दिया जायेगा, तरक्की करके उनको नया तमगा दिया जायेगा तो स्वभाविक रूप से अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ कठोर बनना होगा। ईमानदारी से जनता की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों पर कानून का डंडा चलाना होगा। ऐसे तमाम प्रकरण आये हैं अलीगढ़ थाना जावा में अपराध संख्या–434/99 का दोषी, आज आपकी सरकार उस पर मेहरबान होती है, पदोन्नति दे देती है। मथुरा के थाना–सदर बाजार में अपराध संख्या 110/2000 का दोषी अपराधी पर सरकार आपकी मेहरबान होती है। अलीगढ़ अपराध संख्या–307/13 का विभिन्न आई0पी0सी0 की धाराओं में बने मुल्जिम पर सरकार आपकी मेहरबान होती है और हाथरस के बनडपा थाने में अपराध संख्या–2/87 पर आपकी पुलिस मेहरबान होती है। जब ऐसे लोग, पुलिस के लोग तमगा पायेंगे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जायेगा जिनकी आपराधिक छवि रही है, जिन पर अपराध के नाम पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं अराजक तत्वों के साथ ऐसे पुलिस महकमे के अधिकारियों के द्वारा साझेदारी होगी और उस पर अंकुश लगाने के बजाय अपराध को बढ़ावा मिलेगा।

डा0 शिव प्रताप यादव–

अध्यक्ष जी, रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाये जाने के मामले में दोषी इन्स्पेक्टर को प्रमोशन देकर मैं चुनौती देता हूं आपने डिप्टी एस0पी0 बना दिया। क्या इसका जवाब देंगे मौर्या जी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसे ही लोग सरकार को ले डूबेंगे और जब मुख्य मंत्री जी की नैय्या डूबेगी तो आप भी नहीं बचोगे। इसलिये कभी–कभी तो चुप कराना

सीखो, कभी–कभी किसी चीज को एहसास करना सीखो। एहसास करिये, रियलाइज करिये।

डा0 शिव प्रताप यादव–

इन्स्पेक्टर का नाम भी बता देंगें।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, को बोल लेने दीजिये। आपने कह दी अपनी बात, वह समझ गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब अगर इतने लल्लू मंत्री होंगे, कह रहे हैं कि नाम दे देंगे। अरे नाम क्यों दे देंगे ? आप सरकार हैं, आप एक्शन लीजिये। आप सरकार हैं एक्शन क्यों नहीं लेते।

डा0 शिव प्रताप यादव–

आपने प्रमोशन दिया था वह इन्स्पेक्टर था अब रिटायर हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उनको बोल लेने दीजिये। क्यों उलझा रहे हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, लल्लू मंत्री कहा है, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। यह असंसदीय भाषा है।

श्री अध्यक्ष–

यह लल्लू शब्द निकाल दिया जायेगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं रहेगा।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लल्लू शब्द असंसदीय है ? अगर नहीं है तो आप निकालेंगे कैसे ?

श्री अध्यक्ष–

अरे अब आप बोलने दीजिये ना अभी और सदस्यों को बोलना है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह असंसदीय शब्द है, मैं इसकी निन्दा करती हूं। इसको कार्यवाही से निकाला जाय। माननीय अध्यक्ष जी, यह क्षमा मांगे।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये फातिमा जी।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, लल्लू शब्द को असंसदीय बता रहे हैं। हमारे यहां तो लल्लू जी विधायक हैं।

श्री अध्यक्ष–

अरे आप क्यों बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

नेता सदन ने उसी वक्त कहा था कि अभी आपको ठीक से डांट पड़ी नहीं है। अब देखिये एक महिला वह हैं, एक महिला यह हैं, अब पकड़े गये आप। अब आप बता दीजिये आपके यहां किसका नाम लल्लू है। कह दीजिये कि हम तो सभी लल्लू हैं।

(हंसी)

हमें सब्र आ जायेगा। हालांकि यह आपने जो भी कुछ कहा, प्यार में कहा। वह बुरा भी नहीं मान रहे हैं और इसी वजह से बुरा नहीं मान रहे हैं कि यह तो एक लल्लू हैं और आप सारे लल्लू हैं। बुरा मानने की बात नहीं है, उधर भी लल्लू हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, अभी बहुत से लोगों को बोलना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

यह लल्लू शब्द पर क्या हो रहा है। बार–बार मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह साबित हो गया कि उधर भी लल्लू है और इधर भी लल्लू हैं दोनों तरफ लल्लू है तो यह संवैधानिक शब्द है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय फातिमा जी, उनको बोल लेने दीजिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

वह कह रहे हैं, लल्लू हैं, तो यह क्षमा मांगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लल्लू तो बुरा मान नहीं रहे हैं यह भी बुरा नहीं मान रहे हैं नहीं तो सब खड़े हो जाते। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

चलते, चलते, माननीय मुख्य मंत्री जी ने शेरो–शायरी से शुरू किया और शेरो–शायरी पर खत्म किया।

श्री अध्यक्ष–

आप भी वही शुरू करने जा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर मैं इनकी बगल में बैठा होता तो मैं भी शायर हो गया होता। क्योंकि शायरी संग–सोहबत से आती है। आपके बगल बैठने से मुख्य मंत्री जी शायरी करना शुरू कर दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ के माननीय सदस्य आपके इस बजट से कहीं न कहीं पीड़ित हैं चूंकि हर बजट में पिछले कई वर्षों से पिछली कई सरकारों से पूर्वांचल निधि के लिए बजट का अलग से प्राविधान होता था। इस आपके पूरे बजट भाषण में प्राविधान नहीं है।

श्री अखिलेश यादव–

आगे बजट आएगा उसमें हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आएगा तो देखेंगे। जो आया है उसमें है नहीं, अगर इसमें नहीं है तो बजट में उसकी व्यवस्था जरूर कर लेंगे, क्योंकि पूर्वांचल सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ है। विकास में भी, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी, सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। इसी के साथ एक निवेदन और करूंगा आज ही एक प्रश्न के उत्तर में इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित 33 जिलों का जिक्र आया था। आज इस सरकार ने अपने उत्तर में सदन में अवगत कराया भी था। कभी 11 जिले होते थे आज 11 जिले से बढ़कर 33 जिले पहुंच गये। इन्सेफेलाइटिस का प्रकोप इसका मतलब बढ़ता जा रहा है इसको प्रभावी ढंग से बेहतर ढंग से रोकने के लिए अपनी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता इस बात की भी सुनिश्चित करनी होगी कि इन्सेफेलाइटिस को रोकने के लिए पूर्वांचल में एक उच्च स्तरीय चिकित्सीय संस्थान की वहां पर स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए भले ही आपको केन्द्र सरकार से बात करनी पड़े और केन्द्र सरकार से एक, दो, तीन बैठकें भी क्यों न करनी पड़ें इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए क्योंकि जब 11 से 33 जिले इन्सेफेलाइटिस प्रकोप में आ गए हैं। तो आगे यह संख्या और बढ़ सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस अपना प्रकोप फैलाए उसके पहले इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार को पहल करना चाहिए अन्यथा यह महामारी का रूप ले सकता है। यह एक बड़ा खतरा है। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलते–चलते एक शेर पढ़ा था। हजारों रंग खुशबू नश्ल के फल–फूल पौधे हैं मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। इसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। मान्यवर, ''इज्जत आबरू, चमन रहे महफूज गुहार हम लगाते रहे लिया लूट सब कुछ आग भी तुमने लगाई।'' इसलिए मान्यवर, जब चमन उजड़ा है सारे फल–फूल सारे पौधे आज कहीं न कहीं झुलसे हैं तो सरकार के चलते झुलसे हैं इसलिए उसको बनाने की जरूरत भी आपको है और मान्यवर, ''रहजन को रोके कौन जब रहबर चलता हो बेराह अहले करे लाख जतन अहले जुनू की एक निगाह।'' माननीय अध्यक्ष जी पता लग गया है कि लल्लुओं की जमात कहां बैठी हुई है इसलिए चूंकि इसमें बड़े पैमाने पर पूर्वांचल की गरीबों की अकलियत पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज की तथा नौजवानों की घोर उपेक्षा हुई है इसीलिए यह बजट संतुलित बजट नहीं है और मैं अपेक्षा करता हूं कि इसको संतुलित बनाने का प्रयास करेंगे धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपने उदय प्रताप सिंह जी का शेर सुनाया मगर शेर को गीदड़ की शक्ल में सुनाया। यह उनकी बड़ी तारीखी नज्म है उसका जो सबसे अच्छा शेर है वह है ''न मेरा है न तेरा है यह हिन्दोस्तां सबका है नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है।'' उसी गजल का शेर है।

श्री अध्यक्ष–

बजट चर्चा हेतु समय का निर्धारण है नेता विरोधी दल दो घंटे बोल चुके हैं इनके लिए समय की सीमा कोई नहीं थी दलीय नेताओं के लिए 15 मिनट माननीय सदस्यगण के लिए आठ मिनट का समय निर्धारित है क्योंकि मुख्य मंत्री जी हैं इसलिए जो दलीय नेता हैं वह अपनी बात मुख्य मंत्री जी के सामने कह लें फिर इसके बाद और चर्चा बढ़े।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। हम तो पैगामे मुहब्बत का इजहार करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

फासिस्टों की कैद में है यह लफ्ज। क्योंकि मुहब्बत के नाम से लव जेहाद हो जाता है। लेकिन जब अहमद बुखारी का बेटा हिन्दू लड़की से शादी करता है तो लव जेहाद नहीं होता है क्योंकि यह उनके ही आदमी हैं। अपना ही कारिन्दा है वह करता है तो लव जेहाद नहीं होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2016–17 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस सदन की परम्परा रही है कि जब कोई बात शेर से कही जाये तो शेर का जवाब शेर से ही दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

यह विधान सभा है, इसको मुशायरे का अड्डा मत बनाइये।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मुशायरा और कवि सम्मेलन, इस पर तो फख्र होना चाहिये। अगर उधर से कोई बात कही जाये और जवाब न दिया जाये तो यह भी परम्पराओं के खिलाफ है। सदन का बहुत सा समय ऐसी बातों में चला जाता है जो बिल्कुल निरर्थर होती हैं और मैं सदन का समय कभी खराब नहीं करता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी, यह आपके शेर का जवाब नहीं हैं, लेकिन चाहें तो इसको आप भी सुन सकते हैं। यह आपको ही समर्पित है। 'जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा।' 'भरे बबूलों वाला आंगन, यह कैसा घर है, भरे बबूलों वाला आंगन, यह कैसा घर है और चार–चार मल्लाहों वाली नाव भंवर में है। मल्लाहों में छिड़ा बखेड़ा, मल्लाहों में छिड़ा बखेड़ा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। नाव है टूटी दूर किनारा, नाव है टूटी दूर किनारा, कैसे पार लगेगा बेड़ा, कैसे पार लगेगा बेड़ा' (विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार के पास एक सदाबहार जवाब यह है कि हाय रे, केन्द्र ने पैसा नहीं दिया। हाय, केन्द्र अगर पैसा दे देता तो पता नहीं क्या हो जाता। मान्यवर, आज मैं केन्द्र की कुछ योजनाओं का जो पैसा 26 मई, 2014 से लेकर 21 जनवरी, 2015 तक दिया गया, उसकी कुछ सूचना लाया हूं और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। मान्यवर, 26 मई, 2014 से 31–5–2015 तक जो प्लान का पैसा रिलीज किया गया, प्लान ग्रान्ट्स ऑफ विच, 2921.64 करोड़ और 1–4–2015 से

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

20–1–2016 तक 524 करोड़। फाईनेंस कमीशन ग्रान्ट्स, मान्यवर, केन्द्र में जब मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फायनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन्स को स्वीकार करते हुये, केन्द्रीय करों में प्रदेश का 32 प्रतिशत हिस्सा था, उस 32 प्रतिशत में मा0 मोदी जी की सरकार ने 42 प्रतिशत हिस्सा किया, इसके लिये एक बार भी इस सरकार ने धन्यवाद नहीं दिया। इसमें फायनेंस कमीशन ग्रान्ट्स का 5900.76 करोड़ 26–5–2014 से 31–5–2015 तक और 1–4–2015 से 20–1–2016 तक 2929.35 करोड़। एनडीआरएफ में 26–5–2014 से 31–5–2015 तक 581 करोड़ और 1–4–2015 से 20–1–2016 तक 2801.59 करोड़, यह कुल मिलाकर 26–5–2014 से 31–5–2015 तक 9403.69 करोड़ और 1–4–2015 से 20–1–2016 तक 6255.74 करोड़। मान्यवर, अर्बन डेवलपमेंट में जो पैसा रिलीज हुआ 26–05–2014 से 31–03–15 तक 91,64,54,717/– फिर मान्यवर, 26–05–2014 से 31–03–2015 तक 85,42,88,000/– और फिर 01–04–2015 से 21–01–2016 तक 4250 करोड़, 474 लाख और अर्बन पुवर्स के लिए है, 74 करोड़, 19 लाख 02 हजार, यह मान्यवर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए है। इसके अलावा हेल्थ में 26 मई, 2014 से 31–03–2015 तक 1898.28 करोड़ और 2015–16 में यानी 01–04–2015 से 31–12–2015 तक 2501.89 करोड़। फूड सिक्योरिटी के लिए मान्यवर, वर्ष 2014–15 में जो पैसा दिया गया, 1239 करोड़ रुपये का तो एलोकेशन था, रिलीज हुआ 998.53 करोड़, जिसमें से 768.94 करोड़ रुपये ही यह खर्च कर पाए, वर्ष 2014–15 में, यह फूड सिक्योरिटी के लिए था। मान्यवर, 2015–16 में 01–04–2015 से 15–01–2016 तक 773.26 करोड़ का बजट एलोकेशन था, रिलीज हुआ है, 347.79 करोड़ और मात्र 40.76 करोड़ रुपये मान्यवर, खर्च हुआ है। इसके अलावा पी0डब्ल्यू0डी0 को नेशनल हाइवे की वाइडनिंग के लिए, स्ट्रेन्थनिंग के लिए पैसा दिया गया, वह मान्यवर, 5375.19 करोड़ और एन0एच0आई0 के माध्यम से जो खर्च हुआ, वह 21287.56 करोड़। मान्यवर, यह वह डिटेल्स हैं, हमने 3–4 विभागों के ऑकड़े बताया। यह सरकार बराबर इस बात का आरोप लगाती है कि हमको पैसा नहीं दिया गया। इसमें कोई ऐसी मद नहीं है, समाजवादी पेंशन के अलावा कि जिसमें मान्यवर, केन्द्र सरकार का पैसा न हो। आज मेट्रो पर सबसे ज्यादा गर्व किया जाता है, मुख्य मंत्री जी को इसमें बताना चाहिए कि आखिरकार इसमें कितना पैसा केन्द्र सरकार का है। लेकिन उसको छिपाया जाता है। आखिरकार उसको छिपाने की वजह क्या है ? इसमें पहला पन्ना लगाना चाहिए कि इसमें इतना–इतना केन्द्र सरकार का सहयोग है। आपने अपनी सरकार में वायदा किया था कि हम पारदर्शी हैं, पारदर्शी का मतलब यह नहीं होता कि छिपाया जाए, मान्यवर, यह पारदर्शी का मतलब नहीं होता। मान्यवर, इस बजट भाषण के पेज नं0–14 पर लिखा है कि 'हमने पिछले 04 सालों में प्रदेश में एक स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शी माहौल दिया है', मान्यवर, इससे बड़ा असत्य, इससे बड़ा झूठा, अब झूठा तो असंसदीय है, लेकिन सही शब्द हो वही है, इससे बड़ा असत्य मान्यवर, कुछ भी नहीं हो सकता। स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शी, मान्यवर, पारदर्शी सरकार का नमूना यह है कि कानून–व्यवस्था के आंकड़े छिपा लो, 01–04–2015 से पूरे साल 2015 में। अभी आप इण्टरनेट पर देख लीजिए। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो तो मिल जायेगा। उसमें आंकड़े मिल जायेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की साइट पर।

(कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अगर आप बोलें तो आप आ जाइये। आप बोल लीजिए। वैसे बीच में बोलने का तरीका ठीक नहीं है। कोई काम की बात हो तो चलो ठीक है, सुन लेंगे हम। अगर डिस्टर्ब करना है तो हम बैठ जा रहे हैं आप बोल लीजिए। मान्यवर, किसी को चोट लगने वाली बात नहीं है। अगर हम पालिसी के ऊपर अपनी बात नहीं कह सकते तो किस पर अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप जारी रखें। खन्ना जी, वह सदस्य बैठे–बैठे क्या कह रहे हैं उसकी नोटिस नहीं ली जाती। जो बैठे–बैठे बोलते हैं उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता न तो वह टिप्पणी लिखी जाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को यह बताना चाहिए कि हमने पिछली बार बजट में इतना पैसा लिया था। हमने उसमें इतने प्रतिशत तक का एचीवमेंट किया। इस पर पहला पन्ना उसी बात पर भाषण शुरू होना चाहिए था। पिछली बार भी मान्यवर, हमने इस बात पर जोर दिया था। आपने पिछले साल बजट ले लिया। मान्यवर, बहुत से ऐसे विभाग हैं। बताइये एलोपैथिक चिकित्सा में, चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी आप 50 प्रतिशत बजट खर्च नहीं कर पाये। काहे के लिए आपको बजट पास करके दे दें। क्यों दे दें बजट पास करके। बेसिक शिक्षा में पैसा नहीं खर्च कर पाये, माध्यमिक शिक्षा में नहीं कर पाये, उच्च शिक्षा में नहीं कर पाये। मान्यवर, शिक्षा इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। 80 प्रतिशत तक बजट खर्च नहीं कर पाये। यह कितनी बड़ी अक्षमता है मान्यवर, और किसके आगे रोयें जाकर। मान्यवर, इस प्रदेश में धोखे में रखकर गलत बोलकर, गलत बयानी करके, असत्य बोलकर पूरे प्रदेश को बरगलाया जाता है। मान्यवर, 50 प्रतिशत से कम एलोपैथिक चिकित्सा में खर्च हुआ। खाद्य और रसद में 25 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हुआ। यह सरकार गरीबों की सरकार की बात करती है। पिछड़े लोगों की सरकार की बात करती है। मान्यवर, 2013 में केंद्रीय कानून आया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। आज तीन वर्ष हो गये। एक जनवरी से जिन स्थानों पर फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करके उन लोगों को अनाज दिया जा रहा है। मान्यवर, पता करवा लें कि एक भी जनपद में राशन कार्डों का सही डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ, पूछ लीजिए पूरे हाउस से। लेकिन अभी एक मार्च से आपने कहा कि 28 जिले हमने कर दिये हैं और 47 जिले हम लेने जा रहे हैं। तो राशन कार्ड सही प्रकार से जब बने नहीं तो कैसे मान्यवर, उन लोगों को न्याय मिलेगा। जो सबसे ज्यादा अहम चीज है। जो प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता से खास तौर से गरीबों से जुड़ी हुयी योजना है उसके प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है। मान्यवर, बेसिक शिक्षा के संबंध में पिछली बार हाई कोर्ट का एक आदेश आया था। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा में होना यह चाहिए था कि उसके ऊपर कार्रवाई होती तो बेसिक शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में अच्छा हो जाता। लेकिन उसके स्तर को सुधारने

के बजाये 09 फरवरी को इसी विधान सभा में अभी एक सवाल के जवाब में हमारे शर्मा जी का सवाल था उसमें जवाब आया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील फाइल करने जा रही है। सरकार को एक बहुत अच्छा मौका मिला था यह कहने का कि हाई कोर्ट का आदेश है सभी जितने भी सरकारी खजाने से सेलरी ड्रा करते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढेंगे। मान्यवर, जब मैं पढ़ा करता था तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई होती थी। लोगों को वहां पर एडमीशन पाना मुश्किल होता था और यह सोचते थे कि अगर जी0आई0सी0 में एडमीशन मिल गया तो वहां पर पढ़ाई का माहौल अच्छा है इसलिए आपको मेट्रिकली वहां पर सेकेण्ड या फर्स्ट क्लास आ जाएगा। लेकिन आज की बेसिक शिक्षा की स्थिति क्या है। 'असर' एक संस्था है प्लानिंग कमीशन ने उसकी एक रिपोर्ट मंगाई उसको मंगाकर आप पढ़ लीजिए। हम उसमें जाना नहीं चाहते। मान्यवर, हमारे पास समय कम है। लेकिन मान्यवर, बहुत खराब हाल है। मान्यवर, इस सरकार ने युवा वर्ष घोषित किया है। किसान वर्ष में किसानों की दुर्दशा। 2400 करोड़ रुपये किसान वर्ष में घोषित किया, 2435.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में थी और उसमें से 834 करोड़ रुपये ही खर्च हुए, 1600 करोड़ रुपये अभी तक खर्च नहीं हुए और 100–50 करोड़ रुपये खर्च हो गये होंगे, लेकिन कुल मिलाकर आधे से ज्यादा बजट मान्यवर पड़ा है और किसान बजट फिर तैयार है कृषि का और कृषि विकास दर कितनी है, वह भी जरा पूछ लीजिए। मान्यवर, युवा वर्ष घोषित किया, यू0पी0एस0सी0 से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से अनिल यादव चले गये, लेकिन वहां वह ऐसी परम्पराएं डाल कर गये हैं कि आदमी रोता है, सोसाइड करने के लिए मजबूर है मान्यवर, वहां पर और मा0 मुख्य मंत्री जी आप अपनी खुफिया से, सी0आई0डी0 से या किसी गोपनीय एजेन्सी से जांच करवा लें कि वहां का हाल क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में किस प्रकार की नौकरियां आज की तारीख में बंट रही हैं। मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं, अभी–अभी पी0सी0एस0 की परीक्षा हुई, पी0सी0एस0 में जिन लोगों को सफलता नहीं मिली मान्यवर, उनमें से किसी दो–चार लोगों से, अगर आपके पास न हों तो हम बुलाकर आपके पास कहिये भेज दें, आपको असलियत मालूम हो जायेगी, आप हमें समय दे दीजिए, हम भिजवा देंगे कि उन लोगों से उनकी बयानी सुन लीजिए किस–किस कीमत के ऊपर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी मिल रही है, आखिरकार वह एक ऐसी संस्था है, जिसके बारे में हम ज्यादा कहना नहीं चाहते, लेकिन बहुत–बहुत स्थिति खराब है, बिना कान्ट्रेक्ट के बिना सौदेबाजी के वहां पर एक कदम आगे नहीं बढ़ते, आज की स्थिति यह है। मान्यवर, इस युवा वर्ष में छात्रों की छात्रवृत्रि एक बहुत बड़ा मद है, छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति मान्यवर यह सरकार करती है, जिन लोगों के फार्मों में कुछ कमी रह गई थी, उन लोगों को 31 तारीख का समय दिया था मान्यवर, 15 लाख 76 हजार लोग ऐसे अभी भी बचे हैं, जिनकी फीस प्रतिपूर्ति का मामला संदिग्ध है, अधर में है उनको पता ही नहीं कि उनकी हो भी पाये कि नहीं, उनके फार्म ही मान्यवर कम्प्लीट नहीं हुए विभाग ने उनको कम्प्लीट नहीं किया। तीसरी बात मान्यवर, गन्ना किसानों की बात है, गन्ना किसानों के सम्बन्ध में केवल हम इतना कहना चाहते हैं, बहुत कुछ हो गया, अगर पूरी तरीके से सार्ट टर्म प्लानिंग, लांग टर्म प्लानिंग दोनों होना चाहिए, सरकार को गन्ने का स्थाई

समाधान खोजना चाहिए, गन्ने के पेमेण्ट के लिए हर समय किसान खड़े होकर कटोरा लेकर भीख मांगे यह अच्छा नहीं लगता मान्यवर और इसके लिए जरूर शुगर काम्प्लेक्स बनाना चाहिए, इसके लिए सरकार को पहल जरूर करनी चाहिए, वरना आगे आने वाला समय क्योंकि गन्ने की बुवाई लगातार हर वर्ष कम होती जा रही है और बहुत बड़ा वर्ग गन्ने की खेती से जुड़ा है, इसलिए हम विशेष रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। मान्यवर, पेय जल की व्यवस्था, मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी को इसलिए याद किया जायेगा कि वियतनाम की भी समस्या अगर हुई तो उसमें गांव, गरीब, किसान की हमेशा उन्होंने बात की और कल्याण सिंह जी को इसलिए याद किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया कानून–व्यवस्था थी मान्यवर, और इस सरकार को इसलिए याद किया जायेगा कि इण्डिया मार्का ट्यूबवेल समाप्त करके बूंद–बूंद पानी को इस सरकार ने तरसा दिया। मान्यवर, उस कुर्सी पर अभी तक जितने लोग बैठे, स्वयं जिसकी विरासत मा0 मुख्य मंत्री जी को मिली उन्होंने भी उस कुर्सी पर बैठ कर उसका इतिहास दूषित नहीं किया मान्यवर, इतिहास दूषित हो रहा है। उस कुर्सी पर जो भी मुंह से निकला, चाहे जमीन आसमान एक हो जाय मान्यवर उस कुर्सी पर चाहे जिसने जो वायदा किया वह जरूर पूरा किया, मेरी जहां तक जानकारी है और विरासत में भी ऐसे मुख्य मंत्री की मिली, लेकिन मान्यवर लोहिया ग्राम के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसी सीट से बैठकर कहा था कि मा0 विधायकों की संस्तुति को भी ध्यान में रखा जायेगा। हम लोग अभी भी आशा लगाये बैठे हैं, चार साल हो गये, अब एक साल बचा है। अब पता नहीं, अगले साल तो ये लोग इधर बैठे होंगे, इसलिए अगले साल का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, उस कुर्सी पर बैठ कर जिसने जो कहा, वह पूरा किया। हम फिर से मा0 मुख्य मंत्री जी को इस बात को याद दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कम से कम लोहिया ग्रामों में विधायकों की सहभागी जरूर सुनिश्चित करें। मान्यवर, समाजवादी पेन्शन का बहुत ज्यादा बखान होता है, मान्यवर, इसमें आप किसी जनपद की जांच करवा लो, कोई आय का पैमाना नहीं है। आय प्रमाण–पत्र का कोई देख–रेख नहीं है, कि आय प्रमाण–पत्र कहां से हो। जो सिफारिश कर दे, उसको समाजवादी पेंशन मिल जाती है। सरकार की नीतियां ऐसी चलती रही हैं। जो आपने 10 लाख लोगों को और पेंशन देने की घोषणा की, वह ठीक हो सकती है, नीयत और मंशा ठीक हो सकती है लेकिन नीचे स्तर पर जो पेंशन दी जा रही है, जिन लोगों को पेंशन दी जा रही है उनकी स्थिति क्या है ? उनका आय प्रमाण–पत्र कहां से बन रहा है, ब्लाकों से और नगर पालिकाओं से। मान्यवर, इन संस्थाओं का अभी तक जो आय प्रमाण–पत्र मान्य होता था, वह तहसील से होता था, एस0डी0एम0 कार्यालय से मान्य होता था। उस आय प्रमाण–पत्र का कोई मतलब नहीं है। जितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है, जितनी बड़ी अराजकता और अनियमितता इसमें है, शायद किसी फण्डस में नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आपका बीस मिनट हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अभी तो बोलना शुरू किया है। अभी तो आधी बात नहीं हो पाई है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपने बोलना शुरू किया है। माथुर साहब परेशान हो रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, थोड़ा समय दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, जाम की समस्या चरम सीमा पर है। हर शहर में आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं। मोटर साइकिल, स्कूटर, कार सब बढ़ रहे हैं। हर शहर में इस बात की आवश्यकता है कि वहां रिंग रोड बनायी जाये। खास तौर से जो अधूरी सीवर लाइन पड़ी हुई हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मान्यवर, विद्युत के संबंध में कहना चाहूंगा कि जबसे यह सरकार आयी थी तो लगभग 4 हजार मेगावाट इस सरकार का उत्पादन था, आज 500 मेगावाट इस सरकार ने उत्पादन विद्युत का घटाया है। यह चार साल की वृद्धि है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप लोग समय न खराब करें। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी। बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। छात्रों के लिये बिजली के शेड्यूल के संबंध में है। आपने चुनाव घोषणा–पत्र में तो दो साल के अंदर 20 घण्टे और 22 घण्टे बिजली देने का वायदा किया था। बिजली का इतना बड़ा मुद्दा है। इतने बड़े पैमाने पर छात्र इम्तिहान दे रहे हैं। मान्यवर, रात में बिजली चली जाती है, इसका शेड्यूल कम से कम बदलवा दें। जितनी सप्लाई है, सप्लाई तो बढ़ाना चाहिए, नहीं है तो कहीं खरीद लीजिए। एन0टी0पी0सी0 से बिजली तीन रुपये, साढ़े तीन रुपये में मिल जायेगी लेकिन बिजली की हर हालत में व्यवस्था की जाये। जमीन के मुआवजे के संबंध में कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया पड़ा है और लैण्ड एक्विजिशन के केसेस डिसाइड न होने की वजह से उन लोगों को पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों की जमीनें गयी हैं और नेशनल हाईवे की वह बाइंडिंग भी नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आपने चुनाव घोषणा–पत्र में तो यह वायदा किया था कि छः गुना उनको मुआवजा मिलेगा। अब उनकी जमीनें तो चली गयीं लेकिन उनके केस डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। 20–20 साल से लोगों के केस डिसाइड नहीं हो रहे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम तो कम से कम शाहजहांपुर का जानते हैं, जो नेशनल हाई–वे कटरा से लेकर बरताना तक इसमें बरेली से सारे जितने भी नेशनल हाई–वे हैं सबकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कम से कम उस स्थान के लैण्ड एक्विजिशन के मामले डिसाइड कर दिए जाएं तो जल्दी हो जाएं। मान्यवर, अंतिम बात कह कर खत्म कर दूंगा। अगर कानून–व्यवस्था के संबंध में नहीं भी कहेंगे तो भी अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी बहुत कह गए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मौर्य जी बोल तो गए हैं लेकिन आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा। 1044 स्थानों पर चार बरस में पुलिस पिटी है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम

आदमी की बिसात क्या है। मान्यवर, इस बात का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। जो 216 करोड़ रुपया जो पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए जो क्वांटिफाई किया गया है वह पुलिस की आधुनिकता के लिए बहुत कम है। इसलिए हम विशेष रूप से चाहते हैं कि कम से कम कानून–व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। यह हर प्रकार से यह बजट जनविरोधी है। कहीं पर से ऐसा नहीं लगता कि एक समाजवादी मुख्य मंत्री की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

आप तो शेर पढ़ेंगे या ऐसे ही शुरू करेंगे। क्या आप शेर नहीं पढ़ेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कब पढ़ेंगे, बाद में।

'श्री प्रदीप माथुर–

बिल्कुल पढ़ेंगे साहब, जब आपने शेरो–शायरी का माहौल बना ही दिया है तो शेर भी पढ़ेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह फख्र की बात है कि मा0 मुख्य मंत्री जी हौसला रखने लगे हैं, हौसला रखा है, जब से पतवारों ने उनकी नाव को धोखा दिया है। इनको समझ में तो आया कि पतवारें धोखा दे रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि

तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो,
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो।
तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक हमारा सुलूक
हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पे धार करो।

मा0 अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी की नीयत तो ठीक नजर आती है पर इनके साथ जो पतवारें हैं वे कबाड़ा करने में लगी हुई हैं। मैं समझता हूं कि जो सपने देखे थे 5 साल पहले तो कोशिश हो रही है कि वे साकार हों पर उन सपनों में कई जगह छेद हो गए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जो यह 2016–17 का बजट है, चुनावी बजट मालूम पड़ता है। मुझे लगता है कि कहीं दिसम्बर में ही चुनाव न हो जाएं। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने जगह–जगह बजट में वर्णन किया है कि अक्टूबर के महीने तक ये योजना पूरी हो जाए, 25 अक्टूबर तक ये पूरा हो जाए तो मुझे लगता है कि कोई तालमेल, सांठ–गांठ, दिल्ली से मिल–मिलाकर कहीं दिसम्बर में ही बॉम्ब–बार्डमेण्ट न हो जाए चुनाव की।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोका–टाकी करने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं नहीं करा रहा हूं तुम्हारे ही लोग मिलेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह काफी भारी–भरकम बजट है 3 लाख 46 हजार 936 करोड़ का जो पिछले वर्ष से 14.6 परसेण्ट ज्यादा है और अफसोस है कि पिछला बजट तो खर्च नहीं हुआ। हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 खन्ना जी ने बताया और विभिन्न विभागों की सूची मेरे पास भी है, बार–बार कहने से फायदा नहीं है। किसी विभाग में 50 परसेण्ट पैसा खर्च हुआ है तो किसी विभाग में 18 परसेण्ट पैसा खर्च हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता। आप सब मंत्री लोगों को तो दरियादिल रखना चाहिए। जब आप बजट ही खर्च नहीं कर पाते तो अपोजीशन में बैठे हुए एम0एल0एज0 का काम क्यों नहीं कर देते, उनको भी पैसा दे दिया करिए। आपकी 403 विधान सभाएं हैं। मैं हर बार कहता रहा, हर बार कहता हूं कि बजट का प्रॉपर यूज और यूटिलाइजेशन तब ही होगा जब आप एक विधान सभा को एक यूनिट मानेंगे परन्तु देखा यह जाता है कि बजट उन्हीं स्थानों पर खर्च होता है जो वी0वी0आई0पी0 कॉन्स्टीच्युएन्सीज़ हैं या जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से 'मथुरा की बात करो' कहे जाने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

मैं मथुरा को मना नहीं कर रहा हूं। मुख्य मंत्री जी की मेहरबानी है मथुरा पर।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

मुख्य मंत्री जी की मेहरबानी है मथुरा पर, हम नकार कब रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहिए कि ये चुप रहें।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार टोका–टाकी करने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

हम पूरे यू0पी0 की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, इन नये मा0 मंत्रियों से कहिए कि शान्त रहें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जरा शान्त रहें। आप लोग माथुर साहब को सुनिए, ये बजट पर बोल रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

इस बजट में 13842 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार टोका–टाकी करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह सही है, वे स्वीकार कर रहे हैं कि हां, हमारे यहां मथुरा में खर्च हुआ है तो फिर आप लोग क्यों बार–बार बोल रहे हैं। वे कह तो रहे हैं कि मथुरा में मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया है।

श्री प्रदीप माथुर–

हम तारीफ कर तो रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण नहीं है जो कि बढ़कर 49,960.88 करोड़ अनुमानित है तो राजकोषीय घाटा बराबर बढ़ रहा है।

इन 5 सालों को अगर आप देखें 2012–13, 13–14, 14–15 15–16 और 16–17 को आप देखें।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, यह घाटा कितने प्रतिशत हो जाएगा। यह राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत हो जाएगा।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः टोका–टाकी करने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, क्या हम बैठ जाएं, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यदि आप देखें। हम लोग पश्चिम से आते हैं, तमाम विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा होती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री जी पहले मेहरबान रहते थे, इस साल आप मेहरबान नहीं हैं। ब्रज की उपेक्षा आपने की, व्रज पर भी मेहरबान नहीं हैं इस वर्ष। आप आगरा की बात करते हैं, बाकी ब्रज को आपने छोड़ दिया। भगवान कृष्ण की लाइनें है कि ''उधौ ब्रज विसरत नाहीं'' तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि ब्रज के साथ ऐसा अन्याय न करें, जो घोषणाएं की हैं, उनका पैसा भेज दें। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं कहना चाहूंगा कि किसान वर्ष की आपने बात की। अब आप देखिए कि किसान वर्ष घोषित किया और पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ, जितना भी आपने दिया। आप देखिए, निम्न स्तर पर किसानों की क्या पोजीशन है, पटवारीराज है। मुख्य मंत्री जी ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के लिए पैसा दिया, उसके लिए बधाई और केन्द्र सरकार से कहते रहे केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं भेजा। मुख्य मंत्री जी ने अपने पास से बांट दिया था।

(भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आई ढाई सौ, तेरह सौ करोड़ दो बार भेजा गया)

श्री प्रदीप माथुर–

अरे, वह बाद में आया जब सब कुछ हो गया था।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहें। उन्हें बोलने दें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय मुख्य मंत्री जी बांट चुके थे, तब पैसा इन्होंने भेजा तो ऐसे पैसे का क्या काम। मरीज को जरूरत पर कोरामिन का इंजेक्शन न मिले और कोरामिन का इंजेक्शन आप तब भेजे जब मरीज मर चुका हो तो ऐसे पैसों को क्या फायदा ? माननीय अध्यक्ष जी, किसान वर्ष में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। डी0पी0टी0 स्कीम इन्होंने लागू की, 10 लाख किसानों की बात करते हैं, क्या खाली दस लाख किसान हैं प्रदेश में। इस प्रदेश में करोड़ों किसान हैं। किसानों का प्रदेश है, तो वह डी0पी0टी0 योजना से सब किसान कहां लाभान्वित हुये। इसी तरह किसान बीमा योजना प्रशंसनीय है, चलिये इसमें उन्होंने इस्टीमेट बढ़ाया है। गन्ने के दाम पर मुख्य मंत्री जी, क्यों अड़े हुए हैं, 280 पर..

(भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आई की मोदी जी को धन्यवाद तो कर दें)

श्री प्रदीप माथुर–

मोदी जी ने कबाड़ा कर दिया देश का। मोदी जी का नाम मत लीजिए वह यू0एन0ओ0 से चुनाव लड़ेंगे, यू0एन0ओ0 से।

(कई सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी बोलने दीजिए, जब आप अपनी बात कहेंगे तब कह लीजिएगा।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी 280 रुपये के उस फीगर पर अटके हए हैं। इनकी सुई आगे ही नहीं बढ़ती। किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाते तो किसान दुआ देते।

(भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आई की मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया है।)

श्री प्रदीप माथुर–

ख ग ग ग ,

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गए और विरोध करने लगे तथा माफी मांगने के लिए कहने लगे।)

श्री मनीष असीजा–

यह असंसदीय है, यह बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात कही है, वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए बहुत गलत बात कही है। ये सदन से माफी मांगें। (वेल से)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

बिल्कुल गलत बात कही है इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए अध्यक्ष जी, ये माफी मांगें। (वेल से)

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, ये शब्द निकाल दीजिए, निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जो शब्द बोले हैं, वह निकाल देंगे। यहां पर कार्यवाही का अंग नहीं मानेंगे जो वे असंसदीय बोले हैं, कार्यवाही का उसे अंग नहीं माना जायेगा, जो अससंदीय है उसे निकाल देंगे। जो असंसदीय है उसे कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं शब्द वापिस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

वह न तो प्रकाशन में जायेगा, न ही कार्यवाही का अंग होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, अब बात समाप्त हो जानी चाहिए, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अब उन्होंने वापस ले लिया है, वापस ले लिया है। शब्द वापस ले लिया है, अब आप लोग जाइये बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

और क्या बच्चे की जान लोगे अब। वापस ले तो लिया। अब बताओ बच्चे की जान लोगे। क्या करोगे, वापस ले तो लिया, भोला–भाला है।

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, जुबान फिसल गई।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब बताइये, जरा भी देर नहीं लगाई वापस ले लिया। कहा क्यों था ?

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, वापस ले लिया, जुबान फिसल गई।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कहा क्यों था ?

श्री प्रदीप माथुर–

आप लोग बार–बार, मोदी जी, मोदी जी कह देते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बुरी बात है, नहीं कहनी चाहिए ऐसी बात।

श्री अध्यक्ष–

आप को नहीं कहना चाहिए, जो मन में आता है, आप लोग बोल देते हैं, माथुर साहब।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह उचित नहीं है, तुरन्त वापस भी ले लिया। अब वापस ले तो लिया भाई।

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने से सदन मे घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)–

मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, यह माफी मांगे।

श्री उपेन्द्र तिवारी (वेल से)–

इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, ये माफी मांगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इन्होंने अपनी बात तुरन्त वापिस ले ली।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस तरह की टिप्पणी कल भी की गयी थी, कल तो हमने आपकी बात मान ली थी मगर यह नहीं चलेगा। जिसके बारे में यह कह रहे हैं वह देश के प्रधानमंत्री हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह स्लिप आफ टंग हो गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माथुर साहब आप अपना शब्द वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, ले लिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं इसकी गवाही देता हूं कि नेता कांग्रेस ने अपना कहा हुआ शब्द वापस ले लिया, बहुत जल्दी वापस ले लिया।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय (वेल से)–

मान्यवर, यह खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप एक पार्टी के नेता हैं और आप इस तरह से हल्की बातें करेंगे तो यह गरिमा अच्छी नहीं है। आपको ऐसी बातें हल्के ढंग से नहीं करनी चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इतने गम्भीर विषय को यह लोग इतने हल्के में ले रहे हैं, बजट भाषण पर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

डिस्टर्ब तो आपने किया है। आपको इस तरह के शब्द नहीं बोलना चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, या तो ये लोग वापस आ जायें नहीं तो इस जुमले पर हम कायम रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप क्यों विवाद पैदा कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम दूसरे की पार्टी के नेताओं का सम्मान से नाम लेते हैं, आदरणीय कह कर नाम लेते हैं और यह जिस तरीके से हल्के तरीके से बात करते हैं, यह ठीक नहीं है। इन्हें अभी माफी मांगनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह सही है कि ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, दरअसल हुआ यह खन्ना साहब, आप उनके नेता को क्या नहीं कहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप कार्यवाही में देख लीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपसे मतलब आप नहीं, सभी लोग।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

कभी नहीं कहा, आप कार्यवाही में देख लीजिये हमेशा सम्मान से नाम लिया चाहे श्रीमती गांधी जी के लिए हो या किसी के लिए हो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

गांधी जी तो सबके हैं मैं तो राहुल जी की बात कर रहा हूं। राहुल जी के लिए आप क्या–क्या नहीं कहते, मैं अगर बताऊंगा तो वो मुझसे नाराज हो जायेंगे।

(अनेक सदस्यों द्वारा लगातार एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह खेद व्यक्त करने के शब्द हैं मैं आग्रह करूंगा अपने दोस्त माथुर साहब से . ...

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह स्लिप आफ टंग हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपको इस स्लिप आफ टंग पर खेद है ?

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, स्लिप आफ टंग पर क्यों खेद है जुबान फिसल गयी।

श्री अध्यक्ष–

यह क्या है जुबान फिसल गयी यह कौन सी बात हुई कि जुबान फिसल गयी।

श्री प्रदीप माथुर–

यह जुबान फिसल गयी मैंने संसदीय प्रणाली में इसे वापस ले लिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसे गम्भीरता से लेते हुए इतना अगर मान लेंगे आप, मान लिया सबने कि स्लिप आफ टंग है लेकिन स्लिप आफ टंग पर आपको खेद है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, समाज को खेद हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं खेद प्रकट कर दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें नहीं बोलना चाहिए था यह स्लिप आफ टंग हो गयी हम आपसे कह रहे हैं नहीं बोलना चाहिए था हमने अपना शब्द वापस ले लिया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

आपको, राहुल जी पर कल बोले थे, उस पर खेद है तो हमें भी खेद है बोलिये आपको खेद है।

श्री प्रदीप माथुर–

राधा मोहन दास जी, माननीय सदस्य बोले थे वेल में आकर के बोलिये खेद है आपको।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कल की बात हमने आपकी बात को मान कर उसके बाद समाप्त कर दी थी। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, इसको हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वह पूरे सवा सौ करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं उनका नाम सम्मान से लिया जाय। आप पालिसीज के बारे में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जहां तक उनके नाम की बात है उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए और यह सदन है यह गरिमामय सदन की परम्परा भी रही है ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में इस तरह से बोल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

जो भी बड़े हैं उनका नाम आदर और सम्मान के साथ ही लेना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं किसी स्थित में रहा हूं हमने दूसरे नेताओं को कभी भी इस प्रकार से हल्केपन से नहीं बोला न हमारे लोग बोलते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सदन के सदस्यों में और प्रधानमंत्री में फर्क कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष–

वह प्रधानमंत्री हैं देश के।

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रधानमंत्री की मर्यादा में और सदस्यों की मर्यादा में फर्क होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

पंचायत मत करो।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह कोई तर्क नहीं है जाहिर है प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं और होना भी चाहिए उन्हें नहीं हैं तो आज से हो जायें।

एक शब्द की बात है सबकी खुशी के लिए कह दीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, यही रवैया इनके साथ भी अपनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माथुर साहब, सम्मानजनक ढंग से कोई बात कहनी चाहिए आप एक पार्टी के नेता हैं आपको सम्मानजनक ढंग से नाम लेना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नेता, भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि माथुर साहब ने ऐसा कहा है कि उनकी स्लीप ऑफ टंग हुई है और वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। मेरा ख्याल से इतना काफी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माथुर साहब ने खेद व्यक्त नहीं किया है। जब तक यह खेद व्यक्त नहीं करेंगे, हमारे सदस्य वापस नहीं आयेंगे। इन्हें सदन के सामने माफी मांगनी ही होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माथुर साहब ने कहा है और फिर से कह देंगे। आपके लोग अगर शोर कम करें तभी तो सुन पायेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह तो चुका हूं। आप रिकार्ड निकलवा लीजिये। यह एक ही बात को बार–बार क्यों कहलवाना चाहते हैं।

श्री नदीम जावेद–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जब कहा है कि आदरणीय नेता कांग्रेस ने कह दिया है, तो मुझे लगता है कि पुनः कहने की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माथुर साहब, आप एक बार और कह दीजिये ताकि मामला खत्म हो जाये। केवल आखिरी बार।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा था उसे मैं इन्डोर्स करता हूं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार से माफी नहीं मांगी जाती है। माथुर साहब अपनी ओर से तो कुछ स्पष्ट कह नहीं रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुंह से निकला हुआ शब्द कहीं वापस होता है। अब कहने में क्या हर्ज है। अगर खेद व्यक्त करने से इनको तसल्ली होती हो, तो यह खेद व्यक्त कर देंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा है कि भविष्य में यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में कोई अनर्गल भाषा बोली, तो फिर यह भी खेद व्यक्त करें। आज जो हुआ है, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब माथुर साहब ने कह दिया है, तो आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाईये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण वेल से अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

देखिये एक निवेदन है कि जब माथुर साहब बोले तो आप लोग उनको डिस्टर्ब मत करिये। अगल–बगल से लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो आखिरी बात आई वह पहली बात से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे ख्याल से इस पर आप प्रोसीडिंग देख लीजिये। नेता, कांग्रेस ने कहा है कि अगर ऐसे ही अनर्गल हमारे नेताओं के बारे में कहा

गया, तो मेरे ख्याल से जो शब्द आपने कहा था यह रिकार्ड में रहे कि वह प्रधानमंत्री के लिए अनर्गल शब्द नहीं था, क्योंकि अगर हम उससे उसे जोड़ेगे तो वह शब्द अनर्गल माना जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के लिए वो शब्द नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबके हैं, जैसे मुख्य मंत्री सबके हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है। एक राष्ट्रीय पार्टी के जो विधान मण्डल दल के नेता हैं इस उत्तर प्रदेश विधान सभा में, वह इतने हल्केपन से बात करेंगे और अपनी बात वापस भी ले रहे हैं तो हंसी मजाक के रूप में ले रहे हैं। यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री प्रदीप माथुर–

आप चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं, जब हमने वापस ले लिया है। खेद प्रकट कर दिया। तो दादा आप फिर इसे क्यों तूल दे रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मुझे इसलिये बोलना पड़ा कि आप इसे मजाक के रूप में ले रहे हैं। यह मजाक का विषय नहीं है, क्या यह मजाक की जगह है। आप कुछ भी इस पर लीपापोती करिये, लेकिन आपने इस पर बहुत हल्केपन का परिचय दिया है। आपमें कोई गंभीरता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

दादा, अब उन्होंने मान लिया है कि उन्हें यह नहीं कहना चाहिये था, तो आप बैठ जाईये।

श्री प्रदीप माथुर–

दादा, आप पहले अपने विधायकों को सम्भालिये। यह लोग पीछे से टिप्पणियां किया करते हैं। दादा अब आप प्लीज बैठ जाईये।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, आप अपना भाषण दीजिये, दादा अपने आप बैठ जायेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ने के दामों का जहां तक प्रश्न है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से यह निर्देश पारित होने चाहिये कि एक राष्ट्रीय दल का जो विधान मण्डल दल का नेता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करें और यह इस भाषा का प्रयोग किनके लिए कर रहे हैं। जिनको दूसरे किसी को सम्मान देने की काबिलियत नहीं है, उनके अंदर इतना मर्यादा बोध नहीं है, जो इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, माफी मांगने की जगह पर हंस रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप इसे कार्यवाही से निकलवाइये। मेरा अनुरोध है कि यह लिखा नहीं जाये।

श्री अध्यक्ष–

दादा, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप बैठ जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप इस पर जितना चर्चा करेंगे, उतनी बात बिगड़ेगी। बात को और बढ़ाने से बात और खराब ही होती है। अब जब माथुर साहब ने खेद व्यक्त कर दिया है, तो बात समाप्त कर देनी चाहिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

हम दुखी होकर यहां पर यह बात कह रहे हैं। आपकी तरह हंस करके किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

दादा हम पर आरोप लगा रहे हैं, इन बांतों को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

हम भी बहुत दिन से इस सदन में आ रहे हैं और बहुत कुछ देखते हुये आ रहे हैं। आप प्रमोद तिवारी नहीं बन सकते। उनके अंदर जो योग्यता थी वह आपके अन्दर है ही नहीं।

(इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर 'दादा अपने शब्द वापस लें' कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री प्रदीप माथुर–

आप मुझे कोई सर्टीफिकेट देने वाले हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

हां हम देंगे आपको सर्टीफिकेट। आप लिहाज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसे बहस का इश्यू बनाकर आप स्वयं अपने प्रधानमंत्री को इस तरह और अपमानित करा रहे हैं और यह साबित करा रहे हैं कि आप किसी को माफ करना नहीं जानते, मिटाना जानते हैं। जब इन्होंने खेद व्यक्त कर दिया तो समाप्त हुयी बात। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप लोग अपने स्थान पर वापस जाओ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपने स्थानों पर वापस गये)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, दादा ने जो शब्द हमारे लिये बोले हैं उन्हें आप प्रोसीडिंग से निकलवाइये और खेद व्यक्त कराइये।

श्री अध्यक्ष–

हम देख लेंगे और जो अंससदीय होगा, उसे निकाल देंगे। माथुर साहब अब आप अपनी बात खत्म करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रदीप माथुर हैं, हमारे नेता के लिये जो इन्होंने बोला है, उसके लिये यह खेद प्रकट करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

आकाश और पाताल की तुलना कर रहे हैं आप।

श्री मोहम्मद आजम खां–

दादा लोकतंत्र में कोई आकाश नहीं होता और जो आकाश होता है वह जमीन नहीं हो सकता। अपने प्रधानमंत्री को आकाश मत बनाइये, जमीन पर लाइये। जमीन पर लाइये और आप नहीं लायेंगे तो वक्त और हालात खुद ले आयेंगे और सिर्फ जमीन पर ही नहीं लायेंगे बल्कि जमीन के नीचे ले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप बोलें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि गन्ना किसानों के दाम पर आपने ब्रेक क्यों लगा रखा है। 280 रुपये प्रति क्विंटल से दाम आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। चार सालों का मामला हो गया और पांचवां साल आ गया हम उम्मीद करते थे कि गन्ना किसानों के दाम प्रति क्विंटल आप बढ़ायेंगे। आप देखिये कि जो मिल मालिक हैं उनके ऊपर साढ़े सात हजार करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे में किसानों का क्या होगा, उनका पेमेंट नहीं हुआ है यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने युवा वर्ष घोषित किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्री जंक्शन योजना, कृषि स्नातकों को इम्प्लायमेंट देने की व्यवस्था की, पर आपने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि आपके प्रयास बहुत कामयाब रहे हैं, बड़ी–बड़ी आपने समिट्स की, तमाम एम0ओ0यूज साइन किये। पर हकीकत में जाइये मुख्य मंत्री जी, आप ट्रैवल करके देखिये कि उन मीडियम और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या हाल है वह सिक पड़ी हुयी है, रूग्ण पड़ी हुयी है। मैं चारों साल इस बात को आपसे कहता रहा। पिछले साल आपने बजट में घोषणा भी की थी और बीच में आप इंडस्ट्रीज पालिसीज में कुछ रिफार्म भी किये थे कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हम उसके लिये रिहैबिलेटेशन पैकेजेज बनायेंगे। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में भारी भ्रष्टाचार है, एलाटमेंट तक के लिये पैसे लिये जाते हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, इंटरप्रेन्योर इधर से उधर भागते रहते हैं। यही यू0पी0एफ0सी0 का हाल है, यही पिकप का हाल है, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, एक विजन तो दे रहे हैं परन्तु जो वर्तमान की स्थिति है वह सुधरने को नहीं आ रही है आप बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं जब स्माल स्किल इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो जो हाई क्लास इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, इन्फोसिस में आई0टी0 के लोग जायेंगे, जो आपकी रिलायंस हैं, आई0टी0सी0 है, एक्सल है, गेल है,

एमिटी है, इन्फोसिस है जो 42500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं उसमें पढ़े लिखे आई0टी0 सेक्टर के लोग जायेंगे। आप उन एम0बी0एज0 की बात कीजिए, आप उन इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट की बात कीजिए, उन ग्रेजुएट्स की बात कीजिए, आप उन सबकी बात कीजिए जो और एजूकेशन लाइन में हैं वह स्माल मीडियम स्किल इंडस्ट्रीज में खपते हैं, वह यूनिट्स जब प्रदेश में चल ही नहीं रही हैं तो उनको एम्प्लाइमेंट कहां से मिलेगा। आपने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था वह भी बन्द कर दिया। यूथ निराश हो गया है उसको कहीं एम्प्लाइमेंट नहीं मिलता कारण यह है कि आपने सपने दिखाये और उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश की परन्तु ग्रास–रूट पर क्या है, ग्रास–रूट के लिए भी आपको कुछ मानीटरिंग सेल्स बनानी चाहिए कि आपका काम कितना क्लोजली हो रहा है अफसरशाही उसको मैदान तक पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है। हकीकत में ऐसा नहीं है, वही अफसर, वही बाबू और वही अधिकारी, सरकारें बदल जाती हैं, मुख्य मंत्री बदल जाते हैं, काम आपको उन्हीं लोगों से लेना है, आपकी पालिसीज का अनुपालन वह कितना करते हैं वह उनके ऊपर निर्भर करता है। नीचे ग्रास–रूट की स्थिति यह है कि व्यवस्था जस की तस है, मैं आपको वास्तविकता से परिचित करा रहा हूं। अब आप अवस्थापना की बात कीजिए, बहुत अच्छा है आगरा–लखनऊ, ग्रीन एक्सप्रेस–वे वन्डरफुल, आज आपने घोषणा की, आपने आदरणीय मोदी जी से कहा, प्रभु जी से कहा कि रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन उस रूट पर दें, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप हाईटेक टाउनशिप की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड सिटीज की बात कर रहे हैं और जनपद मुख्यालयों को चार–लेन से जोड़ने की बात कर रहे हैं परन्तु जनपद मुख्यालय सारे तो नहीं जोड़े गये। आपको हर बजट में एलाउंस करना चाहिए था कि इस साल 25 जिले, इस साल 25 जिले और अगले साल 75 जिले जुड़ जाते लेकिन अभी तक जुड़े नहीं हैं। मैं अपने मथुरा की बात कह सकता हूं नहीं जुड़ा है, यह बहुत गम्भीर मामला है आपकी प्लानिंग, सोच और विजन सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन अनुपालन में नीचे धड़ाम से गिर जाता है। आप ऊर्जा में बिजली की बात कीजिए, गांवों को अक्टूबर, 2016 तक, 2016 का टारगेट रखा है मा0 मुख्य मंत्री जी ने तभी मुझे लग रहा है कि कहीं दिसम्बर में चुनाव न हो जाएं। अक्टूबर, 2016 तक गांवों में 16 घण्टे और शहरों में 22 घण्टे बिजली देने की बात की, ताज ट्रिपेजियम जोन जो टी0टी0जेड0 बना है उसमें तो आप 24 घण्टे बिजली दे नहीं पाते हैं तो और शहरों में आप कैसे दे देंगे जब कि वहां के लिए सुप्रीमकोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं। आगरा से तो मुख्य मंत्री जी को विशेष प्रेम है वहां तो बिजली मिल जाती है परन्तु जो उसके ज्वानिंग इलाके हैं, जो आस–पास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां 8 घण्टे, 7 घण्टे, 6 घण्टे बिजली आती है और देहातों में तो पुरुषाहाल है। इसका सीधा–सीधा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर पड़ता है, जब लगातार बिजली नहीं आती है तो जो प्रोडक्शन है वह प्रभावित होता है। टी0टी0जेड0 में आप जेनरेटर्स नहीं लगा सकते और जब जेनरेटर्स नहीं लगा सकते तो बनते हुए माल के बीच में जब लाइट/पावर्स चली जाती है तो माल बेकार हो जाता है। विद्युत के जो इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं उसमें 24 घण्टे बिजली देने की बात की है, कहां बिजली आती है 24 घण्टे इंडस्ट्रियल फीडर्स में। मेरा कहने का मतलब है कि हर विभाग को कसने की

जरूरत है उसके ऊपर एक मॉनीटरिंग सेल बैठाने की जरूरत है वरना विभाग अपने ढर्रे पर चल रहे हैं। ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार का बुरा हाल है नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ए0सीज0 पैसा बटोरने में लगे रहते हैं। बिलों की हालत यह है कि बिल ऊंचे बना दिये जाते हैं फिर जे0ई0 लेबिल पर बार्गेनिंग होती है 50 परसेंट पैसे में सेटलमेंट होता है और फिर बिजली के बिल का पेमेंट होता है आप पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में देख लीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, इन रियलिटीज को भी देखना पड़ेगा, अंडरग्राउन्ड केबलिंग का काम मैंने अपनी यू0पी0ए0 गवर्नमेंट में मथुरा के लिए डलवाया, मैं कह–कह कर हार गया भ्रष्टाचार के मामले में लेकिन कोई सुनवाई नहीं। प्रमुख सचिव, ऊर्जा से कह दिया, दक्षिणांचल विद्युत निगम के एम0डी0 से कह दिया, मा0 मुख्य मंत्री जी को लिख करके दे दिया लेकिन जिन इलाकों के लिए हम पैसा ला करके दिये थे उन इलाकों में काम ही नहीं हो रहा है गांव में कर दिया अंडरग्राउन्डिग जा करके, बताइये गांवों में क्या औचित्य है। जो हार्ट ऑफ द सिटी है उनमें काम ही नहीं हो रहा है, मनोहर पुरा में तार लटके हुए हैं, बन्दर झूल रहे हैं हिला रहे हैं लेकिन वहां काम ही नहीं करते। अब हम किससे कहें, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कह रहे हैं। ऊर्जा विभाग में टॉप से लेकर बाटम तक का कोई अधिकारी नहीं सुनता। मजे की बात तो यह है कि आप इतने ओपेन माइन्डेड हैं कि दूसरी सत्ता के अधिकारी भी आपके वहां बैठे हुए हैं और वही पहली सत्ता का गुणगान करते हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं, पार्टी के अधिकारी हैं उसको मजबूत करते हैं और हम कह–कह करके हार गये उन्हें हटा नहीं रहे हैं। जब हमने प्रमुख सचिव, ऊर्जा से कहा तो बोले कि वी डोन्ट फील लाइक एनी पार्टी लाइन सिस्टम, इस तरह की बात की, बड़ा अजीब मामला है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मेरी पूरी बात ही नहीं आ पायी है, कितना समय बर्बाद हो गया ? मान्यवर, सिंचाई, नहरों की सफाई, मा0 शिवपाल जी बैठे हैं इनके डण्डे में तो दम रहता है परन्तु नहरों की सफाई ढंग से नहीं हो रही है। पानी आपने निःशुल्क करने की बात की तब से लापरवाही हो रही है।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा अपने आसन पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर) माननीय अध्यक्ष जी ये लोग फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप अपने एजेण्डे पर बोलिये, किसी की सुनिये मत।

श्री प्रदीप माथुर–

नहरों की पटरियां की जहां तक बात है, पहले पटरियां बनवा दी जाती थी जो आपका पूर्व का कार्यकाल था तो आपने पटरियों बनवाई लेकिन इधर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और पानी की सप्लाई जबसे आपने निःशुल्क कर दी अधिकारियों का इन्ट्रेस्ट नहीं रहा है कि पानी किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमें उनकी व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है तो किसानों को पानी नहीं जाता है।

मान्यवर, जनेश्वर मिश्र ग्राम्य विकास योजना, लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना आप देखिये, जितना आपने टारगेट रखा था उसमें से कितने गांव सैचुरेट किये ? पैसा आपने जरूर दिया है, इस मामले में हम ब0स0पा0 की तारीफ करेंगे कि जब अम्बेड़कर गांवों का सैचुरेशन होता था तो 100 प्रतिशत काम हो जाते थे। आप काम भी कर रहे हैं और वो भी अधूरा छोड़ रहे हैं। बहरहाल अब चार साल रह गये। (सदन में हंसी), मेरे कहने का मतलब है कि चार साल हो गये हैं तो इसको देखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कानून–व्यवस्था के बारे में तो सब बोल चुके हैं कितना बुरा हाल है। दरोगा राज है इस प्रदेश में। आज वास्तव में डॉयल 100 और 1090 की बात करते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं और काम देख चुका हूं। ये सब प्रोपेगंडा और पब्लिशिटी का मामला है। यदि आप किसी कलेक्टर को, एस0एस0पी0 को फोन मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छी समाजवादी पार्टी की कारगुजारियों का म्युजिक चलता है पर वह अधिकारी फोन उठायें तो सही। न कलेक्टर फोन उठाते हैं, न एस0एस0पी0 फोन उठाते हैं, न डी0आई0जी0 फोन उठाते हैं, न एस0ओ0 फोन उठाते हैं। आप लोगों के फोन नम्बर उन्होंने फीड कर रखे होंगे पर हम लोगों के, इधर के लोगों के फोन नहीं उठाते। यह वास्तविकता है। पारदर्शी और समदर्शिता की बात की गयी।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये। अब काफी समय हो गया।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 जैसा डिपार्टमेण्ट। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं का कद्र करता हूं। 10 हजार करोड़ रुपये की तो मुख्य मंत्री जी की अकेले की घोषणायें हैं और बजट कुल 12 हजार करोड़ रुपये, तो यह बताईये कि सड़कें कैसे बनेंगी ? इसमें ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाना था, 403 विधायकों का मामला है, चलिये हम लोगों को छोड़ दीजिए बाकी इन मा0 विधायकों की क्षेत्र की सड़कें कैसे बनेंगी ? मुख्य मंत्री जी की घोषणायें कैसे होंगी ?

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका काम तो हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में सैफई में आपने बढ़िया स्टेडियम बनवा दिया, लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवा दिया। प्रदेश के और स्टेडियम्स को भी तो देखिये, वहां गधे घास चर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

भाषा का संयमित प्रयोग आप नहीं करते हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, असंसदीय नहीं है। घास तो गधे ही खायेंगे अध्यक्ष जी। बात यह है कि स्टेडियम की हालत बद से बदतर हो गयी है उसको सुधारना होगा, उसके लिए अलग से बजट का एलोकेशन करना होगा। आपने मेडल्स की और एवार्ड्स देने की बात

की है परन्तु देहात में और जिला स्तर पर स्टेडियम सुधरेंगे नहीं तो यह कैसे होगा ? जब आपका स्पोर्टस डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं करेगा, आफिसर्स अच्छे नहीं होंगे, कोचस् अच्छे नहीं होंगे तब तक यह कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग की जहां तक बात है बुन्देलखण्ड के लिए आपने पैसा दिया 1255 करोड़ रुपया, बहुत अच्छी बात है। हालात वहां की बहुत खराब है, मीलों तक फसलें नहीं हैं वहां मण्डी समितियां बनवा रहे हैं। जब रखने के लिए अनाज ही नहीं पैदा होगा तो मण्डी समितियों की क्या यूटीलिटी होगी ? हमारी सरकार ने बहुत पैसा दिया वह कहां गया, यह जांच का विषय है। इसी तरह से आप यह देखें कि 2 करोड़ रुपया पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा है, पीने के पानी की इतनी किल्लत है, मैं वहां के जिलों का दौरा करके आया हूं जनता और जानवर एक ही जगह पानी पीने को तैयार हैं परन्तु पानी तो मिले ? वहां का जो पैसा है अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का चारागाह बन गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दुग्ध विकास की बात है।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, अभी 5 मिनट रह गये हैं। दुग्ध विकास के लिये मान्यवर, 400 करोड़ रुपये रखे। कामधेनु योजना बहुत अच्छी है लेकिन पता करिये उसकी डी0पी0आर0 लॉसेस में चल रही है। इन्टरप्रिन्योर्स भाग गये हैं। आज मथुरा, जो दूध की नगरी कहलाती है वहां का दुग्ध विकास संघ आपने बंद कर दिया। मुख्य मंत्री जी अभी मथुरा गये थे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कुछ व्यवस्था करके आयेंगे, डेरी की घोषणा करके आयेंगे। छाता शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है वहां गन्ना किसानों गन्ना हरियाणा को देते हैं। वहां शुगर फैक्ट्री चलाने का वायदा दो–दो, तीन–तीन साल से वायदा।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास में कुल 50 करोड़ रुपये सीवर के लिये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत तमाम शहरों की सीवर अधूरी पड़ी है। उसके लिये प्रतिदान देना चाहिए था। इन लोगों से उम्मीद नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माथुर साहब, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर लेने दीजिये। मान्यवर, बेसिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है। मिड–डे–मील के लिये बजट बढ़ाना चाहिए था। पर्यटन के लिये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नई चीजें आप लायन सफारी बना रहे हैं और आपने दुधवा

नेशनल पार्क के लिये पैसा दिया। आप मयूर के लिये बना रहे हैं। यह नई चीज आपने पैदा करी यह बातें और नेताओं के दिमाग में नहीं आतीं। बैलून वाला कार्यक्रम जो आप नया कर रहे हैं उसमें आप विरोधी पक्ष को, मौर्या जी को उड़वाते तो मजा आता। खन्ना जी को उड़वाते तो मजा आता, दलवीर जी को उड़वाते तो मजा आता, हम लोगों को उड़वाते तो मजा आता। आप हम लोगों को उड़वा ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

स्थिति यह है कि पर्यटन का पैसा बहुत कम है। जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड गया है माननीय अध्यक्ष जी, तब से यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बहुत ज्यादा भारी भरकम बजट की आवश्यकता है। स्थिति यह है कि पैसा उतना नहीं है। आज उसमें इन्नोवेटिव आइडियाज की जरूरत है। मुख्य मंत्री जी को नये कन्सेल्टेंट वहां उसमें लगाने चाहिए कि किस तरह से बनारस में पर्यटन डेवलेप हो। किस तरह से मथुरा, वन्दावन, नन्दगांव, बरसाना गोकुल डेवलेप हो। किस तरह से आगरा में डेवलेपमेंट हो। आगरा में ताजमहल है तो सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज लाता है और तमाम यू0पी0 में एक्सप्लोर करना चाहिए। सिंगापुर, देखिये सिंगापुर में तो कुछ भी नहीं है, कितना खूबसूरत शहर उन्होंने टूरिज्म के हिसाब से बनाया। मान्यवर, पेयजल की टंकियों का पुरसाहाल है। जल निगम का हाल यह है, आजम खां साहब बहुत सख्त मंत्री हैं, वहां के अधिकारी न रो सकते हैं न हंस सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी किसानों को उन टंकियों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

हाथी की तरह वह टंकियां खड़ी हैं। उनको जल निगम के अधिकारी देखने को तैयार नहीं हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जल निगम की तरफ भी मुख्य मंत्री जी आपको निगाह रखनी पड़ेगी क्योंकि अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पाते आज़म खां साहब से कुछ कहने की। स्थिति यह है कि न हां कहते हैं न ना कहते हैं। अब मैं कहूंगा तो यह असंसदीय हो जायेगा। उनकी फूंक निकली रहती है।

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा, अब आप बन्द करिये। जब आप बोलेंगे तो ऐसे ही अंट शंट बोलेंगे और इसके बाद जब फंस जायेंगे तो कहेंगे। आप बैठिये। ठाकुर दलवीर सिंह जी आप बोलिये। अब इनको बैठाकर आप बोलिये।

श्री प्रदीप माथुर–

इस सबके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी कोशिश है, जो आपके सपने हैं परन्तु हकीकत में कुछ नहीं है। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब आप फिर दोनों लोग बात करने लगे, डिस्टर्ब करेंगे। ठाकुर साहब आप बोलिये। मैं आपके पड़ोसी जो हैं उनको कह रहा हूं।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस 10 मिनट की डिबेट में पूरा सदन दुःखी हो गया कुल मिलाकर वह शांत हुआ। हमारे बड़े सीनियर साथी दादा हैं, बहुत दुःखी हुए, हृदय से दुःखी हुए। अब थोड़ा रोमांटिक मूड बनायें सब लोग।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

अब आप इस उम्र में रोमांटिक बन रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

हमारे नेता विपक्ष, माननीय खन्ना जी और माथुर साहब ने इस पूरे बजट का बड़ी गहनता से अध्ययन किया है और बड़ा विस्तार से प्रकाश डाला है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसे बड़ी गम्भीरता से सुना है और जो बची खुची थोड़ी बातें रह गई हैं मेरे नम्बर तक तो वह बातें आती हैं अपनी तरफ से उनको रखकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक आपने यह किसान वर्ष घोषित किया, पूरे किसानों को आप पर भरोसा और विश्वास है। आपने जो किसानों का बीमा बड़े अच्छे ढंग से जिसमें विसंगति थी दूर कीं और किसानों के लिए उससे लाभ काफी पहुंचेगा। इस बीमा योजना में मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। एक आम आदमी बीमा योजना और चला रहे हैं शायद यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं आम आदमी बीमा योजना के बारे में बहुत से लोग ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन आम आदमियों का बीमा होता है उनको पता नहीं है कि हम आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित हैं तो मैं चाहूंगा इस बीमा में जो आपने किसानों के लिए व्यवस्था की है इसमें यह भी शामिल कर लिया जाए कि आम आदमी बीमा योजना जिनको मिलने जा रही है उनको भी पॉलिसी का कार्ड मिल जाए। जिससे की वह अवगत हो जाएं और लाभ भी उनको मिल जाए। युवा वर्ष के रूप में आपने इस साल को घोषित किया है, नौकरी तो खैर सबको क्या मिलेंगी यह तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब आपके सामने है, बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ा प्रदेश है, बेरोजगारी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आप उनकी तसल्ली के लिए यह घोषणा कर दें कि जो उनको बेचारों को 1000 रुपया तक जो उनको फार्म आदि भरने में फीस देनी पड़ती है उसको माफ कर देंगे तो उनको बहुत तसल्ली हो जाएगी इसमें कोई बहुत बड़ा वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। मेरा सुझाव है आप इसे देख लें। कासिमपुर पावर हाउस में आप गए आपने बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वह बहुत बड़ी देन है। जहां हमारी बड़ी लाइनों के वोल्टेज वहां जाकर कम हो जाते थे और काफी बिजली की समस्या होती थी, इस योजना के बाद वहां अच्छा सेचुरेशन हो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाएगा। वहां की जनता ने आपसे एक बात की मांग और की थी कि यहां पर 600 मेगावाट का बिजलीघर और बन जाए तो उससे काफी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली की समस्या हल हो जाएगी। आपने पॉजीटिव रखा है अभी वहां भी, तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी विचार कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। गेहूं की फसल इस बार बहुत खराब है। गर्मी पड़ी है गेहूं बौना रह गया है। आपमें और हममें बहुत से लोग किसान हैं तो मैं चाहूंगा वैसे तो भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है न जाने क्यों लगा दिया है बोनस के रूप में किसानों को आप एक कुंतल पर तीन सौ रुपये की व्यवस्था करावें तो बहुत अच्छा रहेगा किसानों के लिए। फोर लेन सड़कों की बात आपने की, माननीय शिवपाल सिंह जी को मैं धन्यवाद भी दूंगा। इस वर्ष सड़कों पर बहुत काम हुआ है, लेकिन हम सब लोगों की जिज्ञासा है, सड़क हम सब लोगों की मुख्य समस्या है आपने बजट भी पहले पास कर लिया बहुत कम समय मिल रहा है आपकी सरकार को काम करने के लिए, अधिक से अधिक बजट, सड़कों को रिलीज कराकर, शीघ्रता से इन पर काम करायें जिससे सभी लोगों को लाभ हो जाए। राममनोहर लोहिया योजना में हमारे साथियों ने सबने कहा है। यह अन्तिम वर्ष है सभी लोगों का, इसमें हम चाहेंगे समान वितरण हो जाए सभी विधायकों का, सभी आपको दुआ देंगे, सभी आपको धन्यवाद देंगे, इसमें हमारी सबकी मांग है। जनेश्वर मिश्र योजना आपकी बहुत अच्छी है और आपने इसमें जिस भी गांव को टेकअप किया है वह गांव में, सबसे बढ़िया योजना के रूप में गांव में लोग इसे लाइक कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने अब जो व्यवस्था की है लाइट की आपने हर गांव में व्यवस्था की है सौर ऊर्जा की, जो पिछले गांव थे जो पहले इस योजना में टेकअप किए थे उसमें लाइट की योजना लागू नहीं की थी तो मैं चाहूंगा अब वह बेचारे दुखी हो रहे हैं तो इसमें उन गांवों को भी आप ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी और लोगों को अच्छा लगेगा। मान्यवर, पेयजल के संबंध में काफी बातें हुईं, माथुर साहब ने तो जाने क्या–क्या कह दिया, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं आपके विभाग के बारे में कह रहे हैं बड़ा भारी आपका दबदबा तो है ही, स्वभाविक है, बता रहे हैं भयभीत भी हैं लोग, मैं उस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं आपकी जो योजना है टंकी वाली बहुत अच्छी है आपने विचार करके सोची और वह योजना वाकई में बहुत अच्छी है बहुत बड़ा पैसा भी आप उसमें लगा रहे हैं लेकिन जहां लगा रहे हैं शहर में तो यह योजना कामयाब हो सकती है। वहां तो ऑपरेटर भी मौजूद है, टंकी बन्द करना भी लोग जानते हैं, उसके सिस्टम से सब लोग वाकिफ भी हैं मकान भी शहर में ऐसे बने हैं कि उसके रनिंग वाटर का यूज भी पक्के मकानों में किया जा सकता है। लेकिन गांवों में मेरा जैसा अनुभव है गांवों में यह योजना कतई फेल है और वहां लगाई हुई टंकी कोई भी काम नहीं कर रही हैं। सब लोग कह रहे होंगे इसमें हमारा सुझाव यह था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पहली बात तो जो आप पुरानी टंकियों की बात कर रहे हैं वह योजना अपने साथियों की थी वह बन्द पड़ी हैं उसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि उन सबको गिराने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ले आएं ताकि वह गिराकर दुबारा बन जाएं।

जो शहरों से लगे हुए गांव हैं वह तकरीबन शहर ही कहलाते हैं अगर हम अभी वहां टंकियां बनाना शुरू कर दें वहां लगभग एक सा ही कल्चर होता है। हम शुरूआत तो करें।

श्री दलबीर सिंह–

वहां के लिए मैं सहमत हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर हम गांव के लोगों को पानी की टंकी से वंचित रखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसे फिर पूरा करेंगे। जब टंकियां बना देंगे तो बिजली की भी व्यवस्था करेंगे।

श्री दलबीर सिंह–

आपका विचार सही है जो गांव शहर से लगे हुए हैं लेकिन हमारे जो इंटीरियर के गांव हैं वहां पर भैंसों को पानी पिलाने के लिए हैण्ड पम्प का इस्तेमाल करते हैं वहां टंकी सफल नहीं हो सकती।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो शहर से जुड़े हुए करीब के गांव हैं उनको पहले ले लेते हैं।

श्री दलवीर सिंह–

उनको ले लें वह चल जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपकी सरकार की सराहना करता हूं कि आपने किसानों का जो सिंचाई का पैसा माफ किया है ट्यूबवेलों से और नहरों से यह बहुत बड़ा काम है आपकी यह पहली सरकार है जिसने किसानों के बारे में सोचा जिससे बहुत किसान लाभान्वित भी हुआ। इस व्यवस्था में केवल 18 प्रतिशत किसान आच्छादित हुए 82 प्रतिशत किसान अपने व्यक्तिगत साधनों से ट्यूबवेलों से इंजनों से नलकूपों से सिंचाई करते हैं मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी गम्भीरता से विचार करें। मेरा इसमें सुझाव है आपने किसानों के जो दो साल के सरचार्ज और टैक्स थे उसको आपने खत्म किया उससे एक–एक किसान को चार–चार पांच हजार रुपए का लाभ हो गया बिजली घरों में लाइन लगी पड़ी है। जेवर रखकर, गिरवी रखकर धान बेचकर किसी न किसी तरह से किसान अपना पैसा जमा कर रहा है। इसमें मेरा सुझाव था आपने बहुत बड़ी रकम पूरे प्रदेश में सूखा राहत और ओलावृष्टि के नाम पर पूरे प्रदेश में बांटी है। किसी में से अगर आप एडजस्टमेंट कर सकें चाहें भारत सरकार से मिलती हो चाहें आप देते हों कम से कम इस वर्ष का पूरे प्रदेश के किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे तो आपकी जयजयकार हो जाएगी आपकी लोग तारीफ करेंगे और यह बहुत बड़ा भार नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ तो झेल लिया है जो आपने अभी माफ कर दिया है थोड़ा सा शेष बचा है इस काम को कर दें तो अगली बार आपकी सरकार आए या किसी की आए वह सरकार भी मजबूर होगी किसानों का हमेशा के लिए बिजली का बिल माफ करने के लिए मैं चाहूंगा कि किसानों का पूरा बिल आप कम से कम माफ कर दें। हम न इनकी सरकार से एतराज है न आपकी सरकार से हम तो किसी न किसी के साथ ही रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी आप अलीगढ़ गए मैं तो वंचित रह गया आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी आप मंगलायतन तीर्थ स्थल पर गए थे लोग आपसे

बड़ी आशा लगाए थे आपने अलीगढ़ में घोषणा की वहां पर छात्र भी आए समाजवादी पार्टी के विधायक भी आए विश्वविद्यालय बनाने की मांग लम्बे अरसे से यूनीवर्सिटी में चल रही है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी वहां की एक–एक चीज से वाकिफ हैं और बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं। आपकी सरकार पर कोई अतिरिक्त व्ययभार भी नहीं पड़ेगा, केवल प्रशासनिक ब्लाक बनाकर वहां संचालन करा दें। आगरा के हमारे साथी यहां बैठे हैं, आगरा यूनिवर्सिटी का इतना बुरा हाल है कि वहां बच्चे, स्टाफ, प्रोफेसर सभी लोग परेशान हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप 1000 रुपया चाहे आप टोकन मनी के रूप में करें। समाजवादी पार्टी के जो हमारे विधायक बैठे हैं, इन लोगों को वहां बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे कहता ही हूं, यह तो वायदा कर चुके हैं, नीरज जी वायदा कर चुके हैं, यह सब लोग वायदा कर चुके हैं। आपसे हमारे यहां के छात्र कई बार मिल चुके हैं, उन बेचारों पर केस लग गये, उन बेचारों पर लाठीचार्ज हो गया। यह आखिरी साल है इसलिये मैं चाहूंगा कि आप दो–तीन काम कर दें। छात्रों पर जो केस लगे हैं उन्हें वापस ले लें, किसानों पर वेस्टर्न यू0पी0 में जो मुकदमे लगे थे चाहे मुजफ्फरनगर में लगे चाहे नोएडा में लगे, हम पर भी लगे हैं। हम जैसा 70 साल का आदमी क्या कर सकता है, गोली चला सकता है, लाठी चला सकता है ? हम पर गाजियाबाद में केस लग गया। छात्रों पर और हम लोगों पर विधायक लोगों पर जहां पर भी केस लगे हैं तो आप एक बार मीटिंग बुलाकर इनको देख लें और इन सभी केसों को माफ कर देंगे तो लोग आपको याद करेंगे। आप हमारे पूरे सदन के नेता हैं, आप उधर के ही नेता नहीं हैं। यदि आपके इस नेतृत्वकाल में किसी विधायक की मानहानि होती है अथवा किसी विधायक को ठेस पहुंचती है या किसी तरह के जो राजनैतिक केस लग गये हैं, उन केसों पर आप गंभीरता से विचार कर लें और उनको एक बार जरूर छोड़ दें, यह मेरा एक सुझाव था।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हम लोग भी जय प्रकाश नारायण जी के दौर में रहे हैं। मा0 नेता जी का नेतृत्व था, वी0पी0 सिंह साहब का, बहुत से लोगों का नेतृत्व था। आपने उन राजनैतिक सेनानियों के लिये 15000 रुपये देने का बहुत अच्छा काम किया है, इससे वह बहुत खुश हैं। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) मेरे सामने कई लोगों की पिटाई हुयी और वह व्यर्थ में बंद हुये थे, वह हृदय से आपको आशीष दे रहे हैं। मेरा एक सुझाव आप जरूर मान लीजिये। यह विधायक भी बड़ा संघर्ष करके आते हैं। यह साढ़े तीन लाख–चार लाख जनता के वोट पर जीत कर आते हैं। हाथ जोड़ते–जोड़ते, पैर छूते–छूते, रिश्वत देते–देते, शराब पिलाते–पिलाते किस कदर यह प्रयत्न करते हैं तब जाकर एम0एल0ए0 का नम्बर आता है। एक सुरेन्द्र सिंह जो वी0पी0 सिंह के मंत्रिमण्डल में रहे थे, बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने इस्तीफा भी दिया, बहुत ईमानदार आदमी थे। हमारे सामने अपनी वेदना भी कहते हैं और सभी विधायकों की कहते हैं। किसी भी एक्स एम0एल0ए0 की पेंशन स्टार्टिंग में 20000 रुपये से कम तो होनी ही नहीं चाहिये, वर्षवार जो बढ़े वह अलग बात है। 20000 रुपये पेंशन तो जरूर होनी चाहिये, यह मेरा सुझाव है। आपने स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के लिये कहा, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के लिये आपने घोषणा की, पूरा जिला गदगद हो गया। हमारे एटा से सपा

के साथी बैठे हैं। वह बड़ी जैलिसी मान रहे हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने अलीगढ़ में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी, हम एटा में लायेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि यदि स्पोर्टस यूनिवर्सिटी न बन सके तो कम से कम आप एक यूनिवर्सिटी जरूर बनवा दें।

हैण्डपम्पों के संबंध में सभी विधायकों की पीड़ा है। सभी विधायक शायद मुझसे इसलिये कहते हैं कि मैं सीधा आदमी हूं, चाहे मुझसे इसलिये कहते हैं कि मैं आपसे कह देता हूं। यह सभी तो नियम–कानूनों के अन्तर्गत बात करते हैं, लेकिन मैं बिना नियम के बात करने के लिये खड़ा हो जाता हूं और मेरे ऊपर कोई ऐतराज भी नहीं करता है। सभी विधायकों की यह पीड़ा है कि सभी को हैण्डपम्प जरूर मिलने चाहिये और मैंने कई बार कहा है। आज पूरी सरकार बैठी है। मा0 शिवपाल जी बैठे हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप तीनों से बड़ी कोई सरकार नहीं है। हमको प्लाट भी मिले और फ्लैट भी मिले। राजेन्द्र नगर में हमको फ्लैट मिल गया, गाजियाबाद में हमको प्लाट मिल गया, कभी किन्ही ने दिये कभी किन्होंने दिये। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा भी था कि हमारे पास जगह है, अगर मुख्य मंत्री जी इशारा कर दें तो जो यह नए एम0एल0ए0 आए हैं, हमें बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन इन सब के लिए प्लाट, या फ्लैट, हर सरकार ने दिया है। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) अध्यक्ष जी, यह उसके लिए पैसा देंगे, ये कोई फ्री में नहीं लेंगे तो यह बहुत अच्छा काम आप कर देंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जगह पता है, वह हमें बता रहे थे कि जगह भी है। आप सब लोग यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, आप बहुत बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बहुत बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, आप सौभाग्यशाली हैं और हम सब लोगों को आप पर गर्व है, फर्क है। आपको यहीं का ज्ञान नहीं है, आप भगवान की कृपा से बहुत कम उम्र में लोकसभा में भी रहे हो, आप वहां 03 बार रहे हो। आपको वहां की एक–एक चीज का ज्ञान है। आपने हिन्दुस्तान की उस बड़ी पंचायत में भी शिरकत की है। वहां से भारी ज्ञानार्जन करके आप आए हैं, आज आप बहुत बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। आपकी उम्र बेशक कम हो सकती है, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आप इस वक्त अनुभव में किसी से कम नहीं हैं। कभी रहे होंगे, रहे होंगे। मैं इसमें चाहूंगा, दिल्ली में ढाई करोड़ कर दिया, जरा सा प्रदेश, कितना कर दिया। हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में वेतन–भत्ते हैं, हालांकि हम लोगों का एक वर्ष ही रह गया है, कोई बात नहीं है, अगली बार मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, ऐसे के ऐसे सब आ जायें। (हंसी)

लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ न कुछ ऐसा करके जायें, जिससे कुछ अच्छा लगे। मैं तो माननीय शिवपाल जी से निवेदन करूंगा, हमारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी तो जरूर ही मानेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे हर विधायक की मांग है कि उनको सड़क मिलनी चाहिए, विद्युतीकरण के लिए गांव मिलने चाहिए, यह सब आप दे भी रहे हैं, मैं देखता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन एक नाम की मुहर लग जायेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आपके उसमें पत्थर भी लग रहे हैं, माननीय शिवपाल सिंह के हमारे सभी पुलों पर पत्थर लग रहे हैं, आपके पत्थर लग रहे हैं, एक–एक पत्थर पर इन विधायकों के नाम भी लिख जायेंगे तो इनका मन भी थोड़ा प्रसन्न हो जायेगा। मेरा एक

और सुझाव है, माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने जब हम उनके समय में विधायक थे, मंत्री भी थे, तो यहां पर उन्होंने एक शिलालेख लगवा दिया, पीछे लगा है, उसमें सभी तत्कालीन विधायकों के नाम हैं। उस समय जो भी विधायक और मंत्री लोग थे, सब अमर हो गए। आप बहुत अच्छा भव्य भवन बनवा रहे हैं, देखने में अब लग रहा है कि कुछ बन रहा है। मैं चाहूंगा कि जितने भी यहां बैठे हैं, आपके नेतृत्व में सभी विधायक, एक शिलालेख सभी विधायकों और सभी माननीय मंत्रियों का जरूर लगे। अध्यक्ष जी, अब मैं एक व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं, जो बड़ा व्यावहारिक और जेन्यून है। हमारे सपा के भी सब साथी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, देखिए हमारी कान्स्टीचुएंसी का खुद का तहसील हेडक्वार्टर है, न तो वहां ब्लाक है, न टाउन एरिया है, न नगर पंचायत है, मैं चाहूंगा कि उसे नगर पंचायत और टाउन एरिया बनाया जाए। अभी अलीगढ़ में केवल एक साथा शुगर मिल है, बहुत लम्बे अर्से से लगभग 300 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है लेकिन किसानों के हित में आप उसे चलवा रहे हैं, घाटे में होने के बावजूद भी, आपने उसकी समिति भी बनायी, साथा और छाता यह दोनों एक जैसे शब्द हैं, यह दो काम अगर आपने करा दिए तो वहां किसान आपको बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत आशीष देंगे। अध्यक्ष जी, सब महापुरुषों के नाम आ गए, ये लोग भी खुश हैं, अम्बेडकर जी का नाम आ गया, दीनदयाल जी का नाम आ गया, इन सब के आ गए। चौधरी चरण सिंह जी इस सदन के मुख्य मंत्री रहे, किसानों के नेता रहे। माननीय शिवपाल सिंह उन्हें हर शब्द में कहते भी हैं और आपने उनके लिए काम भी किया है। माननीय नेता जी ने उनकी उस जगह पर प्रतिमा लगायी है जो कोई लगा नहीं सकता। आपने उनके नाम से चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज बनवाया है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे आभार भी व्यक्त करेंगे। मेरठ युनिवर्सिटी बनायी। देखिये, चौधरी चरण सिंह जी इस देश के किसानों के नेता रहे। ऊपर बैठे हैं उस पीठ पर वह भी किस्सा सुनाते हैं कि 35 सौ रुपये चन्दा के इकट्ठे हुये तो हमें हाथ में दे गये, हम एम0एल0ए0 बने। उस तरह के नेताओं का भी नाम किसी योजना में आप रखेंगे तो आपका बड़प्पन होगा। हम हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से हम आपके खिलाफ हैं हम आपके विरोध में लड़ सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब के नाम पर यदि आप कोई भी कार्यक्रम चलायेंगे तो हिन्दुस्तान का किसान खुश होगा और इस तरह से खुश होगा जैसे अम्बेडकर के नाम पर अन्य लोग खुश होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि किसी योजना का नाम उनके नाम पर आप जरूर चलायें।

श्री अध्यक्ष–

अब ठाकुर साहब आप समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं। हाई कोर्ट की मांग हम करते चले आ रहे हैं। आप थोड़ा उधर ध्यान रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश न बनाये तो हाई कोर्ट की शाखा आप जरूर बनवा दें। लेकिन बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलकुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल यह सब चीजों का तो बजट है लेकिन बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं कहा गया

है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हमारी एक मांग है। देखिये, जैसे आपका गोरखपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल बना है। गोरखपुर में आप कर रहे हैं। गोरखपुर में जो रोग चलता है। इसी तरह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू चलता है। डेंगू के बारे में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। नोयडा में बहुत अच्छा अस्पताल है। आपने शायद उसको कुछ और बना दिया है। मतलब एलोपैथिक या होम्योपैथिक इस तरह का कुछ किया है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से एम्स में सुविधा होती है अगर उस नोयडा वाले अस्पताल जो बनी बनायी बिल्डिंग है उसको अगर एम्स का दर्जा दिया जाये और एम्स की तरह सुविधा दी जाये तो कम से कम 25 जिले ऐसे हैं, हम लोग वहां एम्स में जाकर मुंह की तरफ देखते हैं। एम्स में वहां के स्टाफ के लोग नेताओं से इतनी घृणा करते हैं कि मैं जब खुद टेस्ट कराने के लिए गया तो उस वक्त के जो मंत्री थे कश्मीर वाले श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने मेरे लिये फोन किया। तो जो नेता फोन कर दे तो उसे घृणा की दृष्टि से वह देखते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नोयडा में जो बिल्डिंग बनी है उसी को एक बहुत अच्छा बनाकर उसे ठीक–ठाक करा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। पांच बज गया।

श्री दलवीर सिंह–

अभी कई बातें रह गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब कितना कहियेगा।

श्री दलवीर सिंह–

अच्छा सुनो यार।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

यह माथुर साहब के पास बैठते हैं तो उनका भूत आप पर भी चला जाता है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बात ऐसी है कि मैं सत्तर साल का आदमी हूं थोड़ा सा भूल जाता हूं। लेकिन ये बातें इनकी सब मुझे कहनी पड़ती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप सब जानते हैं। मंगलायतन में आप अभी गये। लोगों ने आपका खैरमकदम किया। हिन्दुस्तान में जैन धर्म का वह एकमात्र स्थान ऐसा है कि उसको आपको पर्यटन में नामित कर देना चाहिए और उसमें नेता जी की बड़ी कृपा है। बिजली घर से लेकर उसमें जितना विकास हुआ है नेता जी के द्वारा हुआ है। आप भी इस बार गये थे। तो मैं चाहूंगा कि उस पर आपकी थोड़ी कृपा हो जाये। शेखा झील के लिए आपने बहुत अच्छा कर दिया। शेखा झील के लिए लोगों की बहुत समय से मांग थी। वह आपने अच्छा कर दिया। यूनिवर्सिटी की आप घोषणा और कर दें। विधायक निधि के संबंध में कहना है कि आप पिछली बार जाते–जाते कह गये थे कि अगली बार करेंगे। विधायकों के भत्ते–वेतन और एम्स विधायकों के पेंशन के लिए कुछ करके जरूर जाओ। जिससे लास्ट में तो यह कम से कम आपको आशीर्वाद दे सकें और आपकी तरफ से इनकी संतुष्टि हो सके।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री दलवीर सिंह–

अरे दोबारा आओ न, दस दफे आओ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिये, लेकिन हम तो यह कह रहे हैं कि इनका कुछ करके जाओ।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, अब चर्चा समाप्त, चर्चा कल होगी।

ख5.05 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री उमाशंकर की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री मो0 गाजी की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के जिला क्षय नियंत्रण केन्द्रों पर कार्यरत बीसीजी टेक्नीशियनों की प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना श्री गुलाबचन्द की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलिया एवं पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में स्थित मदरसा मजहैरूल उलूम धोबीपुरवा को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली थानाभवन में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नौवीं सूचना श्री रवि शर्मा की झांसी डिवीजन, झांसी जल संस्थान में कार्यरत अधिशासी अभियंता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की अजपा परिषद् सहाकारी आवास समिति लि0 वसंधुरा गाजियाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के अन्तर्गत खमपुर सम्पर्क मार्ग पर जल भराव के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के 57 जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से आहरित किये गये वेतन, भत्तों को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा से दिल्ली–आगरा निर्माणाधीन 6 लेन के किनारे एलाटी दुकानदारों/किसानों को मालिकाना फ्री–होल्ड की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौदहवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की जनपद उन्नाव के थाना क्षेत्र हसनगंज के ग्राम फरहरपुर पुलिया के अन्तर्गत लोक निर्माण की सड़क पर अतिक्रमण कर बनाई गयी अवैध दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री मो0 जासमीर अंसारी, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री सुधाकर सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री मनीष असीजा, श्री सत्यवीर मुन्ना, श्री गेंदालाल चौधरी, श्री राम सिंह, श्री पंकज गुप्ता, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री रामचन्द्र यादव, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री सलिल विश्नोई, श्रीमती पूनम सोनकर, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री सुदेश शर्मा, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री प्रदीप माथुर, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश बंसल, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री प्रदीप चौधरी, श्री दीपक पटेल, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, डा0 मो0 मुस्लिम, श्री ममतेश शाक्य, श्री बृजलाल सोनकर, श्री राजबली जैसल, श्री राजेश त्रिपाठी, डा0 मो0 अयूब, श्री संजय कपूर, श्री राजीव गुम्बर, श्री दलवीर सिंह, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री राधेश्याम जायसवाल।

जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर–दिल्ली राजमार्ग के निकट की भूमि पर दबंगो द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री सुरेश राणा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा .....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्दिनांक 16–02–2016 को मा0 सदन में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर–दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला स्थित है। उक्त धर्मशाला का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में आता रहा है। समय के साथ–साथ यद्यपि धर्मशाला का भवन वजूद में नहीं है परन्तु जो स्थल शेष बचा है वह सार्वजनिक समारोहों के लिए उपयोग में आता है।

उक्त भूमि नगरीय क्षेत्र में होने के कारण बहुत कीमती है। नगर के कुछ दबंग लोगों द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। सार्वजनिक उपयोग की इस भूमि पर यदि कब्जा होने से न रोका गया तो जनता एक बहुत बड़ी सुविधा से वंचित हो जायेगी तथा भूखण्ड के आधिपत्य को लेकर वर्ग संघर्ष भी हो सकता है, जो नगर की शांति व्यवस्था को प्रभावित करेगा। प्रशासनिक अधिकारी राजनैतिक दबाव के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

1–प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, शामली से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम थानाभवन पट्टी मसावी की खतौनी खाता संख्या–819 पर श्रेणी 6(3) के अन्तर्गत गाटा संख्या–41 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या–67क क्षेत्रफल 0.2460 हेक्टेयर कुल दो किते जिनका कुल क्षेत्रफल 0.2970 हेक्टेयर जनता धर्मशाला के नाम अंकित है। दोनो गाटे नगर पंचायत थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत स्थित हैं।

2–स्थलीय निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि गाटा संख्या–67क क्षेत्रफल 0.2460 हेक्टेयर मौके पर स्थित है, जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया, अतः इसका सीमांकन करा दिया गया है। गाटा संख्या–41 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर हरबीर सिंह पुत्र बेहू सिंह नि0 ग्राम खेडागदाई का आवासीय मकान, असलम पुत्र मसीता निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा थाना भवन का आवासीय मकान व तीन दुकान तथा तालिब पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मौ0 खैल कस्बा थानाभवन की चार दुकानें बनी है जो लगभग 30–35 वर्ष पुरानी हैं। ऐसी स्थिति में अध्यासियों के अध्यासन का निरीक्षण के उपरान्त ही किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई किया जाना उचित होगा।

3–वर्तमान में उक्त खाली पड़ी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होना पाया गया। उक्त खाली पड़ी भूमि के अधिपत्य को लेकर किसी वर्ग संघर्ष की सम्भावना नहीं है। थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी भवन का स्थिति पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भवन से सम्पर्क बनाकर सतर्क दृष्टि रखने एवं किसी भी अतिक्रमण पर तत्काल विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।,

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो जवाब दिया गया है, मेरा आग्रह है आपसे इसमें कहा गया है कि चिन्हीकरण कर दिया है, निशानदेही कर दिया है। मा0 मंत्री जी वहां

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई निशानदेही नहीं हुई, मेरा आपसे अनुरोध है, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, वहां निशानदेही नहीं हुई और उन्होंने कह दिया जवाब में कि करा दी गई।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठ जायें, इसको दिखवा लिया जायेगा।

जनपद गाजियाबाद के जी0टी0 रोड पर भाटिया मोड़ से गुलमोहर तक जाने वाले मार्ग पर पड़े कूड़े के ढेर को हटवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री सुरेश बंसल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 15–02–2016 को यह सूचना दी गयी है कि ''गाजियाबाद के जी0टी0 रोड पर भाटिया मोड़ से गुलमोहर तक जाने वाली सड़क पर स्थित क्रीड़ास्थल पर नगर निगम द्वारा हजारों ट्रक कूड़े के ढेर लगा दिये गये हैं व इसमें मरे हुए जानवरों के शव भी डाले जाते हैं। कभी–कभी कूड़े में आग लगाने से बहुत प्रदूषण होता है। चारों तरफ गंदगी है, बीमारी फैलने का अंदेशा है, इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं जिला प्रशासन से शिकायत की गयी है। धरना प्रदर्शन भी किये गये हैं, परन्तु अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकला है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य दिये जाने की मांग मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी है।

2–मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जी0टी0 रोड भाटिया मोड़ गुलमोहर को जाने वाली सड़क पर स्थित 50,000 गज क्रीड़ास्थल एम0एम0एच0 कालेज का निजी प्लाट है। इस प्लाट के चारों ओर से बाउण्ड्रीवाल है, जो 2–3 जगहों से क्षतिग्रस्त है तथा उक्त प्लाट में दो गेट लगे हुए हैं। यह गेट खुला रहता है और यहां पर प्राइवेट लोग अपने बिल्डिंग का मलबा, कूड़ा आदि रात्रि के समय डाल जाते हैं। उक्त प्लाट में लगभग 20,000 मैट्रिक टन कूड़ा, मलबा, गोबर आदि एकत्रित है, जो कि लगभग 20 वर्षों से एकत्रित हो रहा है। जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत उक्त प्लाट से कूड़ा, मलबा, गोबर आदि को उठाने की कार्यवाही नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही भू–स्वामी (एम0एम0एच0 कालेज प्रबंधन) को नगर निगम अधिनियम, 1959 की संगत धारा के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर दिया गया है। नगर निगम को उक्त कूड़ा तथा मलबा आदि को साफ कराने में अनुमानतः 02 माह का समय लगेगा।,

श्री सुरेश बंसल–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, 20 हजार मैट्रिक टन कूड़ा एक शहर के बीचो–बीच पड़ा है और 20 साल से वह कूड़ा इकट्ठा है और नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की, मैं मा0 मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था करा दें कि भविष्य में वहां पर कूड़ा न पड़े और जो नगर निगम ने दो माह का टाइम लिया है, इसको और संसाधन करके शीघ्र से शीघ्र उठवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 इरफान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या–25/2015/1462/सात–न्याय–2–2015– 216जी/2007, दिनांक 24–11–2015 द्वारा जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है।,

जनपद मथुरा में विद्युत सम्बन्धी कार्य करने हेतु कार्यदायी संस्था मे0 के0ई0आई0 द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद मथुरा में किये जा रहे विद्युत सम्बन्धी कार्य में कार्यदायी संस्था मे0 के0ई0आई0 द्वारा किये जा रहे घोटाले, प्रयुक्त की गई

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निम्न कोटि की गुणवत्ता वाली है, भूमिगत केबिल की गहराई में कमी व उसके एक्सपोजरों पर लगाई गई विद्युत सामग्री अत्यन्त ही निम्न कोटि की है। इस कार्यदायी संस्था द्वारा अधोमानक कार्य करके प्रदेश की जनता को करोड़ों रुपये की क्षति की जा रही है। स्थानीय विद्युत निगम के अधिकारियों की सांठ–गांठ करके इसके एग्रीमेन्ट के सापेक्ष कई करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान बिना कार्य पूरा किये ही करा दिया गया है। इसके काले कारनामों का स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन भी हुआ, किन्तु धन–बल के चलते इसकी सांठ–गांठ बदस्तूर जारी है एवं इस कार्यदायी संस्था के काले कार्यों की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर फाइनेन्स कारपोरेशन व अन्य किसी निष्पक्ष एजेन्सी से स्वतन्त्र जांच कराये जाने एवं इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की गयी है।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में मे0 के0ई0आई0 द्वारा टर्न के आधार पर अधिकांश क्षेत्र में अन्डर ग्राउण्ड केबिल डालकर वितरण तन्त्र को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। अन्डर ग्राउण्ड केबिल डालने का कार्य विद्युत सुरक्षा नियमों के मानकों के अनुसार एवं अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों को सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं भारत सरकार के उपक्रम मे0 वैप्कॉस लि0 (तृतीय पक्ष) के द्वारा बीजकों एवं कार्यों को सत्यापित किये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यदायी संस्था को भुगतान सुनिश्चित कराया जा रहा है। अनुबन्ध के अनुसार कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का मुख्यालय स्तर से अधिकृत अधिकारियों एवं भारत सरकार के उपक्रम मे0 वैप्कॉस लि0 (तृतीय पक्ष) द्वारा मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक एवं ठीक पाये जाने पर ही समस्त उक्त सामग्री का उपयोग कराया जा रहा है।

जहां–जहां भूमिगत केबिलों का कार्य सम्पन्न करा दिया गया है, उस क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुचारू विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी एवं लाइन हानियों में कमी परिलक्षित हो रही है।,

जनपद मथुरा के वृन्दावन नगर पालिका परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्द्वारा दिनांक 16–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि मथुरा जनपद स्थित वृन्दावन नगर पालिका परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन एवं मंहगाई राहत/भत्ता अभी तक नहीं दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन एवं मंहगाई राहत/भत्ता दिया जा रहा है, परन्तु वृन्दावन नगर पालिका परिषद् के ही सेवानिवृत्त कर्मचारीगण ही इससे वंचित है। वे इस सम्बन्ध में नगर पालिका से शीघ्र पेंशन एवं मंहगाई राहत/भत्ता प्रदान किये जाने का अनुरोध कर रहे हैं तथा आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उ0प्र0 सरकार, नगर निगम विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–783/नौ–6–06–42मिस/95, दिनांक 13–04–2006 एवं उ0प्र0 शासन, वित्त सामान्य अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–23/2015, दिनांक 16–12–2015 में उल्लिखित आदेश के बावजूद वृन्दावन नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मियों को मंहगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में नगर पालिका परिषद् के चेयरमैन ने भी इनको सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन एवं मंहगाई राहत/भत्ता प्रदान किये जाने की संस्तुति की है तथा यह लोग जिला प्रशासन को भी कई बार ज्ञापन सौंप कर अनुरोध कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में वह भी कई पत्र शासन को लिखे हैं। ऐसी स्थिति में समानता के आधार पर शासनादेश का अनुपालन करते हुए वृन्दावन नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मियों को मंहगाई राहत तथा संशोधित भत्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है। अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वृन्दावन नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मियों को मंहगाई राहत तथा संशोधित भत्ता प्रदान किये जाने तथा इस पर सरकार के वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के नागर निकायों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि संक्रमित की जा रही है। उक्त संक्रमति धनराशि को व्यय किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1605/9–9–10–76ज/10, दिनांक 12–07–2010 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि सम्बन्धित निकायों द्वारा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से वेतन कर्मियों के वेतन, पेंशन, भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा। उसके पश्चात् यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उक्त अवशेष बची धनराशि से निकाय विकास कार्य करा सकती है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1575/नौ–6–2009–4(15)/2009, दिनांक 15–06–2009 में भी यह भी स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों की पेंशन में वही मंहगाई भत्ता की दर से लागू की जाये, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में वित्त वेतन समिति उ0प्र0, 2008 द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन में राज्य कर्मचारियों के लिए मंहगाई की दरें संस्तुत की गयी

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। उक्त से स्पष्ट है कि नागर निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को मंहगाई राहत आदि के भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व से ही स्पष्ट निर्देश निर्गत हैं।,

प्रदेश के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी व अधिकारीगणों को अवकाश में कार्य किये जाने का मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 मो0 अयूब द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्दी गयी नोटिस में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी व अधिकारीगणों से वर्ष में लगभग 76 से 80 दिवस का बेगार लिया जाता है, जो शासनादेश के अनुसार 52 रविवार, 12 द्वितीय शनिवार व राजपत्रित अवकाश के एवज में मात्र 30 दिवस का मानदेय दिया जाता है। अतः शासनादेश संख्या–7793/आठ–1–3–1979, दिनांक 07 दिसम्बर, 1079 के अनुपालन में कर्मचारीगणों से लिये जा रहे बेगार बन्द कराये जाने हेतु शासनादेश का अनुपालन कराया जाना जनहित में है।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार शासनादेश संख्या–7793/आठ–1–3–1979, दिनांक 07–12–1979 द्वारा पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों, जिनके कार्यालय माह के द्वितीय शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश में साधारणतया खुले रहते हैं, को उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत, एक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय स्वीकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मियों की कठिन सेवाओं के दृष्टिगत इन्हें एक वर्ष में 30 दिवस का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया गया है, जबकि अन्य राजकीय विभागों में केवल 14 दिवस का ही आकस्मिक अवकाश देय है।

पुलिस कर्मचारियों से बेगार लिये जाने का प्रकरण एवं 30 दिवस के मानदेय में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।,

जनपद सहारनपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, सहारनपुर में जिला नगरीय विकास.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख''सहारनपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। डूडा के अधिकारियों द्वारा प्राइवेट कालोनाइजर्स से सांठ–गांठ कर दलित व अल्पसंख्यकों की कालोनियों को आवंटित करोड़ो रुपये अविकसित नई कालोनियों जिनमें अभी कुछ भी मकान नहीं बने और यह कालोनी अनाधिकृत है तथा प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा काटी गयी हैं, सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। इन अधबनी कालोनियों में मुख्य रूप से फैसल टाउन, ह्यात कालोनी, ताज कालोनी, हाकमशाह कालोनी, इनाम कालोनी, एकता कालोनी, हबीबगढ़ तथा मण्डी समिति रोड व बेहट रोड पर लगती हुई अनेक कालोनियां हैं। जनहित में विकास कार्य हेतु आवंटित धन का दुरुपयोग करने में लगे उक्त कालोनियों में कराये जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2–उक्त के सम्बन्ध में निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार शासनादेश संख्या–32/69–1–13–14(31)/ 2012टीसी, दिनांक 16–01–2013 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर द्वारा फैसल टाउन, ह्यात कालोनी, ताज कालोनी, हाकमशाह कालोनी, इनाम कालोनी, एकता कालोनी, हबीबगढ़ तथा मण्डी समिति रोड व बेहट रोड से लगती हुई विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य एवं मलिन बस्तियों में अवस्थापना सुविधाओं का अभाव होने के दृष्टिगत जनहित में निर्माण कार्य कराये गये हैं। उक्त सभी कालोनियां पुरानी हैं, जिनमें निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासी समिति की बैठक के अनुमोदन के उपरान्त ही कराये गये हैं तथा कराये गये कार्यों में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त बस्तियों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच हेतु उप जिलाधिकारी (सदर), सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति से भी निर्माण कार्यों की जांच करायी गयी है तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष एवं नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण के स्तर से भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं उपादेयता का नियमित अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप कराये गये हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है।,

---

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र के कपिलवस्तु के विकास खण्ड उसका एवं जोगिया के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार पासवान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड–उस्का में चौबाहे से गायघाट मार्ग दो भागों में बना है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 3.30 कि0मी0 है। चौबाहे घाट सम्पर्क मार्ग से अजगरा सम्पर्क मार्ग (1.30 कि0मी0 लम्बाई) का वित्तीय वर्ष 2009–10 में एवं अजगरा से गायघाट सम्पर्क मार्ग (2.00 कि0मी0 लम्बाई) का वित्तीय वर्ष 2010–11 में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त दोनों मार्ग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त भाग को ब्रिक बैट्स भरकर आवागमन योग्य बनाया गया है। मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

विकास खण्ड–जोगिया में टडिया से गायघाट मार्ग, ककरही टड़िया गायघाट मार्ग का आंशिक भाग है जिसकी कुल लम्बाई 18.00 कि0मी0 है जो अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है। इस मार्ग के कि0मी0 10 में टड़िया बाजार स्थित है। टड़िया बाजार में गायघाट की दूरी 8.00 कि0मी0 है। मार्ग कि0मी0 10 व 11 में वर्ष 2013–14 एवं कि0मी0 14,15,16 में वर्ष 2012–13 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य हुआ है। मार्ग के इस भाग की स्थिति ठीक है। वर्ष 2015–16 में मार्ग के कि0मी0 12, 13, 17 व 18 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है।

बनियाडीह से कोल्हुआ मार्ग तेतरी सोहास लोटन मार्ग के कि0मी0 10 से बायीं ओर निकलता है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 2.50 कि0मी0 है जिसकी विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत गम्भीर पेयजल संकट से निपटने हेतु एक हजार हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खदिनांक 16–02–2016 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र–222, बबीना (झांसी) में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है और कुएं सूख जाते हैं, सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि बबीना क्षेत्र में जो तालाब स्थित है उनसे जल उपलब्धता की कमी है जिससे मनुष्य, पशु पक्षियों को पेयजल के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, प्यास के कारण बहुत से जानवर एवं पक्षियों की मौत हो जाती है। क्षेत्र में पेयजल की इस समस्या का निदान हैण्डपम्पों से सम्भव है। पेयजल की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

2–इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि बबीना विधान सभा क्षेत्र के 195 ग्रामों की वर्ष 2011 की जनसंख्या 239800 है तथा वर्तमान में अनुमानित आबादी लगभग 259000 है एवं विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 5489 नग इण्डिया मार्क–प हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र में 48 व्यक्तियों पर 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। बबीना विधान सभा क्षेत्र इण्डिया मार्का–प हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के निर्धारित मानक 150 व्यक्तियों पर 01 हैण्डपम्प से पूर्णतया सन्तृप्त है। बबीना विधान सभा क्षेत्र में 17 नग एकता पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से भी जलापूर्ति पूर्ण क्षमता पर की जा रही है।

3–यह भी अवगत कराना है कि अवर्षण के कारण सूखे की आशंका के दृष्टिगत जनपद–झांसी में 400 नग हैण्डपम्पों की रिबोरिंग त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित की गयी है, जिसमें बबीना विधान सभा क्षेत्र के हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग भी सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सत्त प्रक्रिया है। यह भी अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पेयजल समस्या के दृष्टिगत ही वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्य बजट में रु0 200 करोड़ का प्राविधान पृथक से प्रस्तावित है, जो बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के समाधान में सहायक हो सकेगी।

4–उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पस्ट है कि राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पेयजल समस्या के प्रति संवेदनशील है एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पेयजल समस्या के निराकरण हेतु तत्पर एवं कृत संकल्प है।,

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में ग्राम टेल्हनापार में अराजी संख्या–527 पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी.....

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख(प्रशासन), गोरखपुर से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि आराजी नं0–527/0.061 हे0 स्थित ग्राम टेल्हनापार के राजस्व अभिलेख में ही श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लल्लन प्रसाद की भूमिधरी है। सकरे रास्ते के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि यह रास्ता परम्परागत रूप से लगभग 30 वर्षों से श्रेणी–6(2) आबादी की गाटा सं0–535 में चल रहा है। इसके उत्तर में श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लल्लन प्रसाद का आवासीय मकान स्थित है और रास्ते के दक्षिण में श्री जगदीश प्रसाद की ही दो मीटर ऊंची बाउन्ड्रीवाल लगभग 30 वर्ष पुरानी स्थित है। श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लल्लन प्रसाद का आराजी नं0–527/0.061 हे0 होते हुए बाउन्ड्रीवाल तक श्रेणी–6(2) आबादी की भूमि सम्मिलित करते हुए कब्जा पाया गया है। इस प्रकार रास्ते के दक्षिण में श्री जगदीश प्रसाद का कब्जा 0.061 हे0 से अधिक है, जो श्रेणी–6(2) आबादी की भूमि है। जिलाधिकारी, गोरखपुर को आबादी की भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 05 बजकर 10 मिनट पर/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक 24 फरवरी, 2016

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी (क)

डा0 धर्मपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2016 के प्रथम बुधवार हेतु पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0–3 की अनुपूरक सामग्री

माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अपने वर्ष 2013–14 हेतु टैरिफ आदेश में ग्रामीण क्षेत्र के अनमीटर्ड विद्युत कनेक्शन धारकों के लिये फिक्स्ड चार्ज प्रति संयोजना प्रति माह निर्धारित किया था एवं वर्ष 2014–15, 2015–16 के लिये फिक्स्ड चार्ज प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से निर्धारित किया है। वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के ग्रामीण बिना मीटर के विद्युत संयोजनों के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों के संगत पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न–1 (पृष्ट–08) के रूप में संलग्न किया जा रहा है। वर्तमान में कोई अवशेष समायोजन संज्ञान में नहीं है।

अधी0अभि0 (वा0) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वा0 एवं उ0ले0

निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 129/एच0सी0/यूपीपीसीएल/पांच, 1974,1204,सी/2013दिनांक : जून 10, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम–1999 की धारा–24 एवं विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–61 एवं 62 के अधीन शक्तियों एवं इस सम्बन्ध में अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय पर पूर्व पारित समस्त आदेशों/अधिसूचनाओं द्वारा अनुदेशों का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश दिनांक 31–05–2013 के अनुरूप उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 यह अधिसूचित करता है कि :––

(क) एतद्द्वारा संलग्न दर अनुसूचियां एवं विविध प्रभारों की अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत समस्त वितरण कम्पनियों द्वारा पोषित समस्त उपभोक्ताओं पर प्रभावी होगी।

(ख) दक्षिणांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल वितरण कम्पनियों में रेट् शिड्यूल में परिभाषित ''रेट्'' के ऊपर दिनांक 31–03–2014 तक 3.71 प्रतिशत रेगुलेटरी सरचार्ज लागू होगा।

(ग) संशोधित दर सूचियां, विविध प्रभारों की अनुसूची एवं रेगुलेटरी सरचार्ज दिनांक 10–06–2013 से प्रभावी होंगी। प्रतिबन्ध यह है कि अधिसूचना के लागू होने की तिथि के पश्चात् उपभोक्ताओं द्वारा किया गया विद्युत उपभोग, जो मीटर रीडिंग द्वारा प्रथम बार अंकित किया जाएगा, उपभोग की गयी अवधि के अनुपात में पुराने एवं नये दर के अनुसार बांट दिया जायेगा।

2– इसके अतिरिक्त समय–समय पर उ0प्र0 शासन एवं/अथवा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेशित ऐसे प्रभार अथवा अधिभार एवं विद्युत शुल्क के लागू किये जाने के प्रतिबन्धाधीन संशोधित दर सूचियां लागू होगी।

3– पूर्वगत प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त संलग्न अनुसूचियों में उल्लिखित शुल्क दरें, विद्युत सम्पूर्ति शर्तें एवं अन्य विषय, वर्तमान दर अनुसूचियों द्वारा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/समस्त वितरण कम्पनियों के साथ हुए। वर्तमान अनुबन्धों में यदि कोई हो, विद्यमान दर अनुसूचियों द्वारा तत्कालीन व्यवस्थाओं को दिनांक 10–06–2013 से प्रतिस्थापित करेंगे।

संलग्नक : यथोपरि

संजय अग्रवाल,

अध्यक्ष,
उ0प्र0पा0का0लि0, उ0प्र0 पारेषण निगम लि0,
मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को।

RATE SCHEDULE LMV-1
DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER

1-APPLICABILITY:

This schedule shall apply to :

(a) Premises for residential/domestic purpose, Janta service Connections, Kutir Jyoti Connections, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria.

(b) Mixed Loads

I. 50 kw and above

a. Registered Societies, Residential Colonies/Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70% shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting,

b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

II. Less than 50 kw

For mixed loads less than 50 kw however if any portion of the above load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY :

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE :

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category :

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(U.P. GOVT. UNDERTAKING)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW.

No. 296/H.C./UPPCL/V-1974-1204-C/2014 Date : October 9, 2014

NOTIFICATION

In conformity of tariff order dated 01-10-2014 issued by U.P. Electricity Reqgulatory Commission in exercise of powers under section 24 of the Electricity Reforms Act, 1999 and section 61 and 62 of Electricity Act-2003 and all other power in this behalf and in supersession of all previous notifications, orders and instructions on the subject. U.P. Power Corporation Ltd. hereby notify that :-

(i) The revised rate schedules and schedule of miscellaneous charges appended hereto, shall apply to all consumers in respect of supply of electricity throughout the area of supply of all distribution companies in the state of Uttar Pradesh.

(ii) A separate regulatory Surcharge of 2.38% over "RATE" shall be applicable in the supply areas of DVVNL, MVVNL, PVVNL and Pu VVNL. The rate of such regulatory surcharge shall be 2.23% for KES Co. The regulatory surcharge of 2.84% which is in vogue in DVVNL, MVVNL, PVVNL and Pu VVNL, shall continue to be in operation as it is existing today.

(iii) The rates/charges as specified in (i) & (ii) above shall come into force w.e.f. 12-10-2014.

Provided that the consumption of consumers recorded through meter reading taken for the first time, after the effective date of this notification, will be furcated on pro-rate basis between old tariff and new tariff.

2. The revised rate schedules shall, besides, be subject to levy of such charges or surcharges and electricity duty as may be imposed by the Government and/or UPERC from time to time.

3. In addition to condition mentioned in para-2 above, the rates of charge, conditions of supply and other matters specified in the schedules annexed hereto, shall replace the existing rates of charge and corresponding provisions in the existing rate schedules and in the existing agreements, if any, with the erstwhile UPSEB/U.P. Power Corporation Ltd/all distribution companies. w.e.f 12.10.2014.

Annexure : As above.

By order,

SANJAY AGARWAL,

Chairman,

UPPCL, MVVNL, DVVNL, PVVNL, PuVVNL, KESCO.

RATE SCHEDULE LMV-1

DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER :

1. APPLICABILITY :

This schedule shall apply to :

(a) Premises for residential/domestice purpose, Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwars, Churches) and Electric Crematoria.

(b) Mixed Loads

i. 50 KW and above

a. Registered Societies, Residential Colnies/Townships, Residential Multistoried Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70%, shall also include tha load required for lifts, water pumps and common lighting.

b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

ii. Less than 50 KW

Except for the case as specified in Regulation 3.3 (a) of Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy/consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY :

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE:

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category:

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule' (other than Tehsil Head Quarters, Nagar palikas and Nagar Panchayat Areas) :

Description	Description	Fixed charge	Energy charge
i) Un-metered	Load up to 2kw	Rs. 180/KW/ month	Nil
	Load above 2 kw	Rs. 200/KW/ month	Nil
ii) Metered	All Load	Rs. 50-/KW/ month	Rs. 2.20kwh

(b) Supply at Single Point for bulk loads :

Description	Fixed charge	Energy charge
For Townships, Registered Socities, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kw and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for defence Establishments (Mixed load without and load restriction),	Rs. 70.00/KW/ Month	Rs. 5.25/KWh

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee, Such body shall charge not more than 10% additional charge on the above specified Rate from its end consumers apart from other applicable charges such as Regulatory Surcharge, Penalty, Rebate and Electricity Duty on actual basis.

(c) OTHER METERED DOMESTIC CONSUMERS :

1. Lifeline consumers : Consumers with contracted load of 1 KW, energy consumption up to 150 KWh/month.

Description	Fixed charge	Energy Charge
Loads of 1 KW only and for consumption up to 50 KWh/month (o to 50 KWh/month)	Rs. 50.00/KW/ Month	Rs. 2.00/KWh
Loads of 1 KW only and for consumption above 50 KWh/month up to 150 KWh/month (51 to 150 KWh/month)	Rs. 50.00/KW/ Month	Rs. 2.85/KWh

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(U.P. GOVT. UNDERTAKING)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW.

No. 374/H.C./UPPCL/V-1974-1204-C/2015 Date : June 23, 2015

NOTIFICATION

In conformity of tariff order dated 18-06-2015 issued by U.P. Electricity Reqgulatory Commission in exercise of powers under section 24 of the Electricity Reforms Act, 1999 and section 61 and 62 of Electricity Act-2003 and all other power in this behalf and in supersession of all previous notifications, orders and instructions on the subject. U.P. Power Corporation Ltd. hereby notify that :-

(A) The revised rate schedules and schedule of miscellaneous charges appended hereto, shall apply to all consumers in respect of supply of electricity throughout the area of supply of all Government owned distribution companies in the state of Uttar Pradesh.

(B) (i) As per the Hon'ble UPERC order dated April 22, 2015, Domestic and Private Tubewell consumers in the supply area of DVVNL, MVVNL, PVVNL and PuVVNL (except KESCO supply area) shall be levied Regulatory Surcharge-1@ 1.14%, 0.73%, 2.84% and 1.03% respectively whereas all other category of consumers shall be levied Regulatory Surcharge-1 @2.84% (The same has been further clarified by the Hon'ble Commission *vide* its letter No. UPERC/Secy/D (Tariff) 15-561 dated 17.06.2015)

(ii) Regulatary Surcharge-2 @4.28% shall be levied on the consumers in the supply area of DVVNL, MVVNL, PVVNL and PuVVNL.

(iii) For KESCO, Regulatory Surcharge-2@ 4.13% (for all categories except LMV-1 & LMV-5) shall be applicable Consumer of category LMV-1 & LMV-5 shall be levied Regulatory Surcharge-2 @3.91%.

(c) The rate/charges as specified in (A) and (B) above shall come into force w.e.f 28.06.2015.

Provided that the consumption of consumers recorded through meter reading taken for the first time, after the effective date of this notification, will be bifurcated on pro-rata basis between old tariff and new tariff.

2. The revised rate schedules shall, besides, be subject to levy of such charges or surcharges and electricity duty as may be imposed by the Government and/or UPERC from time to time.

3. In addition to condition mentioned in para-2 above, the rates for charge, conditions of supply and other matters specified in the schedule annexed hereto, shall replace the existing rates of charge and corresponding provisions in the existing rate schedules and in the existing agreements, if any, with the

erstwhile UPSEB/U.P. Power Corporation Ltd/all Government owned distribution companies, w.e.f. 28.06.2015.

Annexure :As above

By order,
SANJAY AGARWAL,
Chairman,
UPPCL, MVVNL, DVVNL, PVVNL, PuVVNL, KESCO.

RATE SCHEDULE LMV-1
DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER

1-APPLICABILITY :

This schedule shall apply to :

(a) Premises for residential/domestic purpose, paying Guests/Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi/Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria.

(b) Mixed Loads.

I. 50 kw and above

a. Registered Societies, Residential Colonies/Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70% shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting,

b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

II. Less than 50 kw

Except for the case as specified in Regulation 3.3 (e) of Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY :

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE :

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category :

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule' :

Description	Description	Fixed charge	Energy charge
i) Un-metered	Load up to 2kw	Rs. 180/KW/ month	Nil
	Load above 2 kw	Rs. 200/KW/ month	Nil
ii) Metered	All Load	Rs. 50-/KW/ month	Rs. 2-20 KWh

Note : All the unmetered consumers of LMV-19 a) i.e. Consumers getting supply as per "Rural Schedule" shall be converted into metered connection by December 31, 2015 beyond which the Tariff for unmetered category of LMV-1(a) shall be increased by 10%.

(b) Supply at Single Point for bulk loads (50 KW and above, Supplled at any Voltage) :

Description	Fixed charge	Energy charge
For Townships, Registered Socities, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kw and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for defence Establishments (Mixed load without and load restriction),	Rs. 85.00/KW/ Month	Rs. 5.50/KWH

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee. Such body shall charge not more than 10% additional charge on the above specified Rate from its end consumers apart from other applicable charges such as Regulatory Surcharge, Penalty, Rebate and Electricity Duty on actual basis.

The franchisee is required to provide to all its consumers and the licensee, a copy of the detailed computation of the details of the amounts realized from all the individual consumers and the amount paid to the licensee for a certain billing cycle. If he falls to do so, than the consumers may approach the consumer Grievance Redressal Forum having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

पी0एस0यू0पी0–एल0 94 विधान सभा (142)–8–8–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।